भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

संघ सरकार

(राजस्व विभाग-सीमाशुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2014 की संख्या 12

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ
प्राक्कथन		ii
कार्यकारी सार		iii
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली		vi
सीमाशुल्क राजस्व	I	1
शुल्क छूट/माफी योजनाएं	II	29
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	III	65
सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण	IV	74
माल का गलत वर्गीकरण	V	98
नशीले पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)	VI	112
विषयगत लेखापरीक्षा	VII	
क. जब्त एवं अधिग्रहित माल का निपटान		148
ख. सामान्य आयात मालसूची एवं सामान्य निर्यात मालसूची		168
ग. सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडागार		186
अनुबन्ध - I		205
परिशिष्ट		213

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग – सीमाशुल्क की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वह हैं, जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ 2012-13 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका; 2012-13 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहाँ शामिल किया गया है, जहां आवश्यक है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

सीमाशुल्क अनुपालन प्रतिवेदन में 139 पैराग्राफ सहित सात अध्यायों को शामिल करते हुए ₹ 1832.41 करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल है। इनमें से, ₹ 39.67 करोड़ के राशि मूल्य वाले, 84 पैराग्राफ के संबंध में, विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओं नोटिस को जारी करके, कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेकर सुधारात्मक कार्यवाही करके ₹ 10.88 करोड़ की वसूली की।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

- **जीडीपी के अनुपालन के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।**

{पैराग्राफ 1.5}

- **वित्त वर्ष 13 के दौरान निर्यात में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि आयात में 13.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।**

{पैराग्राफ 1.6}

- **विभाग द्वारा मार्च 2013 तक मांगे गए ₹ 11,835.91 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व की वित्त वर्ष 13 के अंत तक वसूली नहीं की गई, जिनमें से ₹ 2,468 करोड़ गैर-विवादित था।**

{पैराग्राफ 1.19}

अध्याय II: शुल्क छूट/माफी योजनाएं

शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाकर निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ 139.06 करोड़ का राजस्व प्राप्य था। इस अध्याय में 'उन्नति उपायों' पर एक लम्बा पैराग्राफ (फोकस उत्पाद योजना में समाविष्ट बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना है) सम्मिलित है।

{पैराग्राफ 2.1 से 2.5.2}

अध्याय III: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 89.31 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.7}

अध्याय IV: सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

लेखापरीक्षा ने कुल ₹ 86.53 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व के गलत निर्धारण का पता लगाया। इस अध्याय में भी ''सीमाशुल्क की प्रतिदाय'' पर एक लम्बा पैराग्राफ है।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10.2}

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

माले के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 20.70 करोड़ का शुल्क कम उद्ग्रहित हुआ।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.16}

अध्याय VI: नशीले पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)

- **मूल्य श्रंखला में उच्चतर नशीले उपक्षार तत्वों (एल्केलॉइड) के निर्माण, बिक्री और निर्यात में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, दक्ष प्रबंधन ढांचे एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का उपयोग करते हुए, पोस्त की खेती से घातांकीय उच्चतर आर्थिक प्रतिफल एवं पारंपरिक परिक्षेत्र में पोस्ता दाना प्राप्ति में विदेशी मुद्रा बचाने की अपार संभावनाऐं हैं।**
- **किसानों एवं ड्रग उत्पादकों के लिए एक आनुपातिक प्रोत्साहन ढांचे के साथ अफीम के बीजों के स्वदेशी उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत और तैयार अफीम से बनी दर्द निवारक रसायन की बिक्री द्वारा राजस्व उत्पादन के दोहरे उद्देश्यों की लक्षित कोई नीति रूपरेखा दिखाई नहीं देती।**

{पैराग्राफ 6.1 से 6.15}

अध्याय VII: विषयगत लेखापरीक्षा:

क. जब्त एवं अधिग्रहित माल का निपटान

विभाग द्वारा जब्त एवं अधिग्रहित माल के निपटान की प्रणाली अभिलेखों के उचित अनुरक्षण, दस्तावेजों की अपर्याप्त गुणवत्ता, लक्ष्यों का गैर प्रक्षेपण, अधिनिर्णयन में विलम्ब के साथ-साथ निर्धारित दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण माल के निपटान में विलम्ब, भण्डारण स्थान में अवरोध और राजकोष की हनि द्वारा चित्रित थी।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.18}

ख. सामान्य आयात मालसूची एवं सामान्य निर्यात मालसूची

- **लेखापरीक्षा ने, आईजीएम प्राप्ति में, शिप फाइल के खुलाव मे, एलओसी के जारी होने में, ओटीआर के सामायिक प्राप्ति, शॉर्ट लैंडिड माल के जुर्माने के गैर-उद्ग्रहण अथवा गैर-सूचित माल के निकास में एमसीडी की नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के विचलन पर ध्यान दिया है।**
- **आईजीएम के नत्थीकरण एवं समापन की कार्यविधि कोडल प्रावधानों के अनुसार बारीकी से पालन नहीं किया जा रहा था, जो कि माल की उतराई/आवाजाही एवं निर्धारित कर/जुर्माना के संचयन पर नियंत्रण को कमजोर कर सकता है।**

{पैराग्राफ 7.19 से 7.23}

ग. सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडा गार

- **मालगोदामों की निगरानी कमज़ोर थी और अभिलेखों का रख-रखाव अनुचित था। विभागीय अधिकारियों एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा दलों द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र अपर्याप्त था। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही के गैर-प्रारंभ भी सरकारी राजस्व की बड़ी राशि के अवरोध का कारण है, जोकि समय बीतने के साथ ही माल के वाणिज्यिक मूल्य की हानि एवं खराब होने से अनिवार्य रूप से घाटे में बदल जायेगा।**
- **अनुचित विस्तार एवं सुविधाओं के दुरूपयोग हेतु सामयिक एवं प्रभावकारी कार्यवाही की कमी से भारी राजस्व में अवरोध हुआ।**

{पैराग्राफ 7.24 से 7.30}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

पूरा रूप	संकेताक्षर
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स	एसीसी
एडवांस रिलीज़ ऑडर	एआरओ
एंटी डंपिंग शुल्क	एडीडी
आयात निर्यात फार्म	एएनएफ
बैंक गारंटी	बीजी
मूल सीमा शुल्क	बीसीडी
प्रविष्टि बिल	बीई
सीमाशुल्क अधिनियम 1962	सीए
सीमाशुल्क उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपील अधीकरण	सीईएसटीएटी
मुख्य नियंत्रक, कारखाना	सीसीएफ
नारकोटिक केन्द्रीय ब्यूरो	सीबीएन
केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सीबीईसी
केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीईटीएच
कार्गो पृथककरण रिपोर्ट	सीएसआर
केंद्रीय बिक्रीकर	सीएसटी
केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	सीआरसीएल
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	सीईसी
लागत बीमा भाड़ा	सी.आई.एफ.
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	सीओएनसीओआर
सीमाशुल्क आयुक्तालय	आयुक्तालय
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
कच्चा ताड़ का तेल	सीपीओ
सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीटीएच
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
महानिदेशक विदेशी व्यापार	डीजीएफटी
महानिदेशक मूल्यांकन	डीजीओवी
डिविज़नल अफीम अधिकारी	डीओओ
घरेलू टैरिफ क्षेत्र	डीटीए

पूरा रूप	संकेताक्षर
शुल्क हकदारी पासबुक	डीईपीबी
शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र-	डीईईसी
शुल्क मुक्त हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र-	डीएफईसीसी
शुल्क मुक्त प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र-	डीएफआरसी
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज	ईडीआई
सामान्य निर्यात मालसूची	ईजीएम
निर्यात बाध्यता	ईओ
निर्यातोन्मुख यूनिट	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात प्रसंस्करण जोन	ईपीजेड
फ्री ऑन बोर्ड	एफओबी
फोकस उत्पाद योजना	एफपीएस
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सरकारी अफीम एवं उपक्षार कार्य	जीओएडब्ल्यू
क्रियाविधि हस्त पुस्तिका	एचबीपी
हाई स्पीड डीजल	एचएसडी
सुमेलित नामावली प्रणाली	एचएसएन
उच्च समुद्र बिक्री	एचएसएस
भारतीय व्यापार वर्गीकरण सुमेलित) प्रणाली(	आईटीसी (एचएस)
आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग	आईएडी
अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो	आईसीडी
आयात सामान्य मालसूची	आईजीएम
संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति	जेपीसी
संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	जेडीजीएफटी
लेट एक्सपोर्ट आर्डर	एलईओ
कॉल पत्र	एलओसी
अनुमति पत्र	एलओपी
विधि उपक्रम	एलयूटी
बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना	एमएलएफपीएस
मास्टर एयरवे बिल	एमएडब्ल्यूबी

पूरा रूप	संकेताक्षर
मालसूची समाशोधन विभाग	एमसीडी
नारकोटिक केन्द्रीय डिविज़न	एनसीडी
नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो	एनसीबी
मादक दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985	एनडीपीएस अधिनियम
पूर्वोत्तर क्षेत्र	एनईआर
नेताजी सुभाष बंदरगाह, कोलकाता	एनएसडी
न्यूनतम योग्यता उपज	एमक्यूवाई
आउट टर्म रिपोर्ट	ओटीआर
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा	पीडीए
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	आरएजेएसआईसीओ
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद	आरजी हवाई अड्डा
क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी	आरएलए
नीति परिपत्र	पीसी
पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र	आरसीएमसी
रुपये	₹
शिपिंग बिल	एसबी
विशेष आर्थिक जोन	एसईजेड
विशेष जांच एवं आसूचना शाखा	एसआईआईबी
सेवा कर	एसटी
मूल्य संवर्धित कर	वीएटी
विशेष कृषि उपज योजना	वीकेजीयूवाई

अध्याय I

राजस्व विभाग (सीमा शुल्क राजस्व)

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋणों के पुन: भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तालिका 1.1 केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़[1] की राशि बनती हैं। इसमें से ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 13,99,951.05 करोड़ की है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	₹ करोड़
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	13,47,437.62
i. प्रत्यक्षकर प्राप्तियां	*5,58,989.47*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*4,77,470.98*
iii. सहायता अनुदान और अंशदान सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*3,10,977.17*
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां	25,889.80
ग. श्रण एवं अग्रिम की वसूली	26,623.63
घ. सार्वजनिक श्रण प्राप्तियां	39,68,037.94
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**53,67,988.99**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 2,91,546.61 करोड़ सम्मिलित है।	

1.2 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

अप्रत्यक्ष कर स्वयं को आपूर्ति के माल/सेवाओं के मूल्य से जोड़ते हैं और इस अर्थ में वे व्यक्ति-विशिष्ट के बजाय लेन-देन विशिष्ट होते हैं। संसद के अधिनियम के अंतर्गत लागु किए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

क) **सीमा शुल्क:** सीमा शुल्क भारत में आयात हुए माल और भारत के बाहर नियति हुए निश्चित माल पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 1 के 83 प्रविष्टि)।

[1] स्रोत: वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अन्तरिम हैं। अन्य कर सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे से तैयार किए गए है।

ख) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** शुल्क भारत में निर्माण अथवा उत्पाद हुए माल पर लगाया जाता है। संसद के पास मानवीय खपत के लिए अधिक पेय, अफीम, भांग एवं अन्य मादक औषधियां एवं मादक द्रव्य को छोड़ कर तम्बाकू और भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति है, लेकिन औषधीय एवं मध वाले प्रसाधन पदार्थ, अफीम आदि सम्मिलित है। (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)

ग) **सेवा पर कर:** सेवा कर योग्य क्षेत्र के अंदर प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है (सविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)।[2]

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रासंगिक आकड़ों, विभागीय एमआईएस के डाटा का प्रयोग करके सीमा शुल्कों में प्रव्तियों, संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य कर रहा है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नाम के दो सांविधिक बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों संबंधित सभी मामलों को समन्वित करता है। सीमाशुल्क लगाने अथवा संचयन संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं

[2] संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003, जिसे 15 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, अनुच्छेद 268क, अधिनियम 270 के संशोधन और सातवीं अनुसूची की सूची 1 में सेवा पर कर प्रविष्टि 92 ग के अंतवेष के लिए प्रस्तुत/प्रविष्ट की गई थी हालांकि अधिनियम अभी लागु होता है।

तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन/हवाला अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं खूफिया, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए जुड़े हुए/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीइसी का समग्र संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 68,795[3] है। सीबीइसी का सगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट 1** में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृति एवं संघटन

वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है (तालिका 1.2)। पिछले पांच वर्षों में जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों का शेयर लगभग 5 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व[4] में अप्रत्यक्ष करों का शेयर अवधि के दौरान लगभग 44-45 प्रतिशत तक स्थिर रहा। इस अवधि के दौरान जीडीपी बढ़कर 80 प्रतिशत तथा कुल राजस्व कर बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया था। जीडीपी वित्तीय वर्ष 09 में ₹ 56.30 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 101.13 लाख करोड़ तक बढ़ा जबकि अप्रत्यक्ष कर वित्तीय वर्ष 09 में ₹ 2.70 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 4.75 लाख करोड़ तक बढ़ गया।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 09	2,69,988	56,30,063	4.80	6,05,298	44.60
वि.व. 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39.29
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	45.80

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व.13 के आंकड़े अंतरिम हैं।

[3] 31 मार्च 2013 तक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

[4] संबंध वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी फरवरी 2013 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े

1.5 प्राप्त सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि-प्रवृतियां और संरचना

जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी की वृद्धि प्रस्तुत करती है। सीमाशुल्क राजस्व ने जीडीपी के प्रतिशत के रूप वित्तीय वर्ष 12 और वित्तीय वर्ष 13 के दौरान गिरावट दिखाई है। जबकि अप्रत्यक्ष करों के शेयर के रूप में सीमाशुल्क राजस्व काफी हद तक वित्तीय वर्ष 10 में 33.96 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 38.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, किंतु वित्तीय वर्ष 13 में यह 34.83 प्रतिशत तक घट गया।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियां	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व. 09	56,30,063	6,05,298	2,69,988	99,879	1.77	16.50	36.99
वि.व. 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	83,324	1.29	13.34	33.96
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17.12	39.32
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	16.80	38.03
वि.व. 13	1,01,13,281	10,36,460	4,74,728	1,65,346	1.63	15.95	34.83

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 13 आंकड़े अंतरिम हैं।

वित्त मंत्रालय, सीबीइसी (मंत्रालय) के कहा है कि (मार्च 2014) एक वित्तीय वर्ष में सीमा शुल्क राजस्व का एकत्रीकरण/संचयन कर नीति, आयात की मात्रा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं एवं आयातित माल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विनिमय दर जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

1.6 वित्त वर्ष 09 से 13 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यात में वित्तीय वर्ष 12 में 28.26 प्रतिशत (₹ 3,23,037 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 11.48 प्रतिशत (₹ 1,68,360 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.4) आयात में इसी अवधि के दौरान 39.32 प्रतिशत (₹ 6,61,996 करोड़) से 13.80 प्रतिशत (₹ 3,23,699 करोड़) तक की वृद्धिदर्ज की गई है।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन
वि.व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	840755	28.19	-533681
वि.व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	845534	0.57	-518202
वि.व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	1142922	35.17	-540545
वि.व. 12	2345463	39.32	149328	9.95	1465959	28.26	-879504
वि.व. 13	2669162	13.80	165346	10.73	1634319	11.48	-1034843

स्रोत: ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग

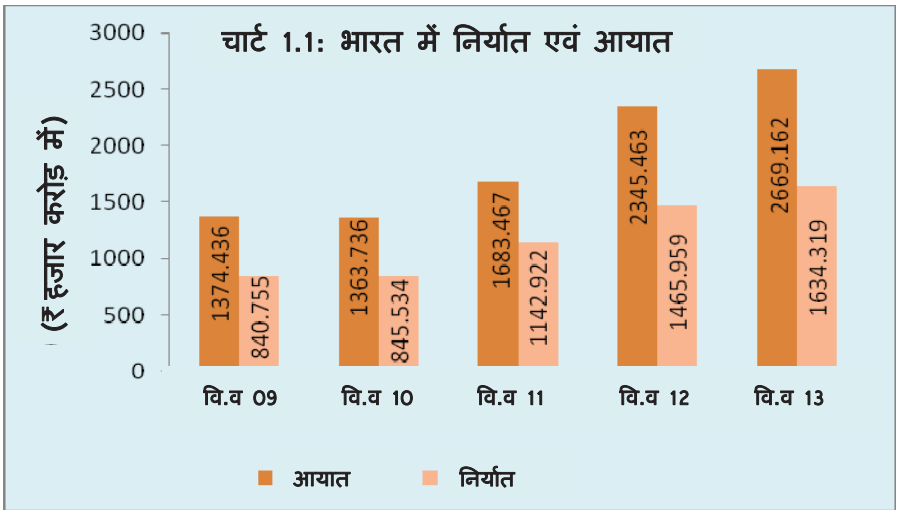

पिछले पाँच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण आयात पैट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, मंहगे-मोती एवं कम मंहगे पत्थर, मशीनरी (विद्युत एवं इलैक्ट्रॉनिक को छोड़ कर) रहे। पेट्रोलियम उत्पाद ने पिछले साल की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 में 20 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जबकि सोने ने इसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है ये उपयोगी वस्तुएँ वित्तीय वर्ष 13 के दौरान कुल आयात का लगभग 44 प्रतिशत थी।

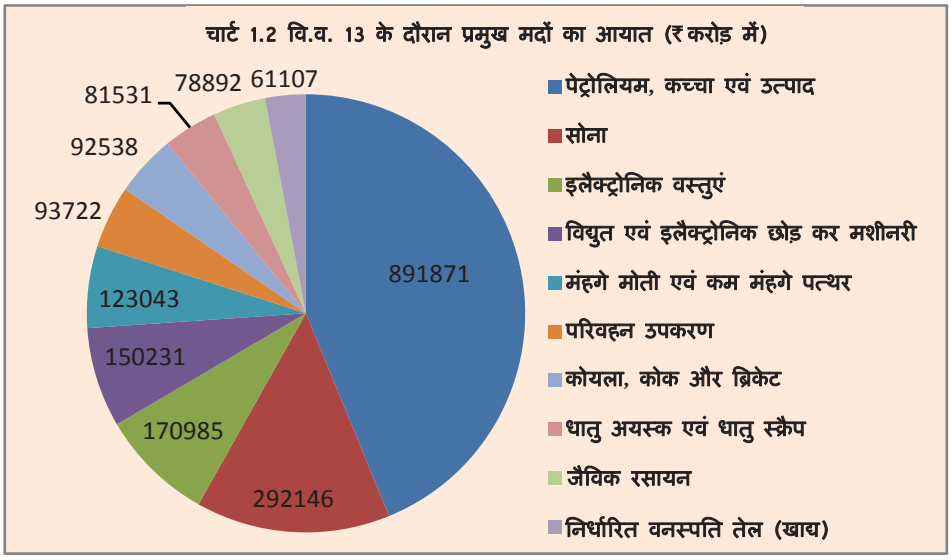

इसी प्रकार से, पिछले पांच वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पाँच निर्यात वस्तुएँ पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद), रत्न तथा गहने, यातायात उपकरण, मशीनरी तथा औजार एवं दवाईयाँ-फार्मास्यूटिकल्स तथा अच्छे रसायन थीं। पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद) ने पिछले साल की उपेक्षा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जबकि रत्न एवं गहने ने इसी अवधि के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत ये उपयोगी वस्तुएँ थीं।

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान भारत को निर्यात करने वाले पाँच देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीटजरलैड, सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इसी तरह वर्ष वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयात करने वाले प्रमुख पाँच देश संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर तथा हांग कांग थे।

1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड[5] (आईईसी) के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल होंगें। जनवरी 2014 तक 864022 वैद्य आइईसी हैं। वर्तमान में 345 क्रियाशील बंदरगाह है जिसमे 102 ईडीआई, 71 गैर-ईडीआई, 66 मैन्युअल एवं 106 एसईजेड समाविष्ट हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, 4.44 लाख करोड़ निर्यात एवं 26.70 लाख करोड़ आयात का लेन-देन किया गया था। उन्नीस व्यापार करार द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत **(परिशिष्ट 2)** छोड़े गये शुल्क

[5] आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

(₹ 3,20,723.42) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 1,65,346 करोड़) की लेखापरीक्षा की जा रही हैं।

1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

संग्रहित सीमाशुल्क राजस्व ने आयात के मूल्य के साथ क्रमवार वृद्धि नहीं हुई।

पिछले वर्ष में वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयात के मूल्य ने 13.80 प्रतिशत (तालिका 1.5) वृद्धि दर्शायी। वित्तीय वर्ष 13 में सीमाशुल्क राजस्व की वृद्धि 10.73 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयातों की कीमत ने 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी थी, जबकि आयात शुल्क केवल 66 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान शीर्ष शुल्क दर 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	शुल्क का उच्चतम दर
वि.व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	10.00
वि.व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	10.00
वि.व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	10.00
वि.व. 12	2345463	39.32	149328	9.95	10.00
वि.व. 13	2669162	13.80	165346	10.73	10.00

स्रोत: यूनियन बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

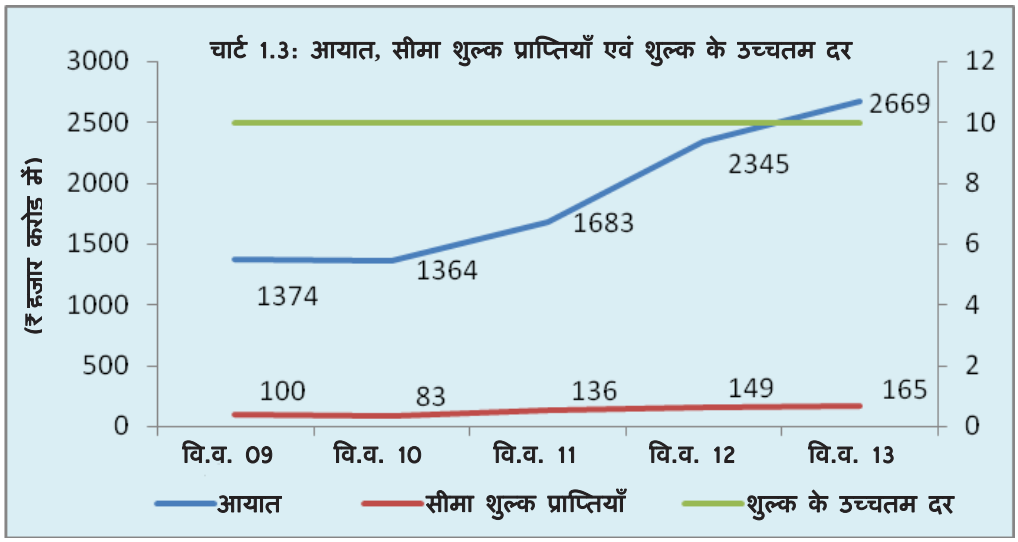

1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

हालांकि व्यापार नियमों डीओआर को आवंटित विषयों को निर्धारित करते है लेकिन परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)[6] में आवश्यक उपचारात्मक निष्पादन सूचको के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को नापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी) तैयार नहीं करता तथापि, ऐसा जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) वाले भारत सरकार के 74 अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है, समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट ही जिसमें पांच बड़े विभाग और कई आरसीज शामिल है।

1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

बजट अनुमानों के वास्तविक सग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 16.02 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 7.52 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

---

[6] मंत्रीमंडल सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी को तैयार करना आवश्यक है।

तालिका 1.6: बजट और संसोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता	वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता
वि.व.09	118930	108000	99879	(-)19051	(-)16.02	(-)7.52
वि.व.10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1.36
वि.व.11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व.12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

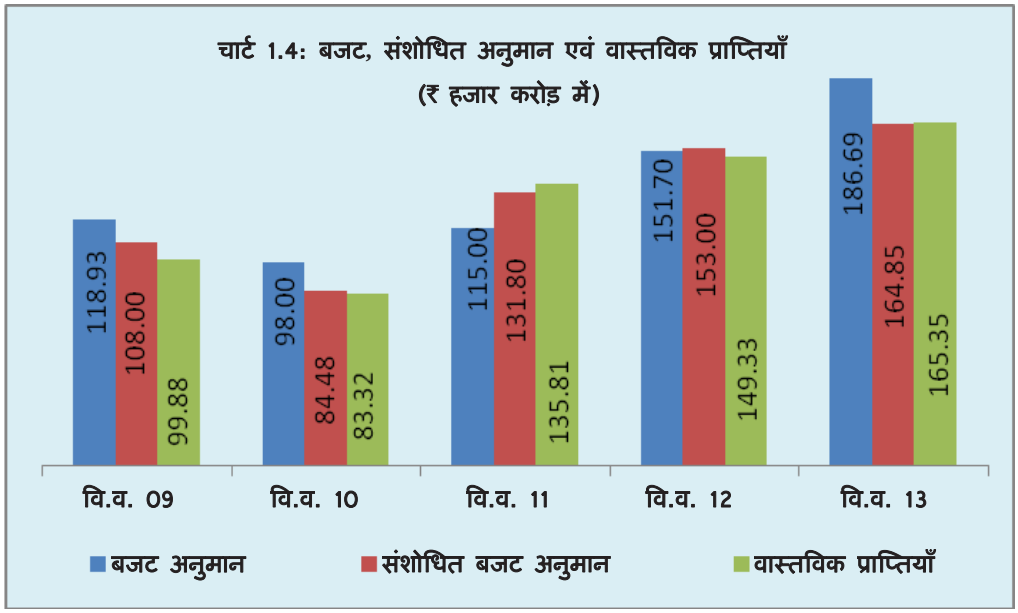

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) एक वित्तीय वर्ष में सीमाशुल्क राजस्व का संचयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कर नीति, आयात की मात्रा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं एवं आयातित माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विनियम दर। एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक कारकों का वास्तविक व्यवहार वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व लगाये गये अनुमान से भिन्न हो सकता है। एक वर्ष में आर्थिक कारकों के कारण बीई/आरई के संबंध में अंतिम राजस्व प्राप्तियाँ घट अथवा बढ़ सकती हैं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यह सभी कारण बीई तैयार करने से पूर्व ज्ञात थे एवं उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वहाँ आरई के रूप में हमेशा बीच में सुधार का एक अवसर व्यवहारिक आसु चित्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध था।

1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा सीमा शुल्क राजस्व

छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घाताँकीय रूप से बढ़ रहा है।

केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत शुल्क छूट की शक्तियों को जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिमय की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व = *मूल्य* x *(शुल्क की टैरिफ दर-शुल्क की प्रभावी दर)*

पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में छोड़े गए राजस्व में 179 प्रतिशत से 295 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 1.7)। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान छोडे गए राजस्व का 86 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, मशीनरी, खाद्य तेल तथा अनाज रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था। निर्यात संवर्धन योजना के तहत छोडा गया राजस्व वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था (तालिका 1.8)।

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोडा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोडा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	छोड़ा गया राजस्व सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व.09	99879	225752	912.14	12116	238780.14	239.07
वि.व.10	83324	233950	2309.32	9219	245478.32	294.61
वि.व.11	135813	230131	3474.05	9001	242606.05	178.63
वि.व.12	149328	285638	3202.36	12331	301171.36	201.68
वि.व.13	165346	298094	3031.42	17355	318480.42	192.61

स्रोत: संघ प्राप्तियाँ बजट, सीबीइसी डीडीएम, सीबीइसी

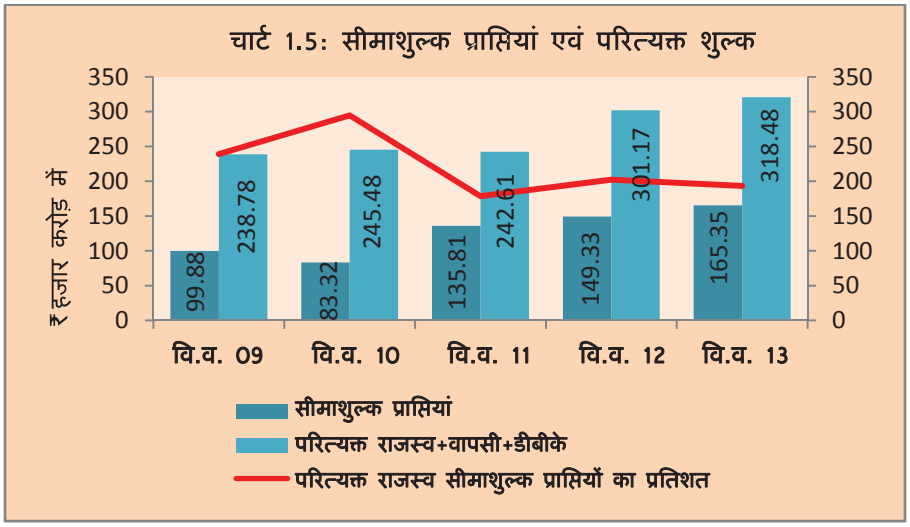

योजनागत परित्यक्त शुल्क वि.व. 09 से वि.व. 13 में 63 प्रतिशत से 44 प्रतिशत था (तालिका 1.8)। छोड़े गए राजस्व विवरण उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा यदि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का राजस्व प्राप्ति निर्धारण, यदि कोई किया गया हो को बजट दस्तावेज के हिस्से के रूप मे उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोडी गई राशि/संवितरित				₹ करोड़
	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13
1. अग्रिम लाइसेंस	12389	10089.21	19355.28	18306.12	18971.02
2. एसईजैड	2324.29	3987.06	8630.16	4559.87	4490.58
3. ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	13400.65	8076.46	8579.87	4554.64	5881.06
4. ईपीसीजी	7832.71	7020.25	10621.24	9672.28	11218.25
5. शुल्क फिरती (नीचे की क्रम सं.8 को छोड़कर)	12116.07	9218.96	9001.39	12331.41	17354.72

योजना का नाम	छोडी गई राशि/संवितरित				₹ करोड़
	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13
क्रम सं.8 को छोड़कर)					
6. डीईपीबी (नीचे की क्रम सं. 7 को छोड़कर)	7087.49	8008.45	8736.4	10404.37	2706.13
7. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त डीईपीबी लाभ	4.52	19.51	20.15	4.52	3.23
8. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त फिरती लाभ	4.45	12.28	17.85	2.55	8.92
9. डीएफआरसी	110.61	62.3	43.53	39.93	21.46
10. स्थिति धारको की डीएफईसीसी योजनाएं (अधि. 53/03-सीशुल्क)	342.32	179.74	96.6	69.93	94.81
11. स्थिति धारको की डीएफईसीसी (अधि.54/03-सीशुल्क)	75.4	54.16	59.79	120.42	47.10
12. टारगेट वाली योजनाएं-अधिसूचना सं. 32/2005-सी.शु और 73/2006 सीशुल्क	1220.12	267.28	373.99	436.31	592.05
13. विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना अधिसूचना सं. 41-2005 सीशुल्क	2059.11	2868.68	1788.48	2263.34	2382.37
14. भारत सेवी योजना की अधिसूचना सं. 92/2004-सीशुल्क	530.53	514.86	542.18	555.46	590
15. डीएफआईए योजनाएं-अधिसूचना सं. 40/2006-सीशुल्क	1267.6	1398.55	1403.99	1224.33	1735
16. फोकस मार्केट योजना-अधिसूचना सं. 90/2006-सीशुल्क	264.05	432.38	548.12	894.46	1599.28
17. फोकस उत्पाद योजना-अधिसूचना सं. 91/2006-सीशुल्क	144.16	396.26	1209.46	3056.31	4578.78
कुल	**61173.08**	**52606.39**	**71028.48**	**68678.39**	**72274.86**
सीमा शुल्क प्राप्ति का %	**61.25**	**63.13**	**52.30**	**45.82**	**43.54**

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

छोड़े गए राजस्व में मुख्य रूप से सहयोग करने वाली पहली पांच वस्तुएं है:

क. कीमती पत्थर, गहने

ख. खनिज ईंधन एवं खनिज तेल

ग. जानवर अथवा वनस्पति वसा

घ. मशीनरी

ङ. इलैक्ट्रिकल मशीनरी

1.12 सीमाशुल्क प्रक्रिया और सरलीकरण

आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सरलीकरण उपाय जो उदपादशुल्क और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप सीमाशुल्क द्वारा आयतित निर्यात माल की निकासी हेतु लिए गए समय में महत्वपूर्ण कमी का परिणाम होगा। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई का प्रारंभ आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट कलीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित बेतरतीब रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मलित है। आयात और निर्यात कार्गों की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को उत्तरोत्तर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरलीकरण हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृत को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा दत्त 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्त पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया, किंतु वह सरलीकरण उपायों अथवा लेन-देन मल्यों में बचत से सहसंबंधित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) यदि सुचारू निकासी हेतु आवश्यक हो तो, समय विमोचन अध्ययन, सुचारू सीमाशुल्क निकासी में बाधा का पता लगाने के लिए संचालित किया गया है। प्रारंभ किए गए व्यापार सरलीकरण उपाय लेन-देन की लागत में कमी और बीताए हुए समय पर असर डालते हैं।

लेखापरीक्षा को यह ज्ञात नहीं था कि लेन-देन की लागत में कमी और बीताए गए समय पर इस प्रकार के अध्ययन का परिणाम सभी बंदरगाहों पर निर्धारित किया गया है।

1.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्यी गई सुस्पष्टता पर और सभी, एयर कार्गों, सुमुद्री बंदरगाहों, भू-पतनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-इडीआई बंदरगाह और एवं इडीआई बंदरगाह में सभी त्थीकरण शामिल नहीं है। आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात लेन-देन की संख्या वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 16.31 से गिरकर वित्तीय वर्ष 13 (तालिका 1.9) में ₹ 7.07 लाख हो गई, जबकि आयात लेन-देन उसी अवधि में ₹ 53.33 लाख से ₹ 65.62 लाख बढ़ा। निर्यात में आरएमएस जुलाई 2013 में शुरू किया गया और दो बंदरगाहों में अगस्त 2013 तक आरएमएस द्वारा 3007 लेन-देन चिन्हित किए गए।

तालिका 1.9: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन की संख्या	वि.व.11	वि.व.12	वि.व.13 (31.8.2013 तक)
आयात	16,31,287	12,52,001	7,04,184
निर्यात			3007

1.14 साइट पर पोस्ट क्लीयरेंस आंडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रस्तावना के पश्चात्, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से धीरे कर दी, जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नही हुई थी। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान, 434 नियोजित लेखापरीक्षा में से, 215 ईकाई ओएसपीसीए के अंतर्गत संचालित की गई जिनके परिणामस्वरूप ₹ 120.61 करोड़ की कम वसूली का पता लगा जिसमें से ₹ 2.91 करोड़ (2.41 प्रतिशत) की वसूली की गई।

आईसीटी एप्लिकेशन (आईसीईएस) का वर्तमान स्तर संवर्धित होने की आवश्यक्ता है एवं प्रभावी सरलीकरण हेतु स्वत: मूल्यांकन सभी सीमाशुल्क कार्मिक लेन-देनों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

1.15 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ मे ज्ञात एयर कार्गो परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बैंगलोर) एवं बंदरगाह (कांदला, जेएनपीटी, चेन्नई, बैंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टाफ्ड एक्सपोर्ट, कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कार्यक्षेत्र चार ऐयर कार्गो परिसरों तक निर्यात परेषण को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए 24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रहीं 17 संचालित एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं। यह पहल व्यापार एवं उद्योग द्वारा व्यापक रूप से सराही गई है, जबकि सीमाशुल्क स्टाफ की उपलब्धता एक बाधा है।

1.16 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एक विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ सीबीइसी ने इसके लिए प्रमुख एजेंसी होने की वजह से अवधारित किया था।

सीमा शुल्क में एकल विंडो व्यापारियों को इलैक्ट्रोनिकली सामान्य घोषणा फाइल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की ओर लक्षित है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व निकासी/इनपुट पाने के लिए इलैक्ट्रॉनिकली प्रेषित किया जाता है।

1.17 वित्तीय वर्ष 12 से वि.व. 13 में विशेष आर्थिक ज़ोन का निष्पादन

व्यापक आर्थिक स्तर पर योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।

एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 572 अनुमोदन एसईज़ेड की स्थापना के लिए दिए गए, जिसमें से 389 अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 48 अनुमोदनों को एसईज़ेड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इन एसईज़ेड में 38612 यूनिटें अनुमोदित हैं। कुल ₹ 288477 करोड़ का निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1239845 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ। इसने 2011-12 में ₹ 476159 करोड़ के निर्यात के साथ 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी (नीचे तालिका 1.10)। अधिनियम के लागू होने के बाद एसईज़ेड से निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज होने के बावजूद आर्थिक और सरकारी स्तर पर कोई राजस्व परिणाम विश्लेषण नहीं हुआ। चूँकि, अधिकतर उद्धृत निष्पादन आंकडों को जब अचलन और पृथक्कृत किया जाता है तो एसईज़ेड और एसईज़ेड यूनिटों के संबंध में कराधान नीति में परिवर्तन सहित मुक्त प्रभावों को दर्शाया जा सकता है।

तालिका 1.10: वि.व.12 से वि.व.13 में एसईज़ेड का निष्पादन

2011-12 में निर्यात	₹ 364477.73 करोड़ (2010-11 से अधिक 15.39% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 32472.70 करोड़ (कुल उत्पाद का 8%)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹13881.20 करोड़ (कुल उत्पाद का 3.87%)
2012-13 में निर्यात	₹ 476159 करोड़ (2011-12 से अधिक 31% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 2788.80 करोड़ (कुल उत्पाद का 5%)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 27545.46 करोड़ (कुल उत्पाद का 5%)

स्रोत: www.sezindia.nic.in

1.18 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य

महानिदेशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया था जिसकी संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (समूह और व्यक्तिगत स्तर का), क्षमतानिर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और कल्याण और एक 68,795 मजबूत कार्य बल के लिए संरचनात्मक डिविजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका है। डीजी

निरीक्षण द्वारा फरवरी 2013 को सीबीईसी की पांचवर्षीय नीति योजना के लिए इनपुट मांगा गया ताकि;

क. जीडीपी अनुपात हेतु अप्रत्यक्ष कर को सुधारा जा सके;

ख. एक सुदृढ आरएमएस स्थापित किया जा सके जो सभी पत्तनों और लेने-देने को कवर किया जा सके;

ग. कर्मचारियों और अधिकारियों को आईसीईएस का निपुणता से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिलाया जा सके;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्राक्रियाओं को सुदृढ किया जा सके;

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक राष्ट्रीय अकादमी ने 431 प्रशिक्षण कार्यक्रम (82 आईसीटी एवं 349 अन्य कार्यक्रम) चलाए। कुल 14,1615 प्रशिक्षित अधिकारियों में से 6,782 अधिकारी इस अवधि के दौरान (तालिका 1.11) आईसीटी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान एनएसीईएन आरटीई मुम्बई और एनएसीइएन हैदराबाद द्वारा कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया गया, हालांकि डीजी, एनएसीईएन के अंतर्गत वहां 43 डिप्टी/सहायक आयुक्तों की अधिक/अतिरिक्त संख्या थी।

तालिका 1.11: वि.व. 13 के दौरान संचालित प्रशिक्षण

क्र. सं.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के नाम	पाठ्यक्रम की संख्या और भाग लेने वाले			
		सूचना और संचार तकनीक संबंधी प्रशिक्षण (आईसीटी) सीबीइसी एवं क्षेत्र गठन पर लागू		आईसीटी प्रक्षिक्षण के अलावा	
		कोर्स की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कोर्स की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एनएसीईएन फरीदाबाद	1	14	28	582
2.	एनएसीईएन आरटीआई दिल्ली	6	1319	58	751
3.	एनएसीईएन आरटीआई मुम्बई	21	-	110	-
4.	एनएसीईएन आरटीआई कोलकाता	22	828	58	1442
5.	एनएसीईएन आरटीआई चेन्नई	4	1363	11	696
6.	एनएसीईएन आरटीआई कानपुर	18	742	57	1576
7.	एनएसीईएन आरटीआई बैंगलोर	2	911	3	37
8.	एनएसीईएन आरटीआई बडोदरा	5	1152	57	1350
9.	एनएसीईएन आरटीआई हैदराबाद	40	-	53	-
10	एनएसीईएन आरटीआई पटना	24	453	77	1399
	कुल	**82**	**6782**	**349**	**7833**

स्रोत: सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं नार्कोटिक राष्ट्रीय अकादमी

आरएफडी वि.व. 13 पहले ही उपरोक्त दर्शाए गए महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करता है। सफलता संकेतक सरकार द्वारा स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए आरएमएस और आईसीटी, सीसीईएस के प्रयोग के मामले में पहले से लिए गए कुछ नीति निर्णयों के साथ मेल खाएं। हालांकि सीमा शुल्क आन्तरिक रूप से सरकार की अन्य कर और विदेश नीतियों के साथ संबंधित है, स्वतंत्रता के आनंद के लिए प्रक्रिया को वर्तमान स्तर पर और रणनीति को वर्तमान उपलब्ध स्वयात्ता एवं भविष्य की संभावनओं के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कौशल को पैना करने के बाद पुनर्गठन और पुर्नाबंटन के लिए प्रणालीगत स्तर को देखने और उसके बाद क्षमता अन्तराल को भरने की आवश्यकता है।

1.19 सीमा शुल्क की बकाया राशि

विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

सीमा शुल्क राजस्व की ₹ 11835.91 करोड़ की राशि जिसकी मांग मार्च 2013 तक जारी की गई थी जो विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 13 की समाप्ति तक उगाही नहीं गई थी (तालिका 1.12)। इसमें से ₹ 2,468 करोड़ निर्विवादित थे। तथापि, ₹ 1,253.93 करोड़ (51 प्रतिशत) निर्विवादित राशि की भी पांच वर्षों की अवधि से अधिक से वसूली नहीं की गई थी।

तालिका 1.12: सीमा शुल्क की बकाया राशि

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली के उ.शु.	61.41	1.35	0	62.76	2.01	19.16	0	21.17	83.93
चंडीगढ़	13.15	2.94	0	16.09	7.94	6.53	6.49	20.96	37.05
मेरठ	20.11	402.90	5.72	428.73	6.11	2.01	0.08	8.20	436.93
जयपुर	18.63	4.60	14.53	37.76	0.46	3.21	10.60	14.27	52.03
लखनऊ	0	0	1.86	1.86	0.95	0	0	0.95	2.81
दिल्ली निवारक	950.51	306.69	20.78	1277.98	37.86	52.11	44.32	134.29	1412.27
दिल्ली सीशु (निवारक)	385.06	5.36	22.42	412.84	320.14	4.56	0.31	325.01	737.85
दिल्ली एलटीयू	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
नागपुर	91.91	48.65	0.02	140.58	0.34	0.03	1.24	1.61	142.19
पूना	19.82	49.83	4.28	73.93	1.25	10.61	2.78	14.64	88.57
वडोदरा	150.01	2.70	10.66	163.37	2.35	2.62	8.42	13.39	176.76
अहमदाबाद के.उ.शु.	42.34	12.08	0	54.42	0	0	0	0	54.42
अहमदाबाद सीशु	1173.79	148.22	174.26	1496.27	10.41	1.09	46.42	57.92	1554.19
भोपाल	279.83	38.05	36.98	354.86	0.09	0	12.90	12.99	367.85
बैंगलौर सीशु	761.50	11.63	3.71	776.84	75.31	11.95	11.63	98.89	875.73
चेन्नई सीशु	511.42	246.15	37.52	795.09	91.99	249.74	33.30	375.03	1170.12
चेन्नई सीशु (निवारक)	17.56	2.60	1.26	21.42	53.82	19.83	1.17	74.82	96.24
बैंगलोर	58.57	49.66	17.67	125.90	0	0	0	0	125.90
चेन्नई	161.75	0.73	0.11	162.59	0	0.22	0.17	0.39	162.98
कोयम्बटूर	2.87	8.30	0.72	11.89	71.50	40.48	0.12	112.10	123.99
हैदराबाद	54.79	31.54	8.95	95.28	12.22	20.65	9.50	42.37	137.65
कोचिन	15.89	6.02	9.45	31.36	2.49	28.92	3.94	35.35	66.71
मैसूर	22.83	0.67	0	23.50	1.55	0	9.01	10.56	34.06
विशाखापट्नम	162.25	62.61	31.84	256.70	32.53	32.52	18.15	83.20	339.90
कोलकाता सीशु	287.28	19.33	16.75	323.36	34.02	38.44	23.21	95.67	419.03
पटना सीशु (निवारक)	0	0.02	0.48	0.5	0	2.29	0.31	2.60	3.10
भुवनेश्वर	0	12.49	2.27	14.76	0	0.37	0.31	0.68	15.44
शिलांग	0	2.68	0	2.68	9.93	0	0	9.93	12.61
मुम्बई सीशु जोन-I	530.22	255.86	22.19	808.27	279.88	67.78	151.75	499.41	1307.68
मुम्बई सीशु जोन-II	262.72	78.05	0.47	341.24	26.98	12.42	1.23	40.63	381.87
मुम्बई सीशु जोन-III	478.38	209.97	52.09	740.44	89.80	84.94	24.81	199.55	939.99
मुम्बई उ.शु-I	104.55	52.98	4.18	161.71	15.33	8.18	111.10	134.61	296.32
मुम्बई उ.शु-II	27.40	55.57	2.81	85.78	26.85	0	0	26.85	112.63
मुम्बई एलटीयू	0	67.11	0	67.11	0	0	0	0	67.11
कुल योग	**6666.55**	**2197.34**	**503.98**	**9367.87**	**1214.11**	**720.66**	**533.27**	**2468.04**	**11835.91**

स्रोत: मुख्य आयुक्त, कर शेष वसूली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) कर शेषों की वसूली को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें बकाया का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस बनाना और फील्ड संगठनों द्वारा नियमित अद्यतन/समीक्षा, बकाया की नियमित जांच एवं फील्ड संगठनों को उचित कार्यवाही हेतु सलाह देना सम्मिलित हैं। फील्ड संगठनों को बकाया की वसूली हेतु अधिकारियों का एक समपर्तित दल बनाने

के लिए निर्देशित किया गया हैं, इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर एवं सीमाशुल्क के राजस्व के बकाया की वसुली पर एक हस्त पुस्तिका प्रकाशित की गई है और सभी कार्यालयों को शेषों की प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए परिचालित की गई है।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उपायों के परिणाम को भविष्य में अवलोकन करेगा।

1.20 महानिदेशक मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा दिए गए इनपुट के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों के दौरान उगाही गयी अतिरिक्त राजस्व को नीचे तालिका 1.13 में दिखाया गया है। पिछले पांच वर्षों में, संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व के प्रति उगाही गई राशि का अनुपात 0.68 से 0.85 प्रतिशत तक है। यद्यपि, घटे हुए टैरिफ और वर्गीकरण मूल्यांकन के बृहत् अन्तर को बड़े महत्व के लिए संतुलित किया जा सकता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने कहा (नवम्बर 2013) कि डीजीओवी मूल्यांकन से पूर्व कोई निर्यात/आयात लेन-देन चिन्हित नहीं करता न ही मूल्य का निर्धारण करता है क्योंकि वसूली यह मूल्यांकन/निर्धारण कार्यालयों द्वारा किया जाता है; तदनुसार वि.व. 12 और वि.व. 13 के दौरान डीजीओवी द्वारा चिन्हित आयात एवं निर्यात का मूल्य प्रदान नहीं किया गया।

तालिका 1.13: महानिदेशक, मूल्यांकन के कारण उगाहा गई अतिरिक्त राजस्व

वित्तीय वर्ष	उगाही गई राशि ₹ करोड़	पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी %	सीमाशुल्क प्राप्तियों का %
वि.व. 09	727		0.73
वि.व. 10	790	8.67	0.95
वि.व. 11	930	17.72	0.68
वि.व. 12	1096	17.85	0.73
वि.व. 13	1411	28.74	0.85

स्रोत: सीबीइसी, वित्त मंत्रालय

मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2014) कि उगाही गई अतिरिक्त राजस्व का कारण राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी), मूल्यांकन चेतावनी और दिशानिर्देश और डीजीओवी द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग है। इन उपायों की प्रभाव कारिता अतिरिक्त राजस्व की

राशि से आंकी जा सकती है क्योंकि एक बार बढ़ाए गए अथवा सीमाशुल्क द्वारा अपलोड किए गए मूल्य बाद में आयातकों द्वारा स्वयं ही घोषित मूल्यों की तरह फाइल हो जाते हैं।

1.21 रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और प्रति आर्थिक सहायता उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए ''गम्भीर क्षति'' अथवा ''गम्भीर क्षति की संभावना'' के होने की जांच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान महानिदेशक, रक्षोपाय ने 19 जांचे जिन्हें तालिका 1.14 में दर्शाया गया है। रक्षोपाय उपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकती हैं।

तालिका 1.14 रक्षा महानिदेशक द्वारा की गई जांच

	वि.व.11	वि.व.12	वि.व.13
चालु मामलों की संख्या	2	2	4
क्रियाशील एसजी की संख्या	3	3	5
सम्मिलित सामग्रियों के नाम (*)	(क) एन1, 3-डाईमिथाइल ब्यूटाइल एन' फिनाइलिन डाईअमीन (ख) अल्मूनियम फ्लैट शेल्ड उत्पादों और फॉइल 7606 एवं 7607 (समीक्षा)	(क) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बन ब्लैक	(क) डाइऑक्टाइल फ्थैलेट (डीओपी) (ख) 8 लैक्ट्रिकल इन्सुलेटर (ग) हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और स्टेनलैस स्टील 304 ग्रेड (घ) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (समीक्षा)

*स्रोत: रक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीयउत्पाद शुल्क

1.22 एन्टी डम्पिंग शुल्क

महानिदेशक एटीडम्पींग ने प्रथम एन्टीडम्पिंग जांच 1992 में प्रारम्भ किया था। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जांचे प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। वि.व. 11 से वि.व. 13 के

दौरान 97 मामलों में एन्टी-डम्पिंग जांचे प्रारम्भी की गई और 31 देशों को शामिल करते हुए 108 मामलों की अंतिम रूप दिया गया।

चीन पीआर, ईयू, चाइनेज ताईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि एन्टी-डम्पिंग शुल्क जांचों में प्रमुख देश हैं।

मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हैं पीवीसी रेजिन, केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्तावस्तुएं। उपचारात्मक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाम मात्र है। कुल सीमाशुल्क का नगण्य (0.020 प्रतिशत वर्ष 2013 में) भाग बनता है। तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

1.23 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

शुल्क अपवंचन मामलों की प्रवृत्ति बढ रही है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क-अपवंचन मामलों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि पिछले 5 वर्षों (वि.व.9 से वि.व.13) के दौरान संख्या में एवं राशि दोनों के मामलों में उपवंचन की अपवंचन की प्रवृत्ति बढ रही थी। जैसाकि **परिशिष्ट 3** में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामलें 340 से बढ़कर 709 और ₹ 1,529 करोड़ से ₹ 4,743 करोड़ के हो गए थे। यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी उपाय उपयोग में लाए गए थे और स्वयम् निर्धारण, आरएमएस आधारित पीसीए एवं खुफिया जानकारी को प्रारम्भ किया गया और धीरे-धीरे ओएसपीसीए में परिवर्तित किया जाना था।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने ₹ 9553.45 करोड़ के कर चोरी के 2548 मामलों का वि.व.09 से वि.व.13 के दौरान पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यत: सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, मेमरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, महँगी कारे, मोबाइल फोन और इनकी बैटरियां, वाहन और उनके भाग, कच्चे हीरे और गहने थे।

1.24 निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट पण्यों की जब्त की संवीक्षा (परिशिष्ट 4) के दौरान यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमश: ₹ 1556.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 1619.97 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि मशीनरी/पुर्जे, फेब्रिक्स/सिल्क यार्न आदि, इलेक्ट्रानिक मदें, नार्कोटिक ड्रग्स एवं वाहन/पोत/एयर क्राफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

1.25 वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 तक संग्रहण की लागत

आईसीटी के स्वचलन और व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत पर्याप्त मात्रा में घटी नहीं हैं।

आईसीटी के स्वचालन और व्यापक उपयोग के बावजूद संचयन का मूल्य निरंतर तेजी प्रवृति दिखा रहा है। प्राप्तियों को प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त, वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 (तालिका 1.15) के दौरान, संचयन का मूल्य 1 से 2 प्रतिशत की सीमा में था। सीबीइसी ने लेखापरीक्षा को संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं की थी।

तालिका: 1.15: वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.09	234.56	989.28	11.65	1235.49	99879	1.24
वि.व.10	304.38	1217.85	9.83	1532.06	83324	1.84
वि.व.11	292.89	1420.71	4.76	1718.36	135813	1.27
वि.व.12	306.05	1577.31	5.02	1888.38	149876	1.26
वि.व.13	315.09	1653.28	10.49	1978.93	165346	1.20

स्रोत: वित्त लेखों से आंकड़े

1.26 लेखापरीक्षा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने जोखिम निर्धारण के अनुसार नियंत्रण आधारित आश्वासन मुहैया नहीं कराती।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा (प्री सीसीए) द्वारा की जाती है, सीबीईसी का उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्री सीसीए की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने 83 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं की लम्बन की संख्या का दशा्रया। (प्रधान मुख्य नियंत्रक दिनांक 1 अक्तुबर 2013 पत्र डीओ संख्या, आईए/एनजेड/एचक्यू/सीएजी आईएनएफओ/ 2013-14/157)।

प्री सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व.13 तक स्थापना लेखापरीक्षा के अलावा निम्नांकित अनियमितताएं शामिल है:

क. राजस्व प्राप्तियों का असमाधान; कम क्रेडिट ₹ 2.86 करोड़ करोड़, अधिक क्रेडिट ₹ 2.62 लाख करोड़।

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के शेषों का अनुदग्रहण, राजस्व (निश्चित मांग); ₹ 0.19 लाख करोड़।

ग. ₹ 117.67 करोड़ के जब्त किए गए माल का निपटान न करना और निपटान में विलम्ब।

घ. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयों की गैर-वसूली; ₹ 0.11 लाख करोड़।

1.27 तकनीकी लेखापरीक्षा का प्रभाव-डीजी (आडिट), सीबीईसी

सीमाशुल्क विभाग 1994 में आईसीएस शुरू करके कम्प्यूटराइज्ड किया गया जो कि आगे आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया। इसने प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण अधिसूचना आदि जैसे कारकों की फ्लैगिंग द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की है। कम्प्यूटराइजेशन आयातित और निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार चाहता है और कर की उचित गणना, टैरिफ की आवेदन, छूट अधिसूचना का आवेदन, सामान्यत: माल का गैर वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना चाहता है।

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। निम्न तालिका 1.16 वि.व.11 से वि.व.13 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है। पता लगाया गया/उगाया गया शुल्क, सीमा शुल्क राशि प्राप्तियों का नगण्य प्रतिशत था।

तालिका 1.16: वि.व.11 से वि.व13 विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.11	323399	548.48	447.20	0.004	0.82	0.003
वि.व.12	525406	438.73	459.04	0.223	104.62	0.003
वि.व.13	446911	1824.13	741057.61	0.10	0.58	0.006

स्रोत: लेखापरीक्षामहानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.28 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रण-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

1.29 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर, सीबीईएस संघ सरकार लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईएस के एमआईएस, एमटीआर अन्य हितधारकों के रिर्पोटों के साथ प्रयोग किये गए। महानिदशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने

वि.व. 13 में 532 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 14020 लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी कीं।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय एक सीमाशुल्क राजस्व ढांचे समग्र सकल संघ राजस्व के संबंध में राजकोषीय आकार और महत्व का विशलेषण करता है। परिणामी विषय क्षेत्र की लेखापरीक्षा की गई और अध्याय दो में प्रस्तुत की गई, जो योजना आधारित शुल्क छूट या छोड़े गए शुल्क उपशमन पर आपत्तियां प्रतिवेदन करता है, जबकि अध्याय तीन सामान्य छूट के गलत निर्धारण के मामले, अध्याय चार गलत अनुप्रयोग के मामले, और सीमाशुल्क कर की वापसी पर विषयक आधारित लेखापरीक्षा एवं अध्याय पांच माल गलत वर्गीकरण के मामले उजागर करता है, अध्याय छह नार्कोटिक पदार्थ के प्रबंधन पर है और अध्याय सात 'जब्त एवं अधिग्रहित माल' आयात सामान्य मालसूची और निर्यात सामान्य मालसूची, सार्वजनिक एवं निजी बंधुआ गोदाम पर विषयक आधारित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर है। वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 1792.73 करोड़ के 55 पैराग्राफ हैं। हमने मार्च 2013 (अनुबंध-I) तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए 84 अन्य पैराग्राफ जारी किए थे। वहां सामान्यतः छह प्रकार की आपत्तियाँ थीः गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचना का गलत एप्लिकेशन; अधिसूचना की शर्त पूरी नहीं की गई, गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट और सीमाशुल्क कर का गलत निर्धारण। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 39.67 करोड़ मूल्य के इन 84 पैराग्राफों में कारण बताओं ज्ञापन जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों में निर्णय लेकर उपचारी कार्यवाही पहले ही कर ली तथा कुछ मामलों में वसूली की सूचना दी।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष लेखापरीक्षा ने जब्त और अधिग्रहित माल के निपटान, सीमाशुल्क कर की वापसी, आयात सामान्य मालसूची (आईजीएम)/निर्यात सामान्य मालसूची (ईजीएम), अग्रिम प्राधिकार, सार्वजनिक/निजी बंधुआ गोदाम और विदेशी व्यापार नीति (अध्याय 3) के अंतर्गत प्रचार के उपाय।

मार्च 2013 को कई प्रक्रियों तथा क्षेत्रों पर हमारे बताये गये निष्कर्ष और उपचारी कार्यवाही की स्थिति तालिका 1.17 में दी गई हैः

तालिका सं. 1.17: अनुपात लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
1998 (सी.शु.) का सीए 10	1	-	-	-
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	2	-
2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	1	-
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20		-	4	-
2009-10 का सीए 14		-	2	-
2010-11 का सीए 24		-	2	-
2011-12 का सीए 31	2		3	4
2013 का सीए 14		15	6	2
कुल	**3**	**15**	**21**	**6**

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

1.30 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

योजना के परिणामों के बताने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि विशिष्ट निष्पादन संकेतकों और सफलता मापों के अभाव के कारण परिणाम को मापना मुश्किल था। 2004-05 से आगे प्रतिवेदनों ने सिफारिशें देने आरम्भ की गई, इस वर्ष हमने शुल्क हकदारी पास बुक योजना, भारतीय सीमाशुल्क इलक्ट्रॉनिक डाटा ईटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) और विशेष आर्थिक जोन पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की है। सामान्यता पेशेवर लेखापरीक्षा मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश 2004 को अपनाते हुए योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए पांच वर्ष की अवधि ली जाती है।

1.31 लोक लेखा समिति (पीएसी):

लोक लेखा समिति ने चर्चा के लिए तीन समीक्षाएं (आंशिक या पूर्ण) उठाई है, जो शुल्क वापसी योजना; मानित निर्यात और एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति हैं। पीएसी को अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ अपर्याप्त जांच पर भी देखा गया है।

1.32 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 2161.12 करोड़ के 635 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका1.18)। सरकार ने इनमें से ₹ 290.80 करोड़ वाले 617 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 110.96 करोड़ की वसूली की।

तालिका 1.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

₹ करोड़

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 09	133	56.20	101	33.75	45	14.72	146	48.47	68	16.54	33	5.760	101	22.30
वि.व. 10	124	79.62	102	32.71	16	4.10	118	36.81	63	18.01	3	0.37	66	18.38
वि.व. 11	118	130.61	102	98.68	29	17.81	131	116.49	56	17.81	3	4.07	59	21.88
वि.व. 12	121	62.28	108	47.67	14	11.19	122	58.86	79	29.66	9	1.31	88	30.97
वि.व. 13	139	1832.41	100	65.78	लागू नहीं		100	65.78	63	17.43	लागू नहीं		63	17.43
जोड़	**635**	**2161.12**	**513**	**278.59**	**104**	**47.82**	**617**	**290.80**	**329**	**99.45**	**48**	**11.51**	**377**	**110.96**

स्रोत: सीएजी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अध्याय II

शुल्क छूट/माफी योजनाएं

सरकार अधिसूचना द्वारा निर्यात संवर्धन के अंतर्गत इनपुटों और पूँजीगत माल को आयात करने के लिए सीमाशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। ऐसी छूट प्राप्त माल के आयातकों को कुछ निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए वचन देना होता है जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्राह्य होती है। अप्रैल 2007 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2011 से दिसम्बर 2013) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहां निर्यात बाध्यता/शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था जिन पर निम्नांकित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलो में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 139.06 करोड़ है।

2.1 मानित निर्यात लाभ के अमान्य भुगतान

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.2(घ) में प्रावधान है कि उन एजेंसियों/निधियों, जहां सीमा-शुल्क सम्मिलित किये बिना निविदा मूल्यांकन के लिये कानूनी करार का प्रावधान है की प्रक्रिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के अंतर्गत, आर्थिक मामलों विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षोय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति मानित निर्यात के रूप में माना जाता है और डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मानित निर्यात लाभ पाने के हकदार है। आईसीबी पर दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि मूल्यांकन में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और कोई अन्य समान कर शामिल नहीं होने चाहिए।

भारतीय के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजमार्ग आदि के निर्माण, पुनर्वास और उन्नयन से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिये संविदाकारों को संविदाऐं प्रदान की। अनुबंध करार का भाग बनाने वाले बोलीकर्ताओं को अनुदेशों के खण्ड 14.3 के अनुसार, संविदा या किसी भी अन्य कारण के अंतर्गत संविदाकार द्वारा अन्य देय शुल्क और सभी शुल्क/कर बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से 28 दिन पूर्व की तिथि को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कुल बोली मूल्य और दरों और मूल्य में शामिल होना चाहिए और

नियोक्ता द्वारा बोलियों का मूल्यांकन और तुलना तदनुसार की जानी चाहिये। इसका तात्पर्य है कि अनुबंध मूल्य में परियोजना के लिये खपत कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क के घटक शामिल होते हैं।

कार्यालय, अपर महानिर्देशक, विदेश व्यापार, नई दिल्ली द्वारा लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराई गई 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिये मानित निर्यात दावा करने वाली फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनएचएआई ने संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को विनियमित भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिये उनके द्वारा उपयोग किये गये सामग्री के संबंध में मानित निर्यात लाभ के रूप में इन संविदाकारों को ₹ 34.50 करोड़ की भी प्रतिपूर्ति की। इसके परिणामस्वरूप संविदाकारों को शुल्क का दोहरा लाभ हुआ अर्थात, शुल्क सहित एनएचएआई से प्राप्त भुगतान के साथ-साथ कार्यालय अपर डीजीएफटी से मानित निर्यात लाभ की प्रतिपूर्ति के माध्यम से।

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य कौर उद्योग मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2013) कि इस मुद्दे की नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) ने अपनी 07 अक्टूबर 2002 को आयोजित बैठक में जांच की है और यह पीआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि इन फर्मों को मानित निर्यात लाभ के लिये इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा केवल एक बार शुल्क की वापसी की जाती है और वापसी में कोई दोहराव नहीं है। यदि आपूर्तियों को मानित निर्यात के रूप में वर्गीकृत किया जाये तो वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क को वापस किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, एफटीपी का पैराग्राफ 2.3 स्पष्ट रूप से बताता है कि नीति की व्याख्या से संबंधित मामले पर, डीजीएफटी का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा। इसलिए, डीजीएफटी द्वारा यह निर्णय क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्य का संविदा मूल्य आईसीबी संविदाओं के दिशानिर्देशों के प्रति सभी शुल्कों और करो सहित था। इसके अतिरिक्त, उस ही संविदाकार को परियोजना प्राधिकारी द्वारा शुल्क के भुगतान के बावजूद इन मामलों में संविदाकारों को मानित निर्यात

लाभ की वापसी की अनुमति का पीआईसी का निर्णय गलत था। इस प्रकार, विभाग द्वारा संविदाकार को ₹ 34.50 करोड़ के मानित निर्यात का अनुदान अमान्य था।

महानिदेशक विदेश व्यापार, नई दिल्ली ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मुख्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) का उत्तर यथासमय भेजा जायेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

2.2 अग्रिम प्राधिकार योजना

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी (आरएलए), हैदराबाद ने निर्यात दायित्व को पूरा न करने के लिये छोड़े गये शुल्क की वसूली नहीं की।

2.2.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार, अग्रिम प्राधिकार (एएज), तैयार उत्पाद के निर्माण और निर्यात के लिये, कच्चे माल को मानक इनपुट/आउटपुट मानदंडों (एसआईएन) में निर्धारित इस मात्रा अनुसार शुल्क मुक्त आयात के लिये जारी किये जाते हैं।

प्रक्रिया की पुस्तिका (एचबीपी), खण्ड-I 2004-09, के पैराग्राफ 4.22 के अनुसार, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात दायित्वों को 36 महीनों की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा और एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार अनुमत है। यदि निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारक नियमितीकरण के लिए आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर ब्याज सहित सीमा शुल्क (एचबीपी के पैराग्राफ 4.28) का सीमा शुल्क प्राधिकारी को भुगतान करेगा।

मै. बीएचईएल, को जेडीपीएफटी, हैदराबाद द्वारा ₹ 547.08 करोड़ मूल्य के सी.आई.एफ. (लागत, बीमा, मालभाड़ा) मूल्य के लिये अग्रिम लाइसेंस (मई 2009) जारी किया गया था। लाइसेंस धारक ने 'फ्लैन्ज टू फ्लैन्ज गैस टर्बाइन आयात' (जून 2000) किया और छोड़ा गया शुल्क ₹ 26.66 करोड़ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निर्यात बाध्यता की अवधि को मार्च 2012 में पूरी हो गई थी फिर भी न तो निर्धारिती ने ईओ को पूरा किया और न ही उसी के लिए कोई वृद्धि की मांग की। तदनुसार लाइसेंसधारी से ₹ 26.66 करोड़ का शुल्क वसूल किया जाना था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (2013) कि आरएलए को मामले को बीएचईएल के साथ निपटाने का सुझाव दिया गया है। डीजीएफटी, नई दिल्ली ने आगे कहा कि मामले को बीएचईएल,नोएडा के महाप्रबंधक (परियोजना) के भी सूचना में लाया गया थ। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी कोलकाता ने ईओ पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली नहीं की।

2.2.2 एचबीपी के पैराग्राफ 4.24 के अनुसार लाइसेंसी को ईओ अवधि समाप्त होने की तिथि से दो महीनों के भीतर ईओ के निर्वहन के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। ईओ पूरा करने में विफल होने के मामले में लाइसेंसी को अनुप्रयुक्त आयातित सामानों पर ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।

मै. भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, कोलकाता को क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) कोलकाता द्वारा ₹ 140.66 करोड़ की 40002 मी.टन 'कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड नान एलायस्टील सीट्स एण्ड वाइड क्वाइल्स' के निर्यात के उत्तरदायित्व के साथ ₹ 99.88 करोड़ मूल्य के 'कच्चे माल' के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक शुल्क मुक्त आयात अनुज्ञप्ति (डीएफआईए) लाइसेंस जारी किया गया (अप्रैल 2007)। सीमाशुल्क (पत्तन) आयुक्तालय, कोलकाता के माध्यम से ₹ 10.40 करोड़ मूल्य के 735.691 मी.टन 'जिंक धातु' के आयात (जून 2007) के प्रति लाइसेंसधारक निर्धारित ईओ के प्रति ₹ 9.26 करोड़ मूल्य के केवल 2172.77 मी.टन माल का निर्यात किया (मार्च और अप्रैल 2007 के बीच) जिससे निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफलता हुई। मानक इनपुट आउटपुट मानकों (एसआईओएन) के अनुसार 2172.77 मी.टन निर्यात माल के गैल्वेनाइजेशन के लिए केवल 53.327 मी.टन जिंक (शिपिंग बिलों में विशेष प्रावधान के अभाव में 30-39 ग्राम/मीटर की न्यून्तम कोटिंग रेंज को देखते हुए) की आवश्यकता थी। इस प्रकार, ईओ को पूरा करने में विफलता को विनियमित करने के लिए निर्धारिती से अधिक आयातित जिंक धातु (682.364 मी.टन) पर ₹ 2.10 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.69 करोड़ के सीमाशुल्क की वसूली की जानी थी।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2013) कि कंपनी ने स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्कीम (एसएचआईएस) लाइसेंस डेबिट करते हुए तथा ₹ 1.89 करोड़ ब्याज का नकद भुगतान (मई 2012 एवं जनवरी 2013) करते हुए अधिक आयातित जिंक की मात्रा पर ₹ 2.12 करोड़ का सीमाशुल्क जमा किया था। तदनुसार विभाग ने मामले को विनियमित कर दिया था (फरवरी 2013)।

भिन्नता शुल्क की वसूली पर लेखापरीक्षा के प्रश्न के जवाब में डीजीएफटी, नई दिल्ली ने जिंक की वास्तविक खपत के लिए लाइसेंसधारक द्वारा दिये गए 10 वाणिज्यिक बीजकों की प्रतियां भेज दी (नवम्बर 2013)। भेजे गए बीजक के अवलोकन में यह पाया गया कि एक को छोड़कर सभी बीजक में या तो जिंक कोटिंग विशेषताएं नहीं थीं अथवा जेड-12 की विशेषता वाले थे अत: निर्यात उत्पाद में जिंक की की गई वास्तविक खपत दावे से बहुत कम थी। तदनुसार ₹ 56.69 लाख का बकाया सीमाशुल्क निर्धरिती से वसूली योग्य था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

आरएलए मदुरै ने गलत अग्रिम अनुज्ञप्ति क्लब की थी जिससे लाइसेंसधारक को ₹ 18.51 लाख के शुल्क का लाभ हुआ।

2.2.3 प्रकिया की पुस्तिका (एचबीपी) भाग-1 (2004-09) के पैराग्राफ 4.20 के अनुसार अग्रिम अनुज्ञप्ति (एए) धारक के पास आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति का आगे उपयोग किए बिना मोचन /विनयमन हेतु अनुज्ञप्ति को जोड़ने की सुविधा है। जोड़ने की यह व्यवस्था एए(ज) के लिए केवल वहीं है जहाँ निर्यात उत्तरदायित्व को पूरा करने में कमी हो और जिसे आयात के लिए वैध एए के साथ जोड़ने की मांग की जाए। अनुज्ञप्ति की आयात वैधता 24 माह है और निर्यात उत्तरदायित्व (ईओ) की पूर्ति 36 महीनों के भीतर की जानी है (विदेश व्यापार नीति का पैराग्राफ 2.12)

मै. मदुराकोट्स लिमिटेड ने अप्रैल 2009 में जारी किए गए दो अलग अलग एए को प्रत्येक मामले में जून/अगस्त 2005 तथा मई 2006 में जारी इसके तीन अन्य एए (ज) के साथ जोड़ने का आवेदन दिया (अगस्त और दिसम्बर 2010)। अनुज्ञप्ति धारक ने कच्चे माल की पूरी मात्रा अर्थात पॉलिस्टर फिलामेंट धागा और पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर मुक्त शुल्क पर आयात किया लेकिन दोनो मामलो में अप्रैल 2009 में जारी एए के संबंध में पालिस्टर सिलाई धागे के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया। प्रत्येक मामले में जोड़ने के लिए मांगी गई जून/अगस्त 2005 और मई 2006 में जारी अन्य तीन अनुज्ञप्तियों की आयात वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी सभी उन एए (ज) में निर्यात दायित्व अलग अलग पूरा किया गया था। हालांकि, जोड़ने को दोनों मामलों में सभी चार अनुज्ञप्तिओं को जोड़ा गया और गलत तरीके से छुड़ाया गया (जनवरी और दिसम्बर 2011)।

चूंकि जून/अगस्त 2005 और मई 2006 में जारी तीन एए(ज़) जिसे अप्रैल 2009 में जारी एए के साथ जोड़ने की मांग की गई थी, आयातों के लिए वैध

नहीं थे, उन तीन एए (ज़) को नहीं जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन तीन एए(ज़) के प्रति निर्यात दायित्व को पहले ही व्यक्तिगत रूप से पूरा कर लिया गया था। इओ के समाप्त होते ही सभी तीन एए(ज़) जोड़ने के दोनों मामलों में अलग-अलग छोड़ा जाना चाहिए था। इन तीनों एए(ज़) को जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल करने का कोई कारण नहीं था। गलत तरीके से जोड़ने के कारण कच्चे माल अधिक आयात पर ₹ 18.51 लाख के सीमाशुल्क की गैर-वसूली हुई।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा कि आरएलए, मुदुरै के अनुसार अप्रैल 2009 के तारीख के लाइसेंस से जोड़ने के पश्चात इओ को पूरा कर लिया गया है और कोई अधिक आयात नहीं हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि अग्रिम अनुज्ञप्ति (ओं) को जोड़ना वहाँ अनुमत है जहाँ जोड़ने की मांग वाले अनुज्ञप्ति और निर्यात दायित्व को पूरा करने में कमी हो, आयात के लिए वैध था। लेकिन मौजूदा मामले में चार अग्रिम अनुज्ञप्तियों में से जोड़े गए तीन अनुज्ञप्ति आयात के लिए वैध नहीं थे। तदनुसार,ये तीनों लाइसेंस जोड़ने के योग्य नहीं थे।

2.3 निर्यात उन्मुख यूनिट (ईओयूज़) /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र(ईपीजेडज़)

निर्धारण अधिकारियों ने 'पालीप्रोपलीन(पीपी)' आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही नहीं की

2.3.1 ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर से 'पॉलीप्रोपलीन(पीपी)' के निर्यात पर दिनांक 30 जुलाई 2009 की अधिसूचना संख्या 82/09 –सीमाशुल्क के तहत निर्धारण दर पर अस्थायी एंटी डंपिंग शुल्क लागू होता है। तदनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अस्थायी एडीडी लागू करने की तिथि अर्थात 30 जुलाई 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऐसे आयातों पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010 सीमाशुल्क द्वारा 322.57 यूएस डालर /मी.टन की दर पर निश्चित एडीडी लगाया गया था। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 की धारा 30(ए) की शर्तों के अनुसार सेज से घरेलू टैरिफ अधिनियम,1975 के अंतर्गत जहाँ भी यह लागू होगा एंटी डंपिंग शुल्क सहित सीमाशुल्क प्रभारित होगा, जैसाकि आयातित ऐसे माल पर उगाही योग्य होगा।

मै. साई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता (पत्तन), चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय और आईसीडी दादरी के माध्यम से आयातित 'पॉलीप्रोपलीन'

(सीटीएच 39021000) के 50 खेप संहिता के प्रावधनों के विपरीत क्षेत्रीय विकास आयुक्त (जेडडीसी), पूर्वी क्षेत्र के तहत संचालित एक एफसेज तथा छः अन्य को एंटी डंपिंग शुल्क के बिना मंजूरी दे दी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.41 करोड़ के एंटी डंपिंग शुल्क की गैर उगाही हुई।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशासन) कोलकाता ने मै. साई इंडस्ट्रीज के संबंध में ₹ 18.83 लाख की मॉग की पुष्टि की (जुलाई 2013)। अन्य आयातकों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डीटीए मंजूरी पर प्रतिकारी शुल्क की वसूली नहीं की।

2.3.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधान (1) के अनुसार धारा 5ए के अंतर्गत जारी शुल्क छूट अधिसूचनाओं के लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में उत्पादित या निर्मित और भारत में किसी भी जगह मंजूर उत्पाद शुल्क योग्य माल पर लागू नहीं होंगे जब तक कि कथित छूट अधिसूचना में सेज से ऐसी मंजूरी से छूट के लाभ के विस्तार हेतु विशेष प्रावधन न किया गया हो।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त (जेडडीसी), पूर्वी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन तीन फाल्टा सेज़ यूनिटों अर्थात, मै. वेबसोल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मैं विक्रम सोलर प्रा. लि. तथा मै. गुप्ता इंफोटेक ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के तहत जारी दिनांक 1 मार्च 2006 की केन्दीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 6/2006 –सीई के तहत भारत में निर्मित अपने उत्पादों की मंजूरी (वि.व. 2010-11) पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से छूट प्राप्त किया जिसमें सेज यूनिटों में निर्मित और डीटीए में मंजूर माल पर शुल्क का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, उल्लिखित बिक्री पर ₹ 4.22 करोड़ तक की सीवीडी छूट की मंजूरी गलत थी क्योंकि यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधन(1) का उल्लंघन था।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, एफसेज फाल्टा ने लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि प्रतिकारी शुल्क जिसे आयात शुल्क पर गणना करने हेतु लिया गया है यह भारत में निर्मित माल पर लगाये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से भिन्न है। तदनुसार लेखापरीक्षा ने यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री पर सीवीडी छूट लाभ की गलत आपत्ति की।

आगे कहा गया कि माल को सेज से डीटीए को हटाने के लिए सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 का प्रावधन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए से अधिक महत्वपूर्ण होगा और ऐसे माल पर सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत एंटी डंपिंग, प्रतिकारी और सेफगार्ड शुल्क सहित सीमाशुल्क प्रभार्य होगा जैसा कि आयात किए गए ऐसे माल पर वसूली योग्य हो। चूंकि सेज 'विदेशी राज्य क्षेत्र ' माना जाता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनयम की धारा 5ए को सेज यूनिट द्वारा डीटीए बिक्री पर लागू नहीं किया जा सकता ।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) में सीवीडी को 'भारत में निर्मित या उत्पादित जैसी वस्तु पर समय के साथ वसूली योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क' के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तदनुसार, सीवीडी की उगाही या छूट के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानों जो सीवीडी दरों (जैसाकि आयात के मामले में सामान्यत: किया जाता है) को विनियमित करते हैं, वे सेज अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सेज द्वारा डीटीए मंजूरी पर स्पष्ट रूप से लागू होगी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज-1,रिसरा डिविजन कोलकाता प्राधिकरणों ने डीटीए मंजूरियों पर एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की।

2.3.3 विदेशी व्यापार नीति (2009-14) के पैरा 6.8(ए) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उपधारा 2ए के अनुसार निर्यात उन्मुख यूनिटों (इओयू) द्वारा आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क से छूट होगी बशर्ते कि आयातित वस्तु या तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के अनुसार मंजूर हो अथवा डीटीए में मंजूर किसी माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, तब ऐसे मामले में एंटी डंपिंग शुल्क वस्तु के उस भार पर वसूलीयोग्य होगा जो मंजूर हो अथवा जो प्रयुक्त हो जैसा कि यह भारत में आयात करते समय वसूलीयोग्य था।

विकास आयुक्त (डीसी), फाल्टा सेज और कोलकाता IV केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ईओयू मै. रॉयल टच फैब्लन प्रा.लिमिटेड ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-सीई के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर अप्रैल 2009 से मार्च 2011 के दौरान डीटीए में ₹ 33.13 करोड़ मूल्य का 'पीपीबैग्स, पीपी ट्विस्टिंग यार्न और पीपी स्क्रैप्स बेचा। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूनिट ने सउदी अरब जैसे मूल देश के साथ सऊदी अरब और सिंगापुर से आयातित स्वदेशी कच्चे माल और पीपी कणिकाओं/रेजिन का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तुएं बनाई जिसें दिनंक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010 सीमाशुल्क के तहत एंटी

डंपिंग शुल्क लागू होते हैं। लेकिन कथित निर्मात पीपी बैग्स, पीपी ट्विस्टिंगयार्न और पीपी स्क्रैप की डीटीए बिक्री के समय तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त अयातित पीपी कणिकाओं/रेजिन्स के भाग पर उल्लिखित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य ₹ 1.39 करोड़ का एंटी डंपिंग शुल्क नहीं वसूला गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज -I,रिशरा डिविजन, निजाम पैलेस, कोलकाता प्राधिकरण ने शुरू में इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (दिसम्बर 2012) कि एंटी डंपिंग शुल्क लगाई जाने वाली आयातित वस्तुओं की कुल मात्रा यूनिट द्वारा दावे के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान प्रभावित कुल निर्यातों द्वारा खप गई थी, लेकिन बाद में लेखापरीक्षा आपत्ति इस आधार पर स्वीकार की (मार्च 2013/मई 2013) कि यूनिट द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की जिसके लिए कारण बताओं ज्ञापन के साथ मॉग का नोटिस जारी किया जा रहा था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी, रायगढ़ आयुक्तालय, महाराष्ट्र ने डीटीए मंजूरियों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की

2.3.4 चीन से निर्यातित या मूल सीटीएच 28353100 के तहत वर्गीकृत सोडियम ट्रापोली फास्फेट (एसटीपीपी) पर निर्धारित दरों (दिनांक 8 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 58/2011- सीमाशुल्क) पर एंटी डंपिंग शुल्क वसूली योग्य है। हालांकि, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उपधारा 2(ए) की शर्तों के अनुसार एक ईओयू द्वारा एसटीपीपी के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क नहीं वसूला जाता। लेकिन एक ईओयू द्वारा आयात के समय माल पर छोड़ दिये गए एंटी डंपिंग शुल्क के बराबर की राशि किसी माल के निर्माण हेतु प्रयुक्त माल की समतुल्य मात्रा पर देय होगा जो डीटीए अथवा माल की ऐसी मात्रा में मंजूर हो जिसे डीटीए में इसी तरह मंजूरी दी गई हो (दिनांक 24 जुलाई 2008 का बोर्ड का परिपत्र सं. 12/2008 सीमाशुल्क)।

रायगढ़ आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट मै. देवा ड्रिल टेक (ई) लिमिटेड को 'डिसपर्सेन्ट्स, डिससाल्वर्स' इत्यादि जैसे रासायनिक उत्पादों के निर्माण हेतु अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया। इस यूनिट ने एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही के बिना अगस्त से सितम्बर 2011 के बीच चीन से शुल्क मुक्त 300 मी. टन एसटीपीपी आयात किया । इसके बाद यूनिट ने ₹ 1.41 करोड मूल्य के कच्चे माल के अर्थात

एसटीपीपी (सीटीएच 283.31.00) के 287.15 मी.टन को डीटीए में (सितम्बर 2011) ₹ 27.71 लाख के पूरे सीमाशुल्क के भुगतान पर बेच दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीमाशुल्क अधिनियम के कथित प्रावधानों के उल्लंघन में डीटीए मंजूरी पर एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली नहीं की गई। इसके कारण ₹ 72.78 लाख तक के एंटी डंपिंग शुल्क की गैर वसूली हुई।

इसे अगस्त 2013 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

सहायक विकास आयुक्त, कोचीन ने निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली नहीं की ।

2.3.5 हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.6 (सी) में प्रावधान है कि क्रशिंग/ग्राउंडिंग/स्टर्लाइजेशन प्रक्रिया जैसे मूल्य वर्धन उद्देश्य हेतु विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी)की परिशिष्ट 14-1-सी, आईटीसी (एचएस)के अध्याय 9 में निहित मसालों के आयात के मामले में पहली परेषण का आयात करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करना होगा। हालांकि, 31 दिसम्बर 2008 तक समाप्त आयातों के लिए निर्यात दायित्व अवधि मंजूरी की तिथी से 150 दिन होगी।

मै. बल्लभदास कांजी लिमिटेड, कोलेनचेरी, कोच्ची ने अगस्त से दिसम्बर 2009 के दौरान 'हल्दी' (आईटीसी एचएस के अध्याय 9 के अन्तर्गत) की नौ खेपें (1,63,850 किग्रा.) आयात किया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यूनिट निर्धारित ईओ अवधि के भीतर अनुमत 4766.62 किग्रा. (5 प्रतिशत) अपशिष्ट सहित आयातित 95322.82 किग्रा. 'हल्दी' का उपयोग करते हुए 90556.20 किग्रा. माल का निर्यात कर सकती थी। तदनुसार, यूनिट पर अप्रयुक्त हल्दी (68527.18 किग्रा.) पर ब्याज और ₹ 15.53 लांख की संचयी शुल्क राशि देय थी।

उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुवाटट्रपुजा डिवीजन, केरल ने बताया (जनवरी/नवम्बर 2012) कि ईओ अवधि से 120 दिनों की गणना री-वेयरहाउसिंग की तिथि से की जाए न कि बीई फाईल करने की तिथि से। तदनुसार यूनिट ने मदों के लिए एफटीपी में विर्निदिष्ट समय के भीतर ईओ को पूरा कर लिया था।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि एचबीपी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मसालों के आयात के संबंध में पहली खेप के

आयात करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर ईओ को पूरा किया जाए न कि री-वेयरहाउसिंग की तिथि से। इसके अतिरिक्त, ईओ अवधि की गणना करने के लिए मंजूरी की तिथि केवल 31 दिसम्बर 2008 तक समाप्त मसालों के आयातों के मामले में मानी गई है। जबकि मौजूदा मामले में आयात दिसम्बर 2008 के बाद किए गये थे।

सहायक विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीसेज) ने कहा (जनवरी 2013) कि मामले पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ बात की जा रही है मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था(मार्च 2014)।

2.4 प्रोत्साहन उपाय (बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना सहित केंद्रित उत्पाद योजना)

केन्द्रित उत्पाद योजना कुछ क्षेत्रों में निर्यात को बढाने तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। महानिदेशक, विदेशी व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) द्वारा योजना शासित की जाती है। आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) द्वारा अनुज्ञप्ति (पूर्व में लाइसेंस के रूप में विदित) जारी किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2008 से निर्यात के लिए उच्च निर्यात तीव्रता के कुछ उत्पादों (जिसे केन्द्रित उत्पाद सूची में शामिल नहीं किया गया था) को भी प्रोत्साहित किया गया था, बशर्ते कि माल का निर्यात अधिसूचित देश में किया जाता है (बाजार से जुड़ी केद्रित उत्पाद योजना के रूप में विदित)।

एचबीपी खंड 1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.9 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 3.15 से 3.15.3 केन्द्रित उत्पाद योजना और बाजार से जुडी केंद्रित उत्पाद योजना के तहत लाभ की मंजूरी हेतु आवेदन फाइल करने के लिए हकदारी और प्रक्रिया का प्रावधन है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी अनुज्ञप्तियों के नमूना जॉच के लिए आठ[8] विभिन्न राज्य में स्थित 13 आरए[7] का चयन किया। इस अवधि के दौरान इन आरए द्वारा ₹ 6047.87 करोड़ के शुल्क क्रेडिट वाले कुल 81547 अनुज्ञप्ति जारी किए जिसमें से लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक नमूना आधार पर ₹ 1010.26 करोड़ (17 प्रतिशत) की शुल्क क्रेडिट वाले 4632

---

[7] अहमदाबाद, भोपाल, सीएलए-दिल्ली, एफटी खण्ड-सेज गॉधीधाम, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, रायपुर, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा।

[8] आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

अनुज्ञप्तियों (5.7 प्रतिशत) की नमूना जॉच की। एफपीएस/एमएलएफपीएस लाभ विभिन्न् क्षेत्रों तथा उद्योगों हेतु उपलब्ध है इस लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से नमूना लिया जिसमें कपड़ा, हथकरघा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि शामिल हैं।

2.4.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित नमूने में हमने अनुज्ञप्ति (शुल्क क्रेडिट स्क्रिप) जारी करने के आवेदन की प्राप्ति से प्रक्रियाओं की जॉच की। आगामी पैराग्राफों में चरणवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई हैं:

दस्तावेजों का आवेदन और सत्यापन

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामले में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन करते समय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समुचित जॉच नहीं की गई थी और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अवैध दस्तावेज स्वीकार किए गए थे।

2.4.2 विलम्बित आवेदनों पर विलम्ब कटौती न लगाने से अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.9 के अनुसार आवेदन निर्यात की तिथि से 12 महीनों की अवधि के भीतर अथवा विदेशी मुद्रा की वूसली की तिथि के छः महीनों के भीतर या एसबी के मुद्रण/प्रकाशन की तिथि से तीन महीनों के भीतर, जो भी बाद में हो, फाइल किया जाएगा। विलम्बित आवेदन पर एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क लागू होता है। दिनांक 09 अगस्त 1999 की पीसी सं.26/(आरई-99)/1999-2000 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि जहाँ कहीं भी निर्यातक ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, ऐसे दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण की तिथि को आवेदन की तिथि मानी जाएगी और शुरूआती आवेदन को समय पर नहीं माना जाएगा और यह विलम्ब शुल्क या अस्वीकरण के विषयगत होगा, जैसा भी मामला हो।

पांच आरए (अहमदागाद, हैदराबाद , जयपुर, मुंबई और सूरत) में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आवेदन निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किए जाने के बावजूद 42 मामलों में आरए द्वारा विलम्ब शुल्क नहीं /कम लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 लाख के शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी हुई **(परिशिष्ट 5)।**

महानिदेशक, विदेशी व्यापार ने कहा (फरवरी 2014) कि:-

i. आरए, अहमदाबाद ने वसूली हेतु फर्मों को पत्र जारी किए थे;

ii. आरए सूरत ने नौ फर्मों से अधिक शुल्क क्रेडिट सौपने की मांग की थी अन्यथा इसे उनके आगामी दावे में समयोजित किया जाता;

iii. आरए हैदराबाद ने मै. बायोलॉजिकल लिमिटेड और मै. सूरवंशी स्पाइनिंग मिल्स से अधिक क्रेडिट की वसूली की थी तथा मै. ग्लोयेम इंडस्ट्रीज, मै. इंपीरियल गारमेंट्स तथा मै. एचएसआईएल को अनुस्मारक जारी किये थे।

आरए जयपुर ने ₹ 0.15 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त और दिसम्बर 2013)।

2.4.3 अवैध शिपिंग बिल जिन पर अध्याय -3[9] का लाभ लेने की घोषणा नहीं थी, को गलत विचार करना

एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.8 के अनुसार, 1 जून 2008 से निर्यात योजनाओं के अध्याय -3 का लाभ लेने के लिए,निर्यातकों को मुक्त एसबी पर यह घोषणा करनी होगी कि वे एफटीपी के अध्याय 3 के अन्तर्गत लागू लाभों का दावा करेंगे। योजनाओं के अध्याय 4 से 6 (ड्राबैक सहित) के अन्तर्गत लदान के संबंध में, इस घोषण की आवश्यकता नहीं थी (1 जनवरी 2011 से 2 जून 2011 तक के निर्यातों को छोड़कर) । घोषणा के प्रावधनों की पीएन सं. 82/2009-14 दिनांक 16 जुलाई 2010 में व्याख्या की गई थी तथा अपर महानिदेशक, विदेशी व्यापार, मुंबई द्वारा दिनांक 03 जुलाई 12 के व्यापार सूचना सं. 3/एएम 13 में जांच सूची के प्रावधान किये गए थे। घोषणा का प्रावधान इसलिए शुरू किया गया ताकि निर्यात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा माल के मूल्यांकन की जॉच की जा सके। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.01.2009 के परिपत्र संख्या 1/2009 –सीमाशुल्क के अनुसार, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लदान के लिए जॉच मानकों का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित सात आरए पर देखा कि यद्यपि एसबी में अध्याय-3 के लाभ लेने के इरादे की घोषणा शामिल नहीं थी, इन एसबी पर शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1329.27 लाख की शुल्क क्रेडिट हेतु अवेध एसबी को स्वीकार किया गया **(परिशिष्ट -6)।**

[9] विदेश व्यापार नीति का अध्याय-3

आरए	अनुज्ञप्तियों जिनमें अवैध एसबी लिए गए	निर्यात की अवधि	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
अहमदाबाद	19	जनवरी 2011 से मई 2011	890.27
एफटी एण्ड सेज गाँधी धाम	08	जनवरी 2011 से मई 2011	46.89
हैदराबाद	09	अक्टूबर 2009 से जुलाई 2011	150.61
जयपुर	74	जनवरी 2011 से मई 2011	126.05
कोलकाता	01	अप्रैल 2009 से अगस्त 2009	0.61
राजकोट	13	जनवरी 2011 से मई 2011	62.88
सूरत	09	जनवरी 2011 से मई 2011	51.96
	133		**1329.27**

विदेश व्यापार नीति योजनाओं अध्याय 4 से 6 के अन्तर्ग 1 जनवरी 2011 और 2 जून 2011 के बीच किए गए निर्यातों के संबंध में एसबी की घोषणा को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, आरए के पास लंबित/नए आवेदन के लिए पीसी सं. 13 (आरई-2012)। 2009-14 दिनांक 31.01.2013 के द्वारा इस प्रावधान से छूट थी जिसे 30 अप्रैल 2013 तक भरा जाना था। लेकिन 31 जनवरी 2013 से पूर्व घोषणा के अभाव में शुल्क क्रेडिट हेतु ऐसे एसबी का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि उपरोक्त मामलों में प्राधिकरण 31 जनवरी 2013 से पूर्व जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अवैध दस्तावेजों के आधार पर एफपीएस अनुज्ञप्तियों की मंजूरी हुई।

महानिदेशक, विदेश व्यापार ने कहा (फरवरी 2014) कि:-

i. आरए हैदराबाद ने मै. नियोलैण्ड लैब्स लिमिटेड से ₹ 0.15 लाख की वसूली कर ली थी जबकि मै. अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड और मै. ऋतिक एक्जिम के अन्य मामलों में यह बताया गया कि ईओयू के प्रति शुल्क स्क्रिप्स जारी किए गए हैं इसलिए माने जाने के पात्र हैं। हालांकि डीजीएफटी द्वारा एसबी की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर की जाँच की जायेगी।

ii. आरए कोलकाता ने ₹ 0.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.61 लाख की वसूली की सूचना दी।

iii. आरए जयपुर ने सभी 74 मामलों में फर्मों को लाभ वापिस करने का पत्र जारी कर दिया था और तीन मामलो में ₹ 0.36 लाख की वसूली की थी।

2.4.4 प्रत्यक्ष कर लाभ न लेने का साक्ष्य प्राप्त किए बिना इओयूज को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.2(i) के अनुसार, एफटीपी के अध्याय -3 का लाभ ईओयूज/ईएचटीपीज़/बीटीपीज़ के लिए नहीं है जो प्रत्यक्ष कर लाभ /छूट ले रहे है। इसे दिनांक 21 जनवरी 2009 के पीसी सं. 56 (आरई-2008)/2004-2009 में विस्तार से स्पष्ट किया गया कि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय (i) छूट की अवधि पूरा कर लेने वाली ईओयूज इस प्रभाव का साक्ष्य प्रसतुत करेंगी तथा (ii) छूट की अवधि पूरा नहीं करने वाली ईओयूज को आधिकारिक आयकर प्राधिकारियों से इस आश्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वे प्रत्यक्ष कर छूट का दावा नहीं करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ईओयूज को प्रत्यक्ष कर की छूट वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लिए बढा दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पॉच मामलो (आरए, अहमदाबाद में तीन मामले तथा आरए, हैदराबाद और आरए, जयपुर में एक-एक) में देखा कि यद्यपि आवेदक ईओयूज थे, आरएज द्वारा आईटी प्राधिकारी से छूट अवधि की समाप्ति का साक्ष्य प्रमाणपत्र नहीं लिया गया और वर्ष 2010-11 के दौरान प्रभावित निर्यातों के प्रति तीन निर्यातकों को ₹ 54.31 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले पॉच अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे **(परिशिष्ट 7)**।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए अहमदाबाद और जयपुर ने फर्मों को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था जबकि आरए, हैदराबाद के अन्तर्गत फर्म ने आईटी प्राधिकारियों से आईटी लाभ न लेने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था।

2.4.5 स्व घोषणा लिए बिना जारी किए गए अनुज्ञप्ति

आईटीसी (एचएस) संहिता के अध्याय 57 के तहत शामिल हाथ से बने कालीन और अन्य फर्श ढकने वाले कपड़े 23.02.2009 से किए गए निर्यातों हेतु 5 प्रतिशत की दर पर एफपीएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र है। 23.02.2009 से पूर्व ये विभिन्न दरों पर एफपीएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र थे।

मंत्रालय ने अपने परिपत्र (पीसी सं. 21/2009-14 दिनांक 12.01.2010) में स्पष्ट किया कि यदि निर्यात दस्तावेज में निर्यात उत्पाद का उल्लेख केवल कॉटन बाथमैट्स /कालीन अथवा मशीन से बनी कॉटन बाथमैट्स कालीन या मशीन टफ्टेड कॉटन बाथमैट्स/कालीन हैं, तो इन वस्तुओं के निर्यातों को

निर्यातक से एक स्व घोषणा लेने के बाद एफपीएस के अन्तर्गत 23 फरवरी 2009 से और उसके पहले किए गए निर्यातों के लिए लाभ हेतु माना जाना चाहिए। 12.01.2010 से निर्यातों के लिए एसबी में घोषणा को अनिवार्य बना दिया गया था। हालांकि, दुबारा पीसी सं. 23/आरई (2010)/2009-14 दिनांक 21 फरवरी 2011 में यह स्पष्ट किया गया था कि केवल स्व घोषणा आवश्यक होगा और एसबी में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा में मूल रूप से इसका उल्लेख होता है कि विनिर्माण गतिविधियों में हाथ से बनी श्रेणी के तहत अर्हक वस्तुओं को प्रयोग करते हुए पर्याप्त श्रमबल का उपयोग किया गया।

2010-11 और 2012-13 के बीच, आरए जयपुर ने निर्यातकों से स्वघोषणा प्राप्त किए बिना ही उल्लिखित उत्पाद के निर्यात के प्रति ₹ 1.63 करोड़ के शुल्क क्रेडिट वाले 21 अनुज्ञप्ति जारी किए **(परिशिष्ट 8),** जिसके परिणामस्परूप गलत अनुज्ञप्ति जारी हुए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2014) कि एक फर्म ने अधिक राशि लौटा दी और बाकी मामलों में फर्मों द्वारा बाद में घोषणा प्रस्तुत कर दी गई थी।

तथ्य रह जाता है कि बिना वांछित दस्तावेज प्राप्त किए ही अनुज्ञप्ति जारी कर दिए गए थे।

2.4.6 विनिर्दिष्ट बाजार में निर्यात परेषण के लैंडिंग के गलत सबूत/सबूत के बिना ही एमएलएफपीएस के तहत लाभ की गलत मंजूरी

एचबीपी के पैराग्राफ 3.8.2 के अनुसार, एमएलएफपीएस के तहत आवेदक को निर्यात माल की लैंडिंग हेतु छः निर्धारित सबूत में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

(i) निम्नलिखित दो मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्यातित देशों में माल की लैंडिंग का कोई सबूत लिए बिना ही आरए द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे जिसके कारण ₹ 21.31 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले अनुज्ञप्ति गलत जारी हुए।

आरए का नाम	निर्यातक का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या /तिथि	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
अहमदाबाद	बोडल केमिकल्स लिमिटेड	810095763 दिनांक 25/01/11	11.43
कोलकाता	अमृत एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	0210143160 दिनांक 08/06/2010	9.88

आरए अहमदाबाद ने आपत्ति स्वीकार की जबकि आरए, कोलकाता ने निर्यातक को लैंडिंग का सबूत देने अथवा ब्याज सहित शुल्क क्रेडिट वापस लौटाने का निर्देश दिया।

(ii) अन्य मामले में, आरए कोलकाता ने अल्जीरिया को 15 एसबीज (एफओबी मूल्य: ₹ 20.40 करोड़) के माध्यम से प्रभावित निर्यातों के प्रति मै. इलेक्ट्रोस्ट्रील कास्टिंग लिमिटेड को ₹ 40.80 लाख के शुल्क क्रेडिट के लिए अनुज्ञप्ति (सं. 0210148291 दिनांक 21 सितम्बर 2010) जारी किया। निर्यातक ने मै. समसारा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, (मै. मेडीटेरियन शिपिंग कम्पनी एसए के एक एजेंट) से एचबीपी के पैराग्राफ 3.8.2 के तहत अपेक्षित लैंडिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि शिपिंग लाइनर्स के स्थानीय एजेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में न तो आपने अनुज्ञप्ति का खुलासा किया था न ही सूचना के स्रोत का किस आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जैसाकि एचबीपी के पैरा 3.8.2 के तहत अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ थी जिसमें हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम तथा जारी करने की तिथि नहीं थी। इसके कारण ₹ 40.80 लाख का गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

डीजीएफट, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, अहमदाबाद ने वसूली हेतु कम्पनियों को पत्र जारी कर दिया था और आरए, कोलकाता के अन्तर्गत मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड ने गंतव्य पत्तन पर माल का लैंडिंग साक्ष्य प्रस्तु कर दिया था।

2.4.7 अनुज्ञप्ति का गलत विभाजन

एचबीपी 2010 -11 के पैराग्राफ 3.11.4 के अनुसार, पंजीकरण के विभिन्न पत्तन पर आवेदन के समय अनुरोध पर अधिकमत ₹ 5 लाख और इसके गुणंक के भी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का विभाजन प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं। जारी करने के पश्चात विभाजन का अनुरोध मूल स्क्रिप पर उल्लेख के अनुसार पंजीकरण के उसी पत्तन पर अनुमत होगा। उपरोक्त प्रक्रिया केवल ईडीआई सक्षम पत्तन के संबंध में ही लागू होगी।

आरए, सूरत में मै. किशन टेक्सटाइल्स, सूरत ने नवा शेवा समुद्री पत्तन मुम्बई के माध्यम से किए गए ₹ 733.18 लाख के निर्यात के प्रति ₹ 14.45 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन किया। हालांकि,यह देखा गया कि निर्यातक को दो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए गए जिसमें से एक ₹ 5 लाख के शुल्क क्रेडिट से कम का है (₹ 4.45 लाख का अनुज्ञप्ति सं. 5210033267

दिनांक 04 जनवरी 2011) । इसके कारण विभाजन प्रमाणपत्र गलत जारी किया गया।

आरए, सूरत ने आप्पति स्वीकार की।

इसी प्रकार, आरए, हैदराबाद में विभाजन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु तीन आवेदनों के प्रति 14 विभाजन अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे। (2010-11 और 2012-13)। हालांकि इनमें ₹ 5 लाख से कम शुल्क क्रेडिट राशि वाले तीन विभाजन अनुज्ञप्ति निहित थे। इन तीन अनुज्ञप्तियों में निहित कुल शुल्क क्रेडिट ₹ 9.97 लाख था **(परिशिष्ट 9)।**

आरए, हैदराबाद के संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि एक बार आवेदक के विभाजन प्रमाणपत्र चुन लेने पर कम्प्यूटर प्रणाली स्वत: **₹** 5 लाख प्रत्येक के गुणांक में विभाजन प्रमाणपत्र की गणना कर लेता है। इस प्रकार वे विभाजन प्रमाणपत्र के मूल्य में संशोधन नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा ने दोहराया कि ईडीआई प्रणाली को एफटीपी/एचबीपी के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

2.4.8 वर्षवार निर्यात पत्तनवार निर्यात के लिए अलग-अलग आवदेन फाइल न करना

एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.10 के अनुसार, ईडीआई पत्तनों और गैर ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट को एक ही आवेदन में नहीं जोड़ा जा सकता। ईडीआई सक्षम पत्तनों के लिए पंजीकरण पत्तन,निर्यात पत्तन होंगे। गैर ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में पंजीकरण पत्तन निर्यात के संबंधित गैर ईडीआइ पत्तन होंगे। तदनुसार, प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अध्याय 3 के योजनाओं के तहत आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप एएनएफ 3सी के अनुसार, वर्षवार निर्यात के लिए अलग-अलग आवेदन फाइल करना अपेक्षित था।

(i) चार आरएज़ (अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर और सूरत) में 2010-11 और 2012-13 के बीच जारी नौ अनुज्ञप्तियों के मामले में आवेदकों ने आवेदन अवधि में उल्लिखित वर्ष से अलग वर्ष से संबंधित को जोड़ दिया था। भिन्न-भिन्न वर्षों से संबंधित इन एसबीज़ में कुल निहित शुल्क क्रेडिट ₹ 27.42 लाख था **(परिशिष्ट 10)।**

डीजीएफटी नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरएज़ अहमदाबाद और हैदराबाद ने वसूली के लिए फर्मों को पत्र जारी कर दिया था।

आरए, सूरत के सबंध में यह कहा गया कि फर्म द्वारा कोई आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है और बिना विलम्ब शुल्क लगाए कई आवेदन फाइल किए जा सकते हैं। इस बात का भी विरोघ किया गया कि एफटीपी 2009-10 और 2010-11 में कोई परिवर्तन नहीं था। इस प्रकार, वर्षवार अलग-अलग आवेदन फाइल करने के लिए जोर दिए बिना लाभ की मंजूरी दी गई।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि वर्षवार आधार पर आवेदन फाइल न करना संहिता के प्रावधानों के विपरीत था।

(ii) दिल्ली में एक आवेदक (अनुज्ञप्ति सं. 510278301 दिनांक 31 नवम्बर 2010, कुल शुल्क क्रेडिट ₹ 1.48 लाख) ने दादरी पत्तन के निर्यात (गैर ईडीआई पत्तन) को ईडीआई सक्षम पत्तन दिल्ली एयर कार्गो के निर्यात से जोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप गलत आवेदन स्वीकार हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, नई दिल्ली ने फर्म को राशि की वापसी के निर्देश दिये थे।

(iii) आरए जयपुर में मै. लटियाल हैंडीक्राफ्टस प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर को ₹ 5.78 लाख के शुल्क क्रेडिट हेतु अनुज्ञप्ति सं. 1310041978 दिनांक 24/01/2013 जारी किया गया था। हालंकि इस दावे में नौ शिपिंग बिल्स थे जिसमें से आठ शिपिंग बिल्स ईडीआई मुद्रा पत्तन से संबंधित थे और एक शिपिंग बिल (एसबी सं. 104 दिनांक 28.02.2011 शुल्क क्रेडिट ₹ 0.99 लाख) गैर ईडीआई पत्तन अर्थात राजसिको, बसनी, जोधपुर से संबधित था। इस प्रकार ईडीआई और गैर ईडीआई पत्तनों से किए गए लदानों को शामिल करने का एक अनुज्ञप्ति जारी करना उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन था।

आरए, जयपुर ने कहा (अगस्त 2013) कि कथित प्रावधानों को दिनांक 21 नवम्बर 2008 के पीएन संख्या 100 द्वारा संशोधित कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित पीएन अलग-अलग आवेदन फाइलिंग से संबंधित नहीं था।

2.4.9 अयोग्य माल के निर्यात के प्रति अनुज्ञप्ति जारी करना।

एफपीएस के तहत लाभ उन मामलों के लिए उपलब्ध हैं जो समय-समय पर एचबीपी के परिशिष्ट 37 डी में अधिसूचित हैं। लेखापरीक्षित नमूने में निम्नलिखित मामलों में हमने देखा कि अयोग्य मालों पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई थी।

(क) 'तकनीकी वस्त्र' को परिभाषित करने में देर से कार्रवाई करने के कारण गलत अनुज्ञप्ति जारी करना।

एचबीवी 2009-14 के परिशिष्ट 37 डी की तालिका -4 के क्रमांक 33 के अनुसार आईटीसी (एचएस) संहित के अध्याय 5407 के तहत आने वाले 'तकनीकी वस्त्र' सिंथेटिक फिलामेंट धागे के बने वस्त्र शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य थे। इस प्रकार, लाभ केवल आईटीएस (एचएस) संहिता 5407 के तहत आने वाले 'तकनीकी वस्त्रों' तक बढ़ाए गए थे। 20 अक्टूबर 2011 तक 'तकनीकी वस्त्र' को परिभाषित नहीं किया गया था, हालांकी नीति परिपत्र (पीसी) सं. 42 (आरई-2010)/2009-14,दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के माध्यम से डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि उक्त पीसी के अन्तर्गत सूचीबद्ध केवल 33 उत्पाद ही 01 अप्रैल 2011 से निर्यात के लिए 'तकनीकी वस्त्र' की श्रेणी के अन्तर्गत लाभ हेतु योग्य थे। यह स्पष्ट किया गया कि तकनीकी वस्त्र गैर सौंदर्यात्मक उद्देश्यों के लिए निर्मित एक वस्त्र उत्पाद है जिसमें कार्य एक मूल मापदण्ड हैं। तकनीकी वस्त्रों में आटोमोटिव अनुप्रयोगों के कपड़े, मेडिकल कपड़े, जिया टेक्सटाइल्स, कृषि के कपड़े और सुरक्षात्मक कपड़े जैसे आग रक्षक कपड़ो की विकिरण और गर्मी सुरक्षा , वेल्डर्स के लिए धातु से सुरक्षा, वार सुरक्षा और बुलेटप्रुफ जैकेट और अंतरिक्ष सूट्स, टेंट के कपड़े आदि शामिल हैं। तथाकथित पीसी के माध्यम से ऐसे मामलों में वसूली का भी निर्देश दिया गया था जहाँ 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी निर्यातों हेतु निर्यातकों ने अनुचित लाभ लिया था। इस प्रकार, इस पीसी में 01 अप्रैल 2011 से पहले निर्यातित गैर तकनीकी वस्त्र उत्पादों को मंजूर किए गए अनुचित लाभों की वसूली का कोई जिक्र नहीं था।

आरए, सूरत में 70 अनुज्ञप्तियों के संबंध में यह देखा गया कि यद्यपि एसबी में 'तकनीकी वस्त्र' के रूप में मालों का विवरण नहीं था, इन अनुज्ञप्तियों को अध्याय के शीर्षक (5407) को मानते हुए ₹ 760.22 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातक ने 100 प्रतिशत पॉलीस्टर फिलामेंट यार्न कसीदाकारी वाली अथवा बिना कसीदाकारी टेक्सटराइज्ड यार्न और मेटलाइज्ड धागेवाले अथवा बिना मेटलाइज्ड धागे वाली से रंगाई और छपाई वाले वस्त्र के रूप में मुख्या रूप से मालों के विवरण वाले अध्याय के शीर्षक 54071039, 54075490, 54075119, 54075290, 54079400 के अन्तर्गत मुख्यत: मालों को वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, इन शीर्षकों का लाभ 33 तकनीकी वस्त्र माल में शामिल नहीं किया गया थ। जैसा कि बाद में दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के पीसी में परिभाषित किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि ये उत्पाद गैर तकनीकी वस्त्र थे। दिनांक 21

अक्टूबर 2011 के पीसी में भी 01 अप्रैल 2011 से पहले किए गए निर्यातों के लिए गैर-तकनीकी वस्त्र वाले मालों के लिए पहले से ही की गई शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं थी जिसके कारण ₹ 760.22 लाख के अनुचित शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई **(परिशिष्ट 11)।**

01 अप्रैल 2011 से पूर्व निर्यातों वाले आरए सूरत द्वारा जारी 23 अन्य अनुज्ञप्तियों (शुल्क क्रेडिट ₹ 183.93 लाख) तथा आरए, कोलकाता द्वारा जारी तीन अनुज्ञप्त्यियों (शुल्क क्रेडिट-₹ 58.62 लाख) में यह देखा गया कि यद्यपि शिपिंग बिल्स, दस्तावेजों के बीजकों में विवरण/अध्याय के शीर्षकों से स्पष्ट रूप से पता चला कि निर्यातित माल साड़ी, सलवार, कमीज, दुपट्टा, फैब्रिक्स इत्यादि थे, इन एसबीज पर ₹ 242.55 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया गया था। आरए, इन एसबीज़ में उल्लिखित विवरण के आधार पर लाभ को अस्वीकृत कर सकते थे, हालांकि आरएज़ द्वारा मालों को मात्र 'तकनीकी वस्त्र' के रूप में माना गया क्योंकि एसबी में आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 के तहत वर्गीकरण दर्शाया गया था **(परिशिष्ट12)।**

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि लाभ आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 के सभी माल के लिए उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त कहा गया कि जबकि लाभ आईटीसी (एचएस) संहिता 5407 तक बढ़ाए गए थे, उनके उप शीर्षों के भी अन्तर्गत आने वाले सभी माल लाभ के लिए योग्य होंगे। इस बात का भी विरोध किया गया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के नीति परिपत्र संख्या 42 (आरई -2010)/2009-14 के अनुसार 01 अप्रैल 2011 से पूर्व निर्यातित गैर तकनीकी वस्त्र वाले माल भी शुल्क क्रेडिट के लिए योग्य थे।

तथ्य रह जाता है कि विभाग नित्नांकित में विफल रहा:

i) शुरूआती दौर में तकनीकी वस्त्र परिभाषित करने में और

ii) 01 अप्रैल 2011 से पहले किए गए निर्यातों के लिए निर्यातकों द्वारा पहले ही लिए गए अनुचित लाभों की वसूली की कार्रवाई करने में,

iii) ऐसे मामलों में लाभ देने से मना कर देना जहाँ समर्थित दस्तावेजों से पता चला कि निर्यातित माल तकनीकी वस्त्र नही थे।

(ख) हथकरघा उत्पाद के रूप में दावा किए गए इंजीनियरिंग माल के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

परिशिष्ट 37डी की तालिका 5 के अतर्गत निहित मालों पर निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया था। हालांकि तालिका 5 में टिप्पणी (नए हथकरघा उत्पाद) के अनुसार, तालिका में

निहित सभी मदों के निर्यातों का लाभ केवल हथकरघा उत्पादों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा उक्त टिप्पणी के अनुसार यदि इस मुद्दे पर कोई संदेह उत्पन होता है तो हथकरघा हेतु निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) स्पष्ट करेगा कि निर्यात उत्पाद एक हथकरघा उत्पाद है। थ्रीडेड राडस/वस्तुएं (आईटीसी (एचएस) संहिता 7318900) **परिशिष्ट -37 डी** की तालिका 5 के क्रमांक 52 पर योग्य थे।

मै. मंगल स्टील इंटरप्राइजेज, कोलकता एक स्टील और संबद्ध कम्पनी को आरए कोलकता द्वारा 115 शिपिंग बिल्स के अंतर्गत निहत विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादों (एफओबी मूल्य : ₹ 887.52 लाख) के निर्यात के लिए अगस्त 2010 और मई 2011 के बीच ₹ 39.55 लाख के चार शुल्क क्रेडिट लाइसेंस जारी किए गये थे। तालिका-5 के क्रमांक 52 के प्रति शुल्क क्रेडिट का दावा किया गया था। 99 एसबीज (एफओबी मूल्य: ₹ 722.77 लाख) में हमनें देखा कि निर्यातक ने 'गैल्वेनाइड माइल्ड स्टील फुंल थ्रीडेड रॉड्स' के साथ साथ लोहा/स्टील का बना एक इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्यात किया और ₹ 36.14 लाख के शुल्क क्रेडिट का दावा किया। शिपिंग बिल्स अथवा सीमाशुल्क प्रमाणित बीजकों में इस बात के साक्ष्य का सूचक नहीं था कि थोक में निर्मित और निर्यातित (13,94,400 पीस, 1552.85 एम.टी) ये माल 'हथकरघा' उत्पाद थे। आरए ने निर्यातक से न तो कोई दस्तावेज मांगा था न ही माल की वास्तविक श्रेणी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद सीमाशुल्क प्राधिकारी को मामले से अवगत कराया, जिसके परिणमस्वरूप बिना सत्यापन के ₹ 36.14 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि एफपीएस लाभ आईटीसी (एचएस) कोड पर आधारित है और फर्म मे जिस उत्पाद का निर्यात किया था वह उपरोक्त क्रमांक द्वारा कवर किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि निर्यातित मद को 'हथकरघा उत्पाद' के अन्तर्गत अपनी श्रेणीकरण के लिए इपीसीएच प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

(ग) अयोग्य माल के शुल्क की मंजूरी

आरए, जयपुर में लेखापरीक्षा ने देखा कि 91 शिपिंग बिल्स शुल्क क्रेडिट ₹ 41.09 लाख) के संबंध में चार निर्यातकों को 16 अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे, यद्यपि शिपिंग बिल्स/बीजकों में माल /आईटीसी कोड के विवरण परिशिष्ट 37 डी में उल्लिखित योग्य आईटीसी कोड से अलग थे। दो मामलो को आगे वर्णित किया गया है:

(i) एचबीपी 2009-2014 के परिशिष्ट 37 डी की तालिका -4 के क्रमांक 75 के साथ पठित परिशिष्ट -37 डी की तालिका -7 के क्रमांक 143 के अनुसार आईटीसी कोड के अध्याय 73259100 के अन्तर्गत आने वाले 'ग्राइंडिंग बाल्स और नरम कच्चे लोहे के मिलों के लिए समान वस्तुएं एफपीएस के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य होंगी। हालांकि 10 मामलों में 'हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स 60 एमएम' के रूप में और आईटीसी (एचएस) कोड 73261100 के अन्तर्गत वर्गीकृत मालों के विवरण वाले माल पर शुल्क क्रेडिट दिया गया।

(ii) आईटीसी कोड 63026090, एचबीपी 2009-14 के परिशिष्ट 37डी की तालिका -। के क्रमांक 245 के अनुसार टेरी टावेलिंग के या समान टेंरी फैब्रिक्स के टॉयलेट लिलन और किचेन लिलन एफपीएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट के लिए योग्य था। हालांकि तीन मामलों में आईटीसी (एचएस) कोड 63026000 के तहत वर्गीकृत सूती टॉयलेट लिलन तथा सूती टेरी टावेलिंग के किचेन लिलन के रूप में मालों के विवरण वाले मालों पर शुल्क क्रेडिट दिया गया ।

इस प्रकार इन अयोग्य आईटीसी (एचएस)कोड के प्रति अनुज्ञप्ति जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41.09 लाख का गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ **(परिशिष्ट 13)।**

आरए, जयपुर ने कहा (अक्टूबर 2013) कि सीमाशुल्क विभाग के सॉफ्टवेयर के गैर अद्यतन के कारण पुराने और संशोधित आईटीसी एचएस के तहत वगीकृत माल डीजीएफटी द्वारा अनुमत कर दिए गए। इस प्रकार सॉफ्टवेयर के गैर–अद्यतन और अपेक्षित नियंत्रण के कारण गलत शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

(घ) अयोग्य हथकरघा माल के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

आरए, जयपुर के पत्र सं. 13/जेडीजी/पीओएल/एएम 12/57 दिनांक 03 मई 2012 के संदर्भ में "आयरन रीइंडियर XII गोल्ड मोजैक" के आईटीसी एचएस कोड 73262090 के संबंध में केंद्रित उत्पाद योजना के तहत लाभ की स्वीकार्यता पर निर्देश देते हुए कि आईटीसी एचएस कोड 73262090 के तहत निर्यातित उत्पाद को 'हथकरघा उत्पाद' होने की शर्तों को पूरा करना होगा और कम्पनी परिशिष्ट 37डी की तालिका 5 में दी गई टिप्पणी के अनुसार विकास आयुक्त (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे, डिप्टी डीजीएफटी, डीओसी, नीति खण्ड पीसी 3, उद्योग भवन, नई दिल्ली दिनांक 23 मई 2012 के पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया।

परिशिष्ट 37 डी में विशेष निर्देशों/प्रावधानों के विपरीत लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए, जयपुर ने डीसी (हथकरधा) से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मै. हाइटेक एक्पोटर्स, जोधपुर को दो अनुज्ञप्ति जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 लाख के शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई।

इस प्रकार दिनांक 30 मार्च 2010 के एसबी संख्या 5563 में सीमाशुल्क प्राधिकारी (आईसीडी जोधपुर) की अभ्युक्ति थी कि 'हथकरघा वस्तु डीसी हथकरघा से सत्यापन के विषयगत होगा', हालांकि, डीसी (हथकरघा) से प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु कोई कर्रवाई नहीं की गई और इस एसबी को मै; बोथरा इंटरनेशनल, जोधपुर को जारी दिनांक 24/09/12 की अनुज्ञप्ति संख्या 1310041113 में ₹ 0.18 लाख का शुल्क क्रेडिट दिया गया।

आरए जयपुर ने कहा (जुलाई 2013) कि केवल संदिग्ध मामलों में ईपीसीएच प्रमाणन की आवश्यकता थी।

उत्तर को निर्यातित वस्तु के मद्देनजर देखा जाना चाहिए जिसकी 'हथकरघा उत्पाद' के तहत वर्गीकरण हेतु ईपीसीएच प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।

(ड़) अयोग्य मालों को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के अन्य मामले

अयोग्य मालों को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के अन्य विविध मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आरए	निर्यातित माल	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)	अयोग्यता के कारण
अहमदाबाद	जैविक लाल मिर्च पाउडर/सिले फैब्रिक्स	0.67	1. 'लाल मिर्च' के लिए लाभ उपलब्ध था 2. एसबी में उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड की टेकिनीकल फैब्रिक्स पीसी सं. 42 दिनांक 21/10/2011 के अनुसार तकनीकी वस्त्र नही था।
अहमदाबाद	पुनर्निर्यातित माल	1.51	पुनर्निर्यातित माल एफटीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.17.2(ii) के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य नहीं।
हैदराबाद	आईटीसी (एचएस) कोड 30049099 के माल एवं अन्य	0.72	आरए ने शुल्क क्रेडिट मंजूर करने हेतु विभिन्न आईटीसी (एचएस) कोड अपनाया (आरए ने आपत्ति स्वीकार की।
मुम्बई	हैंगर्स आईटीसी (एचएस) कोड 39269099	0.46	योग्य माल एपेरल/वस्त्रों के साथ-साथ निर्यातक ने 'हैंगर निर्यात' किया।

आरए	निर्यातित माल	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)	अयोग्यता के कारण
मुम्बई	क्वाइल में प्लेट्स-आईटीसी (एचएस) कोड-72085100	4.07	एसबीज के अनुसार 'क्वाइल' के रूप में स्टील प्लेट्स का निर्यात जबकि परिशिष्ट -37 डी की तालिका 4 के क्रमांक 214 के तहत अनुज्ञेय नहीं।
सूरत	पीटीवाई-आईटीसी (एचएस) कोड 52052310	0.68	आईटीसी (एचएस)कोर्ड 54023300 के लिए शुल्क क्रेडिट का दावा लेकिन अयोग्य आईटीसी (एचएस) कोड -52052310 वाले एक एसबी में शामिल।
	कुल अधिक शुल्क क्रेडिट	**8.11**	

अनुज्ञप्तिवार विवरण **परिशिष्ट 14** में दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (फरवरी 2014) कि आरएज अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत और मुम्बई ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। आरए हैदराबाद ने सौंपे गए डीईपीबी के प्रति ₹ 0.88 लाख समायोजित किया,जबकि आरए मुम्बई ने मै. जेस इंटरनेशनल से ₹ 0.62 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2013)।

2.4.10 त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वाले एसबी के लिए शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

एफपीएस योजना के तहत समय –समय पर एचबीपी के परिशिष्ट 37 डी में माल अधिसूचित किए जाते हैं। मालों को अधिसूचित करते समय मालों के विवरण के साथ-साथ आईटीसी (एचएस) कोड (2-8 अंक स्तरीय) भी अधिसूचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क नियमावली, 2001 [अध्याय 3 का पैरा ।। (एम)] के अनुसार निर्यात के प्रभारी अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा' लेट एक्सपोर्ट आर्डर' के पश्चात शिपिंग बिल्स में संशोधन किया जा सकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 149 के प्रावधान के अनुसार, निर्यात मालों को निर्यातित किए जाने के पश्चात एसबी में संशोधन केवल इस आधार पर किया जा सकता है जो मालों को निर्यात करते समय विद्यमान हों ।

निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्यातित मालों के वर्गीकरण में कमियाँ थी, निर्यातक को लाभ दिए गए।

2.4.11 'कोरोनरी स्टेंट सिस्टम' के तहत वर्गीकरण के कारण शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

परिशिष्ट 37डी की तालिका 1 के तहत क्रमांक 59 के अनुसार , आईटीसी (एचएस) कोड 9018 के तहत आने वाले साइट टेस्टिंग इंसट्रूमेंट्स और अन्य इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरण, साइंटिग्राफिक उपकरण सहित चिकित्सा, सर्जिकल,डेंटल या वेटेरिनरी साइसेज में प्रयुक्त 'इंसट्रूमेंट्स और उपकरण 2 प्रतिशत एफओबी मूल्य की दर से शुल्क क्रेडिट हेतु योग्य हैं। ये वस्तुएं 2.5 की दर से शुल्क क्रेडिट के लिए भी योग्य थी यदि तालिका 9 के क्रमांक 4 के अन्तर्गत अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना के तहत निर्यातित हों।

आरए, सूरत में अप्रैल 2009 और मार्च 2011 के बीच निर्यातित 'कोरोनरी स्टेंट सिस्टम्स' के निर्यातों के प्रति सितम्बर 2010 और मार्च 2012 के बीच मै. सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलाजीज़ सूरत को निम्नलिखित छः अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे।

अनुज्ञप्ति संख्या/तिथि	एफओबी मूल्य (लाख में)	शुल्क क्रेडिट	एसबीज़ की संख्या	एसबी के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड़
5210031907 दिनांक 14/9/10	598.28	14.66	35	39,8407,9022,9018
5210031779 दिनांक 30/8/10	590.67	11.80	39	39,8407,9022,9018
5210037759 दिनांक 24/1/12	275.06	5.43	22	9018
5210037696 दिनांक 18/1/12	83.55	1.67	8	9018
5210038840 दिनांक 8/8/12	259.61	5.19	27	9018
5210039575 दिनांक 19/3/12	287.03	5.63	19	9018
	2094.20	**44.38**	**150**	

उपरोक्त में से पहले दो अनुज्ञप्तियों में 'कोरोनरी स्टेंट सिस्टमस' को 9018 के योग्य शीर्षक के प्रति विभिन्न अध्यायें 39, 84, 9018, 9022, 9018 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। वर्गीकरण में खामियों के कारण आरए ने निर्यातक से एक शपथ पत्र लिया कि कथित माल अध्याय 9018 के अन्तर्गत हैं (अर्थात एफपीएस लाभ हेतु योग्य माल) और शपथपत्र में निर्यातक ने कहा

कि निर्यातित माल अध्याय 9018 के 'कोरोनरी स्टेंट' थे। हालांकि आईटीसी (एचएस) कोड शीषर्क 90183990 के अनुसार जिसके लिए निर्यातक ने शुल्क क्रेडिट का दावा किया हैं 'कार्डाइक कैथेटर' के अंतर्गत आता है जो वास्तव में 'कोरोनरी स्टेंट' बनाने के लिए कच्चा माल था। चार अनुज्ञप्तियों से संबद्ध बाद के निर्यातों में निर्यातक ने आईटीसी (एचएस) कोड को संशोधित करके 9018 कर दिया। हालांकि, निम्नलिखित लेखापरीक्षा आपत्तियों के कारण सभी मामलों में शुल्क क्रेडिट की मंजूरी सही नहीं थी:

i. 131 शिपिंग बिल्स वाले पहले पॉच एफपीएस अनुज्ञप्तियों में 86 फ्री शिपिंग बिल्स/ अग्रिम अनुज्ञप्ति ईपीसीजी शिपिंग बिल्स में अध्याय -3 का लाभ लेने की घोषणा करनी थी। हालांकि, शिपिंग बिल्स में कोई घोषणा नहीं की गई थी लेकिन शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई।

ii. निर्यातक ने अध्याय 9021 के तहत आने वाले विभिन्न् प्रकार के 'कोरोनरी स्टेंट' का निर्यात किया जैसे निर्णय के अनुसार 'बॉडी में लगाने के लिए धिसे या लाए गए डिवायसेज, आलायंसेज जो मालों के वर्गीकरण् हेतु नाम पद्धति (एचएसएन) के लिए सामंजस्य पर आधारित हैं। यद्यपि वर्गीकरण में खामियॉ थी और एसबीज में अनिवार्य घोषणा नहीं की गई थी, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने संपर्क नहीं किया और ₹ 44.38 लाख का क्रेडिट जारी किया गया था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए सूरत ने कम्पनी से स्पष्टीकरण मॉगा था और इसकी प्राप्ति पर एक विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा।

2.4.12 अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु एसबीज़ में अवैध संशोधन की स्वीकार्यता

दिनांक 13/10/2011 के पीएन संख्या 80 (आरई-2010)/2009-14 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 15153090 के अन्तर्गत आने वाले 'कैस्टर ऑयल और इसके अंश (योग्य श्रेणी के अलावा) को 01/04/11 से निर्यातों के लिए तालिका 4 के क्रमांक 247 के अन्तर्गत एफपीएस का लाभ अनुमत किया गया था।

वर्ष 2012-13 के दौरान विकास आयुक्त, सेज, गांधीधाम के अधीन कार्य करने वाले विदेश व्यापार सेक्शन ने जनवरी और फरवरी 2012 से संबधित 25 एसबीज़ के प्रति मै. कांदला एण्ड एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 61.66 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले पॉच एफपीएस अनुज्ञप्ति जारी किए। एसबीज़ (मुंद्रा और कांदला पत्तन) की संवीक्षा से पता चला कि एसबीज़ में

निर्यातक ने 'कैस्टरऑयल' को आईटीसी (एचएस) कोड 15099099 के तहत वर्गीकृत किया था जिसके अन्तर्गत 'ऑलिवऑयल' वर्गीकृत है। गलत वर्गीकरणों के कारण सीमाशुल्क अधीक्षक के अनुमोदन से आईटीसी (एचएस) को कोड़ 15099099 से बदल कर 15153090 करते हुए इन एसबीज़ में परिवर्तन कर दिया गया। एसबीज़ के इन संशोधनों पर आरए द्वारा शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई जबकि ये संशोधन सीमाशुल्क के उपयुक्त प्राधिकारी (अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क) द्वारा नहीं किए गए थे। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि संशोधन उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था। अनुज्ञप्ति संख्या 3710001974 के मामले में यह पाया गया कि निर्यात कांदला पत्तन से किए गए थे, हालांकि निर्यातक ने संशोधनपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीक्षक, सीमाशुल्क, सीमाशुल्क भवन, मुंद्रा के हस्ताक्षर थे। तत्पश्चात आरए द्वारा मांग करने पर निर्यात ने सीमाशुल्क प्राधिकारी कांदला द्वारा हस्ताक्षरित संशोधन पत्र प्रस्तुत किया।

इन गलत/त्रुटिपूर्ण संशोधन पत्रों के आधार पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 61.66 लाख के शुल्क क्रेडिट हेतु गलत अनुज्ञप्ति जारी हुए **(परिशिष्ट 15)।**

लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप विदेश व्यापार विकास अधिकारी, सेज, गॉधीधाम ने संशोधन पत्रों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी से मामले पर बात की। सीमाशुल्क प्राधिकारी, मुंद्रा से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

2.4.13 सीमाशुल्क प्राधिकारी से एसबी में संशोधन का साक्ष्य लिए बिना अनुज्ञप्ति जारी करना।

दिनांक 06 अगस्त 2008 के पीएन संख्या 60/2008 के अनुसार आईटीसी (एसएच) कोड '73182200 के अन्तर्गत शामिल वाशर्स नान थ्रीडेड' को 01 अप्रैल 2008 से निर्यातों के लिए एफपीएस लाभ हेतु योग्य कर दिया गया।

आरए, वडोदरा में लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न वर्गों के स्टेनलेस स्टील वाशर्स' के निर्यातों के प्रति 2010-11 में मै. सुचि फास्टनर्स प्रा. लिमिटेड को दो अनुज्ञप्ति जारी किया गया था। उल्लिखित पीएन के माध्यम से तालिका-11 के क्रमांक 13 के तहत लाभ के दावे किए गए थे। यह क्रमांक आईटीसी (एचएस) कोड़ 73182200 के 'वाशर्स नान-थ्री डेड में निहत है और एसबीज़ में आईटीसी (एचएस) कोड 73182990 के तहत वर्गीकृत या निर्यातित माल नहीं है। इसके कारण माल का वास्तविक विवरण सुनिश्चित किए बिना ₹ 19.09 लाख का शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

आरए, बड़ोदरा ने उत्तर दिया कि कोड 7318 के अन्तर्गत निहित माल में थ्रीडेड और नान थ्रीडेड वस्तुएं शामिल हैं। 73182100 से 73182990 की प्रविष्टियों के अंतर्गत 'नान थ्रीडेड' माल आते हैं। इस प्रकार, 73182990 और 73182200 के दोनों शीर्षकों के लिए लाभ उपलब्ध है।

विभाग के उत्तर को परिशिष्ट के अन्तर्गत निर्धारित लाभों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो अध्याय शीर्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और शीर्षक 73181500, 7318600, 17181900, 73182200, 73182300 के अन्तर्गत आने वाले माल केवल एफपीएस लाभ के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्गीकरण में खामियां थी, न तो मामले को संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा देखा गया न ही निर्यातक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी से एसबीज़ में संशोधन का कोई सबूत प्रस्तुत किया जैसा कि सीमाशुल्क नियमावली, 2001 [(अध्याय -3 का पैरा।1 (एम)] के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित था।

2.4.14 शुल्क और एफओबी मूल्य की गणना पद्धति

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.11 के अनुसार अनुज्ञप्ति की मंजूरी निर्यात के एफओबी मूल्य पर दी जाएगी। निर्यातों का एफओबी मूल्य एसबी (शिपिंग बिल में घोषित मुक्त विदेशी विनिमय और एलईओ की तिथि पर मासिक सीमाशुल्क दर पर भारतीय रूपये में परिवर्तित एफओबी मूल्य से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2009-10 के पैराग्राफ 3.17.3 के अनुसार एफओबी में 12.5 प्रतिशत तक एजेंसी कमीशन शामिल होगा ।

निम्नलिखित मामलों में हमने पाया कि गलत एफओबी मूल्य/विनिमय दर लगाने के कारण ₹ 5.24 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट जारी हुआ।

आरए	अनुज्ञप्ति की संख्या	अधिक शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)	अधिक शुल्क क्रेडिट के कारण
अहमदाबाद	03	0.70	एलईओ तिथि पर एफओबी मूल्य हेतु प्रचलित विनिमय दर नहीं लगाया गया।
सीएलए-दिल्ली	03	1.11	एजेंसी कमीशन 12.5 प्रतिशत से अधिक दिया गया ।
एफटी खण्ड, सेज गाँधी धाम	01	1.79	एफओबी मूल्य में माल के मूल्य में गलत वृद्धि की गई
एफटी खण्ड, सेज गाँधी धाम	05	1.49	एफओबी मे 'गुणवत्ता अलावंस' दिया गया
एफटी खण्ड, सेज गाँधी धाम	02	0.15	एलईओ तिथि पर एफओबी मूल्य हेतु प्रचलित विनिमय दर नहीं लगाया गया।
	14	**5.24**	

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, दिल्ली ने मै. ओम श्री आन्नद फूड्स (प्रा.) लिमिटेड और मै. थ्रीपेन्स क्रॉफ्ट को अधिक शुल्क क्रेडिट वापस करने का निर्देश दिया था जबकि मै. ए.बी. इंटरप्राइज के मामले में जॉच के बाद यह पाया गया कि एजेंसी कमीशन 12 प्रतिशत की दर से अनुमत किया गया था।

आरए, अहमदाबाद ने कहा (जनवरी 2014) कि एलईओ की तिथि पर प्रचलित दर लगाया गया था।

उत्तर को इस तथय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि विभाग द्वारा लगाया गया दर एलईओ की तिथि पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर नहीं थी।

हकदारी दर का गलत लागू करना

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामले में देखा कि शुल्क क्रेडिट सही दर पर नहीं लगाए गए अथवा बोनस शुल्क क्रेडिट अयोग्य मालों को जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हुई।

2.4.15 बोनस शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी

नीचे तालिका-7 के नोट (दिनांक 15 फरवरी 2011 के पीएन सं. 33/(आरई 2010)/2009-14 के माध्यम से अधिसूचित) के अनुसार, क्रम संख्या 157 से 169 पर प्रविष्टियों में 2 प्रतिशत बोनस शुल्क क्रेडिट दिया गया और इस माल के लिए 7 प्रतिशत की दर से कुल शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया। हालांकि, बोनस शुल्क क्रेडिट का लाभ 01 जनवरी 2011 से प्रभावित निर्यात के लिए मान्य था।

i. आरए जयपुर में लेखापरीक्षा ने दो अनुज्ञप्तियों में देखा कि निर्यातकों को उन मामलों में बोनस शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया था जहाँ निर्यात की तिथि 01 जनवरी 2011 से पहले की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.32 लाख का अधिक शुल्क क्रेडिट जारी हुआ **(परिशिष्ट 16)** ।

ii. इसी प्रकार, आरए अहमदाबाद में दिनांक 07 मार्च 2013 के अनुज्ञप्ति संख्या 810119147 में लेखापरीक्षा ने देखा कि दो एसबीज़ के लिए आवेदक ने आईटीसी (एचएस) कोड 73269099/74199990 के माल के लिए तालिका -7 के क्रमांक 1 और 6 के तहत बोनस शुल्क क्रेडिट का दावा किया था जबकि इन क्रमांकों को इन आईटीसी (एचएस) कोड के प्रति बोनस शुल्क क्रेडिट नहीं दिया गया। इसके कारण

₹ 0.44 लाख की अधिक शुल्क क्रेडिट मंजूर हुआ। उपरोक्त मामलों का विवरण **परिशिष्ट 16** में दिया गया है।

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए, अहमदाबाद ने फर्म को वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया था।

आरए, जयपुर ने इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (जनवरी 2014) कि पीएन सं. 2 दिनांक 23 अगस्त 2010 में 01 अप्रैल 2010 से 7 प्रतिशत की दर पर शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जनवरी 2011 से किए गए निर्यात पर दिनांक 15 फरवरी 2011 का पीएन संख्या 33 लागू था।

2.4.16 पूर्व वसूली मामलों की मानीटरिंग के लिए अनुपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र

एफपीएस के अंतगर्त निर्यातक विदेशी मुद्रा की वसूली से पूर्व भी शुल्क क्रेडिट का आवेदन कर सकता है। दिनांक 30 मार्च 2009 के पीसी संख्या 76 (आरई 2008)2004-09 के साथ पठित एचबीपी 2010-11 के पैराग्राफ 3.11.12 के अनुसार निर्यात कार्रवाई की वसूली के संबंध में संबंधित आरए द्वारा सभी पूर्व वसूली वाले मामलों की मानीटरिंग की जाएगी। पैरा4.45 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्व वसूली आधार पर अध्याय 3 के अंतर्गत जारी स्वतंत्र रूप से स्थानांतरणीय शुल्क क्रेडिट के यथोचित परिवर्तन लागू होंगे। यदि किसी मामले में आरबीआई विस्तार नहीं प्रस्तुत किया जाता, आरए वसूली की कार्रवाई शुरू करेगा। नियमित मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित आरए ऐसे सभी मामलों में बीजी/एलयूटी की इसकी राशि और अंतिम तिथि सहित योजनावार, निर्यातकवार विवरण रखेगा।

निम्नलिखित मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्व वसूली वाले मामलों की ठीक से मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।

आरए	मानीटरिंग न किए गए/अनुपयुक्त मानीटरिंग वाले मामले	शुल्क क्रेडिट (₹ लाख)
अहमदाबाद	01	34.52
हैदराबाद	148	2125.68
जयपुर	13	138.68
कोलकाता	16	363.44
	178	**2662.32**

आगे कुछ मामले दर्शाएं गए है:

i. आरए, अहमदाबाद में लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. अरविंद लिमिटेड को ₹ 17.26 करोड़ की एफई के प्रति ₹ 34.52 लाख के शुल्क क्रेडिट वाला अनुज्ञप्ति संख्या 0810113000 दिनांक 26 जून 2012 जारी किया गया था। निर्यातक ने 11/06/2012 को एलयूटी निष्पादित किया। निर्यातक ने निर्यात कार्यवाहियों की वसूली के सबूत के प्रति कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया था जो अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि से हर तीन माह बाद प्रस्तुत करना आवश्यक था। यहाँ तक कि एक वर्ष पूरा होने के बाद भी न तो आरए ने मॉग की और न ही निर्यातक ने आरबीआई द्वारा निर्यात कार्यवाही/विस्तार की वसूली के प्रति कोई सबूत प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की गलत मानिटरिंग हुई जिसके लिए ₹34.52 लाख का शुल्क क्रेडिट मंजूर किया गया। आरए, अहमदाबाद ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली गई है।

आरए, अहमदाबाद ने बताया (जनवरी 2014) कि वसूली का सबूत देने के लिए फर्म को पत्र भेज दिया गया है।

ii. आरए, जयपुर द्वारा ₹ 138.68 लाख के शुल्क क्रेडिट वाले 13 अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे जिसमें कम्पनी ने पूर्व वसूली आधार पर आवेदन किया। संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों ने निर्यात कार्यवाहियों के वसूली का सबूत नहीं दिया जिसे अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि से हर तीन महीने के पश्चात् प्रस्तुत करना था । हालांकि न तो आरए ने की मॉग की औश्र न ही निर्यात करने आरबीआई द्वारा निर्यात कार्यवाही/विस्तार की वसूली के प्रति कोई सबूत प्रस्तुत किया। इन 13 मामलों में से चार मामलों में निर्यातकों की निष्पादित एलयूटीज की वैधता भी समाप्त हो गयी थी। आरए, जयपुर में हमने देखा कि एयूटी रजिस्टर ठीक से नहीं बनाए गए थे जिसे दिनांक 30 मार्च 2009 की पीसी संख्या 76 (आरई 2008) 2004-09 के अनुसार अनुरक्षित किया जाना था। इसमें पूर्व वसूली वाले मामलों की मॉनीटरिंग के लिए अनुपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित किया। डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि आरए जयपुर ने फर्मों को वसूली के लिए पत्र भेज दिया था।

iii. इसी प्रकार, आरए, कोलकाता ने एमएलएफपीएस के अंतर्गत अमेरीका को एपेरल्स के निर्यात के लिए पूर्व वसूली आधार पर ₹ 25.27 लाख के लिए मै. राजीव डागा को छः हस्तांतरणीय शुल्क स्क्रिप्स (दिनांक 23 अप्रैल 2010 के संख्या 0210141151 से 0210141156) जारी किया।

हालांकि, स्क्रिप के करने की तिथि से 12 महीने बीत जाने के बावजूद भी फर्म ने बीआरसी प्रस्तुत नहीं किया, न ही इस संबंध में आरबीआई से विस्तार की अनुमति का दस्तावेज प्रस्तुत किया। आरए, कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

iv. आरए, कोलकाता के अन्य 10 मामले और आरए जयपुर तथा हैदराबाद द्वारा पूर्व वसूली मामलों के गैर मॉनीटरिंग के मामलों की सूची **परिशिष्ट 17** में दी गई है।

डीजीएफट, नई दिल्ली ने कहा (फरवरी 2014) कि मै. शिवम आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और मै. पंकज कुमार अग्रवाल ने बैंक वसूली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था और मै. लक्ष्मीनारायण उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और मै. मैथन एर्लावायज लिमिटेड से वसूली शुरू की गई है।

निर्यातक द्वारा शुल्क क्रेडिट का उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित दो मामलों में एफपीएस अनुज्ञप्ति आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त किए जाने हेतु गलत तरीके से अनुमत किए गए।

2.4.17 एफपीएस अनुज्ञप्ति से डेबिट करने के लिए क्लीन एनर्जी उपकर अनुमत किया गया।

अधिसूचना संख्या 3/2010 सीईसी दिनांक 22 जून 2010 में देश में उत्पादित कोयला पर 50/मी.टन की दर पर क्लीन एनर्जी सेस (सीईसी) के उद्ग्रहण का प्रावधान है। दिनांक 24 जून 2010 के कर अनुसंधान यूनिट (टीआरयू) के पत्र सं. 354/72/2010 टीआरयू के अनसुार सीईसी का भुगतान नकदी रूप में करना था। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 26/2010 केन्द्रीय उत्पाद (एनटी) दिनांक 29 जून 2010 में भी सीईसी के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग अनुमत करने के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2010 में प्रावधान था। टीआरयू के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी) के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) की विशेषताओं द्वारा आयातित कोयले पर सीईसी उगाही योग्य होगा। इस प्रकार, उल्लिखित प्रावधानों और एफपीएस के माध्यम से अदा किया गया। सीवीडी सेनवेट योग्य है, आयातित कोयले पर सीईसी का भुगतान भी नकद किया जाना है।

सीमाशुल्क भवन, कांदला में लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान दो निर्यातकों मै. वेल्सपन इंडिया लिमिटेड और मै.

बीजीएच एक्जिम लिमिटेड ने 13 परेषणों के माध्यम से कोयला आयात किया। यह देखा गया कि आयातकों द्वारा एफपीएस अनुज्ञप्तियों के शुल्क क्रेडिट का उपयोग करते हुए सीमाशुल्क का भुगतान किया था। हालांकि सीमाशुल्क डेबिट करते समय अनुज्ञप्ति से ₹ 30 लाख की सीईसी भी डेबिट की गई थी जबकि इसका नकद भुगतान किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.62 लाख के सीईसी के भुगतान हेतु एफपीएस अनुज्ञप्ति का उपयोग करने की गलत छूट दी गई **(परिशिष्ट 18)।**

सीमाशुल्क प्राधिकारी, कांदला ने अक्टूबर 2013 में फर्मों को वसूली नोटिस जारी किया।

2.4.18 ब्याज के भुगतान हेतु शुल्क क्रेडिट का उपयोग करने की गलत अनुमति

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.28(ii) एवं (v) के साथ पठित एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.11 के अनुसार अध्याय-3 के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का सीमाशुल्क के भुगतान के प्रति भी प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है यदि एफटीपी के अध्याय 4 और 5 के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्तियों के तहत निर्यात दायित्वों में चूक होती है। हालांकि जुर्माना/ब्याज का नकद भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आरए अहमदाबाद में मै. सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 46.63 लाख के शुल्क क्रेडिट सहित एमएलएफपीएस शुल्क स्क्रिप सं. 810103738 दिनांक 29 सितम्बर 2011 को जारी किया गया था। 23 सितम्बर 2011 से 08 अगस्त 12 के बीच उपरोक्त अनुज्ञप्ति को जारी छः संशोधन पत्रों के अनुसार हमने देखा कि निर्यातक ने पांच अग्रिम अनुज्ञप्तियों में चूक किया और इस चूक पर सीमाशुल्क/ब्याज देय था। आरए ने सीमाशुल्क का भुगतान एफपीएस अनुज्ञप्ति द्वारा अनुमत किया हालांकि, ब्याज वाला भाग भी जिसका नगद भुगतान किया जाना था, एफपीएस अनुज्ञप्ति में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट से डेबिट किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.36 लाख की सीमा तक एफपीएस अनुज्ञप्ति का उपयोग करने की गलत अनुमति दी गई। आरए, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और वसूली पत्र जारी किए।

2.4.19 बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना सहित केन्द्रित उत्पाद योजना पर निष्कर्ष

13 आरएज में एफपीएस की लेखापरीक्षा से शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्रों और उनके समुचित उपयोग के मुद्दो से संबधित परिचालन के साथ साथ प्रणालीगत

खामियों का पता चला। मुख्यत: में यह दस्तावेजों की अपर्याप्त संवीक्षा, अयोग्य माल पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी, गलत दर लगाने, माल के विवादित वर्गीकरण/विवरण के मामले में अन्य एजेंसियों के साथ कमजोर सलाह, अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर शुल्क क्रेडिट की मंजूरी और मामलों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग जहाँ पूर्व वसूली आधार पर अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे, से संबंधित हैं। उपरोक्त कमियों से उद्देश्य और लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जिसके लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना बनाई गई थी।

2.5 विशेष कृषि एवं ग्रामउद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) इत्यादि

निर्धारण अधिकारी, चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय ने वेयरहाउस में रखे गए माल की देरी से मंजूरी पर ब्याज की वसूली नहीं की।

अधिसूचना संख्या 18/2003 सीमाशुल्क (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2003 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 की उपधारा 2(ii) के अनुसार,शुल्क के भुगतान की तिथि तक नब्बे दिनों की समाप्ति की अवधि हेतु वेयरहाउस में रखे गए मालों की मंजूरी के समय निर्धारित शुल्क पर 15 प्रतिशत पर ब्याज देय होगा।

उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 26/2007 सीमाशुल्क दिनांक 20 जुलाई 2007 में स्पष्ट किया कि शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) स्क्रिप के अन्तर्गत डेबिट करके शुल्क के भुगतान पर मंजूर वेयरहाउस के संबंध में भी डेबिट किए गए ऐसे शुल्क पर ब्याज प्रभार्य होगा जहाँ तक सेनवेट क्रेडिट के समय शुल्क का नकद भुगतान किया गया हो अथवा शुल्क ड्राबेक् समान रूप से उपलब्ध हो उस माल के सममूल्य पर डीईपीबी स्क्रिप के तहत सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क डेबिट किया जाता है जहाँ शुल्क का नगद भुगतान किया गया था।

2.5.1 मै. अशोक लीलैंड लिमिटेड, और कई अन्य ने डीईपीबी सहित विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप डेविट करते हुए सीमाशुल्क के भुगतान पर निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालयों के माध्यम से वेयरहाउस में रखे गए मालों के 188 परेषणो की मंजूरी दी (फरवरी से नवम्बर 2011)। हालांकि विलम्बित मंजूरी हेतु वेयरहाउसिंग ब्याज का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.54 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नही किया गया।

चेन्नई (समुद्री) आयुक्तालय ने 58 खेपों में ₹ 22.12 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2013)।बाकी परेषणों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

क्षेत्रीय लाइसिंग प्राधिकारी कोलकाता ने स्क्रिप से गलत सीमाशुल्क डेबिट किया जिससे लाइसेंसधारी को ₹ 10.67 लाख तक को लाभ हुआ।

2.5.2 एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.17.5 के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के अध्याय 3(प्रोत्साहन उपायों) के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (लाइसेंसेज) जैसे सवर्ड फ्राम इंडिया स्क्रीम (एसएफआईएस) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) केन्द्रीय बाजार योजना (एफएमएस) केन्द्रित उत्पाद योजना(एफपीएस) बाजार से जुड़ी केन्द्रित उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) और स्टेट्स होल्डर्स प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) किसी मुक्त आयातयोग्य माल और पूंजीगत मालों के आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि पद्धतियों की हस्तपुस्तिका (एचबीपी) भाग 1 के परिशिष्ट 37 बी में सूचीबद्ध मदों के आयात पर शुल्क ऐसे लाइसेंसो से डेबिट करने की अनुमति नही दी जाएगी।

मै. जजोदिया एक्सपोर्स्, कोलकाता और तीन अन्य में सीमाशुल्क भवन, कोलकाता पत्तन आयुक्तालय के माध्यम से विशेष रूप से कृषि सिंचाई के लिए 'वाटरपम्प सेट्स /हार्वेस्टर्स /थ्रेसर्स का आयात किया था जिस पर वीकेजीयूवाई/एफपीएस लाइसेंसों के प्रति डेबिट द्वारा 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमाशुल्क आवयव को छोड़कर पूरे सीमाशुल्क का भुगतान किया गया था, सभी एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी किए गए।

हालांकि, चूंकि सिंचाई पम्प/हार्वेस्टर्स/ट्रैक्टर्स/थ्रेसर्स को उल्लिखित परिशिष्ट 37 बी में शामिल किया गया है, वे एफटीपी के अध्याय 3 के तहत जारी किसी भी स्क्रिप्स के प्रति निर्यात शुल्क डेबिट करने हेतु योग्य नहीं है। तदनुसार वीकेजीयूवाई/एफपीएस लाइसेंसो के प्रति सीमाशुल्क का डेबिट गलत था। इसके कारण ब्याज सहित ₹ 2.10 करोड़ राशि के सीमा शुल्क की वसूली नहीं हुई जो वसूली योग्य है।

सहायक आयुक्त (आंतरिक लेखपरीक्षा विभाग) कोलकाता ने बताया (जून 2013) कि मै. जजोदिया एक्पोटर्स, कोलकाता को मांग नोटिस जारी कर दिया है। अन्य आयातकों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

अध्याय III
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत सरकार के पास या तो पूर्णत: अथवा ऐसी शर्तों के विषयगत जैसा कि अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट किया जाए, किसी माल पर देय पूरे सीमाशुल्क या इसके किसी भाग का छूट देने की शक्ति होती है। मई 2009 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ओभिलेखों की संवीक्षा से संज्ञान में आए (जुलाई 2010 से जून 2013) छूट की गलत मंजूरी के कारण कुल ₹ 89.31 करोड़ शुल्क की गैर उगाही/कम उगाही/अधिक उगाही के कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने कपड़ा वस्तुओं पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क से गलत छूट अनुमत किया।

3.1 आठ अप्रैल 2011 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2011 में उत्पाद (विशेष महत्व वाले समान) अधिनियम, 1957 के अतिरिक्त शुल्क की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल कथित अधिनियम की परिधि से हटा दिए गए थे। फलस्वरूप ये माल दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क के क्रमांक 50 के अतर्गत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क की उगाही से छूट प्राप्त थे जो दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 19/2006 सीमाशुल्क के अनुसार चार प्रतिशत शुल्क देया था।

चेन्नई (समुद्री), आयुक्तालय, जेएनसीएच मुम्बई, कोलकाता (हवाई एवं पत्तन) आयुक्तालयों के माध्यम से मै. श्री बाहुबली इंटरलिनिंग्स एवं अन्य के द्वारा आयातित (अप्रैल 2011 से मार्च 2013) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व वाले सामान) अधिनियम , 1957 की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र सामानों के कई परिषणों को अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क और अधिसूचना सं. 21/2012-सीमाशुल्क (क्रमांक 12) के क्रमांक 50 के अनुसार विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्कों की उगाही से गलत छूट अनुमत किया गया थ। जबकि ये अप्रैल 2011 से प्रभावी कथित पहली अनुसूची से हटा दिए गए थे। अधिसूचना सं. 20/2006 और 21/2002 के अन्तर्गत अनुमत छूट गलत थी और अधिसूचना सं.19/2006 के अनुसार एसएडी की उगाही की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.10 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही हुई।

उपायुक्त, सीमाशुल्क , चेन्नई (पत्तन) ने बताया (दिसम्बर 2012 से अप्रैल 2013) कि पाँच आयातकों से ₹ 0.70 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.22 लाख की आंतरिक वसूली की गई और मै. सीबी एक्सपोर्ट, तिरूपुर को मांग नोटिस जारी किया गया। अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014) ।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात मुम्बई पत्तन से भी किए गए थे जिसे 16 मार्च 2012 तक प्रभावी अधिसूचना सं. 20/2006 दिनांक 1 मार्च 2006 के तहत तथा 17 मार्च 2012 से अधिसूचना सं. 21/2012 सीमाशुल्क के क्रमांक 12 के अनुसार गलत छूट अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से देखी गई कम उगाही, यदि कोई हो, के साथ ही सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने आयतों पर अधिक शुल्क वसूल किया।

3.2 अधिसूचना संख्या 51/96 सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई 1996 के अनुसार सार्वजनिक निधि वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा आयातित माल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत वसूली योग्य सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दिया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एसीसी, बैगलुरू के माध्यम से सार्वजनिक निधि वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा उल्लिखित अधिसूचना के प्रावधानों उल्लंघन में चार प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.79 करोड़ के सीवीडी की अधिक उगाही हुई।

इसे जून 2013/नवम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने 'विंडमिल बीम्स' को गलत छूट अनुमत किया।

3.3 'विड परिचालित इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, विंड टर्बाइन कंट्रोलर और रोटर सहित इसके पुर्जे और इसके भाग' दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006 सीई (क्रमांक 84, सूची 5 क्रम 13) के तहत अतिरिक्त

सीमाशुल्क की उगाही से छूट प्राप्त हैं। 'विडंमिल बीम्स' सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 8503 के तहत आने वाले इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर का भाग नहीं है इसलिए यह अतिरिक्त छूट के लिए योग्य नहीं है। इसके बावजूद वे ढाँचों में प्रयोग हेतु बने बीम्स, चैनेल, पिलर्स के रूप में सीटीएच 7308 के तहत विशेष वर्गीकरण है और 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क उदग्रहणीय है।

मै. वेस्टास विड टेक्नालॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा दो अन्य द्वारा चेन्नई (समुद्री)/गुजरात आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (जनवरी से नवम्बर 2011) विंडमिल के लिए विंडमिल बीम्स /टावर सेक्शन के 45 खेपों को विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर का भाग मानते हुए उल्लिखित अधिसूचना के तहत अतिरिक्त शुल्क से गलत छूट अनुमत किया गया था।

विंडमिल बीम्स को विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे टर्बाइन जेनरेटर के भाग के रूप में कार्य नहीं करते और इसका संचालनात्मक और मैकेनिकल से काई लेना देना नहीं है। तदनुसार, आयातित वस्तुएं अतिरिक्त शुल्क से छूट हेतु योग्य नहीं है। सीटीएच 7308 के तहत 10 प्रतिशत की दर से शुल्क देय था। समान मुद्दे पर न्यायिक निर्णय भी आया कि विंडमिल टावर्स का वर्गीकरण्र सीटीएच 7308 के तहत किया जाता है और ये विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर के भाग नहीं हैं। (संयुक्त राज्य अंतराष्ट्रीय कमीशन,रूलिंग सं. एचक्यू 964757 दिनांक 25 सितम्बर 2001)। इस प्रकार गलत छूट मंजूर करने से ₹ 1.50 करोड़ की कम वसूली हुई।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2012/जून 2013) विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, तत्पश्चात लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि अन्य आयातकों (मैं गमेसा विंड टर्बाइन लिमिटेड और मै. आरआरबी एनर्जी लिमिटेड) द्वारा समान आयात (अप्रैल से नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने मांग नोटिस जारी किये थे। आगे की प्रगति अपेक्षित थी। (मार्च 2014)।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात मुंबई और कर्नाटक के विभिन्न पत्तनों से भी किए गए थे और जाहिर तौर पर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत गलत छूट मंजूर किया गया जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा देखी गई कम उगाही यदि कोई हो, के साथ उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डाई अमोनियम फास्फेट (डिएपी) को गलत छूट अनुमत किया।

3.4 अधिसूचना संख्या 4/2006 सीई दिनांक 1 मार्च 2006 (क्रमांक 63) के अनुसार "उनके अलावा सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग (सीईटीएच) के तहत वर्गीकृत माल जो (क) उर्वरक के रूप में अथवा (ख) प्रत्यक्ष या माध्यमिक उत्पाद के स्तर के माध्यम से अन्य उर्वरकों के निर्माण में स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है।" उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। इसके अलावा अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क के क्रमांक 4 के अनुसार, उर्वरक बनाने के लिए उर्वरक और अन्य माल विशेष, अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध बी के साथ पठित निर्यात नीति के लिए आईटीसी एचएस निर्यात अनुसूची 2 की तालिका बी को क्रमांक 130 'डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी)' पर निर्यात प्रतिबंध लगाता है। हालांकि डीएपी के विनिर्दिष्ट निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें अपना स्वयं के निर्मित डीएपी का निर्यात अनुमत होगा बशर्ते कि विभाग को एक प्रमाणपत्र के साथ यह सूचना देना होगा कि किसी सब्सिडी का दावा नहीं किया गया है।

मै. मोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसार सीवीडी और एसएडी से छूट लेते हुए रियायती दर के सीमाशुल्क के भुगतान पर सीमाशुल्क भवन (जामनगर) के माध्यम से आयातित[10] डीएपी (सीटीएच 31053000) की दो परेषणों की मंजूरी दी गई (मई 2009/दिसम्बर 2010)। लेखापरीक्षा ने देखा कि :-

(i) आयातक द्वारा की गई घोषणा (फरवरी 2010) के अनुसार आयातित डीएपी को पुर्निर्यात करना बताया गया न कि उर्वरक के रूप में उपयोग करना।

---

[10] एंट्री बिल (बीई) सं. 8 दिनांक 28 मई 2009 (2640 एम.टी.) सीमाशुल्क भवन (सीएच) जामनगर पर घरेलू उपयोग हेतु फाइल किया गया था। बीई सं. एफ –डब्ल्यू /एच-01 दिनांक 4 जुलाई 2009 (2199.58 एम.टी.) को सीएच जामनगर पर वेयर हाउसिंग के लिए फाइल किया गया था जो दिनांक 1 दिसम्बर 2010 के पूर्व बांड बीई सं. 1 /ईबी/10-11 द्वारा आयातकों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद (एआर –V जामनगर) के माध्यम से बाद में मंजूरी दी गई।

(ii) उर्वरक विभाग (नई दिल्ली) ने आयातित डीएपी के निर्यात हेतु आयातक को इस आधार पर अनुमति दी (सितम्बर 2010) कि आयातक ने आयातित डीएपी पर छूट का दावा नहीं किया जबकि निर्यात नीति में केवल सूची बी में सूचीबद्ध निर्यातकों द्वारा निर्मित डीएपी का निर्यात ही अनुमत है।

मौजूदा मामले में आयातक ने डीएपी का आयात करते समय रियायती शुल्क दर का लाभ लिया था, जबकि पुनर्निर्यात के उद्देश्य से किए गए आयात एक्जिम नीति के उल्लंघन में उर्वरकों के निर्माण में उपयोग नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त आयात को एक्जिम नीति की निर्धारित निर्यात सूची बी में निर्माता के रूप में शामिल नहीं किया था। इन दो प्रतिबन्धों को दोनों विभागों (उर्वरक सीमाशुल्क विभाग) द्वारा डीएपी का गलत निर्यात अनुमत करने से पूर्व ध्यान में नहीं लिया गया। इस प्रकार, गलत छूट की मंजूरी के परिणमस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

अधीक्षक (केंद्रीय उत्पाद रेंज-V), जामनगर ने कहा (जून/जुलाई 2011) कि केंद्रीय उत्पाद अधिसूचना सं. 4/2006 (क्रमांक 63) और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 20/2006 (क्रमांक 4) में सीवीडी और एसएडी से उर्वरकों को पूर्णत:छूट प्राप्त है और चूंकि डीएपी एक उर्वरक है, छूट मान्य थी।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि चूंकि मालों को उर्वरक के उद्देश्य से उपयोग करने के बजाए पुननिर्यात किया गया था, उल्लिखित अधिसूचना के अंतर्गत लाभ मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातित डीएपी का निर्यात अनुमत करना भी सही नहीं था क्योंकि आयातक न तो सूचीबद्ध डीएपी निर्यातक (एक्जिम नीति की अनुसूची 2 के अनुसार) था, न ही इसने अपनी बनी डीएपी का निर्यात किया।

सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) जामनगर ने बताया (सितम्बर 2011) कि आयातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा था और केंद्रीय उत्पाद के अधीक्षक को धनराशि की वसूली हेतु कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

इसी बीच आयुक्त (अपील), राजकोट ने ₹ 30 लाख की पूर्व जमा राशि जमा न करने के आधार पर आपत्ति वाली राशि की वसूली की पुष्टि करते हुए (सितम्बर 2011) उपायुक्त (केन्द्रीय उत्पाद) जामनगर द्वारा मूल रूप से पारित आदेश के प्रति आयातक की अपीलों को अस्वीकार कर दिया (फरवरी/मार्च 2012)। तत्पश्चात आयातक ने सेसटैट (अहमदाबाद) में एक अपील दाखिल किया जिसने इसे ₹ 1 लाख का पूर्व जमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2012) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी मामले

को क्रमिक आधार पर निपटाने का निर्देश दिया । आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डीवीडी के पुर्जों को गलत छूट अनुमत किया।

3.5 डीवीडी के पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 85229000 के तहत वर्गीकरणीय हैं जो सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 25/2005 दिनांक 1 मार्च 2005 (क्रमांक 11) के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से छूट हेतु योग्य नहीं हैं। इन पुर्जों के आयात पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी देय है।

मै. सिद्धि इंटरप्राइजेज़ और मै. केटमैन ट्रेडर्स ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से ₹ 2.87 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 'डीवीडी पुर्जों' के नौ परेषणो का आयात किया (फरवरी से अगस्त 2012)। निर्धारण अधिकारी ने 'टेलीफोन आंसरिंग मशीनों के लिए प्रिन्टेड सर्किट असेम्बल्स' के रूप में मानते हुए उन पर उल्लिखित अधिसूचना के अंतर्गत बीसीडी से गलत छूट अनुमत किया, जबकि आयातित माल डीवीडी के पुर्जे थे और ऐसे छूट के लिए योग्य नहीं थे। इसके कारण ₹ 34.18 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

मंत्रालय ने मै. केटमैन ट्रेडर्स से ₹ 5.08 लाख की वसूली और मै. सीद्धि इंटर प्राइजेज को बचाव मांग जारी करने की सूचना दी (अगस्त 2013)।

इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात दिल्ली और तमिलनाडु के विभिन्न पत्तनों से भी किए गए थे जिसमें गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से देखी गई कम उगाही यदि कोई हो, के साथ ही सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी, कोलकता (पत्तन) ने पुनर्आयातित मालों का गलत छूट अनुमत किया।

3.6 अधिसूचना सं. 158/95 सीमाशुल्क दिनांक 14 नवम्बर 1995 के प्रावधान के अनुसार निर्यातित मालों के पुनर्आयात को मरम्मत या सुधार हेतु निर्यातीकरण की तिथि से तीन वर्षों के भीतर सम्पूर्ण सीमाशुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की वूसली से छूट होगा बशर्ते कि आयातक पुनर्आयात की

तिथि से छः महीनों के भीतर मरम्मत के बाद कथित माल के पुनर्निर्यात की घोषणा करते हुए एक बांड भरें। निर्धारित समय के अंदर इनके पुनर्निर्यात में विफल होने के मामले में आयातक से पुनर्आयात के समय वसूले गए शुल्क तथा आयात के समय लेकिन छूट के लिए ऐसे माल पर देय शुल्क के बीच की बराबर राशि देय होगा।

मै. टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ने 'एलयूमिनियम समेल्टर हेतु मशीनरी पुर्जों' का पुनर्आयात किया (जून 2010), जिसे उल्लिखित अधिसूचना के तहत भुगतान के बिना मरम्मत हेतु सीमाशुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से अगस्त 2009 में पहले निर्यात किया गया था। उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में आयातक द्वारा दिए गए स्थायी शुल्क (पीडी) बांड को आयातक द्वारा प्रस्तुत (नवम्बर 2010) पुनर्निर्यात दस्तावेजों के आधार पर विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया (फरवरी 2011)। हालांकि शिपिंग बिल जिसके माध्यम से माल पुनर्निर्यात किए गए थे, की संवीक्षा से पता चला कि पुनर्निर्यातित माल आयातित मालों के समान नहीं थे। बल्कि पुनर्आयातित मालों के प्रतिस्थापन के रूप में आपूर्त किए गए थे जो शिपिंग बिल पर आयातक की घोषण से सुस्पष्ट था। इस प्रकार, मरम्मत के बाद आयातित मालों का पुनर्निर्यात करने के लिए अधिसूचना संख्या 158/95 की अभी भी नहीं पूरी हुई जिसके लिए आयातक से ₹ 12.43 लाख की शुल्क छूट लाभ राशि की वसूली की जानी थी।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क भवन, कोलकाता ने रिपोर्ट (दिसम्बर 2012) किया कि लागू ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान हेतु आयातक को एक मांग नोटिस जारी कर दिया गया था (दिसम्बर 2012)।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात ऑकड़ो के विश्लेषण से पता चला कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा कर्नाटक के विभिन्न बन्दरगाहों से इसी तरह का आयात किया गया तथा उपरोक्त अधिसूचना के तहत स्पष्टतया गलत छूट को मंजूरी दी गई जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

तदनुसार मंत्रालय को कम उद्ग्रहण की वसूली, यदि कोई पाई गई हो, तो उसके अलावा ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया था (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए गलत तरीके से छूट को मंजूरी दी।

3.7 दिनांक 31 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. की क्रम संख्या 552 तथा 555 के अनुसार, सीटीएच 28230010 के तहत आने वाली 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' तथा सीटीएच 32061110 के तहत वर्गीकरण योग्य 'पर्ल सेट पीगमेन्ट (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)' शुल्क की रियायती दर के योग्य नहीं है। इसके अलावा, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त उत्पाद के बारे मे सूचना से पता चला कि 'होमबिटन' वर्णन के तहत मदें कुछ भी नही अपितु 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' रसायन है।

मै. सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्यों ने जेएनसीएच, मुम्बई, कोलकाता (पोर्ट) तथा कस्टम हाउस, कोच्ची के माध्यम से 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के 15 कन्साइन्मेंट का आयात किया (अगस्त 2009-जून 2012)। इनमें से, दो के संदर्भ में प्रविष्टि बिलों (बीएसई) ने 'होमबिटन' के रूप में मद विवरण तथा 'टाईटेनियम डाईऑक्साइड' के रूप में अन्यों को दर्शाया। इस माल को सीटीएच 28230010/32061190 के तहत गलत वर्गीकरण किया गया तथा दिनांक 31 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 –सीमाशुल्क के तहत शुल्क की रियायती दर को निर्धारित किया गया, भले ही आयातित माल शुल्क की रियायती दर का पात्र नहीं है। इस प्रकार, रियायती लाभ के गलत विस्तार के कारण ₹ 10.80 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त, आईएडी (आयात), जेएनसीएच ने सूचित किया (दिसम्बर 2010/अप्रैल 2013) कि पांच बीएसई के संदर्भ में, आयातकों से ₹ 3.41 लाख की राशि की वसूली की गई तथा एक मामले में मांग नोटिस भी जारी किया गया। शेष बीएसई के संदर्भ में स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात ऑकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि मुम्बई तथा दिल्ली के बंदरगाहों से इसी प्रकार का आयात किया गया तथा अधिसूचना लाभ को मंजूरी देते हुए सीमाशुल्क की रियायती दर पर अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

तदनुसार, मंत्रालय को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा कम उद्ग्रहण की वसूली यदि कोई पाई गई हो, उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया था (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (2014 मार्च 2014)।

अध्याय –IV

सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

अप्रैल 2008 से फरवरी 2013 की समयावधि के रिकार्ड की नमूना जांच (जून 2011 से मार्च 2013) में, हमने ₹ 86.53 करोड़ के राजस्व वाले सीमा-शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए। वे निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

निर्धारण अधिकारी ने भारत में खतरनाक इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट की निकासी की मंजूरी दी जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है।

4.1 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियम 2008 (24 सितम्बर, 2008 से प्रभावी), खतरनाक कचरे (प्रबंधन, हैंडलिंग तथा सीमा-पार आवागमन) के नियम 13 के अनुसार, भारत में किसी अन्य देश से खतरनाक कचरे के आयात को निपटान के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, इसकी अनुसूची-IV में वर्णित को छोड़कर इस प्रकार के आयात को रीसायकल, वसूली अथवा पुन: उपयोग के लिए संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ मंजूर किया जाना चाहिए। अवैद्य रूप से आयातित इस तरह के किसी माल को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नियम-17) के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भारत में आगमन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आयातक द्वारा पुन: निर्यातित किया जाना चाहिए।

रीसाइक्लिंग, वसूली तथा पुन: उपयोग हेतु ए 1180 एवं बी 1110 पर उपरोक्त वर्णित नियमों की अनुसूची -III के भाग-ए तथा भाग-बी के तहत सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक असेम्बलियों तथा उनके कचरे के आयात को आयात के लिए विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) से एक लाइसेंस तथा नियम-14 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09/2009-14 के पैरा 2.17 के अनुसार, सभी सेकंड हैंड निजी कम्प्यूटर/लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, डीजल जेनेरटिंग सेट का केवल डीजीएफटी द्वारा जारी एक लाइसेंस के प्रति आयात किया जा

सकता था। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने भी उपरोक्त वर्णित नियमों के तहत जारी एमओईएफ के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर (दिनांक 24 अगस्त, 2009, 15 अक्तूबर 2009 तथा 3 दिसम्बर 2009 का पत्र तथा दिनांक 4 जुलाई 2011 की परिपत्र संख्या 27/2011-सीमाशुल्क) निर्देश जारी किए थे।

मै. भवानी एन्टरप्राईजेज तथा 89 अन्यों ने ₹ 32.37 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य को शामिल करते हुए सीमाशुल्क (पोर्ट) आयुक्तालय, कोलकाता के माध्यम से पुराने तथा उपयोग हुए कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क, फोटोकॉपी, प्रिंटर, प्रिटिंग मशीन, कलर प्रिटिंग मशीन तथा पेपर कटिंग मशीन आदि के 185 कन्साइन्मेंट को पुन: उपयोग के लिए आयात (अक्तूबर 2008 तथा जुलाई 2011 के बीच) किया। माल को उपरोक्त वर्णित नियम 2008/एफटीपी के तहत अपेक्षित के रूप में डीजीएफटी से एमओईएफ अनुमति तथा वैद्य लाइसेंस के बिना आयात किया गया तथा तदनुसार सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जब्त किया गया।

ऐसी 24 केस फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से डीजीएफटी से एफओईएफ अनुमति तथा लाइसेंस के अभाव की पुष्टि हुई, जबकि लेखापरीक्षा को शेष आयात मामलों की फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई। इस माल के पुन: निर्यात के बावजूद, विभाग ने शुल्क के भुगतान पर ऐसे सभी आयातित माल की निकासी की मंजूरी दी जिससे खतरनाक इलेक्ट्रोनिक माल के आयात पर उपरोक्त वर्णित प्रतिबंधक खंड/निषेद्य का उल्लंघन हुआ और पर्यावरण के संरक्षण हेतु खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंध, हैंडलिंग तथा सीमा-पार आवागमन) नियम, 2008 बनाने के एमओईएफ के उद्धेश्य को असफलता मिली।

सीमाशुल्क उप-आयुक्त,कस्टम हाउस, कोलकाता ने कहा (अक्तूबर 2011) कि दिनांक जुलाई 2011 के सीबीईसी परिपत्र जारी होने के पश्चात ऐसे आयात को नामंजूर किया गया परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम 2008 तथा इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के निर्देशों के होने के बावजूद सीबीईसी परिपत्र जारी होने की तिथि से पूर्व कथित आयात की मंजूरी के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

तथ्य यह है कि सीमाशुल्क अधिकारी (सीबीईसी) तथा राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वय के अभाव के कारण ₹ 32.37 करोड़ के मूल्य

के खतरनाक अपशिष्ट के आयात को मंजूरी दी गई जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च, 2014)।

ईडीआई प्रणाली के गलत अद्यतन के परिणामस्वरूप सीवीडी का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.2 वित्त विधेयक 2012 लोकसभा में 16 मार्च 2012 को प्रस्तुत किया गया। जैसाकि उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क दर में परिवर्तन यदि कोई हो, तो उसे वित्त विधेयक प्रस्तुत करने अर्थात् 16 मार्च 2012 की मध्य-रात्री से प्रभावी किया जाना था। इसलिए, यदि उत्पाद शुल्क दर में कोई परिवर्तन था तो वह सामान्य रूप से 17 मार्च 2012 से प्रभावी होगा जब तक कि वित्त विधेयक 2012 के प्रावधान की किसी अधिसूचना अथवा भाग के रूप में अन्यथा न कहा गया हो।

भारत सरकार ने दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 18/2012-सीई के अनुसार टैरिफ शीर्षक 8607, 8608 तथा 8609 के तहत आने वाले सभी माल के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीवीडी) की दर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ाया। बाद में, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक 2012 को 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुई।

मई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज, एनसीएच, दिल्ली, कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयरपोर्ट), कस्टम हाउस, कोच्ची तथा वाइटफील्ड –बैंगलोर, एयर आयुक्तालय, देवनहल्ली से संबंधित प्रविष्टि बिल तथा आयात/निर्यात आंकड़ों से पता चला कि विभिन्न आयातकों ने सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 8607-रेलवे के भागों अथवा ट्रामवे इंजनों अथवा रोलिंग स्टॉक, 8608 रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर तथा फिटिंग, यांत्रिक सिगनल और सीटीएच 8609 कंटेनर हेतु विशेष रूप से डिजाइन तथा सुसज्जित कंटेनर के तहत आने वाली विभिन्न मदों का आयात किया। आयातित माल को उपरोक्त वर्णित वित्त अधिनियम के तहत 12 प्रतिशत दर की बजाय 6 प्रतिशत दर पर निर्धारित किया गया।

इसके अलावा, यह देखा गया कि यद्यपि उपरोक्त आयुक्तालय ने 17 मार्च 2012 से 27 मई 2012 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि दर पर सीवीडी का उद्धग्रहण किया तब भी इसे 28 मई 2012 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् गलत तरीके से 6 प्रतिशत तक कम किया गया। इस प्रकार, विभाग द्वारा आईसीईएस डाटाबेस में अधिसूचना निर्देशका के गलत अद्यतन के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 30.17 करोड़ के शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

आईसीडी के उप सहायक आयुक्त, तुगलकाबाद, पटपड़गंज तथा एनसीएच कस्टम हाउस, नई दिल्ली ने ₹ 7.34 लाख ब्याज सहित ₹ 1.86 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अप्रैल/मई 2013)। अन्य आयुक्तालयों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2014)। अधिसूचना निर्देशिका के त्रुटिपूर्ण अद्यतन के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर अस्वीकार्य शिक्षा उपकर लगाया।

4.3 दिनांक 22 जून 2010 की अधिसूचना संख्या 03/2010-सीईसी ने कोयले के आयात पर ₹ 50 प्रति मीट्रिक टन की प्रभावी दर पर 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' के उद्धग्रहण की व्यवस्था की।

इसके अलावा, दिनांक 22 जून 2010 की दोनों अधिसूचना संख्याओं 28/2010-सीई तथा 29/2010-सीई ने शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर के उद्धग्रहण से इस 'स्व्च्छ ऊर्जा उपकर' को छूट दी। परिणामस्वरूप, शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर को कोयले के आयात पर सीमा शुल्क (कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) तथा 3(3) के तहत उद्धग्राह्य) के अतिरिक्त शुल्क के रूप में भुगतानयोग्य 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' पर छूट दी गई।

कांडला आयुक्तालय के अधिकार-क्षेत्र के तहत आने वाले कस्टम हाउस (एमपी एवं सेज), मुद्रा तथा कांडला पर, कोयले का आयात उपरोक्त छूट अधिसूचना का उल्लं घन करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा/उच्च शिक्षा उपकर के

अधीन था। 260 प्रविष्टि बिलों की नमूना जॉच के संदर्भ में शिक्षा उपकर/उच्च शिक्षा उपकार के अतिरिक्त उद्धग्रहण की राशि ₹ 15.30 करोड़ थी।

सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त कांडला ने कहा (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012) कि रिमोट ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस 1.5) जो स्वयं शिक्षा उपकर की गणना करता है, में त्रुटि के कारण उपकर का अतिरिक्त उद्धग्रहण हुआ तथा इसे सिस्टम से डिलीट करने के लिए उनके कार्यालय में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। आगे यह कहा गया (अप्रैल 2012) कि सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क पर उपकर को बजट परिवर्तनों (2012-13) के लागू होने के पश्चात् हटा दिया गया है और इसलिए अतिरिक्त शुल्क पर उपकर की अब गणना नहीं की जा रही है।

निदेशक (आईसीडी), वित्त मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2014) कि स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर को आईसीईएस 1.5 में अभिकलन तर्क के परिवर्तन के पश्चात् 18 मार्च 2012 से एकत्र नहीं किया जा रहा था। आगे यह कहा गया कि महानिदेशक (सिस्टम) को ऐसे मामलों से बचने के लिए प्रचलित कानूनी अवस्था के साथ आईसीईएस की अनुकूलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

लेखापरीक्षा का मत था कि यह अनियमितता महानिदेशक (सिस्टम) नई दिल्ली द्वारा आईसीईएस 1.5 के अद्यतन की कमी के कारण हुई तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा जून 2011 से इस मामले को बताया जा रहा था।

आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा तूतीकोरिन आयुक्तालयों के माध्यम से आयातित कोयले के 475 प्रेषणों में, सीमाशुल्क के रूप में देय स्वच्छ ऊर्जा उपकर पर शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर लगाया गया है।

तदनुसार मंत्रालय को कम उद्धग्रहण की वसूली यदि कोई पाई गई हो, तो उसके अलावा ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने लागू एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।

4.4 दिनांक 24 अगस्त 2011 की अधिसूचना संख्या 81/2011-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 3 के अनुसार, यदि उदगम देश चीन पीआर हो तथा निर्दिष्ट रूप को छोड़कर किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित हो तथा भारत को निर्यात किया गया हो तो 'पोलीटेटराफ्लूरोएथेलिन (पीटीएफई) पर US$ 3.87 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) उद्ग्रहाय है।

मै. ब्लास्ट कार्बोब्लॉक प्रा. लि. तथा तीन अन्यों ने जेएनसीएच, मुम्बई, चेन्नई (समुद्र), एयर कस्टम कार्गो अहमदाबाद, आईसीडी, कोडियार (गुजरात) तथा आईसीडी, दादरी के माध्यम से चीन पीआर में उत्पादित तथा निर्यातित 'पीटीएफई' के 31 प्रेषणों का आयात किया था। विभाग ने एन्टी डंपिंग शुल्क लगाए बिना आयातित माल की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़ के एन्टी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

सहायक आयुक्त आईएडी (आयात), जेएनसीएच ने ₹ 9.64 लाख की राशि के लिए मै. ब्लास्ट काब्रोरलोक्स प्रा. लि. तथा मै. कोटा इंडस्ट्रिज प्रोडक्ट प्रा. लि. को मांग नोटिस जारी करने की सूचना दी (अप्रैल 2012)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी तैनात सीमा-शुल्क कर्मचारियों के लिए लागत वसूली प्रभार की उगाही करने में विफल रहा।

4.5 दिनांक 15 जून 1995 के परिपत्र संख्या 68/95-सी.शु. के पैराग्राफ 3 के अनुसार, किसी निजी वेयरहाउस के लिए लाइसेंस को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के तहत इस शर्त पर मंजूरी दी जा सकती है कि यदि सीमा शुल्क अधिकारी की सेवाएं निरंतरता के आधार पर अपेक्षित हो अथवा मर्चेन्ट ओवरटाइम (एमओटी)/पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, उसमें आवेदक लागत-वसूली (सीआरओ) आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों की सेवाएं लेने के लिए सहमत हो।

विनियमन 1998 का विनियम 2 (सी) (ii) (सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा सेवाएं देने के लिए फीस) अनुबंधित करता है कि एक एमओटी फीस को

आयातक/निर्यातक/निर्धारिती जो 'सीमा-शुल्क क्षेत्र' से अधिक अथवा 'सीमा-शुल्क क्षेत्र' के अन्दर 'वर्किंग आर' के पश्चात् सीमा-शुल्क अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठा रहा है, द्वारा निर्धारित दरों पर लिया तथा उसका भुगतान किया जाना चाहिए। सामान्य सीमा शुल्क कार्य के लिए सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में निर्धारित कार्य घंटे के रूप में विनिमय-2 (डी) के अंतर्गत 'कार्य घंटे' को किया गया है।

4.5.1 कोलकाता एयरपोर्ट आयुक्तालय के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग, एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता में रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनएससीबीआई एयरपोर्ट पर स्थिति मै. फलेमिंगो ड्यूटी फ्री शॉप प्रा. लि. के दो निजी बांडेड वेयरहाउस के साथ-साथ शुल्क मुक्त शॉप (डीएफएस) से शुल्क मुक्त आयातित माल के संग्रहण तथा बिक्री की मॉनीटरिंग के लिए पूरे समय हेतु नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में लागत वसूली प्रभार की लाइसेंस धारकों से वसूली नहीं की जा रही थी। प्रारंभिक रूप से, लाइसेंस धारक ने शर्त 15 के तहत दिए कार्य के अनुसार दिसम्बर 2009 तक की एमओटी फीस का भुगतान किया परन्तु उस पर एमओटी फीस के बजाय सीआरओ प्रभारों के भुगतान के लिए अनुरोध किया। तथापि, लाइसेंस धारक से जनवरी 2010 के बाद से न तो सीआरओ प्रभार न ही एमओटी फीस एकत्रित की गई। जैसाकि सीमा शुल्क कर्मचारियों ने डीएफएस को हर समय पर्यवेक्षित किया तथापि, दी गई सेवाओं की लागत को कार्य घंटों से अधिक अवधि के लिए सीआरओ आधार पर संग्रहित किया जाना था जिसे इस मामलें में विभाग द्वारा (अक्तूबर 2012) सुनिश्चित एनएससीबीआई, एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में उल्लखित रूप में अथवा तैनात कर्मचारियों के लिए कार्य घंटों का वर्णन करने वाले आयुक्त के किसी निर्देश के अभाव में केन्द्रीय सरकारी अधिकारी के मौजूदा सामान्य कार्य घंटों (10.00 पूर्वाहन से 6.30 अपराहन) के अनुसार लिया जाता है। इस अवधि (जनवरी 2010 से सितम्बर 2012) के लिए वसूली योग्य कुल लागत प्रभार ₹ 1.22 करोड़ था।

सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशासन) एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता के सहायक आयुक्त ने मांग नोटिस जारी होने की सूचना दी (अक्तूबर 2012 से

दिसम्बर 2012) परन्तु डीएफएस प्राधिकारियों द्वारा की गई इस टिप्पणियों को दोहराया कि सीआरओ प्रभार दिनांक 26 मई 2010 के सीबीईसी पत्र के आधार पर देय नहीं है क्योंकि डीएफएस प्राधिकारियों ने अर्थ निकाला कि एनएससीबीआई अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कार्य घंटे 24 x7 थे।

इस तथ्य के संदर्भ में विभाग के जवाब की समीक्षा की जानी है कि सीबीईसी का दिनांक 26 मई 2010 का पत्र केवल यह स्पष्ट करता है कि एयरपोर्ट/पोर्ट परिसर पर डीएफएस के संदर्भ में सेवा प्रभार केवल 'कार्य घंटे' से अधिक सीमा शुल्क सेवा देने के प्रति ही लागू है। जैसाकि एनएससीबीआई अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 24 x 7 कार्य घंटे का वर्णन करते हुए सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त द्वारा जारी कोई अधिसूचना/परिपत्र/सार्वजनिक नोटिस नहीं है जोकि सीआरओ/एमओटी फीस से छूट का निर्णय लेने के लिए सीमा शुल्क ('सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए फीस) विनियम, 1998' के नियम 2(डी) के अनुसार आवश्यक है। सीमा शुल्क कार्य की 24x7 सुविधा देते हुए सीबीईसी द्वारा जारी दिनांक 7 अगस्त 2012 की परिपत्र संख्या 22/2012–सी.शु. सीमित सीमा शुल्क प्रचालन उद्देश्य हेतु कुछ एयर कार्गो काम्प्लेक्स (कोलकाता एयरपोर्ट को छोड़कर) तथा कुछ समुद्री बन्दरगाहों को अनुबंधित करती है। तदनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्दर वर्णित अनुसार कार्य घंटों के रूप में इसे ध्यान मे रखते हुए आठ घंटों से अधिक दी गई सीमा शुल्क सेवा के लिए मै. फ्लेमिंगो डीएफएस प्रा. लि. से सीआरओ प्रभारों की वसूली की जानी है।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

4.5.2 इसी तरह, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) भादोही जो लागत वसूली आधार पर केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) भादोही के साथ 29 जुलाई 2004 को स्थापित किया गया, से लागत वसूली प्रभार अनुद्धगृहित रहे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी भादोही में नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूसी भादोही के प्रति लागत वसूली प्रभार के कुल ₹ 47.16 लाख बकाया थे। वसूली प्रभारों के लिए सीडब्ल्यूसी के प्रति आईसीडी भादोही ने न तो कोई

बिल दिया न ही रिकॉड बनाये। इन प्रभारों को अग्रिम में जमा भी नहीं किया गया जैसाकि अपेक्षित था।

सहायक आयुक्त, आईसीडी, भदोही ने कहा (मार्च 2012) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क डिविजन–1, इलाहबाद द्वारा आईसीडी स्टॉफ की लागत वसूली के संदर्भ में रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। डिविजन प्राधिकारियों ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि 2010 से 2013 की अवधि के लिए लागत वसूली राशि का कुल बकाया ₹ 2.18 करोड़ था।

तथ्य यह है कि आईसीडी, भदोही में तैनात सीमा शुल्क कर्मचारियों के लिए ₹ 2.18 करोड़ की राशि के लागत वसूली प्रभार अनुद्धगृहीत रहे। मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

4.5.3 इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तथा कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन (सीएफएस) हेतु संरक्षक की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हुए विनियम 5(2) के 'सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो हैंडलिंग विनियम, 2009' तथा दिनांक 23 मार्च 2009 के बोर्ड की परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के पैराग्राफ 5.3 के तहत जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, संरक्षक को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के एक आदेश द्वारा निर्दिष्ट छूट के बिना आईसीडी/सीएफएस पर नियुक्त सीमा शुल्क कर्मचारियों की लागत को वहन करना चाहिए। इसके अलावा, सितम्बर 2005 में जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, लागत वसूली के आधार पर बनाए गए पदों की लागत को डीए, सीसीए, एचआरए आदि सहित पदों की मासिक औसत लागत के 1.85 गुना की एक समान दर पर वसूल किया जाना है।

स्पष्टतया दिनांक 23 मार्च 2009 के परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के पैराग्राफ 4.1 के साथ पठित पूर्वोक्त वर्णित विनियमों का विनियम 4 बताता है कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर अथवा उससे पूर्व पहले से स्वीकृत (मौजूदा संरक्षक) सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदात्ता का तीन माह अथवा एक वर्ष की अवधि से अधिक न होने वाली ऐसी अवधि के अन्दर इन विनियमों की शर्तों का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि सीमा शुल्क आयुक्त को इन विनियमों के लागू होने की तिथि से मंजूरी दी जा सकती है।

शिलांग आयुक्तालय के तहत सीमा शुल्क डिवीजन, गुवाहटी के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी, अमिनगांव में तैनात सीमा शुल्क कर्मचारियों के संदर्भ में लागत वसूली प्रभारों की सरक्षक, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीओएनसीओआर) से वसूली नहीं की जा रही थी, जबकि उन्हें न तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के एक आदेश द्वारा छूट दी गई तथा न ही उन्होंने मंत्रालय द्वारा लागत वसूली प्रभारों के लिए अधित्याग हेतु सुनिश्चित करने के लिए दिए गए मानदंडों को पूरा किया क्योंकि पिछले चार वित्तीय वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान कथित आईसीडी द्वारा सौंपे गए कंटेनरों की कुल संख्या सितम्बर 2005 में जारी वित्त मंत्रालय निर्देशों के तहत आवश्यक 7200 टीईयूज प्रति वर्ष के निष्पादन बेंचमार्क के प्रति क्रमश: 2440, 2954, 2285 एवं 2600 टीईयूज[11] थी। अक्तूबर 2010 से मई 2012 की अवधि के लिए वसूली योग्य कुल लागत ₹ 94.69 लाख थी।

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), एनएफआर, शिलांग ने दिनांक 17 अक्तूबर 1997 की परिपत्र संख्या 52/1997-सी.शु. पर ध्यान देते हुए कहा (अप्रैल 2013) कि आईसीडी, अमिनगांव को परिपत्र जारी होने से पूर्व स्थापित किया गया तथा इसलिए यह इस परिपत्र की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। तथापि, विभाग ने आईसीडी को 'सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग, विनियम 2009' की प्रयोज्यता पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

विभाग के उत्तर की इस संदर्भ में समीक्षा की जानी है कि बोर्ड का 1997 का परिपत्र 'सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग विनियम, 2009' के मामले के पश्चात सारहीन हो गया है तथा दिनांक 23 मार्च 2009 की सीबीईसी परिपत्र संख्या 13/2009-सी.शु. के तहत जारी स्पष्टीकरण ने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया कि सभी मौजूदा अथवा नए आईसीडी/सीएफएस को उपरोक्त वर्णित विनियम 2009 के प्रावधानों का अनुपालन करना है।

[11] बीस फूट के बराबर यूनिट (टीईयू) कंटेनर शीप तथा कंटेनर टर्मिनल की क्षमता का वर्णन करने के लिए अकसर उपयोग की गई कार्गो क्षमता की एक गलत यूनिट है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (बोर्ड) बार्ड ने लंबे समय से अपेक्षित मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) दरों को संशोधित नहीं किया था।

4.6 पाचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की 3 से 3.5 गुना वेतन के लिए 1968 के विनियमों में निर्धारित वर्तमान दर के संशोधन द्वारा अक्तूबर 1998 से एमओटी दरों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

अगस्त 2008 में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पश्चात, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 5वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन की तुलना में फिर से 2.42 से 3.23 गुना तक वृद्धि हुई। तथापि, बोर्ड द्वारा एमओटी दरों में अनुकूल संशोधन अभी तक नहीं किया गया है तथा तदनुसार, एमओटी प्रभार सितम्बर 1998 में निर्धारित दरों पर अभी भी उद्धग्रहाय है। बोर्ड ने वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर वेतनमान के संशोधन के लिए अनुवर्ती एमओटी दरों के समय-समय पर संशोधन पर विचार नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः[12] कस्टम हाउस तथा एक[13] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज ने उपरोक्त वर्णित विनियम 1998 के तहत दरों पर 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 494.54 लाख के कुछ एमओटी प्रभारों का संग्रहण किया। 14 वर्षों से अधिक एक चूक के पश्चात भी एमओटी दरों में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप राजस्व का कम अर्जन हुआ है।

एमओटी दरों के आवधिक संशोधन हेतु लेखापरीक्षा मत के साथ सहमत (अक्तूबर 2012 से अगस्त 2013) होते हुए नवलखी, सिक्का, पोरबन्दर तथा पीपावाव कस्टम हाउस के सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह कहा कि यह मामला बोर्ड/ मंत्रालय से संबंधित है।

---

[12] नवलखी, सिक्का, जामनगर, वाडीनर, पोरबन्दर, पीपावाव

[13] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन रेंज (एआर) वी, डिवीजन वी, आयुकतालय – अहमदाबाद-।।

निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से परियोजना आयात लाभों को मंजूरी दी।

4.7 ऐसी मशीनरी के निर्माण हेतु आवश्यक मशीनरी के सभी आइटमों तथा सभी घटकों अथवा कच्चे माल का यूनिट की प्रारंभिक व्यवस्था हेतु आयात किया और सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग 98.01 के अन्तर्गत निर्दिष्ट औद्योगिक संयंत्र के एक मौजूदा सत्त्व के पर्याप्त विस्तार को कवर किया जाता है तथा वह परियोजना आयात विनियमों (पीआईआर), 1986 के विनियम 2 के अनुसार शुल्क की रियायती दर पर प्रभार्य है। पीआईआर-86 के विनियम 3 (बी) के तहत वर्णित 'पर्याप्त विस्तार' का तात्पर्य एक विस्तार से है जो मौजूदा स्थापित क्षमता को 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाएगा।

मै. टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट कम्पनी लि. ने दिनांक 1 मार्च 2004 के प्रविष्ट बिल संख्या 183545 द्वारा बीना ओसी सिंगरौली कोल्डफील्ड ऑफ नार्दन कोल्डफील्ड लिमिटेड जिसे परियोजना आयात विनियम, 1986 के तहत रियायती शुल्क के लाभ की स्वीकृति दी गई थी, को आपूर्ति के लिए सीमा शुल्क आयुक्तालय (पोर्ट), कोलकाता के माध्यम से 'हाइड्रोलिक शोवेल' का आयात किया (मार्च 2004)। करार को अन्तिम रूप देने के लिए आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लेखापरीक्षा ने पाया कि शोवेल को खानों की 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की पूर्व उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाना था जो 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक घट गई थी। इसे प्राप्त करने के लिए, शोवेल की उपकरणों की एक अतिरिक्त मात्रा के रूप में आवश्यकता थी जिसके लिए आयातक पीआईआर के अन्तर्गत कथित परियोजना अनुबंध के लिए पंजीकृत था।

चूंकि माल की मौजूदा स्थापित क्षमता बढ़ाए बिना केवल इसकी पूर्व उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए, आयात किया गया, तथापि यह स्पष्ट था कि तत्काल परियोजना आयात अनुबंध न तो यूनिट की प्रारंभिक स्थापना हेतु न ही मौजूदा यूनिट के पर्याप्त विस्तार के लिए पंजीकृत था जिसके लिए आयातित माल परियोजना आयात विनिमय, 1986 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध रियारती शुल्क के लाभ के योग्य नहीं था। लाभ के गलत विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 55.03 लाख की राशि की छूट रियायत की मंजूरी हुई जो आयातक से वसूली योग्य थी।

सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आईएडी), कस्टम हाउस, कोलकाता ने कहा (नवम्बर 2012) कि आयातक को कम उद्धगृहित राशि को जमा करने के लिए पूछताछ हेतु एक पत्र जारी किया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

मूल्यांकन अधिकारी ने ब्रेकिंग हेतु आयातित शिप के मूल्य का कम निर्धारण किया

4.8 सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2007 के नियम 5 के अनुसार, आयातित माल का मूल्य, भारत को निर्यात हेतु तथा आयात के मूल्य पर अथवा एक ही समय से संबंधित हेतु बेचे गए एकसमान माल के लेन-देन का मूल्य होगा क्योंकि माल का मूल्यांकन हो रहा था।

विभिन्न आयातक शिप ब्रेकिंग यार्ड –अलग (भावनगर) पर 'ब्रेकिंग हेतु शिप' (सीटीएच 89080000) को उस मूल्य जिसके लिए उसे 'समझौता ज्ञापन (एमओए)' में घोषित एकमुश्त कीमत (बंकर मूल्य सहित) पर निर्धारित किया गया, पर आयात करते हैं।

आयातित शिप का मूल्य दिनांक 3 जुलाई 1996 के बोर्ड की परिपत्र संख्या 37/1996-सी.शु. में अनुबंधित रूप में घोषित कुल मूल्य से बंकर मूल्य (एमजीओ, भटटी तेल आदि) को घटाने के पश्चात् प्राप्त हुआ। तब उद्धग्रहित शुल्क शिप तथा बंकर हेतु दोनों के लिए लागू दरों पर पृथक रूप से प्राप्त हुआ। 'शिप फोर ब्रेकिंग' (सीटीएच 89080000)[14] पर उद्धग्राहय सीमा शुल्क की प्रभावी दर 'मेरीन गैस ऑयल (एमजीओ) (सीटीएच 27101930)[15] पर उद्धग्राहय दर की तुलना में अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2008 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एमजीओ का मूल्य काफी कम हुआ तथा मार्च 2009 तक दर्ज की गई

---

[14] 5प्रतिशत 'मूल सीमाशुल्क (बीसीडी)' तथा 14 प्रतिशत 'अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीबीडी)' सहित शिप पर शुल्क।

[15] 2.5 प्रतिशत बीसीडी, ₹ 2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.60 प्रति लीटर अतिरिक्त सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित एमजीओ पर शुल्क।

अधिकतम दर US$ 540 पीएमटी थी। तथापि, अगस्त 2008 में विभाग द्वारा US$ 825 पीएमटी पर तय निर्धारणीय मूल्य दिसम्बर 2008 में केवल US$ 725 पीएमटी कम हुआ जून 2009 तक कोई अन्य कमी नहीं हुई।

बाजार में प्रचलित कम मूल्य के संदर्भ में एमजीओ के निर्धारणीय मूल्य में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप एकमुश्त कीमत तथा बाद में शुल्क की कम उगाही से अधिक बंकर कीमत में कटौती हुई। सरकार कुल मूल्य से कटौती की मंजूरी हेतु एमजीओ के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के संदर्भ में एमजीओ की कीमत की समीक्षा करने के लिए कुछ तंत्रों की योजना बना सकती है जो शिप मूल्य पर सही शुल्क की उगाही में मदद करेगा।

US$ 540 पीएमटी की उच्चतम दर्ज दर को ध्यान में रखते हुए 44 प्रविष्टि बिल (बीएसई) (नवम्बर 2008/जून 2009) सहित कम लगाया गया शुल्क ₹ 29.27 लाख था।

सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर ने कहा (अगस्त 2013) कि लेखापरीक्षा ने www.bunkerworld.com वैबसाइट में दिए एमजीओ कीमत को अपनाया जो सिंगापुर में एफ.ओ.बी. कीमत है जिसके लिए माल भाड़ा, निवेश तथा लैडिंग प्रभार को शुल्क गणना के लिए निर्धारणीय मूल्य निकालने हेतु जोड़ा जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया कि राष्ट्रीय आयात डाटावेस (एनआईडीबी) के मूल्य कानूनी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है परन्तु केवल व्यापक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करती है तथा कानून में लेन-देन के मूल्य को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि सिंगापुर में प्रचलित एमजीओ/एचएसडी कीमतों को लेखापरीक्षा द्वारा माना जाता है जो सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियामावली 2007 के नियम 9(2) (iii) के तहत मूल्यांकन के लिए शेष पद्धति के विपरीत है।

विभाग के उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है कि लेखापरीक्षा अवलोकन समय पर संशोधन करने हेतु प्रक्रिया के गठन पर जोर देने के लिए है ताकि सरकारी राजस्व की रक्षा की जा सके। तथापि, सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर अधिकारियों ने कहा (अगस्त 2013) कि

सुरक्षात्मक मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का जबाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने माल के निर्यात पर फिरती को गलत तरीके से मंजूरी दी

4.9 दिनांक 1 सितम्बर 1998 की परिपत्र संख्या 64/1998-सीमा शुल्क के पैरा (VI) के अनुसार, खुले बाजार से निर्यातक व्यापारी द्वारा खरीदे गए माल निर्यात माल को मोडवेट सुविधा प्रयुक्त माना जायेगा और ऐसे माल के निर्यात पर शुल्क फिरती की सभी उद्योग दरों के लाभ को केवल सीमा शुल्क आबंटन के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों का दिनांक 25 मई 2009 की परिपत्र संख्या 16/09-सीमा शुल्क के पैरा -7 के तहत अधिक्रमण किया गया जिससे व्यापारी निर्यातक को निर्यात के समय स्वयं घोषणा का वर्णन प्रस्तुत करने के अधीन उत्पाद शुल्क आवंटन सहित शुल्क फिरती की सभी उद्योग दरों की अनुमति भी दी गई। तथापि, उक्त प्रावधान इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी हुए।

मै. ईस्टर्न ट्रेडर्स तथा दो अन्य व्यापारी निर्यातकों को उनके द्वारा स्थानीय बाजार से खरीदे माल पर सभी उद्योग दरों पर फिरती के सीमा शुल्क के साथ साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भाग की मंजूरी दी गई (मई 2008 से फरवरी 2010) तथा सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), पश्चिम बंगाल के माध्यम से दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2009 की अवधि के दौरान 14 शिपिंग बिलों के तहत निर्यात किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापारी निर्यातक के लिए फिरती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भाग की मंजूरी उक्त परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि माल को दिनांक मई 2009 के परिपत्र जारी होने से पूर्व निर्यात किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25 लाख की फिरती राशि का अत्यधिक भुगतान हुआ जिसे प्रयोज्य ब्याज सहित वसूल किए जाने की आवश्यकता थी।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि मंजूर की गई फिरती की वसूली के लिए कोलकाता (निवारक) आयुक्तालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगे प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

4.10 सीमा शुल्क का प्रतिदाय

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (सीए) के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसने सीमा शुल्क का भुगतान अथवा किसी ब्याज का भुगतान किया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने प्रतिदाय के लिए दावा कर सकता है:

(क) जब माल के निर्यात शुल्क/उपकर के भुगतान के पश्चात् निर्यातित किया जाए तथा निर्यातित माल को पुन: बिक्री के तरीके के बजाय अन्य किसी तरीके से वापिस दिया जाए तथा माल का एक वर्ष के अन्दर पुन: आयात किया जाए (सीए की धारा 26)।

(ख) जब आयातित माल दोषपूर्ण पाया जाए अथवा अन्यथा वह माल के आयातक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच सहमति विनिर्देशन के अनुरूप न हो तथा आयातित माल को ऐसे रूप में निर्यात किया जाए (सीए की धारा 26 ए)।

(ग) कोई व्यक्ति जिसने आयातित माल के निर्धारण पर शुल्क का भुगतान किया है तथा निम्नलिखित पर अनुवर्ती शुल्क के प्रतिदाय हेतु लागू होता है i) माल की चोरी, माल की क्षति तथा माल के मूल्य में गिरावट, खोए अथवा नष्ट माल के कारण शुल्क की छूट/कमी, (ii) अनन्तिम निर्धारण जहां शुल्क वापसी योग्य है, को अंतिम रूप देना, (iii) प्रोजेक्ट आयात को अंतिम रूप देने पर जमा नकद प्रतिभूति, (iv) एक न्यायनिर्णयन आदेश अथवा एक अपीलीय मामले में नीचले प्राधिकरण के निर्णय अथवा संशोधन का सुधार, (v) शुल्क की दर के गलत अनुप्रयोग, गलत वर्गीकरण, उच्चतर मूल्यांकन को अपनाने (सीए की धारा 27) के कारण पुन: निर्धारण पर शुल्क की कमी।

(घ) जब आयातित माल दर बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, स्थानीय कर तथा अन्य प्रभारों को बराबर करने के लिए 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान किया जाए तथा पंजीकृत डीलर आयातक उपयुक्त एसटी/वीएटी के भुगतान पर माल को बेचे तो वह संशोधित रूप में दिनांक 14 सितम्बर 2007

की अधिसूचना संख्या 102/2007 के अनुसार 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

विभाग ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (अप्रैल 2013 तक) के दौरान 31535 तथा 6439 दावों का निपटान किया तथा महानिदेशक/प्रधान निदेशक, तमिलनाडु, कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर तथा कोचीन के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्तालयों द्वारा स्वीकृत क्रमश: ₹ 1773.37 करोड़ तथा ₹ 411.71 करोड़ की राशि वापिस दी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान स्वीकृत कुल दावों के क्रमश: 1964 (6 प्रतिशत) तथा 6439 (31 प्रतिशत) की नमूना जॉच की।

4.10.1 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

प्रतिदाय आवेदनों को इस बात की संवीक्षा के पश्चात् स्वीकार किया गया कि क्या सभी दस्तावेज पूरे तथा पूर्ण आकार में प्राप्त हुए थे। यदि कोई दस्तावेज बांछित है तो अधीक्षक द्वारा संवीक्षा के पश्चात् एक कमी ज्ञापन जारी किया जाता है तब सहायक आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा प्रतिदाय दावे को स्वीकृत किया जाता है। ₹ 5 लाख से अधिक के प्रतिदाय दावे को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है जबकि ₹ 5 लाख से कम के प्रतिदाय अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन है। सिस्टम द्वारा प्रतिदाय को स्वत: सक्रिय तथा आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में पकड़ा नहीं जाता है।

4.10.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) माल की बिक्री पर इसके आयात की तिथि से पूर्व/टीआर 6 चालान/बिना प्रभार के भुगतान पर प्रतिदाय की स्वीकृति -₹ 10.23 लाख

आयातित माल को केवल शुल्क भुगतान/बिना प्रभार के बेचा जा सकता था। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल आयातित माल को वास्तविक रूप में बेचा गया।

लेखापरीक्षा ने सात आयुक्तालयों में 23 मामलें पाए **(परिशिष्ट 19)** जहॉ अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय को स्वीकृत किया गया, भले ही बिक्री माल के

आयात (लैंडिग की तिथि) /शुल्क भुगतान (टीआर 6 चालान के भुगतान की तिथि) /बिना प्रभार (माल को प्रत्यक्ष रूप से हटाकर) की तिथि से पूर्व प्रभावी हुई हो। तदनुसार, ₹ 10.23 लाख की राशि के दावे एसएडी प्रतिदाय के योग्य नहीं थे।

सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने सूचित किया कि ₹ 0.62 लाख के लिए एक मांग नोटिस जारी किया गया है। सीमा शुल्क उप आयुक्त सेंट जॉन, तूतीकोरिन ने ₹ 0.97 लाख में से ₹ 0.43 लाख की वसूली की सूचना दी जबकि मै. श्री लकोशा पोलीमर प्रा. लि. के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकनों का यह कहते हुए विराध किया (जुलाई 2013) कि आउट ऑफ चार्ज सिस्टम के खराब होने के कारण 15 दिसम्बर 2011 को व्यक्तिगत रूप से दिया गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल की केवल शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही निकासी की जा सकती थी जिसे 17 दिसम्बर 2011 को किया गया था, जबकि बिक्री बीजक दिनांक 16 दिसम्बर 2011 का था। अन्य आयुक्तालयों से जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

(ख) कालातित दावे - ₹ 12.05 लाख

दिनांक 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना संख्या 93/2008-सीमा-शुल्क के अनुसार, प्रतिदाय आवेदन कथित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पांच आयुक्तालयों में 11 मामले देखें **(परिशिष्ट 20)** जिनमें निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त एसएडी प्रतिदाय दावों पर विभाग द्वारा विचार किया गया तथा ₹ 12.05 लाख की राशि को अनियमित रूप से वापिस किया गया।

मै. फाल्कन ग्लास पैलेस के संदर्भ में कोच्चि आयुक्तालय ने कहा कि सामान्य क्लॉज अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, भुगतान की वास्तविक तिथि को सीमा अवधि की संगणना हेतु छोड़ा जाना चाहिए। आगे यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जब निर्धारित अवधि के अंतिम

दिन अवकाश होता है तो कार्य अथवा कार्यवाही को अवकाश के बाद अगले दिन पर किया समझा जाना चाहिए।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि शुल्क के भुगतान की तिथि

1 अगस्त 2011 थी तथा आवेदन 3 अगस्त 2012 को फाइल किया गया। आवेदन की देय तिथि अर्थात् 2 अगस्त 2012 को अवकाश नहीं था। तदनुसार, मंजूर किया गया ₹ 1.80 लाख का प्रतिदाय अनियमित था।

मै. डेक्स वर्कस लि. के मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने कहा (जुलाई 2013) कि समय सीमा के अन्दर दावा प्रस्तुत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदन को एक वर्ष (18 मार्च 2011) की समाप्ति के पश्चात् 31 मार्च 2011 को प्रारंभिक रूप से फाइल किया गया तथा इसे सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित किया गया। शेष आयुक्तालयों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2013)।

(ग) आयातित माल के साथ गलत मिलान के माल की बिक्री पर प्रतिदाय दावों की मंजूरी-₹ 17.79 लाख

दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमा शुल्क के अनुसार, आयातक को प्रतिदाय दावों के साथ शुल्क भुगतान के प्रमाण (प्रविष्टि बिल), बिक्री बीजक तथा वैट/बिक्री कर के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा बीओई (आयात) की बिक्री बीजक के साथ तुलना से पता चला कि बेओई के अनुसार आयातित माल तथा चार आयुक्तालयों चेन्नई (एयर) – 6 मामले, चेन्नई (समुद्र)-4 मामले, तूतीकोरिन – 6 मामले तथा कस्टम (पोर्ट), कोलकाता 5 मामलों के संदर्भ में 21 मामलों में बीजक में वर्णित अनुसार बिक्री के बीच गलत मिलान था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.79 लाख की राशि के एसएडी प्रतिदाय की गलत स्वीकृति हुई **(परिशिष्ट 21)**।

सीमा शुल्क आयुक्त (एयर), चेन्नई ने कहा (जुलाई 2013) कि आयातकों (मै. रूट्स मल्टी क्लीन लि. तथा मै. एस्सेल फ्रन्ट लाइन) को मांग नोटिस जारी किए गए हैं। सीमा शुल्क आयुक्त तूतीकोरिन ने उत्तर दिया (जून

2013) कि बीई में मदों के वर्णन के साथ बिक्री बीजक के बीच बहुत कम भिन्नता थी। विभाग ने आगे कहा कि आगामी दिशा-निर्देश हेतु लेखापरीक्षा का तर्क नोट किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रविष्टि बिल तथा बिक्री बीजक के बीच भिन्नता है। शेष आयुक्तालयों के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

(घ) विनिर्माता को प्रतिदाय की गलत स्वीकृति - ₹ 8.03 लाख

दिनांक 15 सितम्बर 2010 के बोर्ड परिपत्र 34/2010 के अनुसार, यदि आयातित माल जिस पर 4 प्रतिशत एसएडी का भुगतान किया गया, का विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाता है; एसएडी प्रतिदाय के लाभ उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 3 मामलों {कस्टम हाउस (पोर्ट), कोलकाता -1 मामला, आईसीडी, सनाथ नगर, हैदराबाद -2 मामलें} में, ऐसे आयातित माल को नहीं बेचा गया परन्तु आगे कार्रवाई की गई तथा बेची गई। तथापि, ₹ 8.03 लाख की राशि का स्वीकृत एसएडी प्रतिदाय गलत था **(परिशिष्ट 22)।**

(ई) अन्य रोचक बिन्दु

i. सह-संबंध शीट कार्गो के साथ उचित प्रकार से मेल नहीं खाती।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कस्टम हाउस, तूतीकोरिन (2 मामलों) के संदर्भ में, सनदी लेखाकार के सह-संबंध प्रमाण-पत्र का कार्गो के साथ मिलान नहीं किया गया। इसके कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि बिक्री बीजक में वर्णित आयातित माल वास्तव में एसएडी प्रतिदाय के योग्य था **(परिशिष्ट 23)।**

ii. इलेक्ट्रोनिक डाटा इटरचेंज (ईडीआई) प्रतिदाय

प्रतिदाय आवेदन की स्थिति को दिनांक 28 अप्रैल 2008 की परिपत्र संख्या 6/2008-सी.शु. के अनुसार संबंधित कस्टम हाउस की वेबसाइट में परिलक्षित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रतिदाय आवेदन की स्थिति को कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा कोचीन में परिलक्षित नहीं किया गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) अथवा नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से कोलकाता कस्टम हाउस, कस्टम

हाउस मुन्द्रा, इनलैंड कंटेनर डिपो, काधियार (पीडीए, अहमदाबाद) तथा कस्टम हाउस कोच्चि में प्रतिदाय का भुगतान नहीं किया गया है। नई दिल्ली के संदर्भ में, दावों की हस्त्य रूप से कार्रवाई हो रही है। कांडला (पीडीए, अहमदाबाद) के संदर्भ में, ऑनलाइन डाटाबेस सही पिक्चर प्रतिबिंबित नहीं करता।

विभाग ने कहा कि आरटीजीएस अथवा एनईएफटी सिस्टम के माध्यम से दावेदार के बैंक खाते में प्रतिदाय राशि को प्रत्यक्ष रूप से जमा करने की प्रणाली विभाग के विचारधीन है तथा इसे जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। राजस्व विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2014)।

iii. वास्तविक आयातक के अलावा अन्य व्यक्ति को प्रतिदाय की स्वीकृति

अधिसूचना संख्या 102/2007-सी.शु. के अनुसार, प्रतिदाय दावे को केवल आयातक द्वारा प्राथमिकता दी जाती है तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 21.21 लाख की प्रतिदाय राशि के दो प्रतिदाय मामलों (कस्टम (पोर्ट), कोलकाता –मै. एसोशिएशन ट्रेडर्स एवं मै. केसर इंटरनेशनल प्रा. लि.) को आयातक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किए दावे के आधार पर स्वीकार किया गया जो आदेश में नहीं था। इसी तरह के ₹ 8.83 लाख की राशि के दो मामलें (आईसीडी कोनकोर, कनकपुरा, जयपुर-मै. लवली इंटरप्राइजिज प्रा. लि.) देखे गए।

iv. प्रतिदाय आवेदनों पर कार्रवाई में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने देखा कि 16 मामलों में (आईसीडी, कोधियार, गुजरात-15 मामले, कस्टम हाउस, विशाखापट्टनम, हैदराबाद -। मामला) प्रतिदाय आवेदनों पर दो वर्षों से अधिक विलम्ब के पश्चात् कार्रवाई की गई।

सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कांडला ने कहा कि मामला कुछ दस्तावेजों के अभाव में लंबित था तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों की सामान्य लंबित मंजूरी के रूप में संसाधित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दावा अपूर्ण दस्तोवेजों के आधार पर पारित किया गया था।

v. बिक्री बीजकों की अनुपलब्धता के बावजूद अनियमित प्रतिदाय हुआ

दिनांक 14 सितम्बर 2007 के 102/2007 के अनुसार, बीईज, चालान तथा बिक्री बीजकों जैसे दस्तावेजों को प्रतिदाय का दावा करते समय अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है। लेखापरीक्षा ने तीन प्रतिदायों (कस्टम हाउस (पोर्ट) कोलकाता) के संदर्भ में देखा कि बिक्री बीजकों की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, ₹ 76.93 लाख की प्रतिदाय राशि की स्वीकृति क्रम में नहीं थी (परिशिष्ट 24)।

vi. प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के बावजूद किया गया प्रतिदाय

अधिसूचना 102/2007 के अनुसार, एसएडी प्रतिदाय का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला किसी आयातक को आयात माल की बिक्री, उपयुक्त एसटी/वेट पर भुगतान करना अपेक्षित है तथा बीजकों में प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है कि सीटी अधिनियम, 1975 की धारा (3) की उप-धारा (5) के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क का कोई ऋण स्वीकार्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मुम्बई आयुक्तालय के अन्तर्गत एक मामलें में उक्त प्रमाण-पत्र को बिक्री बीजकों में नहीं दशाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.47 लाख की प्रतिदाय राशि का अधिक भुगतान हुआ।

vii. एसटी/वेट भुगतान उपलब्ध न होने का प्रमाण

कस्टम हाउस मुन्द्रा में, प्रतिदाय फाइलों के साथ एसटी/वेट प्रतिदाय उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार, एसीसी, डिग्गी हाउस, जयपुर में, एक आयातक ने एसटी/वेट के भुगतान के लिए साक्ष्य की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की। तथापि, ₹ 4.08 लाख का स्वीकृत प्रतिदाय गलत था।

viii. प्रविष्ट बिल की फोटो कॉपी पर किया गया प्रतिदाय

दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 की परिपत्र संख्या 16/2008 के अनुसार, प्रतिदाय का दावा करते समय आयातक को प्रविष्टी बिल की डुप्लिकेट प्रतियां प्रस्तुत करनी होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि बीओई की फोटो कॉपियों के आधार पर आईसीडी कोनकोर, जोधपुर के तहत मै. धारीवाल कारपोरेशन को ₹ 0.61 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृति दी।

ix. उपयुक्त सीएसटी के भुगतान के बिना एसएडी प्रतिदाय की स्वीकृति

कस्टम हाउस, कोचीन के तहत मै. वल्लभदास एवं कंपनी ने एसटी/वेट का भुगतान किए बिना सीटीएच 3103 के अन्तर्गत आयातित माल को बेचा क्योंकि इन मदों को केवीएटी अधिनियम 2005 के तहत छूट दी गई थी परन्तु अभी भी आयात के समय भुगतान किए ₹ 4.86 लाख की एसएडी राशि का प्रतिदाय ले रहे थे **(परिशिष्ट 25)**। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसटी/वेट का भुगतान करने अथवा सीएसटी/वेट के भुगतान से संबंधित बिक्री कर अधिकारियों से कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आयातक के पास कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातक ने अनुचित संवर्धन के लिए सीए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बजाय स्वयं घोषणा को प्रस्तुत किया जो प्रतिदाय उद्देश्य हेतु मान्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.86 लाख का गलत प्रतिदाय हुआ।

x. कमी ज्ञापन जारी करने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने एयर कार्गो काम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बैंगलोर में देखा कि प्रतिदाय आवेदन अपूर्ण दस्तावेजों के साथ नियत तिथि के अन्दर फाइल किए गए। तथापि, एक से तीन वर्षों के बीच विलम्बित रूप से कमी ज्ञापन जारी किया गया इसके पश्चात्, पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद प्रतिदाय को स्वीकार किया गया।

xi. प्रतिदाय की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

दिनांक 2 जुलाई 2007 के परिपत्र 24/2007 के पैराग्राफ 4.4 के अनुसार, ₹ 5 लाख से अधिक के स्वीकृत सभी प्रतिदायों को प्रतिदाय जारी होने से पूर्व पूर्व-लेखापरीक्षित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा की कांडला कस्टम हाउस में, आईएडी पश्च लेखापरीक्षा हेतु मामलों की निश्चित संख्या तथा पश्च लेखापरीक्षित मामलों की संख्या को परिमाणित नहीं कर सका।

xii. एक आयातक द्वारा एक माह में एक से अधिक दावे

परिपत्र संख्या 6/2008-सी.शु. के अनुसार, यह निर्धारित किया गया कि आयातक द्वारा प्रति मास एक प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा

ने देखा कि कस्टम हाउस, कांडला के संबंधं में, दावेदार ने एक माह के दौरान एक से अधिक दावे फाइल किए जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

xiii. प्रतिदाय के दोहरे दावों की स्वीकृति -₹ 0.47 लाख

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. हाई-टेक के.के. मेनुफेक्चरिंग कॉरपोरेशन, कोलकाता को माल के निर्धारणीय मूल्य में वृद्धि के कारण सीमा शुल्क के अधिक भुगतान की ओर दिनांक 21 अप्रैल 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 2/2012 द्वारा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क,एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, डिग्गी हाउस, जयपुर द्वारा ₹ 2.39 लाख के प्रतिदाय की स्वीकृति दी गई। तथापि, इस प्रविष्टि बिल को एसएडी प्रतिदाय के लिए उद्धरित किया गया तथा वापिस दिया गया (दिनांक 12 जून 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 6/2012 तथा दिनांक 25 जुलाई 2012 की ओ.आई.ओ. संख्या 9/2012 के द्वारा)।

अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

फरवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि के रिकॉर्ड की नमूना जांच (जुलाई 2009 से अगस्त 2013) के दौरान, हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न आयातित माल को गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 20.70 करोड़ के सीमाशुल्क का कम उद्धगृहण/अनुद्धगृहण हुआ। इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने फैटी एसिड के मिश्रण के रूप में कच्चा पाम स्टीयरीन का गलत वर्गीकरण किया

5.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (बोर्ड) ने अपने दिनांक 3 दिसम्बर 2002 के परिपत्र (संख्या 81/2002) में क्षेत्रीय संरचनाओं को आयातित 'पाम स्टीयरीन' की रसायनिक जांच का यह सत्यापित करने के लिए निर्देश दिया कि क्या वे 'फैटी एसिड की ग्लाइकोसाइड' (सीटीएच 1511) अथवा एक 'फैटी एसिड मिश्रण' सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 3823 है तथा उन्हें तदनुसार वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15 दिसम्बर 2010 के अपने निर्देश द्वारा सी.सी.ई.सी. एवं एस.टी., विशाखापट्टनम बनाम जेओसीआईएल इंडिया के मामले 2009 की सिविल अपील संख्या 6979-6982 में निर्णय दिया है कि 'पाम स्टीयरीन (कच्चा/आरबीडी) को सीटीएच 3823 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए'। बोर्ड ने दिनांक 26 जुलाई 2011 के सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 द्वारा सात माह के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया तथा स्पष्ट किया कि 'कच्चा पाम स्टीयरीन' को सीटीएच 38231111 के तहत निर्धारित तथा तदनुसार सभी लंबित मामलों के निपटान के लिए इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं को निदेर्शित किया जाना चाहिए।

मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तथा अन्य ने कस्टम हाउस एमपी एवं सेज (मुन्द्रा) से ₹ 51.78 करोड़ मूल्य के 'कच्चे पाम स्टीयरीन' के छः प्रेषणों को आयातित (मार्च/मई/जुलाई 2011) किया तथा निकासी की। उक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर 'पाम स्टीयरीन' के वर्गीकरण (दिसम्बर

2010 से जुलाई 2011) के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को किसी निर्देश के अभाव में, विभाग ने दिसम्बर 2002 के पूर्व परिपत्र के अनुसार सीटीएच 15111000 के तहत इसके वर्गीकरण को स्वीकृति दी। निर्णय के लागू होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 11.17 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

उप आयुक्त, कस्टम हाउस, एमपी एवं सेज, मुन्द्रा ने कहा (जनवरी 2012) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने का फैसला कानून मंत्रालय के साथ परामर्श करके लिया जाना आवश्यक था तथा इस प्रकार मामले के स्पष्टीकरण जारी करने के लिए समय लिया गया।

तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए परिपत्र के जारी करने में विलम्ब के कारण राजस्व हानि हुई। क्या बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रावधानिक रूप से 'कच्चे पाम स्टीयरीन' के आयात का पता करने के लिए अन्तरिम निर्देश जारी किए थे, सरकार राजस्व की हानि की सुरक्षा कर सकती थी।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम के साथ उपयुक्त प्रोजेक्टरों के रूप में टीवी प्रोजेक्टरों को गलत वर्गीकृत किया।

5.2 'प्रोजेक्टर' जो एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम में केवल अथवा मुख्यतया उपयोग किए जाते हैं, को सीटीएच 85286100 के तहत वर्गीकृत किया जाता है जबकि अन्य प्रोजेक्टर जो टेलीविजन तथा विडियो के साथ-साथ स्वत: डाटा संसाधित मशीन के साथ कार्य करने में सक्षम है, को सीटीएच 85286900 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

मै. ईपसन इंडिया लिमिटेड तथा अन्य सात ने चेन्नई (समुद), चेन्नई (एयर), कोलकाता (पोर्ट), कोलकाता (एयर) आयुक्तालय तथा आईसीडी, दादरी, यू.पी. के माध्यम से विभिन्न मॉडलों के 'प्रोजेक्टर' के 39 प्रेषणों का आयात (मार्च 2011 से मार्च 2013) किया था। इस माल को सीटीएच 85286100 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सी.शु. की क्रम संख्या 17 के तहत शुल्क की रियायती दर पर निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची में देखा कि 'प्रोजेक्टर' का आयातित मॉडल आरएस-232 इनपुट, एस. विडियो इनपुट तथा समग्र विडियो इनपुट प्रावधान वाला था तथा इस प्रकार इसे टेलीविजन तथा विडियो के साथ-साथ एक स्वत: डाटा संसाधित सिस्टम के साथ उपयोग किया जा सकता था। तदनुसार, आयातित माल को सीटीएच 85286900 के तहत सर्वोच्चता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ शुल्क की कम उगाही हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने रोपण तथा बुवाई के लिए मक्का (मकई) को सब्जी के बीच के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.3 'मक्का (मकई) बीज' को (सीटीएच) 10051000 के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा यह दिनांक 1 मार्च 2002 (क्रम संख्या 20) की अधिसूचना संख्या 21/2002 सी.शु. के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) आरोप्य है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 12 के तहत टिप्पणी 3 के अनुसार, टैरिफ शीर्षक 1209 'फलीदार सब्जियों अथवा स्वीट कोर्न' (अध्याय 7) तथा 'अनाज' (अध्याय 10), पर लागू नहीं होता यहां तक कि बुआई के लिए भी।

मै. एडवांटा इंडिया लि. तथा अन्य ग्यारह ने जेएनसीएच, एनसीएच, मुम्बई तथा चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालयों के माध्यम से 'रोपण तथा बुआई के लिए सब्जियों के बीज के रूप में स्वीट कार्न बीज' का आयात किया (जून 2011 से जनवरी 2013)। विभाग ने सीटीएच 12099190 के तहत माल को गलत तरीके से निर्धारित किया।

व्याख्या हेतु सामान्य नियम (जीआरआई) के नियम 3(ए) के अनुसार, शीर्षक जो सबसे अधिक विशिष्ट विवरण देता है, को अधिक सामान्य विवरण देने वाले शीर्षक हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तत्काल मामलें में, प्रविष्टि बिल मे वर्णित मद 'स्वीट कोर्न बीज' (रोपण तथा बुवाई हेतु सब्जियों के बीज) थी। तदनुसार, उन्हें सीटीएच 10051000 के तहत सर्वोच्चता के आधार पर

वर्गीकृत किया गया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई

दो आयातकों (मै. नामधारी फार्म फ्रेश प्रा. लि. तथा मै. एडवांता इंडिया लिमिटेड) के मामले में सहायक आयुक्त, जेएनसीएच ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि कम प्रभार नोटिस जारी किए गए है। तथापि, मै. ईस्ट वेस्ट सीडस इंडिया प्रा. लि. के मामले में एक समान आयात हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों जेएनसीएच ने कहा (नवम्बर 2011/मई 2013) कि स्वीट कोर्न एक सब्जी है तथा स्वीट कोर्न के बीज भी सब्जी के बीज है तथा सीटीएच 12099190 के तहत सही रूप में वर्गीकृरण के योग्य है।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने 'यीस्ट' को औषधि के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.4 सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 21 की टिप्पणी 1 (एफ) के अनुसार, एक औषधि के रूप में न रखे गए 'यीस्ट' को अध्याय 21 के तहत वर्गीकृत किया जाना है तथा दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-सीई (क्रम संख्या 23) के अनुसार 30 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क तथा 'शून्य' दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उद्धग्रहाय है। 'सकचारोमाइसिस बोलराडी' लाइपोलाइज फॉर्म (फ्रीज में सूखी) में एक प्रोबायोटिक रूप में अक्सर बाजार में बेची गई उष्णकटिबंधीय यीस्ट की एक छान है।

मै. डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा चेन्नई (एयर) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (मई से अक्तूबर 2011) संकचारोमाइसिस बोलराडी के चार परेषणों को सीटीएच 3003 3900/2942 0090 के तहत 'दवा'/अन्य कार्बनिक यौगिक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया तथा मूल सीमा शुल्क को क्रमशः 10 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत/10 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 84.38 लाख कम शुल्क संग्रहण हुआ था।

यह मंत्रालय को नवम्बर 2013 में बताया गया तथा उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने फ्लैजेंज को पवन संचालित बिजली जनरेटर के एक पार्ट के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.5 सीमा शुल्क टैरिफ की धारा XVI के नोट 1 (जी) में 'सामान्य उपयोग के भाग' को धारा XV के नोट 2 (क) के तहत वर्णित रूप मे शामिल नहीं किया जाता। तदनुसार, सीटीएच धारा 7307, 7312, 7315, 7317 अथवा 7318 तथा आधार धातु की ऐसी धारा को अध्याय के अन्तर्गत कवर नहीं किया जाता। धारा 'फ्लैजेंज' सीमा शुल्क टैरिफ की सीटीएच 7307 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उद्धग्राहय है।

चेन्नई (समुद्र), आयुक्तालय के माध्यम से मै. सुजलॉन टावर्स तथा स्ट्रक्चर लिमिटेड और दो द्वारा आयातित (मई 2011 से मार्च 2013) 'फ्लैंजेंज' के सोलह परेषणों को वर्गीकृत किया तथा पवन प्रचालित विद्युत जनरेटर के पार्ट के रूप में सीटीएच 85030010 के तहत निर्धारित किया और 25 प्रतिशत की दर पर बीसीडी उद्धग्रहीत किया। उक्त प्रावधानों के अनुसार 'सामान्य उपयोग के पार्ट' श्रेणी के तहत आने वाले 'फ्लैंजेज' तथा सीटीएच 7307 के तहत गुणवत्ता आधार पर वर्गीकरण 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी उद्धग्रहाय है। गलत वर्गीकरण के परिणास्वरूप ₹ 59.86 लाख राशि के सीमा शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

उप आयुक्त (आईएडी), चेन्नई ने मै. लेइटवाइंड श्रीराम से ₹ 0.47 लाख की वसूली तथा मै. सुजलॉन टावर्स तथा स्ट्रक्चर लि. को मांग नोटिस के मामले की सूचना दी (मई 2012)। मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने पशु खाद्य प्रबंधन को मानव उपभोग हेतु अयोग्य फीश मील के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.6 अध्याय नोट के अनुसार, शीर्षक (सीटीएच) 2309 पशु खाद्य में उपयुक्त एक प्रकार के उत्पाद को सम्मिलित करती है, न कि कहीं और वर्णित अथवा अध्याय में सम्मिलित उत्पाद को जिसे ऐसी एक सीमा तक संसाधित सब्जी अथवा पशु सामग्री द्वारा प्राप्त किया जाता है जब वे मूल सामग्री की आवश्यक विशेषताओं को खो देते हैं। एक्वा फीड (खासकर श्रिम्प)

हेतु एक उच्च गुणवत्ता घटक वाले 'स्किवड लीवर पाउडर' जिसे स्किवड लिवर पेस्ट से तैयार तथा बराबर भाग में उत्कृष्ट सोयाबीन मील से तैयार किया जाता है, को सीमा शुल्क टैरिफ के सीटीएच 2309 के तहत उचित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है तथा 30 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क उद्धगृहाय है।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से अवन्ती फीड्स लिमिटेड तथा मै. ग्रोबेस्ट फीडस कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आयातित (अप्रैल 2011 से मार्च 2012) 'स्किवड लीवर पाउडर' के छः प्रेषणों को टैरिफ मद 23012090/23012019 के तहत 'मानव उपभोग हेतु अयोग्य अन्य फीश मील' के रूप में गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. की क्रम संख्या 53 के अनुसार मूल सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।

पोषक तत्वों अर्थात् पशुओं से प्राप्त ऊर्जा पोषक तत्वों तथा उचित अनुपात में फलीदार सब्जियों से प्राप्त शरीर निर्माण पोषक तत्वों (प्रोटीन) के मिश्रण वाले इसके व्यजंन को देखते हुए, इसे सीटीएच 2301 के बजाय टैरिफ आइटम 23099090 के तहत 'पशु खाद्य में उपयुक्त एक प्रकार के अन्य व्यंजन' के रूप में गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया तथा 30 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क उद्धगृहाय था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 50.17 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

जब हमने फरवरी/अक्तूबर 2012/फरवरी 2013 में इसे बताया तब विभाग से कोई जवाब नहीं था। तथापि, पूर्व के ऐसे ही मामले में, विभाग ने मई 2011 में लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार किया तथा मांग की पुष्टि की। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने राइस मिल रबर रोलर को राइस मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.7 'राइस मिल रबर रोलर' सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 40169990 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा जब वियतनाम से आयातित हुई, दिनांक 1 जनवरी 2012 की अधिसूचना संख्या 46/2011 सी.शु. (क्रम संख्या

534, परिशिष्ट -I) के तहत 7 प्रतिशत रियायती दर पर बीसीडी उद्धग्रहाय है। सीबीईसी (बोर्ड) ने भी अपनी दिनांक 11 जनवरी 1990 की परिपत्र संख्या 2/90 –सीएक्स 3 में स्पष्ट किया कि 'राइस मिल' में उपयुक्त 'रबड़ मिल' का सीटीएच 4016 के तहत गुणवत्ता वर्गीकरण होना चाहिए। इसके अलावा, दिनांक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्रम संख्या 155) सीटीएच 4016 के तहत 'राइस मशीनरी' हेतु 'राइस रबड़ रोलस' के स्पष्ट रूप से वर्गीकरण का वर्णन करती है।

मै. एलास्का रबर्स प्रा. लि. तथा चार अन्यों ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली तथा चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से वियतनाम से 'राइस मिल रबड़ रोलर' के 18 परेषणों का आयात किया (अगस्त 2012 से मार्च 2013)। निर्धारण अधिकारी ने सीटीएच 84379020 के तहत आयातित माल को गलत तरीके से वर्गीकृत किया तथा अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु. (क्रम संख्या 1170) के तहत 2.5 प्रतिशत रियायती दर पर बीसीडी उद्धग्राहय था। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 46.44 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने छः परेषणों के संदर्भ में बताया (अगस्त 2013) कि मै. एलास्का रबर प्रा. लि. को ₹ 8.19 लाख की सुरक्षात्मक मांग जारी की गई थी। आगे कार्रवाई प्रतिक्षित थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने सर्जिकल माइक्रोस्कोप को अन्य उपकरणों तथा यंत्रों के रूप में गलत वर्गीकृत किया

5.8 नेत्र सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य 'सर्जिकल माइक्रोस्कोप' सीटीएच 9011 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

मई 2012 से जनवरी 2013 की समयवधि के दौरान एयर कार्गो काम्प्लेक्स (एसीसी), नीदमबेस्सरी (कोचीन) तथा चेन्नई (एयर) आयुक्तालय के माध्यम से आयातित 'सर्जिकल माइक्रोस्कोप' को सीटीएच 90189099 के तहत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, पशु चिकित्सा में उपयुक्त अन्य उपकरणों तथा साधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया और दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. के तहत शुल्क की रियायती दर

पर निर्धारित किया गया। आयातित माल सीटीएच 9011 के तहत सही प्रकार से वर्गीकरणीय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 41.08 लाख शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने कोचीन आयुक्तालय के माध्यम से किए आयात के संदर्भ में ₹ 17.65 लाख की वसूली की सूचना दी (जनवरी 2014)। चेन्नई आयुक्तालयों के माध्यम से किए आयात के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा हेतु कैमरे को टेलीविजन कैमरे/डिजिटल कैमरे/चिकित्सा उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.9 चिकित्सा अथवा आन्तरिक अंगों की शल्य चिकित्सा हेतु मुख्य रूप से डिजाइन कैमरे सीटीएच 9006 3000 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा उनके पोर्ट सीटीएच 9006 9100 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी और 16 मार्च 2012 तक प्रभावी 10 प्रतिशत तथा 17 मार्च 2012 से प्रभावी 12 प्रतिशत दर पर उद्ग्राह्य है। इसके अलावा, सीटीएच 9006 के तहत एचएसएन के अनुसार, कैमरे को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया भले ही यह सीटीएच 9006 के तहत गुणवत्ता वर्गीकरण के अन्य यंत्रों के विशिष्ट भाग हो।

चेन्नई (एयर), आयुक्तालय के माध्यम से विभिन्न आयातकों द्वारा आयातित (दिसम्बर 2011 से मार्च 2012) चिकित्सा उद्देश्य के लिए निर्मित 'एन्डोस्कॉपी कैमरों तथा अन्य डिजिटल कैमरों' के अड़तालीस परेषणों को सीटीएच 901890 अथवा 852580 के तहत 'चिकित्सा में उपयुक्त चिकित्सा उपकरण तथा यंत्र, शल्य चिकित्सा आदि' अथवा 'टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे आदि' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया जबकि उनके पार्ट को उप शीर्षक 901850/901890 के तहत 'अन्य नेत्र उपकरणों तथा यंत्रों' अथवा 'सर्जिकल टूल' के रूप में वर्गीकृत किया गया। विभाग ने दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. (संशोधित) के तहत मूल सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयातित माल की निकासी की तथा (अधिसूचना संख्या (i) 6/2006-सीई) क्रम संख्या 59(ii) अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई क्रम

संख्या 26 के शून्य/5/10 प्रतिशत पर उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त सीमा शुल्क भी उद्धग्राहय है।

चूंकि मुख्य टैरिफ मद मुख्य रूप से आंतरिक अंगों चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के लिए उनके पार्ट के संबंध में भी डिजाइन किए गए कैमरों के वर्गीकरण हेतु विद्यमान है तथा तदनुसार, उनका सीटीएच 9006 के तहत उत्कृष्ट वर्गीकरण किया जाए तथा उपयुक्त शुल्क उद्धग्राहय है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 37.63 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने रिफाइंड तथा खाद्य श्रेणी की वसा तथा तेल को सौंदर्य प्रसासन तथा औषधीय उपयोग हेतु माल के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.10 सीटीएच 1515 के अन्तर्गत आने वाली 'सभी वसा तथा तेल, रिफाइंड तथा खाद्य श्रेणी' दिनांक 1 मार्च 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 की क्रम संख्या 33 बी के अनुसार शुल्क की रियायती दर के योग्य है।

मै. एन.वी. आर्गेनीक प्रा. लि. ने जनवरी 2012 में जेएनसीएच आयुक्तालय के माध्यम से 20000 कि.ग्रा. 'शिए बटर' का आयात किया तथा विभाग ने माल को अन्य खाद्य श्रेणी के तेल के रूप में सीटीएच 15159099 के तहत वर्गीकृत किया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना के तहत रियायती दर पर इसे अनुमति दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जांच रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आयातित माल कॉसमेटिक उपयोग के लिए है तथा खाद्य और औषधि अनुप्रयोग हेतु योग्य नहीं है, उसी रूप में स्वीकृत छूट गलत थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.30 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

अपर आयुक्त सीमा शुल्क, जेएनसीएच ने सूचित किया (जून 2013) कि आपत्ति को कार्रवाई हेतु संबंधित निर्धारण समूह को अग्रेषित किया गया।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने मोटर पार्टस को प्रवाह, स्तर तथा द्रव्य अथवा गैसो के दबाव को मापने तथा उनकी जांच करने हेतु एक उपकरण के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.11 धारा XVIII के नोट 2 (ख) के अनुसार, पार्टस तथा उपकरण यदि विशेष प्रकार की मशीन, साधन अथवा उपकरण अथवा एक शीर्षक की अधिकतम मशीनों, उपकरणों अथवा साधनों के साथ अकेले अथवा प्रमुख रूप से उपयोग हेतु उपयुक्त हो, तो उन्हें उसी प्रकार की मशीनों, साधनों अथवा उपकरणों के साथ वर्गीकृत किया जाना है।

'हॉट फिल्म एयर मास मीटर्स' वैद्यानिक उत्सर्जन सुनिश्चित करने हेतु सीमा को वास्तविक विद्युत आवश्यकता, वायु दबाव तथा वायु तापमान के अनुसार वर्तमान में इंजेक्शन को सक्षम करने तथा समायोजित करने के लिए मोटर वाहनों के आन्तरिक दहन इंजनों में एयर मास प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि उन्हें मुख्य रूप से अध्याय 87 के मोटर वाहनों में उपयोग किया जाता है, अत: कथित माल सीटीएच 8708 के तहत वर्गीकरण है।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. बॉश्च लि. द्वारा आयातित (जून 2011 से मार्च 2012) 'हॉट फिल्म एयर मास मीटर' के पच्चीस परेषणों को 'प्रवाह, स्तर, दबाव अथवा द्रव्यों या गैसों के अन्य अन्तर को मापने तथा जांच करने के लिए अन्य उपकरणों अथवा साधनों' के रूप में सीटीएच 90268090 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया। माल के इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 34.96 लाख शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

उप-आयुक्त सीमा शुल्क (आईएडी), कस्टम हाउस, चेन्नई ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि 13 परेषणों के संदर्भ में ₹ 17.74 लाख हेतु एक एससीएन जारी किया गया।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने अगरबत्ती पाउडर का गलत वर्गीकरण किया।

5.12 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 के अध्याय 44 के नीचे टिप्पणी 1 (ए) के अनुसार, चिप्स, शेविंग, कुचला, पिसा हुआ, पाउडर किस्म, उपयोग के एक प्रकार के साथ-साथ परफ्यूमरी में लकड़ी को सीटीए, 1975 के अध्याय 44 के दायरे से बाहर रखा है। 'अगरबत्ती' बनाने के लिए कच्ची सामग्री वाले आयातित माल को उक्त अध्याय टिप्पणी के अनुसार सीटीएच 1211 के तहत वर्गीकृत किया गया।

मै. गणेश इंडस्ट्रिज तथा अन्यों ने जेएनसीएच, चेन्नई (समुद्र), कोच्चि एवं लुधियाना (पोर्ट) आयुक्तालय के माध्यम से 'अगरबत्ती पाउडर (अगरबत्ती बनाने के लिए लकड़ी डस्ट पाउडर), के 51 परेषणों का आयात (फरवरी 2011 से मार्च 2013) किया। विभाग ने इन परेषणों का सीटीएच 44013000 के तहत निर्धारण किया।

उक्त टिप्पणी के अनुसार इस माल को सीटीएच 12119029 के तहत गुणों के आधार पर वर्गीकृत तथा तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 28.88 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अपर आयुक्त सीमा शुल्क, जेएनसीएच ने ₹ 7.76 लाख की आपत्ति के संदर्भ में सूचित किया (मई 2013) कि आयातक से ₹ 3.79 लाख की राशि की वसूली की गई तथा शेष राशि हेतु एससीएन सह मांग नोटिस जारी किए गए।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने ऑपरेटिंग टेबलों को एक्स रे उपकरण/चिकित्सा उपकरणों तथा सामग्री के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.13 अध्याय 94 की नामावली की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) की टिप्पणियों के अनुसार, सामान्य तथा विशेष सर्जरी के लिए निर्मित 'ऑपरेटिंग टेबल' को सीटीएच 9402 के तहत सम्मिलित समायोजन, ढ़ाल, धूर्णन अथवा टेबल उठाने के द्वारा विभिन्न ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थिति में रोगी को रखने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया तथा दिनांक 1 मार्च 2006 की

अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई की क्रम संख्या 70 के तहत बीसीडी को 10 प्रतिशत तथा उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत पर निर्धारित किया।

मै. लार्सन तथा टोब्रो लिमिटेड तथा दो अन्यों द्वारा आयातित (जून तथा अगस्त 2011, फरवरी तथा मार्च 2012) मानक सामान के साथ ऑपरेटिंग टेबल के चार परेषणों को 'चिकित्सा उपकरण तथा सामग्री/एक्स-रे उपकरण के रूप में सीटीएच 9018/9022 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 के अनुसार बीसीडी को 5 प्रतिशत पर और अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई के अनुसार अतिरिक्त सीमा शुल्क को क्रमश: शून्य/5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 19.69 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने लकड़ी की आइसक्रीम स्टीक/चम्मच का गलत वर्गीकरण किया।

5.14 'आइसक्रीम की लकड़ी की स्टीक/चम्मच' सीटीएच 44219019 के तहत वर्गीकरणीय है। मै. टैग ओवरसीज ने मई 2012 से अगस्त 2012 की समयावधि के दौरान ₹ 1.07 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य हेतु 'आइसक्रीम लकड़ी स्टीक/चम्मच' के सात परेषणों का आयात किया। माल को 'वाकिंग स्टीक के निर्माण हेतु उपयुक्त वुडन स्टीक, इल हैडंल पिकेट तथा इस प्रकार' के रूप में सीटीएच 44042090 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा तदनुसार अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्रम संख्या 157) के तहत निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल लकड़ी का तैयार सामान था तथा यह सीटीएच 44219019 के तहत सही प्रकार से वर्गीकरणीय था। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 15.18 लाख शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु अखिल भारतीय आयात डाटा आईसीईएस 1.5 के विश्लेषण से पता चला कि इसी प्रकार के माल के 57 प्रेषणों का दिल्ली, गोवा, मुम्बई, गुजरात तथा तमिलनाडु के विभिन्न बन्दरगाहों से आयात किया गया तथा स्पष्ट तौर पर गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने टेलीफोन सेटों के पार्ट के रूप में फीडर केबलस का गलत वर्गीकरण किया

5.15 कोएक्सिल केबल सहित इंसुलेटेड तार, केबल सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 8544 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा मूल सीमा शुल्क के 7.5 प्रतिशत की दर पर उद्धग्रहण योग्य है।

'फीडर केबल' के ₹ 189.83 लाख के पांच परेषणों का मै. श्याम टेलीलिंक लि. द्वारा सीटीएच 85177090 के तहत 'सेलुलर नेटवर्क हेतु टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट के पार्ट' के रूप में चेन्नई (एयर) कस्टम के गलत वर्गीकरण के माध्यम से आयात (सितम्बर 2009) किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 (क्रम संख्या 13) के तहत 'शून्य' दर पर मूल सीमा शुल्क को निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयातित माल का 7.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के प्रभावी उद्धग्रहण पर 'अन्य कोएक्सिल इलेक्ट्रिक कडंक्टर' के रूप में सीटीएच 85442090 के तहत उचित वर्गीकरण किया जाएगा। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 14.25 लाख राशि के शुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)

निर्धारण अधिकारी ने डिजिटल कैमरों का गलत वर्गीकरण किया

5.16 केमकार्डर अथवा विडियो रिकार्डर जैसे स्टील छवि तथा मूविंग छवि तथा दोनों सुविधाओं वाले 'डिजिटल कैमरे' सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क टैरिफ के सीटीएच 85258030 के तहत वर्गीकरण योग्य है तथा 10 प्रतिशत दर पर बीसीडी के उद्धग्रहण योग्य है। बोर्ड ने अपने दिनांक 10 सितम्बर 2007 की परिपत्र संख्या 32/2007 में स्पष्ट किया था कि विषयगत माल इसके प्रमुख कार्यों तथा सुविधाओं के आधार पर सीटीएच 85258030 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

फरवरी 2009 के दौरान आयातित ₹ 68.10 लाख कुल मूल्य वाले 'पैनासोनिक ब्रांड डिजिटल इमेज विडियो कैमरा' के अठारह परेषणों को 'डिजिटल स्टील इमेज विडियो कैमरों' के रूप में सीटएच 85258020 के तहत गलत रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इसे दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 25/2005 की क्रम संख्या 13 के अनुसार मूल सीमाशुल्क के उद्धग्रहण से छूट की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा ने बताया कि आयातित मॉडल स्टील तथा मूविंग छवि दोनों ले सकता था तथा इसे उपरोक्त बताए बोर्ड के परिपत्र के अनुसार सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के सीटीएच 85258030 के तहत 'कैमकार्डस' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तथा यह 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क के उद्धग्रहण योग्य है। दिनांक 1 मार्च 2005 (क्रम संख्या 13) की अधिसूचना संख्या 25/2005 के अनुसार गलत छूट लेने के परिणामस्वरूप
₹ 8.27 लाख सीमाशुल्क का कम उद्धग्रहण हुआ।

इसे दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

अध्याय VI
नशीले पदार्थों का प्रबंधन (राजस्व विभाग)

6.1 प्रस्तावना

देश में अफीम का उपयोग का 1000 एडी तक जहां इसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के एक उपचार के रूप में धन्वन्तरि निघन्तू जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पाया जाता है, पता लगाया जा सकता था। सम्राट अकबर के शासनकाल (1543-1605) के दौरान अफीम की मालवा (मध्य प्रदेश) तथा मेवाड़ (राजस्थान) क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल के दौरान अफीम से राजस्व का संग्रहण राजकोषीय नीति का भाग बन गया तथा बंगाल, बनारस, बिहार, मालवा ऐंजसियों जैसी विभिन्न अफीम एंजेसियों का समय के साथ गठन किया गया। 1950 से पूर्व, नशीले पदार्थ कानून के प्रशासन नामतः 1857 एवं 1878 के अधिनियम तथा खतरनाक दवा अधिनियम 1930 को प्रांतीय सरकार के साथ अधिकार प्राप्त थे। इन एंजेसियों के एकीकरण ने नवम्बर 1950 में अफीम विभाग की स्थापना की जिसे वर्तमान में मादक पदार्थों के केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीएन) के रूप में जाना जाता है। सीबीएन मुख्यालय को 1960 में शिमला से ग्वालियर स्थानांतरित किया गया।

भारत में, अफीम खसखस की खेती को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जारी एक लाइसेंस के अन्तर्गत को छोड़कर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 8 के तहत निषिद्ध किया है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान नाम के परंपरागत तीन अफीम उगाने वाले चयनित राज्यों में भारत सरकार द्वारा अफीम की विधिसंगत खेती को मंजूरी दी गई है। नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 पर संयुक्त राष्ट्र एकल करार पर हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में तथा अफीम के विधिसंगत उत्पादक के रूप में, भारत का उक्त करार के तहत विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 को 1989 तथा 2001 में दो बार संशोधित किया गया। 21 फरवरी 2014 को पारित हुए एनडीपीएस (संशोधन) अधिनियम 2011 का लक्ष्य चिकित्सा उपयोग तथा निजी क्षेत्र

भागीदारी के लिए आवश्यक ओपिएड दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

6.2 संगठनात्मक ढ़ाचा

नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन सभी परिचालन मामलों की अपर सचिव (राजस्व), नारकोटिक्स नियंत्रण डिविजन (एनसीडी), राजस्व विभाग (डीओआर) को सूचना देता है **(परिशिष्ट 26)**। प्रशासनिक, कार्मिक तथा सतर्कता संबंधी मामलों के लिए यह उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड के अधीन है। सीबीएन द्वारा कृषकों से संग्रहीत अफीम को सरकारी अफीम तथा अलकालोएड वर्कस (जीओएडब्ल्यू), नीमच तथा गाजीपुर जो एनसीडी (डीओआर) के तहत चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज (सीसीएफ) के नियंत्रण के अधीन है, को भेजा जाता है।

6.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए रिकॉर्ड की संवीक्षा करना है। इसमें खेती, उत्पादन, कब्जा, भंडारण, बिक्री, खपत, अफीम और इसके व्युत्पादन के आयात तथा निर्यात के लिए नारकोटिक्स आयुक्त, नारकोटिक्स केन्द्रीय ब्यूरों, ग्वालियर के रिकॉर्डो तथा इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ-साथ सरकारी अफीम तथा एलकालोएड वर्क्स (जीएओडब्ल्यू) तथा नारकोटिक्स नियंत्रण डिविजन (डीओआर) के साथ अपने संबंधों की संवीक्षा करना सम्मिलित है।

6.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित स्रोत दस्तावेजों से व्युत्पन्न मानदंड के संदर्भ में की गई:

- एनडीपीएस अधिनियम, 1985; एनडीपीएस (संशोधन) अधिनियम, 1989,2001,2011
- एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स तथा नशीली वस्तुओं में अवैध आवागमन का निवारण) अधिनियम, 1988
- नारकोटिक ड्रग्स तथा नशीली वस्तुओं पर राष्ट्रीय नीति

- सीबीएन गतिविधियों के विनियम हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा तथा अपनी गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए सीबीएन द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र/निर्देश।
- सीबीएन के परिणामी रूपरेखा दस्तावेज (राजस्व विभाग का उत्तरदायित्व केन्द्र)।
- राजस्व विभाग (डीओआर), नारकोटिक्स कट्रोल ब्यूरो (गृह मंत्रालय) की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13।

6.5 संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत व्यक्ति

नारकोटिक्स केन्द्रीय ब्यूरो, ग्वालियर तथा फैक्ट्रीज के प्रमुख नियंत्रक (सामान्य कैडर) के कार्यालय की संस्वीकृत संख्या तथा कार्यरत व्यक्ति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	पद का नाम	संस्वीकृत संख्या		कार्यरत व्यक्ति		रिक्तियां			
		सीबीएन	सीसीएफ	सीबीएन	सीसीएफ	सीबीएन	%	सीसीएफ	%
1.	ग्रुप 'ए'	16	3	8	2	8	50	1	33
2.	ग्रुप 'बी'	57	10	49	7	8	14	3	30
3.	ग्रुप 'सी'	640	145	280	52	360	56	93	64
4.	ग्रुप 'सी' पूर्व ग्रुप 'डी '	494	77	184	31	310	63	46	60
	जोड़	**1207**	**235**	**521**	**92**	**686**		**143**	

सीबीएन तथा सीसीएफ के संगठन दोनों में काफी रिक्त पद है। सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चला सकती है ताकि एनडीपीएस अधिनियम उचित प्रकार से लागू हो।

6.6 नारकोटिक्स नियंत्रण डिविजन (डीओआर) तथा सीबीएन के कार्य तथा उत्तरदायित्व

सीबीएन के कार्य तथा उत्तरदायित्व इसकी खरीद, मात्रा तथा अफीम नियंत्रण की गुणवत्ता, औषधि निर्माताओं को लाइसेंस जारी करने, निवारक, लागू तथा नशीली वस्तुओं के निर्यात-आयात के लिए अफीम खेती के विभिन्न चरणों पर नियंत्रण से बढ़े है। सीबीएन के प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व को नीचे दिया गया है जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों की इन तथ्यों की जांच के लिए पैराग्राफ 7 तथा 8 में संमीक्षा की गई है।

6.7 अफीम खसखस की खेती तथा नियंत्रण प्रक्रिया

नियंत्रण तंत्र को अफीम खसखस खेती से अधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है जिसे एनडीपीएस अधिनियम तथा नियम 1985 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सीबीएन द्वारा अपनाया गया वास्तविक नियंत्रण तंत्र अफीम के अंतिम संग्रहण तक लाइसेंस जारी होने की स्थिति से कृषि गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए लक्षित है। अफीम कृषि चक्र हेतु निम्नलिखित समय-सीमा का अनुसरण किया जाता है:

1.	अफीम नीति को अंतिम रूप देना	अगस्त – सितम्बर
2.	अफीम खसखस की खेती के लिए लाइसेंस जारी करना	अक्तूबर
3.	बुवाई अवधि	अक्तूबर-नवम्बर
4.	रेंज अधिकारी द्वारा खेतों का मापन	मध्य दिसम्बर - मध्य जुलाई
5.	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा खेतों का मापन	मध्य जनवरी – मार्च का 2 सप्ताह
6.	अफीम को चीरा लगाना एवं संग्रहण करना तथा प्रारंभिक तोल रजिस्टर की जांच करना	मध्य फरवरी –मार्च का 3 सप्ताह
7.	बिना चीरा लगाए खराब बीज के जड़ से उखाड़ना	आवेदनों की प्राप्ति पर
8.	मापन ऑपरेशन (अफीम के संग्रहण तथा प्रावधानिक विश्लेषण पर आधारित कृषकों का 90% भुगतान)	अप्रैल का 1 सप्ताह –अप्रैल अन्त
9.	सरकारी फैक्ट्री में अफीम का विश्लेषण तथा औसत खेत की संगणना हेतु रिकॉर्ड का अद्यतन तथा कृषकों के कारण शेष भुगतान	मई से जुलाई के 3 सप्ताह की समाप्ति पर

6.8 नारकोटिक ड्रग्स का निर्माण लाइसेंस जारी करना

एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 37 के अनुसार, अधिनियम की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (बी) के तहत अधिसूचित औषधि के निर्माता की इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म संख्या 3 में इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत, नारकोटिक्स आयुक्त व ऐसे अन्य अधिकारी जैसा भी हो के द्वारा स्वीकृत लाइसेंस की स्थिति के तहत तथा उसके अनुसार सुरक्षा करना प्रतिबंधित है। केवल पांच हजार रूपये की फीस (13 जुलाई 2010 से) के नवीकरण हेतु इस नियम के तहत जारी प्रत्येक लाइसेंस के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए।

नारकोटिक्स औषधियों का निर्माण अनुमान प्रणाली द्वारा शासित है। निर्माण लाइसेंस की अनुमति देते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष

के दौरान निर्माण किए जाने हेतु औषधि की कुल स्वीकृत मात्रा प्रस्तुत रूप में भारत की अनुमानित वार्षिक आवश्यकताओं से अधिक नहीं है तथा इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, वियना, आस्ट्रिया द्वारा दर्शाया जाता है।

सिंथेटिक निर्मित नारकोटिक्स औषधियों के लिए जारी/नवीकरण किए निर्माण लाइसेंस का वर्णन निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी किए गए/नवीकरण किए गए विनिर्माण लाइसेंसों की सं.	वसूली गई फीस (₹ में)
2011	25	125000
2012	46	230000
2013	47	285000[16]
कुल	**118**	**590000**

6.9 निर्यात अनुज्ञप्ति तथा आयात प्रमाण-पत्र जारी करना

वर्ष 1961, 1971 तथा 1988 में औषधि पर किए तीन यूएन करार का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के नाते, भारत ने नारकोटिक्स औषधि तथा मादक वस्तुओं और प्रिकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण हेतु एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को सक्षम बनाया है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 में अनुबंधित एनडीपीएस के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए सीबीएन सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य कर रहा है। ये प्रावधान इन औषधियों के आयात तथा निर्यात को प्रतिबंधित करे यदि नहीं तो नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा एक आयात प्रमाण-पत्र अथवा निर्यात अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।

सीबीएन नारकोटिक्स औषधियों एवं मादक वस्तुओं के निर्यात/आयात हेतु प्रमाण-पत्र जारी करता है तथा उन औषधियों के विनिर्माण हेतु उपयुक्त नारकोटिक औषधि, मादक वस्तुओं तथा केमिकल्स/वस्तुओं के साथ उपयुक्त प्रिकर्सर केमिकल्स के आयात/निर्यात हेतु 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करता है।

नाटकोटिक औषधि तथा मादक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात को अनुमान प्रणाली द्वारा शासित किया जाता है। आयात प्रमाण-पत्र/निर्यात प्राधिकार को मंजूरी देते समय यह सुनश्चित किया जाता है कि विशिष्ट नारकोटिक औषधि

[16] 57 आवेदन प्राप्त किए गए जिनमें से 47 लाइसेंस जारीकिए गए तथा शेष का निपटान किया गया।

तथा मादक वस्तुओं की अनुमानित आवश्यकता भारत की आवश्यकता से अधिक नहीं है। ऐसे आयात प्रमाण-पत्र को इस शर्त पर मंजूरी दी जाती है कि आयातक आयात करने के तुरन्त बाद आयात विवरण प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात अनुप्ति की वैद्यता में किसी प्रकार के संशोधन के साथ-साथ विस्तार को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

किसी भी नारकोटिक औषधि अथवा मादक वस्तुओं को एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 53 तथा नियम 53-ए के अधीन देश में आयातित/निर्यारित किया जा सकता है। एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 54 तथा 58 के अनुसार, आयात प्रमाणपत्र/निर्यात प्राधिकार जारी किया जाए अन्यथा ₹ 1000 फीस (केवल एक हजार रूपये) का भुगतान किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात अनुज्ञप्तियों तथा आयात प्रमाण-पत्रों को निम्नलिखित रूप मे नारकोटिक औषधि तथा मादक वस्तुओं के निर्यात/आयात हेतु जारी किया गया था:

वर्ष	नशीली दवाएं		मादक वस्तुएं		वसूली गई फीस
	निर्यात अनुज्ञप्ति	आयात प्रमाण-पत्र	निर्यात अनुज्ञप्ति	आयात प्रमाण-पत्र	(लाख ₹.)
2011	142	98	2090	150	24.80
2012	119	122	2182	232	26.55
2013	117	88	2059	281	25.45
कुल	378	308	6331	663	76.80

6.10 पूर्ववर्ती रसायनो के निर्यात तथा आयात हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

प्रीकर्सर रसायनों के निर्यातकों को पूर्व-निर्यात अधिसूचना (पीईएन) सिस्टम द्वारा शासित किया जाता है। सीबीएन पीईएन सिस्टम को लेन-देन की वास्तविकता को प्रमाणित करने तथा आसन्न निर्यात को आयात करने वाले और ट्रांसशिप करने वाले देशों के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए उपयोग करता है। ऐसी एनओसीज को निम्नलिखित स्थितियों के अधीन केन्द्रीय ब्यूरो नारकोटिक्स द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क. निर्यात अनुज्ञप्ति की वैद्यता में किसी भी प्रकार के संशोधन के साथ-साथ विस्तार को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

ख. एक परेषण में पोत लदान एनओसी की वैधता के अन्दर किया जाना चाहिए।

ग. निर्यात प्रभावी होने के तुरंत बाद निर्यातकों द्वारा निर्यात विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, पूर्ववर्ती रसायनों के निर्यात/आयात हेतु जारी किये गए 'अनापत्ति प्रमाणपत्रों' की कुल संख्या एवं उगाही की गई फीस/राजस्व निम्न प्रकार है:

वर्ष	जारी किए गए एनओसी की संख्या	उगाही की गई फीस @ ₹ 560/-
2011	1551	8,68,560
2012	1343	7,52,080
2013	1469	2,29,040
कुल	4363	18,49,680

6.11 अफीम के बीजों का आयात

अफीम के बीजों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमत है:

i. आयात केवल आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, फ्रांस, चीन, हंगरी, नीदरलैण्ड, पॉलैण्ड, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की तथा चेक रिपब्लिक से ही अनुमत है;

ii. आयातक निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी से एक उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उस देश में अफीम पोस्त की कृषि अन्तर्राष्ट्रीय नशा नियंत्रण ब्यूरो की अपेक्षाओं के अनुसार अनुमत/वैध रूप से की जाती है; एवं

iii. सभी निर्यात संविदाएँ निर्यात से पहले अनिवार्य रूप से नशा आयुक्त, ग्वालियर के पास पंजीकृत होगीं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पोस्त बीजों के आयात के लिए पंजीकरण जारी करना निम्न प्रकार है।

वर्ष	पोस्त बीज के आयात हेतु पंजीकरण जारी करने की सं.	एमटी में पोस्त बीच का आयात	पोस्त बीच के आयात का उद्देश्य
2010-11	313	17074	व्यापार
2011-12	386	23578	व्यापार
2012-13	407	10381	व्यापार
कुल	1106	51033	व्यापार

6.12 फार्मास्यूटिकल कम्पनियों को नशीली दवाईयों के कोटे का आबन्टन

सीबीएन के वर्ष 2010 से ही उपमुक्त कम्पनियों को नशीली दवाईयों के कोटा आवंटन का कार्य प्रारंभ किया है। तदनुसार, 2011 से 2013 के वर्षों के लिए अपेक्षित विवरण नीचे निम्न दिया गया है:

क्र.सं.	दवाईयों का नाम	2011		2012		2013	
		कम्पनियों की कुल सं.	आबंटित मात्रा (किलो में)	कम्पनियों की कुल सं.	आबंटित मात्रा (किलो में)	कम्पनियों की कुल सं.	आबंटित मात्रा (किलो में)
1	कोडिन	175	68577	139	56004	118	58947.970
2	डैकसट्रो प्रोयौकसीफीन	49	176199	45	172125	34	154354.500
3	डाईफेनोक्सीलेट	21	22994	22	23356	18	17410.810
4	इथाईलमोरफीन	6	527	5	436	5	251.100
5	फेन्टानाईल	16	2.5207	15	3.40404	16	2272.433
6	ओपियम	52	4085.500	43	4579.50	51	4719.500
7	मोरफीन	20	280	21	310	19	263.670
8	ओक्सीकोडोन	4	13.520	4	6	2	0.425
9	पेथेडाईन	6	171.390	8	130	6	54.814
10	फोलकोडाईन	10	295	14	387	10	447
11	सुफेन्टानिल	0	0	0	0	0	0
12	थेबेन	7	890.650	7	841	8	1345
13	डाईहाइड्रोकोडिन	1	733	1	917	4	1005.696
14	हाईड्रोकोडोन	2	0.477	2	0.305	5	6.250
15	मेथाडोन	1	4.5	2	6.4	4	111.150
16	केनाबीस	-	-	1	44.700	0	0

प्रत्येक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ₹ 50 (पचास रूपये केवल) की संसाधन फीस जमा करना आवश्यक है। 2011 से 2013 की अवधि के दौरान संग्रहीत संशाधन फीस की राशि निम्न प्रकार है:

वर्ष	डीजी की सं. @ ₹ 50 प्रत्येक	कुल राशि (₹)
2011	552 x 50	27,600
2012	499 x 50	24,950
2013	395 x 50	25,430[17]

[17] तीन कम्पनियों ने अतिरिक्त फीस के ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे और इन्हें लेखा में जमा किया गया था (₹5680/)

भारत में प्रति हेक्टेयर पोस्त कृषि की अनुमानित लागत (2007) निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	व्यय ₹ में	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1.	भूमि राजस्व तथा कर	10	25	12
2.	खेत जोतने की लागत	500	200	560
3.	खाद की लागत	2000	1200	1000
4.	उर्वरक की लागत	800	250	300
5.	खाद एवं उर्वरक छिडकने की लागत	250	120	60
6.	खेत/जल मार्ग की तैयारी	250	70	200
7.	प्रयुक्त बीजों की लागत	260	260	300
8.	सिचाई की लागत	2000	1000	400
9.	वीडिंग आडट एवं ढीला करने की लागत	1250	1860	1500
10.	कैपसूलों की लेन्सिंग तथा अफीम का संग्रहण	2500	4500	2500
11.	फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग की लागत	200	100	1000
12.	कोई अन्य व्यय	1000	700	500
	कुल व्यय	**11020**	**10285**	**8332**

स्रोत: रोमेश भट्टाचारजी, पूर्व नार्कोटिक्स कमिश्नर द्वारा आवश्यक दवाईयों-2007 के उत्पादन के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंसिंग में भारत के अनुभव पर मामले का अध्ययन

भारत में किसानों को आर्थिक अभिलाभ को दर्शाते हुए अफीम की अनुमत खेती से अनुमानित आय निम्न प्रकार है (2007):

प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार	61.21 किग्रा
कुल उत्पादन	427 एमटी
ताजी अफीम की प्रति किग्रा लागत	यूएसडी 32
सूखी अफीम की प्रति किग्रा लागत	यूएसडी 110
अफीम से प्रति परिवार औसत सकल आय	यूएसडी 1060
खेती में लगे व्यक्यतियों की सं.	72478
जीडीपी	यूएसडी 4156 ट्रीलियन
सकल लाभ	भारत सरकार को : यूएसडी 41.1 मीलियन (2000)

स्रोत: रोमेश भट्टाचारजी, पूर्व नार्कोटिक्स कमिश्नर द्वारा आवश्यक दवाईयों-2007 के उत्पादन के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंसिंग में भारत के अनुभव पर मामले का अध्ययन

6.13 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.13.1 भारत में नशीले पदार्थों के प्रबंधन का निष्पादन।

नशा नियंत्रण डिविजन (डीओआर) सीबीएन तथा जीओएडब्ल्यू के माध्यम से चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नशीली दवाओं की उपब्धता सुरक्षित करने तथा मानवता के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए नशीली दवाईयों के दुरूपयोग तथा तस्करी को रोकने तथा समाघात करने के लिए निम्लिखित के द्वारा दूरदर्शी सोच रखता है:

- चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नशीली दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- दवाईयों की तस्करी को रोकने के लिए निष्पक्षता के साथ औषधी नियमों को लागू कराना ;
- नार्कोटिक दवाओं, मादक पदार्थों तथा अधिसूचित पूर्ववर्ती रसायने के आयात –निर्यात, उपयोग तथा विनिर्माण को विनियमित करना, नियंत्रण करना तथा निगरानी करना;
- कौशल के निरंतर अपग्रेडेशन द्वारा तथा वेहतर संगठनात्मक दक्षता हेतु आईएसओ 9001 प्राप्त करते हुए व्यवसायिक तथा समर्पित कार्यदल का निर्माण करना।

अनुपातिक वित्तीय, मानव संसाधन तथा वाद प्रबंधन सूचना प्रणाली एनसीडी (डीओआर) के उद्देश्यों के सफलता संकेतकों के साथ सहसंबंधित नहीं किये जा सके थे। यद्यपि सीबीएन के पास एक उत्तरदायित्व केन्द्र के रूप में एक परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) है, एनसीडी (डीओआर) अथवा सीसीएफ (जीओएडब्ल्यू) के पास उनके उद्देश्यों को बताने तथा उनके लिए उनकी सफलता संकेतकों का मापन करने के लिए कोई आरएफडी नहीं है। सीबीएन के लिए छब्बीस कार्य रूपरेखित किये गए हैं। सीसीएफ (जीओएडब्ल्यू), एनसीडी (डीओआर) तथा सीबीईसी का सीबीएन के साथ इसके आरएफडी के अनुसार कार्यों के निष्पादन तथा सहमत परिणाम देने हेतु महत्त्वपूर्ण संबंध है। औषधि कानून को लागू करने के लिए नशा नियंत्रण ब्यूरो (एनसीवी), समान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1986 में स्थापित, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संगठन, के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाया

गया है एवं एनसीबी संबंधित एजेन्सियों के बीच समन्वय हेतु एक नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। एनसीबी की लगभग सभी भूमिकाएँ सीबीएन की भूमिकाओं का अवलोकन करती है।

तुर्की, भारत, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन तथा हंगरी विश्व में अफीम पोस्त के मुख्य वैध खेतिहर हैं। नीमच तथा गाजीपुर जीओएडब्ल्यू 250 कि.ग्रा. मोरफीन का उत्पादन करते हैं। इसकी मॉग एक साल में 30000-40000 किग्रा. तक बढ़ने का अनुमान है। समान रूप से करीब 15 टन कोडिन फास्फेट का उत्पादन किया जाता है जबकि आवश्यकता 60 टन कोडिन प्रति वर्ष की है। पिछला मॉग सर्वेक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तेरह वर्ष पहले 2001 में किया गया था।

2012-13 के लिए अखिल भारतीय सीमाशुल्क डाटा (आईसीईएस 1.5) से पता चला कि ₹ 283.40 करोड़ के मूल्य के पोस्त बीजों, ₹ 134.57 (जॉच उद्देश्य हेतु एकल आयात) मूल्य की अफीम तथा ₹ 0.55 लाख मूल्य के कोडिन फास्टफेट का आयात किया गया था।

2012-13 के दौरान ₹ 24.05 करोड़ मूल्य के कोडिन फास्फेट, ₹ 130.71 करोड़ मूल्य की अफीम तथा ₹ 3.72 करोड़ मूल्य के पोस्त बीजों का निर्यात किया गया था। यह तदनुरूपी मदों (पोस्त बीज़) के आयात के मूल्य का केवल 55 प्रतिशत था। यह एक विशाल व्यापार कमी को दर्शाता है। व्यापार एवं मांग विश्लेषण परिदर्श्य से अफीम तथा इसके व्ययुत्पन्न की अप्रयुक्त संभावना का पता चलता है।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि भारत में अफीम की खेती एक सदियों पुरानी परंपरा है। चूंकि भारत 1961 के यूएन समझौते से काफी पहले से अफीम का विनिर्माण एवं निर्यात करता रहा है, इसे अपने उत्पादन का निर्यात करने की स्वतंत्रता थी। क्योंकि अफीम की खेती हजारों खेतिहरों को आजीविका उपलब्ध करा रही है एवं औषधियों के लिए प्रयोग होने वाले बहुत से अफीम युक्त एल्केलायड का स्त्रोत होने के अलावा यह सरकारी राजस्व का स्त्रोत भी है, इसलिए इसका उत्पादन जारी रखा गया था।

मंत्रालय के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि भारत में उत्पादित अफीम के 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात किया जाता है। भारत में अफीम व्युत्पन्न दर्द निवारक की 10 मिग्रा[18] की एक गोली की लागत लगभग यूएस डालर 0.1 है। लैटिन अमेरिका में यही लगभग दस गुना ज्यादा मंहगी है। अफीम से चिकित्सीय घटकों की पैदावार लगभग 10 प्रतिशत है। 2012-13 में ₹ 130.71 करोड़ मूल्य की अफीम का निर्यात किया गया था जिसे यदि चिकित्सीय व्युत्पन्न में रूपान्तरित किया जाता तो घातांकी रूप से उच्च आय हो सकती थी। अत: डीओआर ने विशाल राजस्व खो दिया जो प्रौद्योगिकीय तथा भारतीय औधषि विनिर्माताओं को शामिल करके सरकारी अफीम तथा एल्केलायद कार्य (जीओएडब्ल्यू) में विद्यमान मशीनरी के इष्टतम प्रयोग तथा परिष्कृत उत्पादों के उत्पादन का संवर्धन करते हुए अर्जित किया जा सकता था।

अफीम बीजों के आयात के संबंध में मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि इसकी मांग मात्रा से अधिक होती है जो देश में अफीम की अनुमत खेती के माध्यम से उत्पादित की जाती है। आगे बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर विभाग ने बीजों के आयात के लिए दिशानिर्देश बनाए है एवं ऐसे अनुदेश आयुक्त को भेजे गए हैं। यद्यपि 23591 हेक्टेयर क्षेत्र लाईसेन्सबद्ध था, फिर भी इसका उपयोग 49 प्रतिशत तक कम हो गया था। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया था कि 7276.89 हेक्टेयर भूमि खसखस की अवैध खेती में शामिल थी जो भारत में अतिरिक्त अफीम की खेती की संभावना को दर्शाता है। खेतीहरों तथा विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए लांसिग प्रक्रिया तथा नीति संरचना के माध्यम से अफीम के उत्पादन का बेहतर प्रबंधन खसखस खरीदने में ₹ 283.40 करोड़ तक के मूल्यवान विदेशी विनिमय को बचाने में सहायता कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने अनुरक्षण किया कि खसखस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सम्मिलित उपाय एनडीपीएस नीति प्रबंधन में किये जा सकते हैं जो यदि

[18] रोमेश भट्टाचारजी, भूतपूर्व नार्कोटिक कमिश्नर द्वारा जून 2007 में अनिवार्य दवाईयों के उत्पादन के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंसिंग में भारत का अनुभव

आवश्यक हो तो, उपुयक्त रूप से यूएन प्राधिकारियों के समक्ष रखे जा सकते हैं।

6.13.2 अफीम नीति में अस्पष्टता

अफीम पोस्त की खेती कड़ाई से भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दी गई सामान्य शर्तों के अनुसार अफीम की कुल आवश्यकता पर विचार करने के साथ-साथ अफीम उत्पाद के अवैध चैनलों के विचलन को नियंत्रित करने की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। तद्नुसार, इन सामान्य शर्तों में एक शर्त यह भी सम्मिलित है जो प्रति हेक्टेयर अफीम उत्पाद की कतिपय न्यूनतम अर्हकारी पैदावार (एमक्यूवाई) उपलब्ध कराती है, जो अगले फसल वर्ष के दौरान लाइसेन्स हेतु योग्य होने के लिए लाईसेन्सधारक खेतिहरों द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। एमक्यूवाई पर अन्तिम निर्णय करते समय, उस क्षेत्र में अफीम की प्राप्त की गई प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार पर भी विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि उत्तर प्रदेश राज्य औसत न्यूनतम अर्हकारी पैदावार (एमक्यूवाई) प्राप्त नहीं कर रहा था। पिछले 5 वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है:

फसल वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (प्रावधान)
औसत पैदावार किग्रा/हे. में (यूपी में)	40.40	42.93	43.61	35.68	41.64
किग्रा/हे. में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी पैदावार (यूपी में)	49.00	46.00	49.00	52.00	52.00
कमी	8.60	3.07	5.39	16.32	10.36
कमी (% में)	17.55%	6.67%	11.00%	31.38%	19.92%

उपरोक्त तालिका के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत न्यूनतम अर्हकारी पैदावार के 6.67 प्रतिशत से 31.38 प्रतिशत तक की रेज में कम अफीम का उत्पादन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला कि उत्तर प्रदेश में खेतीहरों की संख्या, जिनके खेत वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पूरी तरह से/आंशिक रूप से नष्ट कर दिये गए थे, इस प्रकार हैं:-

फसल वर्ष	पूरी तरह से नष्ट		आंशिक रूप से नष्ट किए गए		कुल नष्ट किए गए क्षेत्र (हे.में)	जांच के बाद मापा गया कुल क्षेत्र (हे.में)	मापे गए क्षेत्र की तुलना में नष्ट किये गए क्षेत्र की प्रतिशतता
	किए गए खेतिहरों की संख्या	हेकटेएअर में क्षेत्र	खेतीहरों की सं.	हेक्टेयर में क्षेत्र			
2008-09	11	3	2	0	3	-	60.00
2009-10	944	231	44	6	237	273	86.81
2010-11	304	105	241	49	154	259	59.57
2011-12	148	55	71	19	74	102	72.08
2012-13	127	14	80	5	19	25	76.00

उत्तर प्रदेश में कम औसत पैदावार के लिए कारण संकेत करते हैं कि खेतिहर अफीम के उत्पादन में रूचि नहीं रखते बल्कि केवल खसखस के उत्पादन में रखते हैं जो उत्तर प्रदेश में नष्ट किये गए अफीम की प्रतिशतता से भी देखा जा सकता है।

यद्यपि 23591 हेक्टयेर क्षेत्र लाइसेंन्सधारक था, फिर भी उपयोग में 49 प्रतिशत की कमी हुई थी। इस प्रकार, एक ओर सरकार लाइसेन्सधारक क्षेत्र में पोस्त की खेती में 49 प्रतिशत की कमी देख रही है एवं लोकप्रिय खसखस की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु कोई सरकारी नीति नहीं है, किसान अफीम खेती की नीति में बचाव के मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से किसान चिकित्सीय उद्देश्य हेतु अफीम उपलब्ध करने के अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा किये बिना ही अफीम की खेती करते हैं। इसे मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

6.13.3 अफीम नीति में विसंगतियाँ

तीन यूएन औषधि सम्मेलनों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत भारत की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए नशीली दवाएँ तथा मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 बनाया गया था। भारत ने इन तीन सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किये एवं समर्थन किया तथा औषधि के दुरूपयोग को रोकने तथा चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वचन दिया। यह अधिनियम चिकित्सीय अथवा

वैज्ञानिक उद्देश्य को छोड़कर, नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, व्यापार, प्रयोग इत्यादि को प्रतिबंधित करता है:

लेखापरीक्षा जॉच से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- उत्तर प्रदेश में, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष 10 जिलों में 49 क्षेत्रों को अधिसूचित करती है जहॉ अफीम की खेती अनुमत है जबकि वास्तविक खेती बाराबंकी जिले के केवल केवल 13 क्षेत्रों में पाई गई।
- उत्तर प्रदेश राज्य में अगले फसल वर्षों के लिए अफीम की 'न्यूतम अर्हकारी पैदावार (एमक्यूवाई)' अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मॉग के आधार पर प्रस्तावित की गई, ना कि मृदा-जॉच के आधार पर।
- नये खेतीहरों को शामिल करने अथवा नये क्षेत्रों के अद्यतन/उन्नयन हेतु एनडीपीएस अधिनियम एवं अफीम नीति में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।
- खेतिहरों को लाइसेन्स जारी करने से पहले कोई मृदा जॉच नहीं की गई थी।

जिला अफीम अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया कि खेतिहरों को लाइसेन्स जारी करने से पहले कोई मृदा जॉच नहीं की गई थी।

यद्यपि एमक्यूवाई एक विचलन-निरोधक उपाय है, पिछले दस वर्षों में इसके द्वारा रोके गए विचलनों की सीमा स्पष्ट रूप से मापी नहीं गई है। यह देश वार वैश्विक उत्पादन, व्यापार तथा अफीम की खपत प्रवृत्तियों तथा आईएनसीबी द्वारा देश कोटा निर्धारित करने के औषधि मॉग सर्वेक्षण तरीके से उत्तम रूप से व्यक्त होता है।

6.13.4 लाईसेन्स नीति के उल्लंघन के कारण खेतिहर को जारी किये गए अधिक अयोग्य लाईसेन्स

खंड 4(i) – वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए अफीम की खेती हेतु खेतिहरों को लाईसेन्स जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं का 'अधिकतम क्षेत्र' इस प्रकार निर्धारित करता है:

फसल वर्ष	अधिकतम क्षेत्र हेतु अधिसूचना का खंड 4 (i)
2010-11	खेतिहर जिन्होने खंड 2(i) श्रेणी के तहत 60 किग्रा/हे. एवं उससे अधिक की औसत पैदावार प्रस्तुत की है, को 50 एकड़ के लिए लाईसेन्स जारी किया जाएगा।
2011-12	खेतिहर जिन्होने खंड 2(i) श्रेणी के तहत 60 किग्रा/हे. एवं उससे अधिक की औसत पैदावार प्रस्तुत की है, को 50 एकड़ के लिए लाईसेन्स जारी किया जाएगा।
2012-13	खेतिहर जिन्होने खंड 2(i) श्रेणी के तहत 65 किग्रा/हे. एवं उससे अधिक की औसत पैदावार प्रस्तुत की है, को 15 एकड़ के लिए लाईसेन्स जारी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश राज्य में, लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के प्रावधान के विपरीत, विभाग ने उन खेतिहरों को लाईसेंस जारी किये जिनकी औसत पैदावार 2010-11, 2011-12 में 50 एकड़[19] तथा 2012-13 में 15 एकड़ का लाईसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित सीमा से कम थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

फसल वर्ष	खेतिहरों की सं. जिनकी औसत पैदावार पिछले फसल वर्ष में 60 किग्रा./हे.अथवा अधिक थी	खेतिहरों की सं. जिनकी औसत पैदावार पिछले फसल वर्ष में 65 किग्रा./है.अथवा अधिक थी	जारी किये गए लाईसेन्स	जारी किये गए अधिक आयोग्य लाइसेन्स
2010-11	19059	---	50 एकड़ के लिए 20968	1909
2011-12	22755	---	50 एकड़ के लिए 24575	1820
2012-13	---	10273	15 एकड़ के लिए 11616	1343

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान योग्य खेतिहर के प्रति क्रमश: 1909, 1820 तथा 1343 लाईसेंस अधिक जारी किये गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर, डीओआर ने उत्तर दिया कि सूचना वार्षिक नशीले पदार्थ क्रान्फेस (एएनसी) डाटा से ली गई है, जो अस्थाई है। लाईसेंस सरकारी अफीम एवं एलकेलायड कार्य (जीओएडब्ल्यू), नीमच से प्राप्त अन्तिम विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गए हैं, और ना कि एएनसी डाटा के आधार पर। अत: कोई गलत लाईसेंस नहीं जारी किये गए थे।

[19] 100 एकड़= 1 हेक्टेयर

विभाग के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जीओएडब्ल्यू ने केवल अफीम की गुणवत्ता तथा अनुरूपता के लिए खेतीवार विश्लेषण रिपोर्ट जारी की थी। खेतिहरों की पैदावार की गणना संबंधित डिविजनल अफीम अधिकारी द्वारा जीओएडब्ल्यू से प्राप्त अनुरूपी रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। अतः ऐसे डाटा को अस्थाई के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, ₹ 75 लाख (2009-11) के अनुग्रहणपूर्वक भुगतान का कारण एवं औचित्य भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

6.13.5 खेतिहरों, उपज क्षेत्र, उपज गॉव तथा अनुरूपी गैर कर राजस्व की संख्या में निरंतर गिरावट

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 भारत में औषधि कानून को लागू करने हेतू वैधानिक ढॉचा तैयार करता है। अधिनियम द्वारा अधिदेशाधीन नियंत्रण पद्धति के मुख्य घटक निम्नवत है:

(क) चिकित्सीय अथवा वैज्ञानिक उद्देश्य तथा सरकार द्वारा दिये गए किसी लाईसेंस, परमिट अथवा अधिकार पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार को छोड़ कर नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थो की खेती, उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्त्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम में रखना, खपत, अन्तर्राज्यीय संचलन, यानान्तरण एवं निर्यात तथा आयात प्रतिबंधित है (धारा8)।

(ख) केन्द्रीय सरकार नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों की खेती, उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, खपत, प्रयोग इत्यादि को विनियमित करने के लिए सशक्त है (धारा 9)।

इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष के लिए नीति को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने हेतु पोस्त की खेती पर एक वार्षिक नशीली दवाएँ सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम -6 के द्वारा लाईसेंस फीस की राशि निर्धारित की गई है, जो 5 नवम्बर 1994 से प्रभावी होने के लिए लागू ₹ 25.00 प्रति लाईसेंस के रूप में निर्धारित की गई है।

2010-11 से 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में, गॉवों की संख्या लाईसेंस धारक खेतिहर/फसल तथा प्राप्त हुई लाईसेंस फीस नीचे दी गई है।

वर्ष	लाईसेंस धारक खेतीहर की सं.	पैदावार करने वाले खेतीहरों की सं.	लाइसेंस धारक क्षेत्र (हे.में)	पैदावार वाला क्षेत्र (हे.में)	लाइसेंस धारक/ पैदावार वाले गॉवों की सं.	वसूल किया गया लाईसेंस शुल्क @ ₹25/-
2010-11	28743	28259	13205.25	8414.06	907/906	718575
2011-12	27380	22965	13269.10	6521.73	873/872	684500
2012-13	26115	25678	3192.31	3084.05	844/842	652875

2010-11 से 2012-13 के दौरान राजस्थान राज्य में, गॉवों की संख्या लाईसेंस धारक खेतिहर/फसल तथा प्राप्त हुई लाईसेंस फीस नीचे दी गई है।

वर्ष	लाईसेंस धारक खेतीहर की सं.	पैदावार करने वाले खेतीहरों की सं.	लाइसेंस धारक क्षेत्र (हे.में)	पैदावार वाला क्षेत्र (हे.में)	लाइसेंस धारक/ पैदावार वाले गॉवों की सं.	वसूल किया गया लाईसेंस शुल्क @ ₹25/-
2010-11	24280	23925	11069.45	7998.895	903/903	607000
2011-12	21204	17521	10214.70	5541.64	744/729	530100
2012-13	20464	19954	2641.66	2529.60	711/710	511600

लेखापरीक्षा ने देखा कि:-

i. अफीम पोस्त की खेती हेतु लाईसेंसधारक क्षेत्र के संबंध में मध्य प्रदेश में पैदावार क्षेत्र वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमश: 36.29 प्रतिशत, 50.86 प्रतिशत तथा 3.40 प्रतिशत तक कम था एवं राजस्थान राज्य में पैदावार क्षेत्र वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमश: 27.74 प्रतिशत, 45.74 प्रतिशत तथा 4.24 प्रतिशत तक कम था।

ii. लाईसेंस धारक खेतिहरों की संख्या भी प्रत्येक वर्ष कम हुई थी जिसके परिणामस्वरूप गैर-कर राजस्व में गिरावट आई, जो मध्य प्रदेश राज्य मे तीन वर्षों मे 9.15 प्रतिशत तक कम हुआ था तथा राजस्थान राज्य में तीन वर्षों में 15.72 प्रतिशत तक कम हुआ था।

iii. तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 में मध्य प्रदेश राज्य में 65 गॉव तथा राजस्थान राज्य में 193 गॉवों तक गॉवों की संख्या कम हुई थी जहॉ खेतिहर अफीम पोस्त की खेती करते हैं।

iv. एनडीपीएस तथा अफीम नीति में नये क्षेत्रों तथा नये खेतिहरों को शामिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

v. लाईसेंस शुल्क की राशि ₹ 25 प्रति लाईसेंस निर्धारित की गई थी जो 5 नवम्बर 1994 से प्रभावी थी, जिसकी ना तो समीक्षा की गई एवं न ही उन्नयन किया गया था।

राजस्थान राज्य में, उपरोक्त मामला उप नशा आयुक्त, कोटा को सूचित किया गया था (फरवरी 2014)। विभाग ने बताया कि यह नीति संबंधी मामला है एवं मंत्रालय द्वारा निर्णय किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कवर की गई अवधि (अप्रैल, 2010 से मार्च 2013) के दौरान लाईसेंस फीस की वसूली में लगातार कमी आई है, जैसाकि नीचे वर्णित है:

फसल वर्ष	जारी किये गए लाईसेन्सों की संख्या	लाईसेंस फीस की राशि ₹
2010-11	607	15175
2011-12	276	6900
2012-13	246	6150

लाईसेंस शुल्क में लगातार कमी के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया गया:

- एनडीपीएस तथा अफीम नीति में नये क्षेत्रों तथा नये खेतिहरों को शामिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- लाईसेंस फीस की राशि की न तो समीक्षा की गई थी और न ही 1994 से उन्नयन किया गया था।

विभाग ने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि लाईसेंस फीस की राशि की न तो समीक्षा की गई थी और न ही 1994 से उन्नयन किया गया था।

डीओआर ने बताया (मार्च 2014) कि अफीम का खरीद मूल्य डीओआर द्वारा निर्धारित किया गया है जो अनुमानित खेती की लागत तथा खेतिहरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर आधारित है।

6.13.6 अपेक्षित अफीम उत्पादन का प्राप्त न होना।

बिना लाईसेंस के पोस्त की खेती एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। प्रत्येक वर्ष, सामान्य तौर पर अगस्त/सितम्बर के महीने में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिये गए दिशानिर्देशों/वार्षिक नीति के अनुसार जिला अफीम डिविजनों द्वारा लाईसेंस जारी किए जाते हैं।

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांत निम्नलिखित है:

i. घरेलू तथा निर्यात उद्देश्यों हेतु प्रक्षेपित वार्षिक आवश्यकता।

ii. घरेलू अनुमत आवश्यकता तथा चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों हेतु अफीम के सुरक्षित भंडार के लिए आवश्यकता एवं

iii. निर्यातों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वचन बद्धताएँ।

मध्य प्रदेश राज्य में, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्यात के लिए तथा घरेलू प्रयोग हेतु अफीम की अपेक्षित/अनुमानित आवश्यकता (एक वर्ष का सुरक्षित भंडार) के साथ-साथ अफीम का उपलब्ध भंडार निम्न प्रकार है:

(70^0 सी पर एमटीएस में मात्रा)

वर्ष	घरेलू उपयोग हेतु	निर्यात के लिए	निवल आश्यकता (एक वर्ष के सुरक्षित भंडार सहित)	अफीम का उत्पादन	उत्पादन में गिरावट
2010-11	219	482	1145	1045	100
2011-12	219	806	1394	794	600
2012-13	193	437	540	371	169

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए अफीम की आवश्यकता के संबंध में अफीम के उत्पादन में क्रमश: 100 एमटी, 600 एमटी तथा 169 एमटी की कमी स्पष्ट रूप से अफीम की अनुमानित आवश्यकता/उत्पादन को प्राप्त करने में विभाग की विफलता को दर्शाती है।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया था, विभाग ने बताया कि (जनवरी 2014) कि अफीम के उत्पादन में गिरावट वर्ष 2010-11 में फसल में नुक्सान (पौधों में बीमारी/प्राकृतिक आपदा) के कारण फसल की कम पैदावार के कारण, वर्ष 2011-12 में भारी नुक्सान के कारण अफीम का व्यापक नष्ट करना/उखाड़ना एवं वर्ष 2012-13 में 35 एकड़ तथा 50 एकड़ के स्थान पर 10 एकड़ तथा 15 एकड़ के लिए खेतिहरों को लाईसेंस दिये जाने के परिणामस्वरूप कम पैदावार क्षेत्र होने के कारण थी।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए लाइसेंसिंग नीति विभिन्न पहलुओं जैसे अफीम के घरेलू प्रयोग, निर्यात हेतु बचनबद्धता,

न्यूनतम अर्हकारी पैदावार, खेतिहरों की संख्या, गाँवों की संख्या तथा पिछले वर्ष के प्रचलन इत्यादि पर विचार करने के बाद तैयार की जाती है तथा इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भी वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान अफीम के उत्पादन में क्रमश: 43.04 प्रतिशत तथा 31.29 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी।

अफीम पोस्त फसल की स्थिति का पता लगाने तथा चिन्हित करने के लिए सीबीएन द्वारा उपग्रह चित्र का प्रयोग किया गया था तथापि, अफीम की खेती के लिए ऐसी एजेन्सियों के साथ संविदा अनुबंध के साथ उपग्रह चित्रों की शुरूआत, प्रयोग प्रबंधन से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उत्पाद तथा इसके प्रयोग की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित नियंत्रण बनाए रखते हुए नशीले एलकेलाएड से अर्क निकालने के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने के प्रति उठाए गए कदमों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि प्रत्येक वर्ष एमक्यूवाई को धीरे-धीरे बढ़ाना उनका प्रयास रहा है ताकि यह अफीम के अवैध मार्गों में विचलन के लिए निवारक के रूप में कार्य करे।

6.13.7 अत्यधिक वापस जुताई के कारण अफीम की फसल को हानि

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई वार्षिक अधिसूचनाओं के साथ पठित विभाग द्वारा जारी की गई नियम –पुस्तक के भाग-।।, पैरा -131 के प्रावधानों के अनुसार अफीम पोस्त की फसल की निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत वापस जुताई की जा सकती है:

(i) यदि खेतिहर प्राकृतिक आपदा, वर्षा, पौधों में बीमारी इत्यादि के कारण खराब हुई अफीम की फसल को जड़ से नष्ट करने हेतु आवेदन करता है।

(ii) यदि खेती क्षेत्र पोस्त की खेती हेतु लाईसेंस धारक क्षेत्र से 5 प्रतिशत की 'क्षमा योग्य सीमा' से अधिक हो जाता है: बशर्ते कि वापस जुताई विभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन हो (सरकारी अधिसूचना सं.-1- नशा नियंत्रण के जीएसआर 702 (ई) का पैरा 3(iii)।

उत्तर प्रदेश राज्य में, लेखापरीक्षा ने देखा कि मापे गए क्षेत्र की तुलना में नष्ट किये गए क्षेत्र की प्रतिशतता एक उर्ध्वमुखी प्रवृति दर्शाती है एवं उपरोक्त उक्त प्रावधानों की अवहेलना में की गई थी। बाराबंकी जिले में, नष्ट किया गया क्षेत्र 2011 में 59.57 प्रतिशत से 2013 में 75.32 प्रतिशत तक बढ़ गया था, तथा प्राकृतिक आपदा जैसे वर्षा, पौधो में बीमारी इत्यादि जैसा कोई कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में नष्ट किये जाने से संबंधित एक निदर्शी मामला नीचे बताया गया:

बरेली जिला में, एक खेतिहर ने फसल वर्ष 2011-12 के दौरान 5 प्रतिशत की 'क्षमायोग्य सीमा' से अधिक खेती की थी तथा अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 29 मार्च 2012 के अपील आदेश सं. 9/2012 के द्वारा फसल के केवल अतिरिक्त भाग की वापस जुताई का आदेश दिया था। तथापि, डीओओ ने उपरोक्त प्रावधानों तथा अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना में खेतिहर की समस्त फसल की वापस जुताई की। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य का जिला अफीम अधिकारी द्वारा जानबूझ कर 2012 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, यह उत्तर दिया गया था कि उक्त खेतिहर की समस्त फसल अपील आदेश पारित होने के समय तक सूख गई थी तथा वापस जुताई किसान के आवेदन पर की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि फसल के समय-कार्यक्रम के अनुसार लेसिंग मार्च के मध्य तक प्रारंभ होती है तथा लेसिंग प्रारंभ होने के पश्चात वापस जुताई को नीति में कड़ाई से निषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त कृषक के प्रपत्र सं.1 (अफीम पोस्त की खेती के लिए लाईसेंस का प्रपत्र), प्रपत्र सं. 2 (लाईसेंस जारी करना) तथा फसल को नष्ट किये जाने हेतू आवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, जिला अफीम अधिकारी की कार्रवाई ने ना केवल उपरोक्त अपीलीय आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को

भी दर्शाया, क्योंकि फसलों को नष्ट किये जाने के विवरण से संबंधित कोई उचित दस्तावेज इकाई द्वारा नहीं बनाए गए थे।

यह स्पष्ट है कि पोस्त के पौधे के समान पदार्थ जैसे तिनके, बीच तथा भूमि इत्यादि का निपटान/बिक्री राज्य उत्पाद शुल्क तंत्र के माध्यम से किया जाता है। इन नियंत्रित उत्पादों के निपटान/बिक्री की प्रक्रिया तथा दुरूपयोग को रोकने हेतु इसके समाधान को वेहतर नियंत्रण हेतु सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यक है।

डीओआर ने उत्तर में कहा कि (मार्च 2014) उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण पोस्त बीजों के आयात के लिए दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा अनुदेश नशा आयुक्त को भेज दिए गए हैं।

उप उत्पाद के निपटान तथा इन उप-उत्पादों, यदि कोई हैं, के निपटान में लगी एजेंसी के संबंध में, डीओआर की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

6.13.8 अफीम नमूना जॉच रिपोर्टों का सत्यापन न करना

एनडीपीएस अधिनियम तथा नियमावली, 1985 के प्रावधानों के अनुसार, डीओओ द्वारा संग्रहित की गई कच्ची अफीम नमूनों तथा ढ़ेर में जीओएडब्ल्यू (अफीम फैक्ट्री) को भेजी जाती है। फैक्ट्री कच्ची अफीम की जॉच करती है, गुणवत्ता ग्रेड प्रदान करती है (अच्छा/घटिया/मिलावटी/अयोग्य जैसा भी मामला हो) एवं जॉच रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की फसल के लिए विभाग को अग्रेषित करती है। ये रिपोर्ट अगले फसल वर्ष हेतू कृषि लाईसेंस जारी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सरकारी अफीम तथा एल्केलाड कार्य (जीओएडब्ल्यू), गाजीपुर ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान डीडीओज द्वारा भेजे गए अफीम के बोरों की जॉच की जैसा कि नीचे वर्णित है:

फसल वर्ष	'अच्छी अफीम के रूप में फैक्टरी को भेजे गए बोरों की सं.	फैक्टरी द्वारा 'घटिया' के रूप में उदघोषित बोरों की सं.	टिप्पणी
2011-11	341	37	कोई कारण नहीं दिया गया
2011-12	105	14	कोई कारण नहीं दिया गया
2012-13	105	29	(2.12-13 के लिए अस्थाई ऑकडा)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अफीम के कुछ बोरे घटिया घोषित किये गए थे परन्तु वे आधार जिस पर ये बोरे घटिया घोषित किये गए थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

यह भी देखा गया था कि विभाग के पास भिन्नता, यदि कोई है, की जॉच की प्रति-जॉच करने अथवा सत्यापन करने हेतु कोई तंत्र नहीं है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

6.13.9 अफीम की गुणवत्ता तथा तुलाई की प्रारंभिक जॉच में तंत्र

खेतीहरों से अफीम की खरीद के समय, प्रस्तुत अफीम अलग-अलग आर्द्रता के साथ होती है। वास्तविक भार को मानकीकृत करने के लिए, खरीद केन्द्रों पर केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) से प्रतिनियुक्त रसायनज्ञों द्वारा गर्म ओवन में प्रस्तुत अफीम के नमूने की अस्थाई जॉच की जाती है। इन रसायनज्ञों द्वारा दर्शायी गई आर्द्रता मात्रा के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर अफीम अस्थाई 90 प्रतिशत भुगतान हेतु व्युत्पन्न की जाती है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों रूप से, अफीम की अन्तिम जॉच सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कार्य (जीओएडब्ल्यू) नीमच तथा गाजीपुर में की जाती है, जिसके आधार पर खेतिहरों को भुगतान की जानी वाली अन्तिम राशि निर्धारित की जाती है।

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 15 के अनुसार जिला अफीम अधिकारी अथवा उपरोक्त के रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को खेतिहर द्वारा पहुँचाई गई सारी अफीम की तुलाई, जॉच तथा इसकी गुणवत्ता तथा गाढ़ेपन के अनुसार वर्गीकरण संबंधित खेतिहर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति तथा गॉव के नम्बरदार की उपस्थिति में किया जाएगा तथा जिला अफीम अधिकारी द्वारा, ऐसे रूप में से जैसा नशा आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सरकारी अफीम फैक्ट्री को अग्रेषित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, नियम 17 के अनुसार जब खेतिहर द्वारा जिला अफीम अधिकारी अथवा उसके स्थान पर प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पहुँचाई गई अफीम में किसी बाहरी पदार्थ की मिलावट किये जाने का संदेह होता है तो, इसे खेतिहर तथा संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में उचित रूप से सील करने के बाद अलग से सरकारी अफीम फैक्ट्री को अग्रेषित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त एनडीपीएस नियमावली, 1985 का नियम 24(2) स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी अफीम के संबंध में भुगतान योग्य मूल्य, जो नियम 14 के अन्तर्गत जिला अफीम अधिकारी अथवा उसके स्थान पर प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पहुँचाई गई है तथा जिस पर पहले से ही मिलावटी होने का संदेह नहीं है परन्तु सरकारी अफीम फैक्ट्री में जॉच पर मिलावटी पाई गई है, ऐसी दरों, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर कटौती के अध्यधीन होगी।

मध्य प्रदेश राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए तीन जिला अफीम अधिकारियों (नीमच-1, मंदसौर-111 तथा जाऔरा-11) के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान लेखापरीक्षा ने तुलाई केन्द्र पर प्रारंभिक जॉच तथा जीओएडब्ल्यू नीमच में अन्तिम जॉच के परिणामों के मध्य अन्तर देखा।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान, तुलाई केन्द्र पर प्राप्त हुए 25210 नमूनों में से जीओएडब्ल्यू , नीमच को 25185 नमूने अच्छे के रूप में तथा 25 नमूने संदेहास्पद के रूप में भेजे गए थे **(परिशिष्ट 27)**। जीओएडब्ल्यू, नीमच रिपोर्ट के अनुसार, 25185 अच्छे नमूनों में से, 662 नमूने या तो अच्छे नहीं पाए गए थे अथवा उनकी श्रेणी/गाढापन में दो या दो से अधिक स्तर तक अन्तर पाया गया था (444 नमूने मिलावटी घोषित किये गए तथा 218 नमूनों में श्रेणी/गाढ़ापन स्तर में दो या अधिक स्तरों तक अन्तर पाया गया था)। समान रूप से 25 संदेहास्पद नमूनों में से, 19 जीओडब्ल्यू, नीमच द्वारा अच्छे पाए गए थे।

जब मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया था तो यह बताया गया था कि तुलाई केन्द्र पर अफीम के भार की गणना के लिए अफीम नमूनों के गाढ़ेपन के निर्धारण के विश्लेषण के लिए केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) से प्रतिनियुक्ति रसायनज्ञ द्वारा गर्म ओवन जॉच की जाती है। शुद्धता जॉच जीओएडब्ल्यू, नीमच द्वारा की गई है। अफीम की शुद्धता जॉच एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें लम्बा समय लगता है तथा यह संभव है कि प्रारंभिक तथा अन्तिम जॉच के परिणामों में अन्तर हो जाए।

राजस्थान राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा, कोटा तथा प्रतापगढ़ के अभिलेखों की नमूना जॉच में

लेखापरीक्षा ने तुलाई केन्द्र पर प्रारंभिक जॉच तथा जीओएडब्ल्यू, नीमच पर अन्तिम जॉच के परिणामों के बीच में अन्तर देखा **(परिशिष्ट 28)**।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान, तुलाई केन्द्रों पर प्राप्त हुए 35778 नमूनों में से जीओएडब्ल्यू, नीमच को 35438 नमूने अच्छे के रूप में तथा 340 नमूने संदेहास्पद के रूप में भेजे गए थे। जीओएडब्ल्यू, नीमच रिपोर्ट के अनुसार 35438 नमूनों में से 33465 नमूने पास हुए थे, 1181 नमूने घटिया/मिलावटी घोषित किये गए, गाढ़ेपन में दो श्रेणियों से अधिक के अन्तर के कारण 237 सील किए गए नमूने पास किये गए थे तथा 555 सील नमून गाढ़ेपन में दो श्रेणी के अन्तर के कारण पास किये गए थे। 340 संदेहास्पद नमूनों में से, फैक्ट्री रिपोर्ट बताती है कि 93 नमूने पास किये गए थे तथा 246 नमूने घटिया/मिलावटी पाए गए थे तथा एक मामले में फैक्ट्री का परिणाम प्रतीक्षित था।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया था (दिसम्बर 2013); डीओओ, कोटा ने उत्तर नहीं दिया। डीओओ, भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ ने उत्तर दिया कि फैक्ट्री के साथ-साथ संग्रह केन्द्र पर अफीम की जॉच केन्द्रीय राजस्व रसायन प्रयोगशाला (सीआरसीएल) स्टाफ के रसायनज्ञ द्वारा की जाती है।

यह दर्शाया है कि संग्रहण केन्द्र पर अफीम की गुणवत्ता तथा गाढ़ेपन के संबंध में अफीम की प्रारंभिक स्तरीय जॉच मे उचित तंत्र नहीं अपनाया गया था। नम्बरदार, संग्रहण केन्द्र तथा जीओएडब्ल्यूज के स्तर पर तुलाई का कोई समाधान नहीं था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

6.13.10 अफीम पोस्त के खेतिहरों से बकाया सरकारी देय राशियों की वसूली न होना

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 20 के अनुसार, जिला अफीम अधिकारी अलग-अलग खेतिहरों द्वारा पहुँचाई गई अफीम के भार तथा गाढ़ेपन का ध्यान रखते हुए, मानक गाढ़ेपन के अनुसार ऐसी अफीम का भार निकालेगा तथा ऐसे खेतिहर को अस्थाई रूप से भुगतान की जाने वाली कीमत निर्धारित करेगा। उक्त अधिकारी इस तरह निर्धारित किए गए मूल्य के नब्बे प्रतिशत का भुगतान खेतिहर को करेगा जो यहाँ बाद में प्रावधानों के अनुसार

निर्धारित किये जाने वाला खेतिहर को भुगतान योग्य अन्तिम मूल्य के प्रति समायोजन के अध्यधीन होगा।

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 24(2) अनुसार किसी अफीम के संबंध में भुगतान योग्य मूल्य, जो नियम 14 के अन्तर्गत जिला अफीम अधिकारी अथवा उसके स्थान पर प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पहुँचाई गई है तथा जिस पर पहले से ही मिलावटी होने का संदेह नहीं है परन्तु सरकारी अफीम फैक्ट्ररी में जॉच पर मिलावटी पाई गई है, ऐसी दरों, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर कटौती के अध्यधीन होगी।

इसके अतिरिक्त एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 25 के अनुसार एक विशिष्ट फसल वर्ष के लिए खेतिहर के लेखे जिला अफीम अधिकारी द्वारा अगले फसल वर्ष के लिए लाईसेंस जारी करते समय समायोजित किये जाएगें तथा कोई शेष जो खेतिहरों की ओर से बकाया रहता है, की वसूली की जाएगी तथा उनको देय किसी शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के नियम 25 के साथ पठित धारा 72(1) के अनुसार इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश के किसी प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को भुगतान योग्य किसी प्रकार की अन्य राशि अथवा किसी लाईसेंस फीस के संबंध में, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, का अधिकारी,जो ऐसी राशि के भुगतान की मॉग करने के लिए सशक्त है, ऐसे व्यक्ति को देय किसी धन से ऐसी धन की राशि की कटौती कर सकता है जिससे ऐसी राशि वसूली योग्य हो अथवा देय है अथवा ऐसी राशि को ऐसे व्यक्तियों से संबंधित माल की कुर्की अथवा बिक्री के द्वारा वसूल कर सकता है तथा यदि इसकी राशि इस प्रकार वसूल नहीं की जाती है तो इसकी वसूली उस व्यक्ति अथवा उसके जमानती (यदि कोई है) से इस प्रकार की जा सकती है जैसे यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि डिवीजनल अफीम अधिकारियों (डीओओ) ने अफीम की तुलाई के समय खेतिहरों को 90 प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया जो भुगतान योग्य अन्तिम मूल्य के

प्रति समायोजन के अध्यधीन था। जीओएडब्ल्यू नीमच द्वारा जॉच करने पर, प्राप्त अफीम मिलावटी पाई गई थी तथा घटिया अफीम के रूप में वर्गीकृत की गई जिसके कारण तुलाई के समय पर निर्धारित किये गए मूल्य से मूल्य में गिरावट आई तथा खेतिहरों को भुगतान की गई ₹ 187.31 लाख की अधिक राशि वसूली किये जाने के लिए दायी थी जो खेतिहरों से छह डीओओज द्वारा 1 से 12 वर्षों तक वसूल नहीं की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	डिवीजनल अफीम अधिकारी का नाम	खेतिहरों की सं.	राशि (₹)
1.	नीमच-I	96	9,91,293
2.	मन्दसौर -III	60	7,05,220
3.	जाऔरा -II	17	1,69,648
4.	भीलवाड़ा	37	5,18,209
5.	कोटा	745	1,62,42,787
6.	प्रतापगढ़	06	1,04,305
	कुल	**961**	**1,87,31,462**

उपरोक्त राशि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 72(1) के अनुसार वसूल की जा सकती है।

मध्य प्रदेश राज्य में, उपरोक्त मामला विभाग की जानकारी में लाया गया था, डीडीओ, नीमच -I, मंदसौर-III तथा जाऔरा-II ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि देय राशियों की वसूली के लिए समय-समय पर खेतिहरों को नोटिस जारी किये गए थे तथा बकाया वसूली के लिए सर्वोत्तम प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई नियमित आपत्तियों के बावजूद, खेतिहरों से ₹ 18.66 लाख की राशि की बकाया वसूली 2000-01 से लंबित थी जो उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत समायोजित/वसूल की जानी चाहिए थी।

राजस्थान राज्य में, मामला दिसम्बर 2013 में विभाग अर्थात डीओओ, भीलवाड़ा, कोटा तथा प्रतापगढ़ की जानकारी में लाया गया था। ₹ 168.65 लाख की बकाया वसूली के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय से बकाया देय राशियों की गैर-वसूली, सम्मिलित किसानों की संख्या, खेतिहरों की कुल संख्या जिन्हें उस क्षेत्र में लाईसेंस जारी किये गए थे, पर

सूचना प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

स्मार्ट कार्ड के प्रयोग के संदर्भ में, मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

6.13.11 खेतिहरों से अन्य को किया गया ₹ 208.39 लाख का भुगतान

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 20 के साथ पठित धारा 9 {2 (डी)} के अनुसार, जिला अफीम अधिकारी अलग-अलग खेतिहरों द्वारा पहुँचाई गई अफीम के भार तथा गाढ़ेपन का ध्यान रखते हुए, मानक गाढ़ेपन के अनुसार ऐसी अफीम का भार निकालेगा तथा ऐसे खेतिहर को अस्थाई रूप से भुगतान की जाने वाली कीमत निर्धारित करेगा। उक्त अधिकारी इस तरह निर्धारित किऐ गए मूल्य के नब्बे प्रतिशत का भुगतान खेतिहर को करेगा जो यहाँ बाद में प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले खेतिहर को भुगतान योग्य अन्तिम मूल्य के प्रति समायोजन के अध्यधीन होगा।

मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए तीन जिला अफीम अधिकारियों (जाओरा ।।, मंदसौर –।।। तथा नीमच -। के अफीम भुगतान रजिस्टर की नमूना जॉच में, लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत विभाग ने अफीम के 90 प्रतिशत मूल्य तथा इसकी शेष राशि के रूप में ₹ 151.94 लाख का भुगतान खेतिहरों के अलावा अन्य व्यक्ति को किया था जैसे पुत्र, भाई, पुत्री एवं मुखिया इत्यादि जो उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था **(परिशिष्ट -29)**।

जब मामला विभाग की जानकारी के लाया गया था, तो इसने उत्तर दिया ''कि अफीम नियम पुस्तिका खण्ड-।। के अनुसार, यदि कोई खेतिहर अनुपस्थित है, तो उसके लिए भुगतान नम्बरदार को अथवा नम्बरदार की जवाबदेही पर खेतिहरों द्वारा स्वयं नियुक्त किए गए विकल्प को किया जा सकता है,'' तथा अफीम की लागत की प्राप्ति न होने से संबंधित कोई शिकायत खेतिहरों से प्राप्त नहीं हुई थी तथा वर्ष 2012-13 से अफीम की लागत का ई-भुगतान के माध्यम से खेतिहर के व्यक्तिगत बैंक खाते के भुगतान किया गया था।

तथ्य यह है कि ₹ 151.94 लाख की राशि का भुगतान खेतिहरों से कोई नियुक्ति पत्र प्राप्त किये बिना ही खेतिहरो के अलावा अन्य व्यक्तियों को किया गया था।

राजस्थान राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा, कोटा तथा प्रतापगढ़ के अभिलेखों के नमूना जॉच के दौरान (अफीम भुगतान रजिस्टर) लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने फसल वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 56,45,300/- (क्रमश: ₹ 18,11,200+ 8,79,500+29,54,600) की अफीम राशि के लिए 90 प्रतिशत भुगतान की राशि खेतिहरों से अन्य व्यक्तियों को (परिशिष्ट 30) की थी जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अनियमित है।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया था (दिसम्बर 2013)। डीओओ, कोटा ने उत्तर नहीं दिया। डीओओ, प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा ने बताया ''कि अफीम नियम पुस्तिका खण्ड-II के अनुसार, यदि कोई खेतिहर अनुपस्थित है, तो उसके लिए भुगतान नम्बरदार को अथवा नम्बरदार की जवाबदेही पर खेतिहरों द्वारा स्वयं नियुक्त किए गए विकल्प को किया जा सकता है,''

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि मूल खेतिहर ने कोई अधिकार नहीं दिया था कि किसे भुगतान किया जाना था; इसलिए भुगतान अनियमित था।

6.13.12 निपटान के लिए तैयार अन्य मादक दवाओं तथा जब्त किये गए माल, अफीम का निपटान न करना

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के अनुसार, केन्द्रीय सरकार किन्ही नशीली दवाओं अथवा मादक पदार्थों की खतरनाक प्रवृत्ति, चोरी के लिए उनकी अतिसंवेदनशीलता, एवजी उचित भण्डारण स्थान की बाध्यता अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण का ध्यान रखते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवाकर, ऐसी नशीली दवाओं अथवा मादक पदार्थों अथवा नशीली दवाओं अथवा मादक पदार्थों की श्रेणी को विनिर्दिष्ट कर सकती है जो उनकी जब्ती के पश्चात जितनी शीघ्रता से संभव हो, ऐसे अधिकारों द्वारा एवं ऐसे ढंग से जैसा सरकार समय-समय पर यहाँ निर्दिष्ट की गई

प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात निर्धारित करे, निपटान की जाएँगी। न्यायालय में प्रक्रिया के पूरा होने के बाद तथा यह पता लगने के पश्चात कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही लम्बित नहीं हैं, जब्त किए गए माल का विभाग द्वारा निपटान किया जाना है। अफीम के मामले में, माल जीओएडब्ल्यू, नीमच में जमा कराया जाना है।

राजस्थान राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए डीएनसी कोटा, जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ तथा पी एण्ड आई सेल जयपुर (माल मालखाना रजिस्टर) के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान, लेखा परीक्षा ने देखा कि विभिन्न प्रकार की मादक सामग्री जैसे अफीम (88.385 किग्रा) हेरोइन (1.420 किग्रा), पोस्त चरा (25089 किग्रा), चरस (2.250 किग्रा), गॉजा (23.950 किग्रा) भॉग (32.350 किग्रा), ब्राउन सुगर (0.700 किग्रा) पोस्त भूसा (19.500 किग्रा.) एवं अलप्रोजोलम (0.220 किग्रा) विभाग द्वारा जब्त किये जाने के पश्चात 15 से 32 वर्षों से अधिक समय से निपटान के लिए मालखाना में लम्बित पड़ी थी, जैसा **परिशिष्ट 31** में वर्णित है।

उपरोक्त मामलों में अभिलेख के अनुसार, सभी आपराधिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी एवं मामलें न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जा चुके थे। परन्तु विभाग ने मादक पदार्थों का निपटान नहीं किया तथा अफीम को जीओएडब्ल्यू नीमच में जमा नहीं कराया था।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया था (दिसम्बर 2013)। डीओओ, कोटा तथा भीलवाड़ा एवं पी एवं आई सेल, कोटा ने उत्तर नहीं दिया। डीओओ प्रतापगढ़ तथा पी एव आई सेल, जयपुर ने बताया कि निपटान समिति के गठन के बाद इस माल का निपटान किया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि विभाग ने एक निपटान समिति गठित नहीं की तथा माल के निपटान तथा अफीम को जीओएडब्ल्यू में जमा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जैसा कि अधिनियम के अनुसार अपेक्षित था।

6.13.13 प्रारंभिक तुलाई रजिस्टर में अनियमितताएँ

एनडीपीएस नियमावली, 1985 के नियम 10 के अनुसार जिला अफीम अधिकारी प्रत्येक गॉव में जहॉ अफीम पोस्त की खेती अनुमत है, अफीम

पोस्त के खेतिहरों में से एक को नम्बरदार के रूप में पदनामित कर सकता है, जो ऐसी शर्तों तथा निबंधों पर ऐसे कार्यों को करेगा जो नशा आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए जाएं।

इसके अतिरिक्त नियम 13(1) के अनुसार खेतिहर कटाई के दौरान नम्बरदार के समक्ष प्रतिदिन उसकी फसल से अफीम के प्रतिदिन के संग्रहण को तुलाई हेतु प्रस्तुत करेगा; (2) नम्बरदार ऐसी अफीम की तुलाई के लिए प्रबंध करेगा तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियॉ करेगा जैसा इस संबंध में नशा आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; (3) खेतिहरतथा नम्बरदार अपने हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप से ऐसे अभिलेखों में तारीख के साथ एक विशिष्ट दिन में तुलाई की गई अफीम की मात्रा को दर्शाती प्रविष्टियों को प्रमाणित करेंगे; (4) उचित अधिकारी नम्बरदार के अभिलेख में प्रविष्टियों के संदर्भ में खेतिहरों द्वारा संग्रहीत अफीम की तुलाई की जॉच करेगा तथा इसमें अपने निष्कर्ष दर्शायेगा जो उसके तथा नम्बरदार के द्वारा तिथि के साथ उनके हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित होगी; (5) नम्बरदार के अभिलेख में दर्शायी गई खेतिहर द्वारा प्रस्तुत अफीम की मात्रा तथा उचित अधिकारी की जांच के दौरान उसके द्वारा पाई गई मात्रा में अन्तर की जांच उचित अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत सजा के लिए खेतिहर का दायित्व अभिनिश्चित करने के लिए की जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए तीन जिला अफीम अधिकारी (जाऔरा-II, मन्दसौर-III तथा नीमच-I) के प्रारंभिक तुलाई रजिस्टर (पीडब्ल्यूआर) तथा भुगतान रजिस्टर की नमूना जॉच में लेखापरीक्षा ने देखा की उचित अधिकारी द्वारा तुलाई की जांच करते समय अफीम की मात्रा पीडब्ल्यूआर में दर्ज की गई मात्रा की तुलना में 154 मामलों में 150 ग्रा. से 2.40 किग्रा. तक अधिक थी तथा 24 मामलों में 210 ग्रा. से 820 ग्रा. तक कम थी **(परिशिष्ट 32)**। इसके अतिरिक्त डीओओ द्वारा निरीक्षण किये गए 75 पीडब्ल्यूआर में से, 8 पीडब्ल्यूआर नम्बरदार द्वारा बंद किये गए नही पाए गए थे। तथापि, अधिनियम की धारा 19 के तहत दण्ड के लिए खेतिहर का दायित्व अभिनिश्चित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा भिन्नताओं के मामलों की जांच नहीं की गई थी।

राजस्थान राज्य में, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा, कोटा तथा प्रतापगढ़ के प्रारंभिक तुलाई रजिस्टर (पीडब्ल्यूआर) तथा भुगतान तुलाई रजिस्टर के अभिलेख की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि पीडब्ल्यूआर में दर्ज अफीम की मात्रा में तथा तुलाई केंद्र पर खेतिहर द्वारा पहुँचाई गई मात्रा में 211 मामलों में 0.150 से 8.410 किग्रा. तक अधिक का तथा 21 मामलों में 0.160 से 0.757 किग्रा. तक कम का अन्तर था **(परिशिष्ट 33)।**

इसके अतिरिक्त, अभिलेखो की संवीक्षा में छ मामलों में अफीम के प्रतिदिन के उत्पादन की पुष्टि में नम्बरदार द्वारा किए गए हस्ताक्षर नही पाये गए थे तथा 18 मामलों में उत्पादन के अंत में नम्बरदार द्वारा पीडब्ल्यूआर बन्द नहीं किया गया था। 14 मामलों में निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई मात्रा की अधिकतम/ कमी को कुल मात्रा में शामिल नहीं किया गया था।

मामला विभाग की जानकारी में लाया गया था (दिसम्बर, 2013), डीओओ, कोटा ने उत्तर नहीं दिया था। डीओओ भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ ने उत्तर दिया कि मात्रा में अन्तर इस तथ्य के कारण था कि नम्बरदार सामान्यत: अप्रचलित तुलाई मशीन का उपयोग करते हैं जबकि संग्रह केन्द्र पर इलैक्ट्रानिक तुलाई मशीन का उपयोग होता था। कमियों के संबंध में यह बताया गया था कि समय गुजरने के साथ (नम्बरदार स्तर से संग्रहचरण तक) कृषि उत्पादन में विद्यमान प्राकृतिक आद्रता कम हो जाती है जिससे भार में अन्तर होता है। अधिक भार के लिए विभाग ने बताया कि संग्रह केन्द्रों पर खेतिहरों को अपने निजी कन्टेनरों से विभागीय केन्टेनरों में अफीम के हस्तांतरण करने के पश्चात अपने कन्टेनरों के शेष को विभागीय कन्टेनरों में हस्तांतरित करने को कहा जाता है ताकि नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से बचा जा सके। इसे कई बार संग्रह केन्द्र पर मापे गए अफीम के भार में वृद्धि हो जाती है। तथापि, निर्धारित भिन्नता से अधिक होने के मामलों में विभाग खेतिहरों से पूछताछ करता है तथा यदि आवश्यकता हो, तो उनके घरों की तलाशी भी ली जाती है।

6.13.14 न्यायालय मामलों का दीर्घ लम्बन

सीबीएन के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के प्रावधानों के अनुसार, विभाग एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अपराधियों के प्रति मामले बुक करने, प्राधिकृत न्यायालय में शिकायत दर्ज करने तथा उनके निपटान की देखभाल करने के लिए आदेशित है।

सीबीएन की यूपी यूनिट, द्वारा अपने मुख्यालयों को भेजी गई दिसम्बर 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों के संबंध में तैमासिक सूचना/रिपोर्ट की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि उस तिथि पर लम्बित 104 मामलों में से वर्ष 2000 से पहले की जब्ती वाले लगभग 37 मामले थे; बल्कि न तो इन 104 मामलों को फाइल करने वाली संबंधित तिथियों का उल्लेख किया गया था और न ही विभाग को इन मामलों में से किसी के निपटान/वर्तमान प्रास्थिति की जानकारी थी। मामला मंत्रालय की जानकारी में लाया गया है, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

6.13.15 पोस्त की अवैध के लिए निवारक कार्यकलाप

निवारक एवं बाध्यकारी कार्यवाही के रूप में, सीबीएन ने अवैध पोस्त खेती की उपस्थिति के लिए उपग्रह मानचित्रों का सत्यापन करने हेतु सर्वेक्षण करते समय, 2009-10 से 2011-12 के अवधि के दौरान अवैध अफीम पोस्त फसल के 2785.148 हेक्टेयर की नष्ट किया जैसा नीचे दर्शाया गया है

राज्य	नष्ट किये गये हेक्टेयर		
	2010	2011	2012
अरूणाचल प्रदेश	250.00	0.400	--
पश्चिम बंगाल	614.500	1390.600	14.168
उत्तराखण्ड	144.500	320.500	37.230
हिमाचल प्रदेश	13.250	--	--
कुल	1022.250	1711.500	51.398

स्त्रोत : अफीम पोस्त खेती पर वार्षिक नशा सम्मेलन 2012 की रिपोर्ट

औषधि कानून लागू करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1986 में गृह मंत्रालय के तहत एक अन्य संगठन, नशा नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) स्थापित किया गया तथा यह संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। एनसीबी की लगभग सभी भूमिकाएं सीबीएन की भूमिकाओं को ओवरलेप करती हैं। तथपि, गृह मंत्रालय के तहत एनसीबी ने अलग से 2011 में 14366 एकड़ (5985.93 हेक्टेयर) के तुलना में 2012 में 3098.55 एकड़ (1291.06 हेक्टेयर) में फैले हुए अफीम पोस्त को चिन्हित करने तथा नष्ट करने की सूचना दी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि नकल विस्वरता तथा मूल्यवान संसाधनों के व्यर्थ से बचने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 का लागू प्रबन्धन तथा समन्वय एक एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

6.14 आन्तरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा तथा निगरानी

विभाग ने प्रत्येक वर्ष निपटान आपरेशन के पूरा होने के पश्चात अफीम के कृषि अभिलेखों की 100 प्रतिशत आन्तरिक लेखापरीक्षा करने का दावा किया। तथापि, यह विश्वास किया गया कि 100 प्रतिशत आन्तरिक लेखापरीक्षा 2009-10 में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही अनुदेशित थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान कोई विसंगति/अनियमितता//संदिग्धता नहीं पाई गई थी। तथापि, इस लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसिंग नीति के प्रावधानों की अननुपालना, स्मार्ट कार्ड अभिनिर्धारण, उपग्रह आधारित खेती प्रबन्धन तथा खेतिहरों से बकाया प्राप्य राशियों की वसूली के लिए गंभीर की कमी को बताया जो विभाग में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

यह स्पष्ट नहीं था कि सीबीएन के आरएफडी की निगरानी डीओआर द्वारा किस प्रकार की जा रही है तथा डीओआर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य संगठनों (एनसीबी सहित) से महत्वपूर्ण् निष्पादन अपेक्षाओं का प्रबन्धन किया जाता है क्योंकि डीओआर के पास स्वयं अपने व्यापार नियमों के अनुसार एक आरएफडी नहीं है।

इसी प्रकार, राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के साथ पोस्त के उप-उत्पाद (पोस्त भूसा, पोस्त चूरा तथा खसखस) की बिक्री/विचलन को नियंत्रित करने हेतु कोई समाधान नहीं किया गया था।

सीबीएन द्वारा आईएसओ 9001 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने हेतु की गई कार्यवाही भी विभाग से प्रतीक्षित थी (मार्च, 2014)।

6.15 निष्कर्ष

एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में पोस्त का नियंत्रित उपयोग पहले ही लाखों मूल्यवान विदेशी विनिमय देश में लाता है। यह भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा गंभीर दर्द से राहत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित मूल्य वाली पोस्त आधारित दवाओं तथा घरेलू खपत के लिए विख्यात खसखस के उत्पादन में भी सहायता करता है। लाइसेंसीकृत पोस्त खेती के भी भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक फायदे हैं। एक अच्छा विनियमित तथा नियमित नशा नीति फ्रेमवर्क दूरगामी वैश्विक असर के साथ इसके अवैध प्रवाह को प्रभावशाली रूप से रोक सकता है तथा फार्मास्यूटिकल तथा वैज्ञानिक प्रयोग हेतु अनुमत उत्पादन की तेज संर्वधन कर सकता है। यद्यपि, वर्षों से अफीम का उत्पादन मंदा एवं घटता जा रहा है, भारत के अफीम भण्डार के 50 प्रतिशत से ज्यादा का अभी भी निर्यात होता है। मूल्य चेन को ऊपर उठाते हुए नशीले एलकेलायड का अर्क निकालने के विनिर्माण/बिक्री तथा निर्यात में पोस्त खेती के घातांकी रूप से उच्च आर्थिक रिर्टन उपलब्ध कराने, पारंपरिक परिक्षेत्र में खसखस खरीदने में विदेशी मुद्रा बचाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावशाली प्रबन्धन संरचनाएं, वाणिज्यिक माडल तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का संभाव्य है।

खेतिहर तथा औषधि उत्पादकों के लिए एक आनुपातिक प्रोत्साहन संरचना के साथ-साथ अफीम बीजों के देशीय उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत तथा अफीम आधारित तैयार दर्द निवारक रसायनों की बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन के दोहरे उद्देश्यों को लक्ष्य करते हुए कोई स्पष्ट नीति फ्रेमवर्क प्रतीत नहीं होता।

अध्याय – VII

विषयगत लेखापरीक्षा

क. जब्त एवं अधिग्रहित माल का निपटान

7.1 प्रस्तावना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 में निर्धारित किया जाता है कि एक सीमाशुल्क अधिकारी किसी माल को पकड़ सकता है, यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कारण हो कि माल उक्त अधिनियम के तहत जब्त किये जाने के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त, अनुचित रूप से आयात किया गया अथवा अनुचित रूप से निर्यात करने के लिए प्रयास किया गया माल भी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 तथा 113 के तहत जब्त किये जाने के लिए भी दायी है।

व्यक्ति जिससे माल पकड़ा गया है, को सामान्य रूप से छह माह (अधिनियम की धारा 110(2)) के भीतर एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) (अधिनियम की धारा 124 के तहत) जारी किया जाता है अन्यथा माल उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके अधिकार से वह जब्त किया गया था।

जब्ती के बाद, माल केन्द्र सरकार की सम्पति बन जाता है तथा सरकार माल को बेच/नीलाम कर सकती है। विभाग की निपटान नियम पुस्तिका पकड़े गए तथा जब्त किये गये माल को चार श्रेणियों में वर्गीकृत[20] करती है:

(i) श्रेणी-I(जब्ती के शीघ्र बाद निपटान किये जाने वाला माल);

(ii) श्रेणी-II {अधिनियम की धारा 110 (1ए) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निपटान किया जाने वाला माल};

(iii) श्रेणी-III (समाप्ति की तिथि से पहले अथवा जब्ती की तिथि से छह माह के भीतर निपटान किया जाने वाला माल);

(iv) श्रेणी-IV(उपरोक्त तीन श्रेणियों[20] में सूचीबद्ध न किया गया सभी अन्य माल)।

समय पर निपटान तथा यथोचित मूल्य की उगाही सुनिश्चित करने में प्रणाली की दक्षता का मूल्यांकन न करने अथवा विलम्बित निपटान के कारण राजस्व के नुकसान/राजस्व के अवरोधन का निर्धारण, प्रणाली में कमियों को चिन्हित

[20] परिपत्र एफ सं. 711/31/83-एलसी (एएस) दिनांक 22.05.1984।

करने के कारण विलम्ब 2010-11 से 2012-13 की अवधि से संबंधित 11 राज्यों अर्थात असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 19 कमिश्नरियों (परिशिष्ट 34) के अभीलेखों की समीक्षा की गई थी।

अतिरिक्त भारतीय स्तर पर 2010-11 से 2012-13 के अवधि के दौरान जब्ती की कुल राशि ₹ 1857 करोड़ से ₹ 2476 करोड़ तक थी (परिशिष्ट 4)। अधिकतम बढोतरी नशीली दवाओं, मशीनरी/पुर्जों, धागे/सिल्क धागे इत्यादि, इलैक्ट्रानिक मदों तथा वाहन/पोत/विमान इत्यादि में थी।

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार, 31 मार्च, 2013 को 19 कमिश्नरियों में निपटान न किये गए माल (श्रेणी I, II, III तथा IV) का कुल मूल्य ₹ 466.24 करोड़ था । इनमें से ₹ 78.30 करोड़ मूल्य का माल (श्रेणी 1, II तथा III) कम जीवन काल होने से खराब होनेवाला था तथा ₹ 387.94 करोड़[21] मूल्य का माल अन्य श्रेणियो का था (श्रेणी IV)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभाग उस अवधि के दौरान पकड़े गए माल के 36 प्रतिशत से कम का निपटान करने के लिए समर्थ था। उच्च सम्पतियों वाली कमिश्नरियॉं मुम्बई ₹ 298.82 करोड़[22], दिल्ली ₹ 59.26 करोड़[23], उत्तर प्रदेश ₹ 39.31 करोड़[24], मध्य प्रदेश ₹ 27.91 करोड़[25] तथा राजस्थान ₹ 25.84 करोड़[26] थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

---

[21] वे कमिश्नरियाँ जिन्होनें माल के मूल्य को वर्गीकृत नहीं किया था, उसे अन्य श्रेणी में रखा गया है।

[22] आयुक्त, सीमाशुल्क (जोन-I) मुम्बई ₹ 83.41 करोड़, आयुक्त, सीमाशुल्क (जोन-II) मुम्बई ₹ 166.02 करोड़ तथा आयुक्त सीमाशुल्क (जोन-III) मुम्बई ₹ 49.39 करोड़।

[23] कमिश्नरी, सीमाशुल्क, एयर कार्गो, दिल्ली 9.98 करोड़, कमिश्नरी, सीमाशुल्क, आई एवं जी, ₹ 0.95 करोड़, कमिश्नरी, सीमाशुल्क, आईसीडी, टीकेडी, दिल्ली ₹ 1.23 करोड़ तथा अति आयु आईजीआई, टर्मिनल-III, दिल्ली ₹ 47.11 करोड़।

[24] कमिश्नरी सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ ₹ 22.31 करोड़, कमिश्नरी, कानपुर ₹ 10.09 करोड़ कमिश्नरी, नोयडा ₹ 0.29 करोड़ तथा कमिश्नरी गाजियाबाद ₹ 6.62 करोड़।

[25] कमिश्नरी, इन्दौर ₹ 2.06 करोड़ तथा कमिश्नरी, भोपाल ₹ 25.84 करोड़।

[26] कमिश्नरी, सीमाशुल्क जोधपुर

7.3 अभिलेखों का दस्तावेजीकरण तथा अनुरक्षण

निपटान नियम पुस्तक के अनुसार,पकड़े गए तथा जब्त किए गए माल की निगरानी हेतु उचित अभिलेखों/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा मूल्यांकन निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

(i) इन मामलों का कोई अभिलेख उपायुक्त मंडीदीप, सहायक उपायुक्त, ग्वालियर तथा अधीक्षक (निवारक) इन्दौर द्वारा नहीं बनाया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

(ii) सीमाशुल्क आयुक्त, जयपुर, आईसीडी राजसिको सांगनेर ने 2012-13 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए तथा जब्त किए गए माल के संबंध में शून्य सूचना उपलब्ध कराई। हालांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमश: ₹165.05 लाख तथा ₹64.55 लाख मूल्य वाले माल पकड़ा/जब्ती किया गया था। यह न केवल पकडे गए तथा जब्त किये गये माल के डाटा वेस/रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना दर्शाता है बल्कि दस्तावेजीकरण की खराब गुणवत्ता भी दर्शाता है।

(iii) बैंगलोर कमिश्नरी द्वारा कोई अभिलेख/रजिस्टर नहीं बनाया गया था। अभिलेखों का रखरखाव न करने के लिए कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(iv) अतिरिक्त आयुक्त, आईजीआई टर्मिनल।।।, दिल्ली के मामले में 2010-11 के दौरान ₹ 20.72 लाख मूल्य के श्रेणी-। के माल का निपटान किया गया था परन्तु चूक के कारण उन्हें एमआईएस में नहीं दर्शाया गया।

(v) अतिरिक्त सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली (आईजीआई टर्मिनल-।।।) के संबंध में, यह देखा गया है कि निपटान शाखा द्वारा निवारक ।। शाखा को 3614.600 ग्राम भार के 31 स्वर्ण बिस्किट का निपटान सूचित (जुलाई 2012) किया गया था जो पहले ही 1997-98 के दौरान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक – निपटान) के कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से निपटान किये जा चुके थे। यह न केवल दोनों शाखाओं के मध्य समन्वय के अभाव को दर्शाता है, अपितु उनकी प्रबन्धन सूचना प्रणाली में कमियों को भी दर्शाता है।

7.4 राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्रेक्षेपण न करना

राजस्व के संग्रह की प्रगति की प्रभावी तथा अर्थपूर्ण निगरानी के लिए जब्त तथा पकड़े गए माल के निपटान के लिए लक्ष्यों का गठन करना एक पूर्वापेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान बैंगलौर तथा पटना को छोड़कर किसी कमिश्नरी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल राजस्व वसूली ₹71.34 करोड़ पाई गई थी (परिशिष्ट 35)।

7.5 अधिनिर्णय

बोर्ड ने विशिष्ट समय सीमा निर्धारित[27] की है, जिसमें अधिकारी उन मामलों में अधिनिर्णय पूरा करेंगे जो केवल जब्ती से संबंधित हैं।

आयुक्त अथवा अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस के देने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय पूरा करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नौ कमिश्नरियों ने उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था तथा ₹ 3317.57 लाख मूल्य की जब्ती वाले 65 मामलों (परिशिष्ट 36) के संबंध में अधिनिर्णय मे 1 से 204 महीनों तक का विलम्ब हुआ था। सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस के देने की तारीख से छः माह के अन्दर अधिनिर्णय पूरा करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः कमिश्नरियो ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 271.40 लाख मूल्य की जब्ती वाले 343 मामलों के संबंध में अधिनिर्णय में 1 से 23 महीनों तक का विलम्ब हुआ (परिशिष्ट 37) था।

अधीक्षक सीमाशुल्क को कारण बताओ नोटिस देने की तिथि से 3 महीने के अन्दर अधिनिर्णय पूरा करना था।

---

[27] परिपत्र सं. 3/2007-सी.शु दिनांक 10.01.2007

तथापि, दो कमिश्नरियों ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.92 लाख के मूल्य वाले जब्ती के 268 मामलों के संबंध में अधिनिर्णय में एक से 24 महीने का विलम्ब हुआ (परिशिष्ट 38)।

इस प्रकार विभाग 2010-11 से 2012-13 के दौरान अधिनिर्णय के संबंध में निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहा। आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) लखनऊ ने लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए विलम्ब को स्वीकार किया (अगस्त 2013)।

7.6 संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति

सीबीईसी का परिपत्र (12/2006-सीमाशुल्क दिनांक 20 फरवरी 2006) जब्त तथा पकड़े गए माल के मूल्यांकन तथा निपटान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीमाशुल्क कमिश्नरी में जब्त तथा पकड़े गए माल के निपटान के लिए एक संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) का गठन कर उसे यह उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। जेपीसी में किसी अन्य कार्यभार के साथ उप/सहायक आयुक्त तथा अधीक्षक के साथ-साथ निपटान के प्रभारी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, उप/सहायक आयुक्त, अधीक्षक निपटान के प्रभारी होगें।

जेपीसी नीलामी एवं निविदा के माध्यम से निपटान किये जाने वाले माल का उचित मूल्य निर्धारित करेगी। उचित मूल्य थोक बाजार में ऐसे माल का संभावित मूल्य पता लगाकर और इसमें से नीलामी एवं निविदा में खरीददार के लाभ को दर्शाते हुए 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की छूट घटाकर नियत किया जाना चाहिए। बिक्री के लिए प्रस्तावित माल को थोक बाजार मूल्य तथा लाभ का मार्जिन केवल सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन द्वारा अभिनिश्चित किया जाएगा और न कि सीमाशुल्क स्टाफ द्वारा। इसके अतिरिक्त नीलामी एवं निविदा प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी।

2010-11 से 2012-13 के दौरान आयुक्तालय सीमाशुल्क, मुम्बई तथा आयुक्तालय सीमा शुल्क (निवारक) पटना जेपीसी में निर्धारित प्रभारी नहीं थे।

परिणामस्वरूप ₹836.96 लाख मूल्य का जब्त किया गया माल 1986 से 2012 तक बिना निपटान के पड़ा रहा था (परिशिष्ट 39)।

2010-11 से 2012-13 के दौरान आयुक्तालय सीमाशुल्क, जोधपुर में जब्त/ पकड़े गए माल के निपटान के लिए कोई नीलामी एवं निविदा नोटिस आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सीबीईसी के परिपत्र के उल्लंघन में, माल का निपटान बिना किसी नीलामी एवं निविदा के सीमाशुल्क स्टाफ द्वारा जांच किये गए मूल्य के आधार पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹10.14 लाख की कम वसूली हुई (परिशिष्ट 40)।

आयुक्तालय सीमाशुल्क (निर्यात) मुम्बई में ₹ 9.96 लाख मूल्य के 9960 ईयरफोन सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन से उचित मूल्य का अभिनिश्चित बिना ही ई-नीलामी के माध्यम से ₹ 3.51 लाख में निपटान किए गए थे (मार्च 2013), परिणामस्वरूप ₹ 6.45 लाख की कम वसूली हुई थी।

7.7 पकड़े गए/जब्त किये गये माल का निपटान न करना

सीबीईसी ने अपने अनुदेशों (450/97/2010-सीशु IV दिनांक 22 जुलाई 2010) में निर्देश किया था कि प्रत्येक सीमाशुल्क फार्मेशन सभी निकासी न किए गए /दावा न किए गए नौभार के तीव्र निपटान के लिए एक मुश्त व्यापक समीक्षा हेतू एक कार्यबल का गठन करेगी और लम्बित नौभार जो 31 दिसम्बर 2010 को निपटान हेतु तैयार था, के अवधिवार ब्यौरे के साथ-साथ निपटान की प्रगति के लिए पूछा जाएगा। सीबीईसी ने अपने अनुदेशों में भी पुनरावृत्ति कि ऐसे मामलों में जहाँ परेषण सीमा शुल्क द्वारा अवरोधित की गई हैं वहाँ सभी लम्बित कार्यवाहियां जैसे जाँच पड़ताल अधिनिर्णय तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रियाएं बिना विलम्ब के पूरा करने हेतु प्रारंभ की जानी चाहिए। निर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर ऐसे नौभार का तीव्र निपटान सुनिश्चित करना आयुक्तों की जिम्मेदारी थी यह देखने के लिए कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था या नही, इसकी समीक्षा मुख्य आयक्तों की बैठक या सीबीईसी द्वारा अलग से की गई या नहीं, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है (मार्च 2014)।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 जब्त किए गए माल के निपटान के बाद सरकार को देय रशियों की वसूली के लिए प्रावधान करती है। जब्त/पकड़े गए माल का विवरण परिशिष्ट 34 में दर्शाया गया है।

7.8 श्रेणी-I - जब्ती के तुरन्त बाद निपटान किए जाने वाला माल

सीबीईसी के दिशानिर्देशोंके अनुसार, श्रेणी-I के अंतर्गत माल का निपटान सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने तथा स्वामियों को नोटिस जारी करने के बाद माल के अभिरक्षक द्वारा जब्ती के तुरंत बाद किया जाना चाहिए क्योंकि माल केवल तीन माह के अवधि के साथ बहुत जल्दी खराब होने वाला होता है तथा इस अवधि के बाद मानव-प्रयोग हेतु अयोग्य हो जाता है।

31 मार्च 2013 को, पूरे देश में 19 कमिश्नरियों में श्रेणी-I, के अंतर्गत ₹3.69 करोड के खराब होने योग्य माल का निपटान नहीं किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) चार कमिश्नरियों में निर्धारित प्रावधानों/दिशानिर्देशों के विपरीत 1997 से ₹311.84 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल निपटान के बिना पड़ा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹311.84 लाख राशि के राजस्व की उगाही नहीं हुई जैसा नीचे बताया गया है:

(₹ लाख)

क्र. सं.	कमिश्नरी	पड़ा हुआ	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़ा हुआ है
1.	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, गाजियाबाद	आईसीडी, लोनी	गैर-बासमती चावल	541.076 एमटी	289.34	2009 से 2010
2.	सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता	शेड-1 तथा II	सिगरेट	1 मामला	0.88	2011
3.	सीमाशुल्क, मुम्बई		सिगरेट		16.65	2010
4.	सीमाशुल्क, दिल्ली	आईसीडी, पीपीजी	औषधि तथा हर्बल उत्पाद	5 मामला	4.49	1997
			चावल	1 मामला	0.48	2010
	जोड़				311.84	

उपायुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी लोनी गाजियाबाद ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि माल सरकारी अनुमोदित मूल्यांकन के समक्ष रखा जाएगा तथा शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाएगा।

7.9 पकडे गए/जब्त किये गए माल के निलम्बित निपटान के कारण हानि

तीन कमिश्नरियों में निपटान प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, सरकार ने ₹ 8.36 लाख मूल्य की हानि उठाई जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) आयुक्तालय सीमाशुल्क, भोपाल में विभाग ने ₹ 4.80 लाख के लगाने योग्य शुल्क के साथ सिगरेट के 20 बैग जब्त किये (अक्तूबर 2010) परंतु अनुबद्ध समयावधि में निपटान न होने के कारण, यह मानव प्रयोग के लिए अयोग्य हो गए जैसाकि सीटीआरआई, राजामुन्दरी द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.80 लाख की राजस्व की हानि हुई।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, जोधपुर में ₹ 0.61 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल जब्त किया गया था (जून से अक्तूबर 2009 तथा मार्च से अगस्त 2010 के दौरान) तथा इसकी समाप्ति की तिथि के बाद भी जब्ती यूनिट में लम्बित पड़ा रहा था। मानव खपत हेतु अयोग्य हो जाने के अतिरिक्त ₹ 0.61 लाख मूल्य की राजस्व हानि हुई।

(iii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, पटना में 2010 के दौरान ₹ 2.95 लाख मूल्य का जब्त किया गया अन्य खराब होने योग्य माल का इसकी समाप्ति के तिथि के पश्चात नष्ट किए जाने के ढ़ंग से निपटान किया गया था (फोर्बस गंज डिवीजन)।

7.10 श्रेणी -।। -सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (1ए) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निपटान किया जाने वाला माल

यह श्रेणी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(1ए) के अंतर्गत अधिसूचित माल जैसे स्वर्ण, सिल्वर, हीरे, कीमती/अर्धकीमती पत्थर, मुद्रा (भारतीय तथा विदेशी), रेड सेन्डर, सभी इलैक्ट्रानिक माल तथा शराब इत्यादि तथा कोई अन्य अधिसूचित माल को कवर करती है। 31 मार्च 2013 को सारे

देश में 19 कमिश्नरियों में ₹ 95.48 करोड़ मूल्य का श्रेणी-।। का माल निपटान हेतु लम्बित था। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया।

(i) 10 कमिश्नरियों में उस तिथि तक उपरोक्त प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों की अवहेलना में ₹ 5737.71 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल (इलैक्ट्रानिक माल) 1 से 31 वर्षों तक गोदाम में निपटान के लिए पड़ा हुआ है (परिशिष्ट 41)। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

(ii) कानपुर कमिश्नरी ने सूचित किया कि ₹ 65.31 लाख मूल्य के जब्त किये गए माल के लिए मूल आदेश किया गया है (दिसम्बर 2013)। निपटान प्रक्रिया मार्च 2014 तक पूरी हो जाएगी। आगरा डिवीजन में पडे हुए माल के संबंध में (₹ 3.36 लाख) 1991 से 2002 की अवधि के दौरान जब्त किया गया था तथा स्वरूप में बेकार हो गया है तथा संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) द्वारा पुर्नमूल्यांकन के पश्चात निपटान प्रक्रियाओं को मार्च 2014 तक पूरा होने की संभावना है।

(iii) छह कमिश्नरियों में, प्रावधानों/दिशानिर्देशों के विपरीत 1985 से 2012 तक ₹259.41 लाख मूल्य का खराब होने योग्य माल निपटान के बिना पड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ। ब्यौरे परिशिष्ट 42 में दर्शाये गये हैं।

उप आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी लोनी, गाजियाबाद ने सूचित किया कि मामला माननीय सेसटैट तथा आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित था तथा जैसे ही मामले अन्तिम रूप लेते हैं, राज्य प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से जब्त किये गए माल के निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(iv) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निवारक) पटना में ₹486.69 लाख मूल्य के वाहन 1998 से 2012 तक निपटान के लिए प्रतीक्षित पड़े हुए थे। चूंकि ये वाहन फोर्ब्सगंज मोतीहारी, मुज़फ्फरपुर तथा पटना में खुले में खडे किए गए हैं, वे समय गुजरने के साथ विकृत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की राशि कम हो सकती है।

(v) आयुक्तालय सीमाशुल्क (जोन-1) मुम्बई में ₹350.75 लाख मूल्य के 40 जब्त किये गए और पकडे गए वाहन 1987 से बिना निपटान पडे हुए थे। इन वाहनों का वर्तमान मूल्य लगभग नगण्य हो जाएगा।

(vi) आयुक्तालय सीमाशुल्क, भोपाल में ₹8.40 लाख मूल्य का 286.30 ग्राम भार का स्वर्ण सितम्बर 1981 में जब्त किया गया था परन्तु अभी तक बिना निपटान किए पड़ा था।

(vii) इसी प्रकार आयुक्तालय, सीमाशुल्क, इन्दौर में गैर अधिनिर्णय के कारण जून 1981 से ₹ 8.20 लाख मूल्य का 3.297 किग्रा स्वर्ण तथा अप्रैल 1989 से ₹ 72.17 लाख मूल्य की 1046.016 क्रिग्रा चांदी बिना निपटान के पड़ी हुई थी।

(viii) आयुक्तालय सीमाशुल्क, मुम्बई में ₹ 2569.22 लाख मूल्य का स्वर्ण, चॉदी, कीमती पत्थर तथा विदेशी मुद्रा इत्यादि मार्च 2013 के अंत तक बिना निपटान के पड़े हुए थे। तथापि, उपरोक्त में से ₹1716.18 लाख तीन वर्षों से अधिक के लम्बन से संबंधित हैं।

(ix) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निवारक) पटना में, मुज़फ्फरपुर डिवीजन ने ₹0.10 लाख मूल्य का सिल्वर स्क्रेप 2010 से बिना निपटान किए हुए पड़ा था।

(x) सीबीईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, तुच्छ आधारों पर माल को नीलामी-एवं निविदा से वापस नहीं लिया जाना चाहिए तथा सभी पश्च – नीलामी/निविदा प्रस्तावों, यदि सफल बोली से उच्च राशियों के लिए हों, की कड़ाई से अवहेलना की जानी चाहिए तथा किसी भी रूप में संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए।

आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक) लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2003 से 2008 के दौरान जब्त की गई ₹55.52 लाख मूल्य वाली लगभग 17.55 एमटी रेड सेन्डर लकड़ी क्रमशः लखनऊ, गोरखपुर तथा नौतनवा सीमाशुल्क डिवीजनों में पड़ी हुई थी। विभाग ने इस माल को जब्त किया एवं निपटान के लिए राज्य वन निगम (निगम) को प्रस्तावित किया (दिसम्बर 2010)। नीलामी में (जनवरी 2011), 58 बोलीदाताओं ने भाग लिया

तथा प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली ₹ 59.46 लाख की थी। इसके अलावा, उच्चतम बोलीदाता ने निगम के पास ₹ 12 लाख अग्रिम के रूप में भी जमा किये थे।

निगम ने विभाग को सूचित किया (13 जनवरी 2011) कि दूसरा बोलीदाता देरी से पहुंचने के कारण नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका था तथा उसने जो दरें प्रस्तावित की (11 जनवरी 2011), वे 10 जनवरी 2011 को प्राप्त उच्चतम दरों की अपेक्षा ₹ 2 लाख से ₹ 3 लाख तक उच्च मूल्य सर्जित् करेगी। निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि बाद वाले बोलीदाता ने ₹2 लाख प्रत्येक मूल्य के छह बैंक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किये थे जो नीलामी की तिथि के बाद तैयार कराए गए थे। तदनुसार, निगम ने विभाग से इस तर्क पर नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अनुरोध किया (जनवरी 2011) कि बाद वाली बोली अधिक राजस्व अर्जित करेगी। यद्यपि पहले वाली बोली अंकित मूल्य से अधिक थी, विभाग निगम के अनुरोध पर सहमत हुआ तथा नीलामी निरस्त कर दी गई थी (फरवरी 2011)। तथापि, माल अभी भी गोदाम में बिना निपटान के पड़ा हुआ है (मार्च 2014)। सीबीईसी दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण ₹55.52 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

7.11 पकड़े गए/जबत किए गए माल के विलम्बित निपटान के कारण हानि

सरकार ने दो कमिश्नरियों में निपटान प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ₹ 113.40 लाख की राजस्व हानि उठाई जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है:-

(i) ₹ 7.27 लाख मूल्य की 18.715 एमटी पीवीसी एडेसिव शिटिंग/विनाईल प्रीडटिंग सामग्री गलत उदघोषणा (जनवरी 2012) पर पकडी गई /जब्त की गई थी, जिसके बाद में विभाग द्वारा ₹ 80.03 लाख मूल्य अनुमानित किया गया था तथा गाजियाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी, लोनी में निपटान के लिए पड़ी हुई थी। सेसटैट के आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच (जनवरी 2013) से पता चला कि 50 प्रतिशत माल खराब हो गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल माल की बरबादी हुई अपितु कमिश्नरी की शिथिलता के कारण सार्वजनिक राजकोष को ₹ 80.03 लाख मूल्य के राजस्व की हानि भी हुई।

उपायुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी, लोनी, गाजियाबाद ने सूचित किया कि मामला माननीय सेसटैट के समक्ष लम्बित है।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुल्क (हवाई अड्डा) मुम्बई में ₹33.37 लाख मूल्य के 19 मई 2012 की समाप्त तिथि वाले 1557 ग्राम की केन्ट्राबेंड मदों (कार्बो प्लाटिन) को जब्त किया गया था (जनवरी 2011)। मदों का अधिनिर्णय समाप्ति तिथि से काफी पहले 9 अप्रैल 2012 को हो गया था, निपटान आदेश मात्र समाप्ति तिथि के पश्चात जारी किया गया था (जुलाई 2012 को)। परिणामस्वरूप, निर्धारित समय सीमा के अन्दर निपटान न होने के कारण विभाग को ₹33.37 लाख की राजस्व हानि हुई।

7.12 श्रेणी- III जब्ती की तिथि से छह माह के अन्दर जहाँ समाप्ति की तारीख से दर्शाई गई है, वहाँ उस तिथि से पहले निपटान किया जाने वाला माल

श्रेणी-III माल का निपटान उनकी जब्ती के छह माह के अन्दर अथवा जहाँ समाप्ति तिथि दर्शाई गई है वहाँ उससे पहले किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2013 को 19 कमिश्नरियों ने श्रेणी-III की ₹ 8.53 करोड़ मूल्य का माल निपटान हेतु गोदाम में लम्बित पड़ा हुआ था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) चार कमिश्नरियों में, उपरोक्त प्रावधानों/अनुदेशों (परिशिष्ट 43) के विपरीत 1988 से 2012 तक ₹ 206.37 लाख मूल्य का माल बिना निपटान किया हुआ पड़ा था। मानव खपत हेतु अयोग्य हो जाने के अलावा, इन दवाईयों का निपटान न होने के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 206.37 लाख की राजस्व हानि हुई।

(ii) चार कमिश्नरियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित प्रावधानों/अनुदेशों के विपरीत ₹ 647.06 (परिशिष्ट 44) लाख मूल्य का जब्त किया गया माल निपटान हेतु तैयार होने के बाद भी 2001 से निपटान के लिए प्रतीक्षित था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

7.13 पकडे गए/जब्त किए गए माल के विलम्बित निपटान के कारण हानि

तीन कमिश्नरियों में, सरकार ने निपटान में विलम्ब के कारण ₹ 48.83 लाख मूल्य की हानि उठाई जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

(i) शिलॉग सीमाशुल्क डिवीजन के अतंर्गत आयुक्तालय सीमाशुल्क (एनईआर) शिलॉग में ₹26.81 लाख (उचित मूल्य) मूल्य की पकड़ी गई/जब्त की गई दवाईयों को दिसम्बर 2011 में की गई नीलामी ₹ 8.70 लाख के तीसरे नीलामी मूल्य पर नहीं बेचा गया था, क्योंकि मूल्य बहुत कम था। तत्पश्चात दवाईयां समाप्ति की तारीख के अन्दर नहीं बेची गई थीं तथा इस प्रकार मानव प्रयोग के लिए अयोग्य हो गई जिससे ₹ 8.70 की हानि हुई।

विभाग ने बताया (जून 2013) कि बोली खारिज की गई थी क्योंकि 8.70 लाख की उच्चतम बोली विचारार्थ हेतु बहुत कम थी।

(ii) आयुक्तालय सीमाशुलक (निवारक) पटना में फोर्ब्सगंज तथा मोतीहारी डिवीजन में ₹23.25 लाख मूल्य की दवाईयों का समाप्ति तारीख के बाद नष्ट करने के रूप में निपटान किया गया था, परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई।

(iii) आयुक्तालय सीमाशुल्क (निर्यात) मुम्बई ने ड्रग्स के 250 पैकेज जब्त किये (अकतूबर 2003) जो घटिया तथा अवैध थे और इसलिए इन ड्रग्स को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(बी) के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही नष्ट कर दिया गया (सितम्बर 2011)। इसके अतिरिक्त नष्ट करना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 113(डी) के तहत जब्ती किये बिना एवं जब्ती के आठ वर्षों के पश्चात किया गया था।

7.14 श्रेणी IV–सभी अन्य माल

उपरोक्त तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध न किया गया अन्य सभी माल इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले माल का निपटान सभी उचित औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात किया जाना था और जब माल के निपटान के बारे में अतिम निर्णय होने पर किया जाना होता है।

31 मार्च 2013 को, सारे देश में 19 कमिश्नरियों में श्रेणी- IV के तहत ₹ 387.94 करोड़ मूल्य का माल निपटान हेतु लम्बित था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

(i) आठ कमिश्नरियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि श्रेणी (मशीनरी, रैफ्रिजरेशन गैस, जूते तथा अन्य) तहत ₹ 5513.93 लाख का माल पकड़ा गया/जब्त किया गया था (परिशिष्ट 45) परन्तु प्रावधानों/अनुदेशों के विपरीत निपटान हेतु तैयार हो जाने बाद भी 1987 से निपटान नहीं हुआ था, परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

विभाग का पकडा गया और जब्त किया गया माल के निपटान पर नियम पुस्तिका के पैराग्राफ 16.8 (क) में निर्धारित किया गया है कि जहाँ कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, वहाँ वन्य जीवन ट्राफी, जानवरों के अंग, उत्पाद इत्यादि शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से सरकारी संगठनों, सार्वजनिक संग्रहालयों में नमूनों के रूप में उनका उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्य वन्य जीवन वार्डन अथवा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय वन्य जीवन प्राधिकरणों को प्रस्तुत किये जाए।

कमिश्नरी, सीमा शुल्क, (निवारक) मुम्बई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हाथी दांत के 42 नग जब्त किए गए थे (1992)। यद्यपि, अभियोजन प्रक्रिया 1995 तक पूरी हो गई और कोई अपील लम्बित नहीं थी, फिर भी कमिश्नरी ने अक्टूबर 2010 के बाद हाथी दांत के लिए वन्य जीव प्राधिकरणों के साथ मामलें को जारी नहीं रखा। इस प्रकार, कमिश्नरी के निरूत्साहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण हाथी दांत अभी उनके पास पड़े थे।

7.15 चोरी/उठाईगिरी एवं जब्त/जब्ती माल की कमी के कारण हानि

बोर्ड के परिपत्र सं. 393/91/98-सीमा शुल्क (एएस) दिनांक 12 नवम्बर 98 के अनुसार गोदाम के संरक्षक/प्रभारी अधिकारी को चोरी और उठाईगिरी के प्रति पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए और माल की स्थति पर निगरानी रखनी चाहिए। इसके अलावा, सभी मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं ध्यान देना चाहिए कि संरक्षण, कीमती सामान सहित जब्त/जब्ती माल के निपटा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/सुरक्षा उपायों को अपने क्षेत्राधिकार में ईमानदारी लागू करना है जिससे की माल की हानि या चोरी या हेराफरी या प्रतिस्थापन के मामलों से बचा जा सके।

(i) कमिश्नरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सिलीगुड़ी सीमा शुल्क डिवीजन में विभाग को 2010-11 से 2011-12 के दौरान दवाईयों (खांसी का सीरप), चीनी मोबाइल फोन, कपड़ो और दूसरे माल की चोरी के कारण ₹ 81.30 लाख मूल्य के राजस्व की हानि हुई।

(ii) 2008 से 2012 के दौरान ₹ 17.96 लाख मूल्य के माल की चोरी के आठ मामलें कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल के अधीन पेट्रोपोल सीमा शुल्क सर्किल में देखे गए थे। इसके अलावा, ₹ 0.92 लाख के मूल्य का माल भी गोदाम के पदभार सौंपने एवं लेने के समय कम (दिसम्बर 2012) था।

(iii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता के अधीन विशेष निपटान सेल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि क्रेता को एकीकृत परिपथ के 48929 नगों की कम आपूर्ति की गई थी जिसके लिए ₹ 2.19 लाख का प्रतिदाय मंजूर किया गया था। माल की कमी की जिम्मेवारी विभाग ने नहीं ली थी।

(iv) कमिश्नरी सीमा शुल्क पटना में, मुज़फ्फरपुर डिविजन में ₹ 2.62 लाख मूल्य के उर्वरकों के 490 बैग अक्टूबर 2012 में ई-नीलामी की आपूर्ति के दौरान कम पाए गए थे।

7.16 अन्य टिप्पणियां

लेखापरीक्षा ने आरक्षित मूल्य से कम माल की बिक्री में कमियों, लम्बी नीलामी प्रक्रिया, जब्त माल का गलत वर्गीकरण और शास्ति के उदग्रहण एवं निपटान आदेश में विलम्ब के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को देखा। कुछ निदर्शी मामलें निम्नलिखित है:

(i) सीमा शुल्क डिवीजन, लखनऊ कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित जब्त माल को जेपीसी में मामले को भेजने और नीलामी प्रक्रिया में कमी के कारण जेपीसी के जब्ती मूल्य और आरक्षित मूल्य से काफी कम पर बेचा गया था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई:

(₹ लाख)

क्रम सं.	माल का विवरण	जब्ती मूल्य	जब्ती की तारीख	जेपीसी का उचित मूल्य	बेचने का मूल्य	बेचने की तारीख	टिप्पणियां
1.	कोस्मेटिक मदें	2.02	07.11.09	1.07	0.23	13.04.11	एनसीसीएफ ने काफी कम कीमत का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार नहीं किया गया और एक वर्ष के व्यतीत होने के बाद विभाग ने नीलामी की (मार्च 2011) और 2री नीलामी में ₹ 35,500 मूल्य की उच्चतम बोली प्राप्त हुई लेकिन माल को अंत में तीसरी नीलामी में बेचा गया था।
2.	रेडिमेड कपड़े	34.39	11.03.08	11.52	10.09	17.03.11	माल फरवरी 2009 में जब्त किए गए थे लेकिन 18 माह के विलम्ब के बाद माल को जेपीसी को दे दिया गया था (दिसम्बर 2010)।
3.	विविध भारतीय माल	0.93	फरवरी 2010	0.85	0.36	27.07.12	विभाग ने नवम्बर 2011 में एनसीसीएफ के प्रस्ताव की अस्वीकृति से आठ माह के विलम्ब के बाद जून 2012 में नीलामी की।

(ii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता में यथार्थवादी कीमत को निर्धारित करने में जीपीसी की विफलता और तीसरी नीलामी में उच्चतम बोली (₹ 28.50 लाख) की अस्वीकृति के कारण चीनी मिट्टी के माल को ₹ 14.41 लाख में 8वीं नीलामी में बेच दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.09 लाख (₹ 28.50 लाख - ₹ 14.41 लाख) की राशि के राजस्व की हानि हुई।

(iii) कमिश्नरी सीमा शुल्क (निवारक) पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत मालदा सीमा शुल्क डिवीजन में सीटीएच 6109 की बजाय सीटीएच 6107 के अन्तर्गत जब्त माल के गलत वर्गीकरण के कारण सहायक आयुक्त (एसएण्डडी) कोलकाता द्वारा बनियान एवं टी शर्ट के बिक्री मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप सीटीएच 6109 के अन्तर्गत इन कपडों के जेपीसी मूल्य की तुलना में ₹ 8.24 लाख की हानि हुई।

(iv) कमिश्नरी सीमा शुल्क, दिल्ली (आईसीडी, पीपीजी और टीकेडी) में लघु कालिक जीवन और समय के बीतने के साथ मूल्य कम होने वाली आयातित मदों (कपडें, जूते, इलेक्ट्रोनिक सामान, मोटर साईकिल, खतरनाक खाद्य सामग्री, रसायन आदि) के 1460 कंटेनर 1990 से 2012 तक बिना निपटान के पड़े हुए थे। इस माल के मूल्य की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई थी।

(v) कमिश्नरी सीमा शुल्क, (निर्यात), मुम्बई में विभाग ने अनुचित निर्यात पर ₹ 226.07 लाख मूल्य के 1500 बैगों में पैक किए गए तम्बाकू युक्त पान मसाला जब्त किए थे। मामले का निर्णय आ गया था (दिसम्बर 2011) और माल को ₹ 10 लाख की एक मुश्त शास्ति लगाकर जब्त किया गया था जोकि माल के मूल्य से तीन गुना कम था, यह सीमा शुल्क अधिनिमय 1962 की धारा 114(i) का उल्लंघन है।

(vi) कमिश्नरी सीमा शुल्क, (निर्यात-एसीसी), मुम्बई में ₹ 50 लाख मूल्य के 5 आईएससीओ ऐरिसकोप, लैंसों से युक्त चार पैकेट 2003 में जब्त किए गए थे और ई-नीलामी के माध्यम से ₹ 3.10 लाख में बेचे गए (मार्च 2013) थे जिसके परिणामस्वरूप सेसटैट के अन्तिम आदेश (जुलाई 2007) के बाद निपटान आदेश (जनवरी 2009) को जारी करने में 17 माह के बिलम्ब निपटान आदेश की तारीख से अन्तिम निपटान में 48 माह के साथ-साथ निपटान आदेश की तारीख से मूल्यांकन में 22 माह के विलम्ब के कारण ₹ 46.90 लाख की हानि हुई।

निपटान नियमावली के पैराग्राफ 6.5 में प्रावधान किया गया कि नीलामी एवं निविदा में उच्चतम बोली जेपीसी के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाएगी यदि बोली उचित मूल्य से अधिक या बराबर या करीब (पाँच *प्रतिशत* से 10 *प्रतिशत* से कम नहीं) है। अन्यथा, माल को दूसरी बार नीलामी एवं निविदा के लिए रखा जाएगा। तथापि, यदि माल को पहली दो नीलामी एवं निविदा में नहीं बेचा जा रहा है तब माल को तीसरी नीलामी एवं निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली पर बेचा जाएगा जो उचित मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक उच्चतम बोली के अध्यधीन होगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

(क) बैंगलोर कमिश्नरी में ₹ 27.35 लाख के मूल्य वाले जब्त किए गए (मार्च 2008) इलेक्ट्रोनिक्स माल के संबंध में जेपीसी ने ₹ 7.73 लाख का उचित मूल्य निर्धारित किया और माल को दो बार ई-नीलामी के लिए रखा गया था। दूसरी ई-नीलामी में ₹ 5.02 लाख की उच्चतम बोली को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और माल को बेचा गया था। दूसरी ई-नीलामी, की उच्चतम बोली जेपीसी उचित मूल्य से 35 प्रतिशत से कम थी और इसकी स्वीकृति उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में थी। तीसरी नीलामी की सिफारिश न करने और कम बोली को स्वीकार करने के कारणों को कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ख) कमिश्नरी सीमा शुल्क (जोन-II) मुम्बई में ₹ 27 लाख के निर्धारणीय मूल्य वाला माल (चार टोयोटा कैमरी कार) को जब्त किया गया था (मई 2010) और सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा इसका मूल्य ₹ 16 लाख (मई 2012) निर्धारित किया गया था और पहली ई-नीलामी मई 2012 के दौरान आयोजित की गई थी। इसके अलावा, मार्च 2013 तक माल की 13 बार ई-नीलामी की गई थी, किन्तु बोली राशि को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और माल परिपत्र के प्रावधानों के उल्लंघन में गोदाम में पड़ा हुआ था जो विशेष रूप से कथित करता है कि माल को तीसरी नीलामी एवं निविदा में बेच दिया जाएगा। यदि कोई खेप तीसरी नीलामी में नहीं बेची जाती तब आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या जेपीसी के पास बेचे न गए शेष माल के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। किन्तु विभाग द्वारा अब तक ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

(ग) कमिश्नरी सीमा शुल्क, मुम्बई में विभिन्न माल मुख्यत: खराब होने वाले माल (रसायन, मशीनरी पार्ट्स, पीवीसी रेजिन, धागा, प्लास्टिक फिल्म और हल्का ईंधन तेल आदि) की 100 खेपों को 25 वीं नीलामी के बाद भी नीलाम नहीं किया गया था और माल निपटान के लिए 1997 (प्लास्टिक फिल्म, मशीनरी) से 2012 (इलेक्ट्रोनिक माल) तक विभाग के पास पड़ा हुआ था।

विभाग की ढिलाई के कारण उपयुक्त माल का निपटान न करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई क्योंकि माल एक अवधि के बाद खराब हो जाना है और अन्ततोगत्वा इसकी कम या शून्य कीमत प्राप्त होगी।

(घ) नोयडा कमिश्नरी के अधीन आईसीडी, दादरी में ₹ 22.44 लाख मूल्य के 3360 आयातित पोलिश किए गए संगमरमर के स्लैब पकडे गए थे और जब्त किए (मार्च 2006) गए थे। जेपीसी ने ₹ 11.83 लाख के रूप में इसका उचित निर्धारित किया था (17 जनवरी 2008) परन्तु जेपीसी द्वारा इसे बिना कोई कारण बताए ₹ 24.19 लाख के रूप में पुन: निर्धारित किया गया था (3 दिसम्बर 2008)।

आगे यह देखा गया कि ई-नीलामी तीन बार आयोजित की गई थी (क्रमश: 20 जनवरी 2009, 26 फरवरी 2009 और 12 मार्च 2009) जिनमें दरें पहली जेपीसी मूल्य के करीब आई लेकिन विभाग ने बोलीदाता के उद्धृत मूल्य को स्वीकार नहीं

किया। इसके अलावा, ई-नीलामी दिनांक 26 फरवरी 2009 को 13 मार्च 2009, अर्थात तीसरी ई-नीलामी के बाद विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसके पश्चात कोई ई-नीलामी अब तक नही की गई है और माल अभी तक विभाग के पास पड़ा हुआ है। विभागीय निरीक्षण (दिसम्बर 2007) से पता चला कि संगमरमर एक समय के बाद पीला पड़ जाएगा।

(ङ) चार कमिश्नरियों में बही मूल्य और वास्तविक ब्रिक्री प्राप्तियों के बीच अंतर था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 151.51 लाख की कम वसूली की गई जिसे **परिशिष्ट 46** में तालिकाबद्ध किया गया है।

7.17 नीलाम किए गए माल की डिलीवरी

विभाग की निपटान नियमावली में भुगतान की अन्तिम तारीख से आगे मुक्त अवधि के रूप में तीन कार्य दिवसों को निर्धारित किया गया है। आयुक्त अपने विवेक से डिलीवरी लेने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है लेकिन 10 दिनों से अधिक नहीं। निर्धारित मुक्त समय सीमा के अन्दर क्रेता द्वारा माल के उठान में किसी चूक के मामलों में माल को केवल प्रधान (आयुक्त) को क्रेता द्वारा भूमि किराया के भुगतान के बाद ही उठाया जा सकता है।

वर्ष 2012-13 के लिए कमिश्नरी, सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ के अन्तर्गत सीमा शुल्क डिवीजन, गोरखपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डिवीजन के गोदाम में पड़े हुए वाहनों में से 15 की सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस 5 मार्च 2012 और 24 सितम्बर 2012 को आयोजित जेपीसी की बैठकों के बाद डिवीजन कार्यालय द्वारा जारी किया (जनवरी 13) गया था। सार्वजनिक नीलामी के लिए निविदा 24 जनवरी 2013 को खोली गई थी और 15 वाहनों में से सात वाहनों को बोलीदाता द्वारा 7 फरवरी 2013 को और एक वाहन को 10 दिनों की अनुमत मुक्त अवधि से अधिक के विलम्ब के बाद 21 फरवरी 2013 को उठाया गया था जिसके लिए कोई भूमि किराया वसूल नहीं किया गया था।

कमिश्नरी सीमा शुल्क, निवारक मुम्बई में लेडिज हैण्डबैग्स की दो खेप ई-नीलामी (दिसम्बर 2010) के लिए रखी गई थी और ई-नीलामी में क्रमश: ₹ 0.31 लाख और ₹ 12.22 लाख दरों का प्रस्ताव एक बोलीदाता द्वारा दिया गया था जिसने विभाग के पास ₹ 3.13 लाख की प्रत्याभूति राशि जमा की थी (जनवरी 2011) लेकिन माल को नहीं उठाया था। इस प्रकार, विभाग के लिए प्रत्याभूति राशि

जब्त करना और पुन: ई-नीलामी आमंत्रित करना अपेक्षित था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

कमिश्नरी सीमा शुल्क, पटना में मुज़फ्फरपुर डिवीजन ने सफल बोलीदाताओं से सुपुर्दगी आदेश को जारी करने के बाद माल को उठाने में 20 से 200 दिनों के बिलम्ब के लिए कोई भूमि किराया वसूल नहीं किया था।

7.18 निष्कर्ष

विभाग द्वारा पकड़े गए और जब्त किए गए माल के निपटान की प्रणाली अभिलेखों के उचित रख रखाव के अभाव, दस्तावेजीकरण की अपर्याप्त गुणवत्ता, लक्ष्यों का गैर-प्रक्षेपण, अधिनिर्णय में विलम्ब के साथ साथ, निर्धारित दिशानिर्देशों के अननुपालन के द्वारा विशेषीकृत थी जिसके परिणामस्वरूप माल के निपटान में विल्म्ब, भण्डारण स्थान का अवरोधन और सार्वजनिक राजकोष को हानि हुई।

ख. सामान्य आयात मालसूची और सामान्य निर्यात मालसूची

7.19 प्रस्तावना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 के अनुसार आयातित माल की ढुलाई करने वाले पोत या विमान के प्रभारी व्यक्ति या उसका एजेंट सीमाशुल्क स्टेशन पर पोत/विमान के पहुंचने से पहले या वाहन के पहुंचने के 12 घण्टे बाद निर्धारित फार्म में एक आईजीएम उचित अधिकारी को सुपुर्द करेगा। मालसूची की फाईलिंग के लिए समय सीमा को उचित अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त कारण देने पर विस्तार योग्य है, जिसके विफल रहने पर प्रभारी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा, जो ₹ 50,000 से अधिक नहीं होगी। आयात मालसूची या रिपोर्ट को संशोधित या अनुपूरक किए जाने की अनुमति है यदि यह निर्णय लिया गया कि यह गलत या अपूर्ण है लेकिन इसका कोई कपटपूर्ण इरादा नहीं है। किसी आयातित माल की अनलोडिंग के लिए पोत के मालिक को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता जब तक कि आयात की मालसूची की सुपुर्दगी नहीं की जाती या उचित अधिकारी संतुष्ट है कि धारा 31 के अंतर्गत इसकी सुपुर्दगी न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

सामान्य निर्यात मालसूची (ईजीएम) पोत की जलयात्रा से पहले पोत/विमान के मालिक की तरफ से स्टीमर एजेंट द्वारा धारा 41 के अंतर्गत फाईल की जाने वाली समान घोषणा है। इसमें जहाज के स्टोर अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के ब्यौरे सहित कर्मीदल के सदस्यों की गन्तव्य वार सूची जहाज पर लादे गए सभी नौभार के साथ-साथ बोटम नौभार के रूप में ले जाए गए सभी माल के पूरे ब्यौरें शामिल होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने आयात मालसूची की फाईलिंग के लिए आयात मालसूची (एयरक्राफ्ट) विनियमन, 1976/ आयात मालसूची (पोत) विनियमन, 1971 की धारा 30 के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत विनियम बनाए हैं और फार्म निर्धारित किए हैं जिसमें उन्हें फाईल किया जाना चाहिए। तदनुसार, आयात मालसूची को विमान/पोत में ले जाए गए सभी माल को कवर करते हुए अनुलिपि में फाईल करना है। पोत के संबंध में मालसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एन्ट्री इन्वाईस के लिए आवेदन पत्र - फार्म। (ii) सामान्य घोषणा – फार्म II (iii) समुद्री माल घोषणा – फार्म III (iv) पोत स्टोर की सूची – फार्म iv (v) मालिक, अधिकारियों और कर्मी दल के आधिपत्य में सम्पत्ति (निजी) के फार्म v में सूची।

उपरोक्त दस्तावेजों में गलत घोषणा के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (एफ) एवं 112 के अंतर्गत दाण्डिक प्रावधानों का उल्लेख है।

लेखापरीक्षा ने 01.04.2010 से 31.03.2013 के दौरान 11 सीमाशुल्क कमिश्नरियों के अंतर्गत 14 कस्टम हाउस में फाईल की गई आईजीएम/ ईजीएम की नमूना जांच की **(परिशिष्ट 47)**।

7.20 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.20.1 आयात (टिप्पण) विभाग से आईजीएम की प्राप्ति न होना/विलम्ब से प्राप्ति

मालसूची मंजूरी विभाग (एमसीडी) नियम पुस्तक के पैराग्राफ 3 (परिशिष्ट ए, क्र.सं. 1) के अनुसार आईजीएम को पोत के एन्ट्री इन्वाईस के 60 दिनों के अन्दर आयात विभाग से एमसीडी में प्राप्त किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आईजीएमज नियमित रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं तब एमसीडी नियमपुस्तक के पैराग्राफ 5 के अनुसार "सामान्य आयात मालसूची की प्राप्ति" का रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा और इन सभी मालसूचियों की प्रविष्टि संबंधित प्रविष्टियों के प्रति उल्लिखित प्राप्ति की तारीख सहित परिक्रमण संख्या के क्रम में की जाएगी।

कोलकाता, मैंगलोर, करवार एवं बैंगलोर में चार कस्टम हाउस में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ईडीआई प्रणाली के माध्यम से आयात विभाग में फाइल किए गए 19366 आईजीएमज में से 15266 आईजीएम (79 प्रतिशत) एमसीडी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे **(परिशिष्ट 48)**।

कमिश्नरी सीमा शुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली ने सूचित किया (जून 2013) कि आईजीएमज की प्राप्ति पर सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि एमसीडी ईडीआई प्रणाली के शुरू होने के बाद अप्रचलित हो गई थी।

कांडला कस्टम हाउस में एमसीडी को 1347 आईजीएमज भेजने में 47 दिनों (60 दिनों की समय सीमा की निर्धारित अवधि से अधिक) तक का हुआ विलम्ब ध्यान में आया था। विभाग ने अपने जवाब में कहा (जून 2013) कि कथित प्रक्रियात्मक चूकों के सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

कांडला कस्टम हाउस में 2010-11 से 2012-13 के दौरान एमसीडी को आयात टिप्पण विभाग द्वारा भेजे गए कई आईजीएमज में और एमसीडी के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त हुए कई आईजीएमज में विसंगति देखी गई थी। लेखापरीक्षा ने संबंधित अनुभागों से उपरोक्त विसंगति के समाधान मांगे थे। उत्तर में आयात टिप्पण अनुभाग ने इसके आंकड़ों की पुष्टि की जबकि एमसीडी अनुभाग ने कहा कि आंकड़ों में अंतर दो माह के बाद एमसीडी द्वारा प्राप्त आईजीएमज की प्राप्ति की वजह से था **(परिशिष्ट 49)**।

लेखापरीक्षा ने निश्चयपूर्वक कहा कि ये टिप्पणियां दो विभागों के बीच समन्वय/प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव की सूचक थी। विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और भविष्य में सावधानी लेने का आश्वासन दिया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.2 आईजीएमज को देर से फाईल करने के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30(1) के अंतर्गत आयात मालसूची पोत या विमान के पहुंचने से पहले प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। यदि आयात मालसूची को निर्धारित समय में उपयुक्त अधिकारी को सुपुर्द नही किया गया है और यदि उपयुक्त अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे तब प्रभारी व्यक्ति या एजेंट के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा जो ₹ 50,000 से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से विमान/पोत के पहुंचने के बाद 1 से 23 दिनों के बीच की अवधि के लिए कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मैंगलोर और बैंगलोर के पांच कस्टम हाउस में 1992 आईजीएमज की देर से फाईलिंग का पता चला जिसके लिए ₹ 9.96 करोड़ तक उदग्रहणीय शास्ति नहीं लगाई गई थी **(परिशिष्ट 50)**।

कस्टम हाउस एयरकार्गो कॉम्पलैक्स (एसीसी), अहमदाबाद ने सूचना दी (सितम्बर 2013) कि 178 आईजीएमज के संबंध में कोई शास्ति उद्ग्राह्य नहीं थी क्योंकि उपयुक्त प्राधिकारी आईजीएम के देरी से प्रस्तुतीकरण के लिए कारणों से संतुष्ट था। तथापि, विभाग ने आईजीएम फाईलिंग में विलम्ब के लिए कारणों को प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर उन्होनें शास्ति न लगाने का निर्णय लिया।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (एयरपोर्ट), कोलकाता ने कहा (जुलाई 2013) कि इस संबंध में कार्रवाई आरंभ की गई है।

हैदराबाद -II कमिश्नरी ने कहा (जुलाई 2013) कि विलम्ब अगस्त से सितम्बर 2011 के दौरान 1.0 वर्जन से 1.5 तक ईडीआई के उन्नयन के कारण हो सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर 2011 के बाद ईडीआई के उन्नयन के बाद भी विलम्ब हुआ था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क, मैंगलोर ने जवाब दिया (जुलाई 2013) कि पहुंचने की तारीख की बजाय पोत की गोदी पर लगने की तारीख पर विचार करना होगा। जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार आईजीएम पोत के आगमन से पहले फाईल किया जाना है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.3 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत कम उतारे गए माल के लिए शास्ति का उद्ग्रहण न करना

एमसीडी नियमपुस्तक के पैराग्राफ 70 के अनुसार कम उतारे गए माल जिसे धारा 116 के अंतर्गत उनके द्वारा लेखा में नहीं लिया गया है, के संबंध में शास्ति लगाने और उगाही के लिए स्टीमर एजेंट के प्रति एमसीडी द्वारा तुरंत एवं शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 116 के अनुसार पोत/वाहन के प्रभारी व्यक्ति या उसके एजेंट शास्ति के लिए दायी है जो शुल्क की राशि के दोगुना से अधिक नहीं होगी जोकि लदान न किए गए माल या खराब माल, जैसा भी मामला हो पर प्रभारित होगी, यदि ऐसा माल आयातित किया गया है।

कोलकाता, अहमदाबाद, करवार और तुगलकाबाद में चार कस्टम हाउस में आईसीडी के अभिलेखों की नमूना जांच से 82 मामलों में माल की कम उतराई का पता चला। माल की कम उतराई के 18 मामलों के संबंध में ₹ 37.88 लाख की राशि की शास्ति का पता चला जबकि शुल्क आंकडों की अनुपलब्धता के कारण शेष 64 कम उतराई के मामलों के संबंध में उक्त निश्चय नहीं था **(परिशिष्ट 51)**।

कस्टम हाउस, एयरकार्गो कॉम्पलैक्स (एमसीडी), अहमदाबाद ने बताया कि 6 आईजीएम के अंतर्गत कम उतारे गए माल को बाद की तारीख पर प्राप्त किया गया था और बीई समस्त मात्रा के लिए फाईल की गई थी जिसके लिए पूरे शुल्क का भुगतान किया गया था। इसलिए, सरकार का राजस्व पूर्ण रूप से सुरक्षित था और कोई दाण्डिक कार्रवाई न्यायसंगत नही थी।

विभाग के जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि केवल कम उतारे गए माल के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में दाण्डिक प्रावधान मौजूद है जिन्हें बाद की तारीख पर कम उतारे गए माल की शेष मात्रा के आयात द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जा सका।

कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013/जनवरी 2014) कि 74 मामलों में से 6 मामलों में शास्ति की वसूली की गई थी, 5 मामलों में शास्ति लगाई गई थी, 14 मामलों में आउट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज) प्राप्त हुई थी और 9 मामले प्रक्रियाधीन है **(परिशिष्ट 52)**।

यह एमसीडी पुस्तक के प्रावधानों के अननुपालन और निगरानी करने वाले विभागों के बीच समन्वय के अभाव का सूचक है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.4 पोर्ट प्राधिकरण/एयरपोर्ट प्राधिकरण से आउट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज) नौभार प्रथक्करण रिपोर्टें (सीएसआरज) की प्राप्ति न होना/देर से प्राप्त होना

एमसीडी नियम पुस्तक के पैराग्राफ 3(परिशिष्ट ए, क्र.सं. XIV) के अनुसार ओटीआर/नौभार प्रथक्करण रिपोर्टें पोत के आगमन की तारीख से दूसरे माह के पहले सप्ताह में पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों/एयरपोर्ट प्राधिकरणों से एमसीडी में

प्राप्त की जानी हैं। ओटीआर की प्राप्ति पर एमसीडी को कम उतारे गए माल के आधार पर स्टीमर एजेंटों को मांग पत्र जारी करता है। एमसीडी पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों से ओटीआर की आपूर्ति जारी रखेगा, जिससे कि आईजीएम और ओटीआरज में माल को परस्पर संबंधित करने में असामान्य रूप से विलम्ब न हो और यह आवश्वासन देगा कि माल की कम उतराई के लिए शास्ति न लगाने की संभावना को समाप्त कर दिया गया है।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अधीन कोलकाता कस्टम हाउस में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान फाईल किए गए 7378 आईजीएमज में से 6111 आईजीएमज के संबंध में ओटीआर पोर्ट प्राधिकरणों से एमसीडी से प्राप्त नहीं हुए थे जिसके लिए आयातित माल की कम उतराई के लिए देय दण्डात्मक कार्रवाई, यदि कोई है, लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

कस्टम हाउस, कोलकाता (पोर्ट) ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि 'शून्य' ओटीआर की 588 सं. और कम उतारे गए ओटीआर की 14 सं. 6111 आपत्तिजनक आईजीएमज के प्रति अगस्त और दिसम्बर 2013 के बीच पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त की गई थी। तथापि, कम उतारे गए ओटीआर के प्रति विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की गई थी (मार्च 2014)।

इसी प्रकार, कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के संबंध में, फाईल किए गए आईजीएम के कथन से यह देखा गया कि 22818 आईजीएमज फाईल किए गए थे लेकिन विभाग इन आईजीएमज के संबंध में कोई नौभार पृथक्करण रिपोर्ट (सीएमआर) प्रस्तुत नहीं कर सका था।

विशाखापत्तनम पोर्ट में 64 मामलों में ओटीआरज़ पोत के आगमन के 60 दिनों की समाप्ति की तिथि से 6 से 582 दिनों के विलम्ब के बाद एमसीडी में प्राप्त किए गए थे।

कस्टम हाउस विशाखापत्तनम (पोर्ट) ने टिप्पणी को स्वीकार किया था।

कच्छ कमिश्नरी के अधीन कस्टम हाउस कांडला में आईजीएमज के संबंध में ओटीआरज वित्तीय 2010-11 से 2012-13 के दौरान पोर्ट प्राधिकरण के साथ एमसीडी द्वारा न तो प्राप्त किए गए थे न ही अनुसरण किए गए थे।

विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

हैदराबाद-।। कमिश्नरी के अन्तर्गत एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, आरजीआई एयरपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान फाईल किए गए 25820 आईजीएमज के प्रति 5899 सीएसआरज प्राप्त नहीं किए गए थे। विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2013) कि यह अन्तर विमानों, जहाँ कोई नौभार उतारा नहीं गया था, के संबंध में संरक्षकों द्वारा सीएसआरज प्रस्तुत न करने के कारण था।

यह जवाब एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जबकि संरक्षकों से आयातित माल की उचित खोज को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आईजीएम के संबंध में सीएसआरज प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.5 मांग पत्र जारी न करना या जारी करने में विलम्ब

एमसीडी नियम पुस्तक के पैराग्राफ 62, 63, 64 और 65 के अनुसार मालसूची की संवीक्षा के बाद मालसूची मंजूरी विभाग पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत ओटीआरज के साथ मालसूची के समाधान द्वारा आयातित माल को उतारने में त्रुटियों को अभिनिश्चित करता है और चिन्हित आयातित माल की कम उतराई के मामले में पोत के आगमन के 120 दिनों के अन्दर कम उतारे गए माल हेतु स्पष्टीकरण मांगने के लिए मांग पत्र (एलओसी) जारी करता है। एलओसीज जारी करने में विलम्ब संबंधित एजेंट से धारा 116 के तहत शास्ति की वसूली को प्रभावित कर सकता है।

विशाखापत्तनम कस्टम हाउस और मैंगलोर कस्टम हाउस के 17 मामलों में 26 दिनों से 120 दिनों से अधिक 235 दिनों के बीच का विलम्ब एलओसीज जारी करने में देखा गया था **(परिशिष्ट 53)**।

कस्टम हाउस विशाखापत्तनम (पोर्ट) ने आपत्ति को स्वीकार किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.20.6 अधिनिर्णय और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 116 के अंतर्गत शास्ति का उद्ग्रहण

एमसीडी नियम पुस्तक के अध्याय VII में अधिनिर्णयन और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत शास्ति के उद्ग्रहण को डील किया जाता है। कस्टम हाउस में एमसीडी को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 116 के अनुसार कम उतारे गए माल के प्रति शास्ति लगाने और उसकी वसूली के लिए स्टीमर एजेंट के प्रति समय पर और शीघ्र कार्रवाई की जानी है। एमसीडी नियमपुस्तक के पैरा 86(ए) के अनुसार निर्णायक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शास्तियों की शीघ्रता से वसूली की जानी अपेक्षित है और शास्तियों की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लम्बे समय से बकाया शास्ति के मामले में धारा 142 के प्रावधान शास्तियों की वसूली के लिए होने चाहिए।

कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी के अधीन कोलकाता कस्टम हाउस में लेखापरीक्षा ने पाया कि 5 मामलों में नये सिरे से अधिनिर्णयन नहीं किए गए थे और 3 मामलों में विभाग ने ₹30.81 लाख की शास्ति लगाने के लिए निर्णायक औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी **(परिशिष्ट 54)**।

विभाग ने सूचना दी (दिसम्बर 2013) कि ₹ 24.09 लाख की शास्ति वाले 3 मामले अधिनिर्णित किए गए थे, जिसमें से ₹23.32 लाख की शास्ति वाले एक मामले को छोड़ दिया गया था जबकि दो मामलों में से ₹ 0.20 लाख की वसूली की पुष्टि की गई थी।

विशाखापत्तनम कस्टम हाउस मे दूसरे 3 मामलों में ₹ 28.17 लाख की कुल शास्ति वसूली गई थी जबकि समान राशि वसूली नहीं गई थी क्योंकि स्टीमर एजेंटों ने शास्ति के उद्ग्रहण के प्रति अपील को अधिमन नहीं दिया था **(परिशिष्ट 55)**।

प्रबल रूप से मामलों का अनुसरण करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप आयातकों के पास अनुचित वित्तीय संचयन हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.7 माल उतराई के बाद अभिरक्षक के पास पड़े हुए निकासी न किए गए/दावा न किए गए आयातित नौभार

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अंतर्गत् यदि आयातित माल को उनकी उतराई के 30 दिनों के अन्दर या ऐसी विस्तारित अवधि, जिसे सहायक आयुक्त सीमाशुल्क ने अनुमत किया हो, के अन्दर धरेलू खपत, भांडागार या यानान्तरण के लिए मंजूर नहीं किया गया है या यदि किसी आयातित माल के अधिकार को छोड़ दिया गया है, तब ऐसे माल को आयातक को नोटिस देने के बाद और उपयुक्त अधिकारी की अनुमति से अभिरक्षक व्यक्ति द्वारा बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150(2) के प्रावधान के अनुसार इसमे शामिल शुल्क को वसूली गई बिक्री प्राप्तियों से सीमाशुल्क को दिया जाना चाहिए।

सात कस्टम हाउस पर अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मार्च 2013 तक 8727 आयातित परेषणों की निकासी नहीं/दावा नहीं किया गया था जिसके कारण कम से कम 2348 आईजीएमज का समापन नहीं हुआ। इसके अलावा इसके कारण राजस्व का अवरोधन हुआ जिसे 246 परेषणों जहाँ प्रविष्टि बिल फाईल किए गए थे, में ₹ 21.89 करोड़ की सीमा तक अभिनिश्चित किया जा सकता था। तथापि, शेष मामलों में निकासी न किए गए माल के निपटान न करने के कारण राजस्व के अवरोधन की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग ने निकासी न किए गए माल में निर्धारणीय मूल्य को प्रस्तुत नहीं किया था **(परिशिष्ट 56)**।

7.20.8 मालसूची में न डाले गए/अनुचित रूप से आयातित माल पर शास्ति का उद्ग्रहण न करना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 32 के अनुसार आयात मालसूची में उल्लिखित किए जाने वाले अपेक्षित आयातित माल को उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के अलावा किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक कि उस सीमाशुल्क स्टेशन पर उतारे जाने वाले माल के लिए ऐसी मालसूची में उनकी उल्लेख न किया गया हो। किसी शुल्क योग्य या निषिद्ध माल का आयात मालसूची में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है जिसका इसमें उल्लेख भी नहीं किया गया है और जिसे भारत के बाह्य स्थान से लाया गया

है वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 111(एफ) के अंतर्गत जब्ती के लिए दायी होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 112 के अनुसार ऐसे कार्य, जिसके लिए माल धारा 111 के अंतर्गत जब्ती करने के लिए दायी थे, में शामिल व्यक्ति, निषिद्ध माल को छोड़कर शुल्क योग्य माल के मामले जो ऐसे माल पर टाल देने वाले शुल्क या पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, जो भी ज्यादा हो, में शास्ति का दायी होगा।

एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, अहमदाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एक मालसूची में न डाले गए नौभार आईजीएम स. 304195 दिनांक 22 जुलाई 2012 के नौभार सहित प्राप्त हुआ था और तदुपरांत आईजीएम सं. 305809 दिनांक 26 जुलाई 2012 के अंतर्गत ₹ 3.10 लाख के शुल्क भुगतान पर बीई 7421149 दिनांक 18 जुलाई 2012 के माध्यम से इसकी निकासी की गई थी, यद्यपि यह आयातित माल को कवर नहीं करता। तथापि, इस गैर-मालसूचीबद्ध मामले में उदग्राह्य ₹ 3.10 लाख की शास्ति लगाई नहीं गई थीं।

ईडीआई-स्क्रीन शॉट को प्रस्तुत करते हुए कस्टम हाउस एयरकार्गो कॉम्पलैक्स, अहमदाबाद ने कहा (सितम्बर 2013) कि मास्टर एयरवेज बिल (एमएडब्ल्यूबी)(सं. 61860415191) और बीई (सं. 7421191 दिनांक 18 जुलाई 2012) दोनों आईजीएम सं. (305809 दिनांक 26 जुलाई 2012) को दर्शा रहे थे जो इंगित करते हैं कि एमएडब्ल्यूबी के अंतर्गत माल आईजीएम (सं. 305809) में समाविष्ट है।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि आईजीएम सं. 304195 दिनांक 22 जुलाई 2012 के लिए मैसर्स सिंगापुर एयरलाईन्स कार्गो पीटीई लि. की आईजीएम रिपोर्ट (हार्ड कॉपी) ने स्पष्ट रूप से एमएडब्ल्यूबी सं. 6186051519 को दर्शाया क्योंकि प्राप्त हुआ नौभार मालसूची में निर्दिष्ट नहीं था और आईजीएम सं. 305809 दिनांक 26 जुलाई 2012 के साथ संलग्न एडब्ल्यूबी की सूची में उपरोक्त एमएडब्ल्यूबी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

कस्टम हाउस मैंगलोर में 22 आईजीएमज के परिपत्र सं. 13/2005-सीमाशुल्क दिनांक 11 मार्च 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिनिर्णयन एवं शास्ति के

उद्ग्रहण के बिना मालसूची में न डाले गए आयातित माल को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था **(परिशिष्ट 57)**।

विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि परिपत्र सं. 44/2005 सीमाशुल्क दिनांक 24 नवम्बर 2005 के अनुसार अधिनिर्णयन केवल कपटपूर्ण उद्देश्य या पर्याप्त राजस्व निहितार्थ वाले प्रमुख संशोधन के मामले में अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि पहले से घोषित माल की मात्रा में संशोधन को परिपत्रसं.13/2005-सीमाशुल्क में निर्दिष्ट प्रमुख संशोधन की श्रेणी के तहत कवर किया गया है, इसलिए ऐसे सभी मामलों को संशोधन से पहले अधिनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

एयरकार्गो कॉम्पलेक्स, कोलकाता में यह देखा गया था कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान 9308 पैकेट अधिक उतारे गए थे, लेकिन विभाग द्वारा आरंभ की जाने वाली कोई दाण्डिक कार्रवाई नहीं पाई गई थी।

7.20.9 आईजीएमज का समापन न करना

एमसीडी नियम पुस्तक के अध्याय VIII में सहायक/उपायुक्त सीमाशुल्क (एमसीडी) के अनुमोदन से आईजीएमज के समापन के लिए 10 मास की समय सीमा (पोत के आगमन की तारीख से) का प्रावधान किया गया है, जबकि आईजीएम के अंतर्गत आयातित सभी नौभार की लागू अधिसूचना/आदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान या शुल्क मुक्त पर, यायानान्तरण अनुमति या अन्यथा के द्वारा संतोषजनक व्याख्या पर निकासी कर दी गई है। यदि किसी कारण से आईजीएम द्वारा कवर किए गए कुछ आयातों की लम्बे समय से निकासी नहीं की गई है तब निपटान की निगरानी के लिए शेष मदों को "लम्बित रजिस्टर/निपटान रजिस्टर" में स्थानान्तरित करने के बाद मालसूची को बंद कर दिया जाता है।

आठ कस्टम हाउस के सदस्यों के सम्बन्ध में 2010-11 से 2012-13 के दौरान ईडीआई में फाईल किए गए आईजीएमज के वर्षवार ब्यौरे और उनकी बकाया स्थिति निम्नानुसार थी।

वर्ष	फाईल किए गए आईजीएमज	समापन किए गए आईजीएमज	लम्बित आईजीएमज
2010-11	35521	13089	22432
2011-12	33688	13348	20340
2012-13	32453	12759	19694

*2012-13 के प्रति उल्लेख किए गए कुछ मामले समापन के लिए अभी कुछ समय शेष हैं जैसाकि निर्धारित समय सीमा 10 माह है।

आठ कस्टम हाउस की सांख्यिकी से पता चला कि आईजीएमज का समापन उनकी प्राप्ति के अनुरूप नहीं था जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीनता की संख्या में वृद्धि हुई।

आईजीएमज की उच्च विचाराधीनता ने दर्शाया कि आईजीएमज के समय पर समापन के लिए बनाई गई प्रक्रिया के उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे जिसके बदले में हेराफेरी, ह्रास, क्षति आदि की संभावना में और सीमाशुल्क विभाग को राजस्व की परिणामी हानि में वृद्धि हुई।

कुछ निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया गया है:-

(क) संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंर्तगत कोलकाता कस्टम हाउस में फाईल किए गए 7378 आईजीएमज और कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत एयरकार्गो एनएससीबीआई एयरपोर्ट में फाईल किए गए 22,818 आईजीएमज में से किसी का भी समापन नहीं पाया गया था **(परिशिष्ट 58)** (स्त्रोत: विभाग से प्राप्त हुए ईडीआई आयात डाटा)। कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013) कि ईडीआई प्रणाली का उन्नयन करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में आईजीएम के समापन के लिए ईडीआई प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) कमिश्नरी सीमाशुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली ने सूचना दी (जून 2013) कि आईजीएमज के समापन पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि एमसीडी ईडीआई प्रणाली शुरू करने के बाद बन्द हो गई है।

(ग) कस्टम हाउस कांडला ने बताया (दिसम्बर 2013) कि 2343 आईजीएमज 31 मार्च 2013 तक समापन के लिए लम्बित थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.20.10 परिचालन अपक्रिया के दूसरे मामले

i आईजीएमज के प्रति आवक तारीख का अभाव

पोत के आगमन पर नौपरिवहन को एन्ट्री इन्वर्डस देने के लिए निवारक अधिकारी से पहुंच करने की आवश्यकता है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 31 में अपेक्षा की जाती है कि पोत का मालिक किसी आयातित माल को उतारने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि ऐसे पोत के लिए एन्ट्री इन्वर्डस प्रदान करने वाले उपयुक्त अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया जाता। सामान्यत: एन्ट्री इन्वर्डस केवल आईजीएम की सुपुर्दगी के बाद दिए जाते हैं। एन्ट्री इन्वर्डस की तारीख सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार प्रविष्टि बिल के पूर्व फाईलिंग के मामले में शुल्क की दर का अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, साथ ले जाने वाले सामान, मेल बैग्स, जानवारों, खराब होने वाला एवं खतरनाक माल जैसी मदों की उतराई को इस अनुबंध से छूट दी गई है।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के ईडीआई अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कोलकाता कस्टम हाउस में फाईल किए गए 7378 आईजीएमज में से 318 आईजीएमज में आवक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

कोलकाता (एयरपोर्ट) कमिश्नरी के ईडीआई अभिलेखों की समान नमूना जांच से पता चला कि 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान एयरकार्गो कॉम्पलेक्स, एनएससीबीआई एयरपोर्ट में फाईल किए गए 22818 आईजीएमज में से 5906 आईजीएमज के प्रति आवक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (एयरपोर्ट) कोलकाता ने बताया (जुलाई 2013) कि जहाँ यात्री उड़ान कोई नौभार नहीं ले जा रही है वहाँ आवक तारीख की प्रस्तुति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जब नौभार की प्रणाली के माध्यम से निकासी नहीं की जाती तब तक उन मामलों में आवक तारीख प्रस्तुत नहीं की जाती है।

विभाग के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि आवक तारीख 1582 आईजीएमज के प्रति मौजूद नहीं थी जहां उड़ान नौभार ले जा रहा था।

कमिश्नरी सीमाशुल्क (पोर्ट) कोलकाता ने सूचना दी (जुलाई 2013) कि चूक एसी/डीसी, एनएसडी, बज़बज़ की तरफ से थी और उनकी प्रास्थिति पर ध्यान दिए बिना समस्त पोत के लिए प्रणाली में आवक तारीख को फीड करने के लिए उन्हें कहा गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

ii हस्त्य रूप से फाईल किए गए प्रविष्टि बिलों का स्पष्टीकरण न देना और ईडीआई में आईजीएम के प्रति एसईजेड यूनिटों द्वारा की गई निकासियों के प्रविष्टि बिलों के विवरण

एमसीडी नियम पुस्तक में संबंधित आईजीएम की आईजीएम लाइन और संबंधित प्रविष्टि बिलों, पोत की फाईल में यायानान्तरण अनुमतियों को रखने के प्रति प्रविष्टि बिलों की पोस्टिंग द्वारा आईजीएम के समापन के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। आयातों के लेखाकरण का उद्देश्य इलेक्ट्रानिक रूप से यह सुनिश्चित करते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है कि आयातित माल की सभी निकासियों को आईजीएमज की संबंधित लाइनों के प्रति ईडीआई में दर्शाया गया है।

हैदराबाद-।। कमिश्नरियों के अंतर्गत एसीसी, आरजीआई एयरपोर्ट पर ईडीआई में आईजीएम प्रास्थिति की नमूना जांच से पता चला कि 50 मामलों में हस्तलिखित प्रविष्टि बिलों के माध्यम से आयातित माल की निकासियों और 20 मामलों में एसईजेड यूनिटों द्वारा आयातित माल की निकासी को आईजीएम की संबंधित लाइनों के प्रति दर्शाया/फीड नहीं किया गया था और प्रास्थिति की "प्रविष्टि बिल फाईल नहीं किए गए" के रूप में दर्शाया गया था। ऐसे ही समान मामलों को विशाखापत्तनम सीमाशुल्क कमिश्नरी में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, यद्यपि, आयात पूरे हो चुके है फिर भी ईडीआई में ऐसी निकासियों को स्पष्ट न करने के कारण आईजीएमज अनिश्चित अवधि के लिए समापन हेतु लम्बित रहे। जिसके परिणामस्वरूप आईजीएम समापन के लम्बन में वृद्धि हुई है।

हैदराबाद -।। कमिश्नरी ने बताया (जून 2013) कि हस्तलिखित प्रविष्टि बिलों के डाटा को अपलोड करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है किन्तु उन्होंने एसईजेड आयात डाटा को अपलोड करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इसी की संबंधित एसईजेड पर निर्धारित किया गया है।

विभाग का तर्क अनुपयुक्त है क्योंकि पोर्ट/एयरपोर्ट पर सीमाशुल्क प्राधिकरण एसईजेड निकासियों में भी पूर्व निर्धारित प्रविष्टि बिल के ब्यौरों को दर्ज कर सकता है जिसके प्रति आईजीएमज के समय पर समापन के लिए समर्थ एसईजेड यूनिट को पोर्ट/एयरपोर्ट से माल की निकासी की गई थी।

iii अभिलेखों के अनुरक्षण और निगरानी तंत्र में कमी

लेखापरीक्षा ने प्रचालनों के मूल्यांकन और एमसीडी नियम पुस्तक में निर्धारित निगरानी तंत्रकी कमियों/सुदृढ़ बनाने की पहचान करने के लिए बोली में नियंत्रणों की कार्यप्रणाली की जांच करने का प्रयास किया। तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियां देखी गई थी:-

iv अभिलेखों का अपर्याप्त अनुरक्षण

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयात (टिप्पण) विभाग से एमसीडी अनुभाग में आईजीएम की प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था। आयात टिप्पण विभाग से आईजीएमज की लम्बित प्राप्तियों के मामले में अनुसरण भी नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा था। ईडीआई प्रणाली को शुरू करने के बाद एमसीडी को अगली कार्रवाई के लिए ईडीआई के माध्यम से फाईल किए गए आईजीएम के संबंध में आयात (टिप्पण) विभाग से हार्ड कॉपी के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उक्त की प्रतिलिपि को स्वयं ईडीआई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उतराई के बाद अभिरक्षक के पास पडे हुए निकासी न किए गए/दावा न किए गए आयातित नौभार के अभिलेख भी सीमाशुल्क के पास उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

v एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों का अननुपालन और इसमें संशोधन की आवश्यकता

लेखापरीक्षा ने पाया कि लगभग सभी एमसीडी में जहाज की फाईलें आईजीएम वार खोलने और उनके समापन की पद्धति का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा था जिससे पोत से पोर्ट/एयरपोर्ट पर उतारा गया नौभार वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहा। इसके परिणामस्वरूप एमसीडी नियम पुस्तक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है, न ही विभाग ने ईडीआई प्रणाली के शुरू करने के बाद इस संबंध में कोई नए अनुदेश जारी किए थे। यह भी महसूस किया गया कि ईडीआई प्रणाली को शुरू करने के बाद एमसीडी नियमपुस्तक के विभिन्न प्रावधान अनावश्यक बन गए क्योंकि एमसीडी का हस्तक्षेप विभिन्न चरणों पर अपेक्षित नहीं था, जो आईजीएम के समापन के लिए ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध प्रावधान का प्रबन्धन करता है। आयुक्त सीमाशुल्क (आईएण्डजी), नई दिल्ली, में ईडीआई के शुरू होने के बाद एमसीडी लगभग निष्क्रिय हो गई है क्योंकि आयातित माल पर सभी सरकारी राजस्वों की उगाही को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आईजीएम के प्रति शिप फाईल खोलने और उनके समय पर समापन की आवश्यकता का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। इसके मद्देनजर, एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.21 ईडीआई में अपर्याप्त निगरानी नियंत्रण

1998 में शुरू किया गया सीमाशुल्क का आईसीईएस अनुप्रयोग आईजीएम और ईजीएम को इलैक्ट्रानिक रूप से फाईल करने की सुविधा का प्रावधान करता है किन्तु अब तक यह अनुप्रयोग इलेक्ट्रानिक रूप से आईजीएल के समापन के लिए साफ्टवेयर को विकसित करने में विफल रहा है। प्रणाली को आईजीएमज के समय पर समापन को समर्थ बनाने के लिए ईडीआई डाटा में हस्त्य रूप से निकासियों के डाटा की देख-रेख /फीड करने के लिए भी विकसित नहीं किया गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.22 पोर्ट न्यास प्राधिकरण से आऊट टर्न रिपोर्टें (ओटीआरज)

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमाशुल्क को पोर्ट न्यास प्राधिकरण द्वारा ओटीआरज के प्रेषण की केन्द्रीय रूप से निगरानी नहीं की जा रही थी क्योंकि ओटीआरज कोलकाता पोर्ट पर विभिन्न बर्थों से एमसीडी को सीधे भेजी जा रही थी जिसके कारण आईजीएमज के स्थापन में पर्याप्त विलम्ब हुआ जिसके प्रति ओटीआर जारी नहीं की गई है। इसके बदले में इसने सूचित की गई रकम उतराई के मामले में स्टीमर/शिपिंग एजेंट को मांग पत्र एवं शास्ति लगाने में विलम्ब किया। इसके अलावा यहाँ कम/अधिक उतारे गए माल के मामले में नियमित आधार पर ओटीआरज के साथ मिलान पत्रक प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी ओटीआरज को या तो अधिनिर्णयन या अपीलीय प्राधिकरण स्तर पर माल की कम उतराई के लिए संबंधित स्टीमर एजेंटों के प्रति शास्ति लगाने हेतु वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

कस्टम हाउस कोलकाता (पोर्ट) ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि अभिलेखों के रखरखाव में दक्षता एमसीडी के स्टाफ द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.23 निष्कर्ष

ग्यारह सीमाशुल्क कमिश्नरियों के अन्तर्गत 14 कस्टम हाउस की लेखापरीक्षा जांच ने आईजीएमज की फाईलिंग/समापन से सम्बन्धित सीमाशुल्क अधिनियम में प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांतों को उजागर किया।

लेखापरीक्षा ने आईजीएमज की प्राप्ति में, शिप फाईलों को खोलने, एलओसी के जारी करने, ओटीआर की समय पर प्राप्ति, कम उतारे गए माल के लिए शास्ति के अनुद्ग्रहण या मालसूची में न डाले गए माल की निकासी में एमसीडी नियम पुस्तक के प्रावधानों से विचलन को देखा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईजीएमज की फाईलिंग एवं समापन के लिए प्रक्रिया का कोडल प्रावधानों के अनुसार निष्ठापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा

रहा था जोकि माल की उतराई/संचलन पर निगरानी नियंत्रण और निर्धारित शुल्क/शास्ति के संग्रहण को क्षीण कर सकता है।

ग. सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडागार

7.24 प्रस्तावना

भांडागारण, दूसरे भांडागारों को उचित शुल्क के भुगतान पर उनकी वास्तविक निकासी या प्रावधान या स्टोर के रूप में विदेश जाने वाले पोत या एयरक्राफ्ट पर उनकी आपूर्ति तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अनुमत अवधि के लिए आयातित माल पर शुल्क के भुगतान को आस्थगित करने के लिए आयातकों को दी गई सुविधा है। भांडागारण के सांविधिक प्रावधानों को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57 से 73 में निर्दिष्ट किया गया है।

20 कमिश्नरियों **(परिशिष्ट 60)** में सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियुक्त किए गए लाईसेंस दिए गए 50 सार्वजनिक एवं 76 निजी अनुबद्ध भांडागारों **(परिशिष्ट 59)** के संबंध में कस्टम हाउस में अनुरक्षित 2010-11 से 2012-13 तक तीन वर्षों के लिए अभिलेखों की अप्रैल 2013 से जून 2013 के दौरान जांच की गई थी।

7.25 लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अगले पैराग्राफों में दिया गया है

7.25.1 भांडागार में माल का अधिक धारण

सार्वजनिक अनुबन्ध भांडागार धारा 57 के अंतर्गत शुरू किए गए हैं जबकि निजी अनुबद्ध भांडागारों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अंतर्गत लाईसेंस दिया गया है। लाईसेंस देने या नवीकरण के समय माल एवं शुल्क के मूल्य के संबंध में अधिकतम स्टॉक, जिसे भांडागार में स्टोर किया जा सकता है, का सीमाशुल्क विभाग द्वारा लाईसेंस में उल्लेख किया गया है जबकि यह अनुबद्ध किया गया है कि भांडागार में भंडारित किए गए माल का मूल्य एवं उन पर शुल्क किसी भी समय निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

नमूना जांच से पता चला कि चार[28] कमिश्नरियों के नौ मामलों में 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 270.69 करोड़ मूल्य का अधिक स्टॉक रखा गया था।

निदर्शी मामलों की व्याख्या आगे की गई है:

---

[28] (तुतीकोरिन-5 मामले; ₹ 179.30 करोड़, मुंद्रा -1 मामला ₹ 72.41 करोड़, आईजीआई एयरपोर्ट (नई दिल्ली)-1 मामला; ₹ 4.98 करोड़ एवं जेएनसीएच, मुम्बई -2 मामले; ₹ 14 करोड़)

(क) अहमदाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत एक निजी अनुबद्ध भांडागार मैं. पीएसएल लिमिटेड के अभिलेखों से पता चला कि भांडागार के लिए अनुमत माल का अधिकतम मूल्य ₹ 20 करोड़ था। तथापि, ₹ 91.28 करोड़ मूल्य के माल का भांडागारण किया गया था।

(ख) तूतीकोरिन कमिश्नरी के अंतर्गत पांच भांडागारों में रखा गया स्टॉक ₹ 179.30 करोड़ की सीमा तक अधिक था।

7.25.2 भांडागारित माल का अपर्याप्त बीमा कवरेज

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा निजी भांडागारों के मामले में परिपत्र सं. 99/95 दिनांक 20 सितम्बर 1995 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भांडागारित माल चोरी, उठाई गिरी, आग, दुर्घटनाओं, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, रायटिंग के प्रति जोखिम इत्यादि के प्रति कम से कम आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित व्यापक बीमा पोलिसी द्वारा सीमा शुल्क के मूल्य के बराबर तक के लिए भांडागार रखपाल द्वारा बीमाकृत किया जाएगा। सार्वजनिक भंडारागारों के संबंध में राजस्व के संरक्षण के लिए इस प्रभाव के लिए कि अनुबंधित माल के सुरक्षित संरक्षण के लिए एक माल लाइसेंस धारक जिम्मेदार होगा, लाइसेंस देने/नवीकरण में खण्ड को छोड़कर समान दिशानिर्देश विद्यमान नहीं थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच कमिश्नरियों (मुम्बई एनसीएच, मुम्बई जेएनसीएच, पुणे, जयपुर एवं चेन्नई) में 15 भांडागारों (5 सार्वजनिक एवं 10 निजी) में इस संबंध में उल्लंघन हुआ था। केवल ₹ 269.25 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी और ये ₹ 819.96 करोड़ मूल्य के शुल्क के सरंक्षण के लिए विकट रूप से अपर्याप्त थी। तीन कमिश्नरियों (चेन्नई, जयपुर और पुणे) के सात सार्वजनिक (पूणे-1, चेन्नई -5, जयपुर -1) और 17 निजी भांडागार (चेन्नई -12, ग्वालियर-2, पुणे-3) के मामले में ₹ 2924.92 करोड़ के शुल्क वाली बीमा पॉलिसी आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित नहीं की गई थी बल्कि भांडागार रखपालों के पक्ष में आहरित की गई थी।

निदर्शी मामलों की व्याख्या आगे दी गई है:

(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चेन्नई कमिश्नरी द्वारा लाईसेंस दिए गए सार्वजनिक/निजी अनुबंध भांडागारों के संबंध में ₹ 2824.82 करोड़ की बीमाकृत राशि के लिए भांडागार रखपालों द्वारा ली गई बडी बीमा पॉलिसी आयुक्त सीमाशुल्क के पक्ष में आहरित नहीं की गई थी। इसके बजाय, उसे उनके पक्ष में या किसी दूसरे बीमाकर्ता के नाम पर बीमाकृत किया गया था जोकि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है। इसे जून/दिसम्बर 2013 में विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

(ख) मुम्बई-I कमिश्नरी के अंतर्गत सार्वजनिक अनुबंध भांडागारों में 31 मार्च 2013 तक भांडागार में रखे गए स्टॉक पर सीमाशुल्क ₹ 165.10 लाख के बीमाकृत मूल्य के प्रति ₹ 591.88 लाख था जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त बीमा कवरेज और शुल्क की हानि का परिणामी जोखिम हुआ। इसे मई/दिसम्बर 2013 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

7.25.3 चोरी, आग, कमी आदि के कारण हानि

मुम्बई-I कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, वाशी के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सार्वजनिक अनुबंध भांडागार में उपरोक्त अनुदेशों (केवल 3 होम गार्ड और 5 चौकीदार तैनात किए गए थे) के अनुसार भांडागार रखपालों द्वारा संरक्षण के लिए अपर्याप्त प्रावधानों के कारण 250 मीटर केबल की चोरी हुई जिसके कारण ₹ 2 लाख तक के राजस्व की हानि और आग जिसमें 6525 सल्फर बैग नष्ट होने के कारण ₹ 15 लाख की हानि हुई।

7.25.4 भांडागारण अवधि का अनियमित/गैर – विस्तारण

सीमाशुल्क अधिनियम,**1962** की धारा 61 के अनुसार निर्धारित भांडागारण अवधि प्रारंभ में एक वर्ष है जिसे आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा छः माह तक और मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जैसा भी वह उचित समझें। ऐसे विस्तारण के लिए आवेदन पत्र भांडागारण अवधि की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित फार्मेट में किया

जाना है, लेकिन प्रमुख आयुक्त द्वारा निर्धारित विस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

i सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन वाशी (मुम्बई) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. एसएमएस सेन्ट्रल सिस्टम प्रा.लि. ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ₹ 6.66 करोड़ मूल्य के "वैन एक्सरे सिस्टम" आयात किए थे और 16 दिसम्बर 2011 को अनुबंध भांडारागार में भेजे गए थे। 11 दिसम्बर 2012 को अनुबंध अवधि की समाप्ति के बावजूद अनुबंध का न तो आगे विस्तारण किया गया था न ही माल की घरेलू खपत के लिए निकासी की गई थी। अनुबंध के विस्तारण के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नही थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 179.86 लाख (शुल्क) तक राजस्व और उस पर ₹ 32.37 लाख के ब्याज की हानि हुई।

ii मै. फलेमिंगो डीएफएस लि. को 7 सितम्बर 2011 तक पहली बार विस्तारण प्रदान किया गया था (फाईल सं. एस/13-22/11-12 दिनांक 31 मई 2011)। इसके अलावा, उक्त अनुबंध की समाप्ति पर दूसरा विस्तारण 6 दिसम्बर 2011 तक दिया गया था (फाईल सं. एस/13-22/11-12 दिनांक 14 नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टॉक में शेष माल (अमारूला क्रीम के 11 नग) को 7 दिसम्बर 2011 को अर्थात भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद बेच दिया गया था। अनुबंध के विस्तारण के संबंध में कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था।

7.25.5 भांडागारण अनुबंधों की गैर/त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अनुसार माल के भाडागारण आयातक से ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की राशि के दोगुना के बराबर राशि के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए एक अनुबंध करना अपेक्षित है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार जब सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया जाए या माल का यथावत लेखांकन कर दिया जाए तो इन अनुबंधों को रद्द किया जाना है।

i लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मुम्बई कमिश्नरी के अंतर्गत 289 मामलों में केवल ₹ 446.56 करोड़ के लिए अनुबंध ₹ 553.10 करोड़ के शुल्क की राशि के दोगुना राशि पर अपेक्षित अनुबंधों के प्रति कार्यान्वित किए गए थे।

ii मै. जेक्वार एण्ड कम्पनी प्रा.लि. यूनिट-।। भिवाड़ी और मैं. लायड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लि. 146 (बीएण्डसी) भिवाड़ी के सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि उन्होंने ₹ 20 करोड़ के लिए अनुबन्ध किया था जबकि यह अनुबंध ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क राशि के दोगुना की बराबर राशि के लिए किया जाना था जो ₹ 70.12 करोड है।

iii मै. बिलकेयर लिमिटेड (पुणे कमिश्नरी) ने सः 2000203249 2000221353 2000242635 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के माध्यम से तीन अनुबंध करके माल का भाडांगारण किया था। आयातक ने भांडागार से सभी माल को एक्स बोण्ड किया था किन्तु अनुबंध रद्द नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क विभाग द्वारा धारा 73 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद (जून 2013) विभाग ने बताया (जून 2013) कि अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं।

7.25.6 घरेलू खपत के लिए भांडागारित माल की निकासी पर शुल्क का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार लागू सीमा शुल्क की दर उस तारीख की दर है जिस पर माल को वास्तविक रूप से भांडागार से हटाया गया है। तथापि, जब भांडागारण अवधि या विस्तारित भांडागारण अवधि समाप्त हो चुकी है तब देय शुल्क उस तारीख से संबंधित था जब भांडागारण /विस्तारित भांडागारण अवधि समाप्त हो चुकी है एवं उठान की वास्तविक तारीख नहीं है। जहॉ तक कि भांडागारित माल के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए मूल्य का संबंध है, वहॉ इसे पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह मूल मूल्य है जैसाकि इसे भांडागारण से पहले

इन्टो-बॉण्ड प्रविष्टि बिल और निर्धारणों के फाईल करने के समय पर अवधारित किया गया है।

(i) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चेन्नई एयर कमिश्नरी के अंतर्गत मै. विंड पावर एनर्जी प्रा.लि. के मामले में एक्स – बॉन्डिंग के समय शुल्क एवं ब्याज को ₹ 0.25 करोड़ की राशि तक कम संग्रहीत किया गया था **(परिशिष्ट 61)**।

(ii) इसी प्रकार कोलकाता में बंगाल बॉडिड वेयरहाऊस एसोसिएशन (बीबीडब्ल्यू) वेयरहाऊस पर मै. स्टाइलिश सीमेंट प्रोडक्टस प्रा.लि. द्वारा की गई एक्स-बॉण्ड निकासी के मामले में आयातक ने बॉडिंग अवधि अर्थात भांडागार से हटाव की मानी गई तारीख, की समाप्ति की तारीख पर लागू दर पर शुल्क के भुगतान की बजाय माल की निकासी की तारीख (बॉण्डिंग अवधि की समाप्ति के बाद) पर प्रचलित शुल्क का भुगतान किया जोकि परिपत्र सं. 31/97 सीमाशुल्क का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.44 लाख की राशि के शुल्क एवं ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ **(परिशिष्ट 61)**।

7.25.7 भांडागारण माल की निकासी पर ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

यदि भांडागारित माल विस्तारण या अन्यथा के कारण आरंभिक भंडागारण अवधि से अधिक भांडागार में रखा जाता है तब ब्याज भांडागार से उनकी निकासी के समय शुल्क पर देय है।

(i) मै. सिपला लिमिटेड एवं अन्यों के संबंध में जेएनसीएच कमिश्नरी, मुम्बई में सीडब्ल्यूसी कालाम्बोली एवं अन्य के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 1.07 करोड़ की राशि तक का ब्याज 90 दिनों की प्रारम्भिक भांडागारण अवधि के बाद निकासी पर उद्ग्रहण नहीं/कम उद्ग्रहण किया गया था।

(ii) इसी प्रकार, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए मै. हेजल मर्केन्टाईल लि. कांडला, अहमदाबाद में एक निजी अनुबंध भांडागार और मै. सेन्ट्रल वेयरहाऊस कार्पोरेशन (सीएफएस) (अदालज), अहमदाबाद एक निजी अनुबंध भांडागार के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 6 लाख की राशि

के भांडागारित ब्याज का 90 दिनों की आरम्भिक अवधि के बाद माल की निकासी के मामले में कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 62)**।

इसके अलावा, अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 के अखिल भारतीय आयात डॉटा के विश्लेषण से आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग द्वारा भांडागारण ब्याज की गलत गणना का पता चला।

7.25.8 भांडागारित माल की अनियमित निकासी

सीमाशुल्क नियम पुस्तक के अध्याय 9 के पैरा 19.4 के साथ पठित केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के परिपत्र सं. 473/291/88 सीमाशुल्क **VII,** दिनांक 3 अक्तूबर 1988 में भांडागारित माल की निकासी के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके प्रावधानों के अनुसार प्रविष्टि बिल, जिसमें माल का कुल मूल्य ₹ 1 लाख से अधिक हो, को अनुबंध भांडागार के प्रभारी एसी/डीसी द्वारा निरवाद रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिल जिसके संबंध में अधीक्षक द्वारा किए गए किसी पुन: निर्धारण को एसी/डीसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(i) 2010-13 की अवधि के लिए मै. जे.के.टायर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. कन्करोली, राजासामंद, राजस्थान के निजी अनुबंध भांडागार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹1 लाख से अधिक के निर्धारणीय मूल्य वाले एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिलों का प्रभारी एसी/डीसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए बिना अधीक्षक द्वारा निर्धारण पर अनुबंध भाडांगार से मंजूर किया गया था। इस प्रकार एसी/डीसी के प्रति हस्ताक्षर के बिना ₹1.62 करोड़ के शुल्क वाले ₹6.92 करोड़ मूल्य के ₹1 लाख से अधिक के भांडागारित माल की निकासी अनियमित थी।

(ii) मै. बिल केयर लिमिटेड (पुणे कमिश्नरी) ने पीवीसी फिल्मस आयातित की थी और इसे बी/ई सं. 3602573 दिनांक 25 मई, 2011 के तहत आईसीडी दिल्ली में अनुबद्ध के अंतर्गत भांडागारित किया गया था। मार्च 2012 के माह में पीवीसी फिल्मस की 9 पेलटों को 3 पेलटों की भांडागारित छोड़ते

हुए निकासी की गई थी (स. 6351502 दिनांक 24 मई 2012 के माध्यम से एक्स-बॉण्ड बी/ई)। प्रविष्टि में कुछ त्रुटि होने के कारण संशोधन के प्रमाण पत्र को अंततः माल को हटाने (मई 2012) की तारीख से एक माह के बीत जाने के बाद जून 2012 में जारी किया गया था। माल को उस बीई सं. से हटाया गया था जो मौजूद ही नहीं थी और न ही उचित संशोधन द्वारा नियमित किया गया था।

7.25.9 समय समाप्ति के बाद निकासी न किया गया माल

निपटान कार्रवाई की प्रतीक्षा में यदि भांडारित माल को निर्धारित अवधि में नहीं हटाया जाता है तो उपयुक्त अधिकारी को माल के संबंध में देय सभी शास्ति, किराया, ब्याज और दूसरे प्रभारों के साथ ऐसे माल के कारण प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि की मांग करनी है और आयातक मांग का भुगतान और माल की निकासी करेगा (सीमाशुल्क, 1962 की धारा 61(बी))। मांगी गई राशि के भुगतान में विफल होने के मामले में आयातक धारा 142 के अंतर्गत वसूली कार्रवाई के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क सहायक/उपायुक्त से माल को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार माल की नीलामी द्वारा शुल्क की वसूली हेतु कार्रवाई करना अपेक्षित है।

11 कमिश्नरियों (हैदराबाद -II, इन्दोर, एनसीएच – दिल्ली, तूतीकोरिन, चेन्नई (सी), चेन्नई (एयर), जेएनसीएच, मुम्बई, एनसीएच-मुम्बई, पुणे, कोलकाता कस्टम हाऊस और बैंगलोर –करवार) में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹1056.47 करोड़ मूल्य के कालबाधित भांडागारित माल के 6491 मामले एक से 20 वर्षों से अधिक तक की अवधि के लिए निपटान कार्रवाई की प्रतिक्षा में थे। समय के साथ-साथ माल के वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हो रहा था और राजस्व की यथेष्ट राशि भी सीमाशुल्क और उस पर ब्याज के रूप में भी अवरूद्ध हो चुकी थी **(परिशिष्ट 63)**।

7.25.10 निपटाए न गए माल का कालवार विश्लेषण

उपरोक्त कालबाधित माल का 11 कमिश्नरियों में निपटान कार्रवाई के लिए प्रतीक्षित ₹ 105646 करोड़ के राजस्व वाले 6491 मामलों के कालवार विश्लेषण को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़)

वर्ष	मामलों की सं.	माल का निर्धारणीय मूल्य	शामिल शुल्क एवं ब्याज
20 से अधिक	653	1964	2404
10 एवं 20 के बीच	2382	30777	13975
5 एवं 10 के बीच	901	3554	1947
1 एवं 5 के बीच	2555	69351	6542
कुल	6491	105646	24868

निदर्शी मामलों पर चर्चा नीचे की गई हैं:-

(i) सीडब्ल्यूसी पब्लिक बॉडिड वेयर हाउस पीतमपुर, डिस्ट्रिक्ट धर (म.प्र.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 31.92 लाख के निर्धारणीय मूल्य के प्रति ₹ 35.51 लाख की कुल शुल्क की राशि वाले छः कालबाधित अनुबंध माल मार्च 1990 से निपटान हेतु लंबित थे।

(ii) 261 मामलों में चेन्नई सीमाशुल्क कमिश्नरी के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी अनुबंध भांडागारों में ₹ 37.41 करोड़ के कुल शुल्क वाले भांडागारित माल भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से 339 माह तक की अवधि के लिए निपटान की प्रतीक्षा में थे।

(iii) एनसीएच कमिश्नरी (मुम्बई) के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी वाशी में आयातित (नवम्बर 2011) में ₹ 0.53 करोड़ मूल्य के मोटर वाहनों के सात परेषणों की भांडागार अवधि की समाप्ति और बॉण्ड की समाप्ति के बाद निकासी नहीं की गई थी। इन मामलों में शामिल सीमाशुल्क ₹ 340.24 करोड़ था और ₹ 33.37 लाख की राशि का ब्याज वसूली योग्य था।

7.25.11 निकासी न किए गए माल की नीलामी/बिक्री में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

नमूना जांच से पता चला कि पांच कमिश्नरियों के माध्यम से आयातित और सार्वजनिक एवं निजी सीमाशुल्क अनुबंध भांडागारों में भांडागारित ₹474.41 करोड़ मूल्य के माल के 811 परेषणों के मामले में निकासी नहीं की गई थी, जैसाकि विभाग ने नीलामी के माध्यम से उक्त को बिक्री के लिए रोक लिया। समय के बीतने के साथ-साथ माल ने ₹ 146.73 करोड़ मूल्य के शुल्क एवं ब्याज की हानि सहित उनके वाणिज्यिक मूल्य के माल की हानि हुई **(परिशिष्ट 64)**।

(i) मै. सीडब्ल्यूसी वाशी एवं कालाम्बोली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹22.01 करोड़ के कुल शुल्क वाले 122 मामलें भांडागारण अवधि की समाप्ति की तारीख से 112 माह तक की अवधि के लिए निपटान की प्रतीक्षा में थे।

(ii) आयात बॉण्ड अनुभाग, कस्टम हाऊस, कोलकाता में अनुरक्षित भांडागार रजिस्टर की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जून 1979 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान जिसमें कम से कम ₹ 83.81 करोड़ का सीमा शुल्क शामिल था। भांडागारित आयातित माल के 334 मामलों की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के अंतर्गत अनुमत भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद भी निकासी नहीं की गई थी।

7.25.12 स्थापना प्रभारों की वसूली न होना/कम वसूली होना

अप्रैल 1991 में जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के साथ पठित भांडागार विनियमावली 1966 में विनिर्माण एवं दूसरे परिचालनों के नियम 4 (V) के अनुसार लागत वसूली आधार पर सृजित पदों के संबंध में स्थापना प्रभारों की लागत पद की औसत लागत अर्थात पद का औसत वेतन एवं मंहगाई भत्ता और दूसरे भत्तों सहित भत्ते के 1.85 गुणा के बराबर होगी।

(i) आयुक्त सीमाशुल्क, विशाखापत्तनम में मार्च 2004 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए मै. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (शिप मैन्युफेकचरिंग बोन्डिड वेयरहाउस) विशाखापत्तनम से ₹1.94 करोड़ के लागत वसूली प्रभारों के बकाया उगाही के लिए लम्बित थे।

(ii) मुम्बई कमिश्नरी के अंतर्गत मै. सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन वाशी के संबंध में 1996 से 2011 की अवधि के स्थापना प्रभार ₹ 0.98 करोड़ की सीमा तक भांडागार रखपालों से सीमाशुल्क विभाग द्वारा वसूल नहीं किए गए/कम वसूल किए गए थे।

7.25.13 व्यापारी समयोपरि फीस की कम वसूली

नमूना जांच से पता चला कि पांच[29] अनुबंध भांडागार के संबंध में 2010 से 2013 की अवधि के लिए ₹ 2.43 करोड़ की सीमा तक स्थापना प्रभारों को सीमाशुल्क विभाग द्वारा भांडागार रखपालों से वसूल नहीं किया गया/कम वसूल किया गया था।

7.25.14 पुन: भांडागारण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

अधिसूचना सं. 59 सीमाशुल्क दिनांक 1 फरवरी 1963 के साथ पठित धारा 67 के अनुसार यदि भांडागारित माल को पुन: भांडागारण के लिए दूसरे शहर में एक भांडागार से दूसरे में भेजा जाता है तब आयातक को उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण पत्र कि माल गन्तव्य स्थल तक पहुंच गया है, को तीन माह या विस्तारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को बाध्यकारी करते हुए एक बॉण्ड करना चाहिए और बैंक प्रत्याभूति देनी चाहिए जिसके विफल होने पर ऐसे माल का उद्ग्राह्य आयात शुल्क की राशि के बराबर बॉण्ड को जब्त कर लिया जाएगा।

नमूना जांच से पता चला कि तीन कमिश्नरियों के संबंध में 334 मामलों में ₹ 19.08 करोड़ मूल्य के भांडागारित माल को 2010 से 2013 की अवधि के दौरान हटाकर विभिन्न शहरों के भांडागारों में भेजा गया था। उपयुक्त अधिकारी द्वारा न तो पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और न ही विभाग ने बकाया बॉण्ड/बैंक प्रत्याभूतियों की जब्ती के लिए कार्रवाई की थी। इन मामलों में शामिल ₹ 20.54 करोड़ (चेन्नई – 275 मामले; 19.08 करोड़, हैदराबाद – 58 मामले; 0.35 करोड़ और अहमदाबाद-1 मामला ₹ 1.11 करोड़) के सीमाशुल्क की उगाही नहीं की गई थी।

---

[29] (मै. स्टरलाईट इंडि. लि.-तूतीकोरिन, ₹0.88 लाख, सीडब्ल्यूसी वाशी मुम्बई; ₹0.98 करोड, राघव वेयरहाउस – हैदराबाद; ₹0.05 लाख, जे.के.टायर इण्ड. जयपुर; ₹0.06 लाख एवं सीएफएस पिम्परी /आईसीडी, डिगही पुणे; ₹1.44 करोड़)

मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) चेन्नई सी कमिश्नरी द्वारा (2010-2011) से (2012-2013) की अवधि के लिए अनुरक्षित हस्तांतरण अनुबंध बॉण्ड रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि विभिन्न स्टेशनों पर भांडागारों/ईओयू पर माल की प्राप्ति के लिए पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र जून 2013 तक 275 हस्तांतरण बॉण्ड के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। इससे ₹ 19.08 करोड़ मूल्य का सीमाशुल्क 2010-2011 से 2012-2013 की अवधि से संबंधित हस्तांतरण बॉण्डस के संबंध में वसूल नहीं किया गया था। हॉलाकि, सीमाशुल्क विभाग ने पुन: भांडागारण प्रमाणपत्रों के प्राप्त नहीं होने के बारे में संबंधित सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सूचित किया फिर भी शुल्क की वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी जैसाकि हस्तांतरण बॉण्ड में आयातकों ने आश्वासन दिया था।

(ii) मै. राघव वेयरहाऊस, (हैदराबाद) के मामले में यह पाया गया कि 58 मामलों में पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं तथापि यथा निर्धारित तीन माह की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। तीन माह के अंदर पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए वसूली योग्य शुल्क ₹ 0.35 करोड़ निकाला गया। जब ध्यान में लाया गया तो यह उत्तर दिया गया कि आपत्ति की जांच की जाएगी।

(iii) सार्वजनिक अनुबन्ध भांडागार मै. सेन्ट्रल वेयरहाऊस कार्पोरेशन (सीएफएस) अदालज, अहमदाबाद के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 1.11 करोड़ के मूल्य वाली 154 एमटीएस मेलामाईन को मै. डरफेरिट एशिया प्रा. लि. (इओयू) आन्ध्र प्रदेश को एक्स-बॉण्ड प्रविष्टि बिल के माध्यम से मालिकाना आधार पर हस्तान्तरित किया गया था। यहाँ प्राप्त किए गए पुन: भांडागारण प्रमाण पत्र का कोई अभिलेख नहीं था।

7.25.15 भांडागार में अनुज्ञेय अवधि से अधिक के लिए माल का भंडारण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के अनुसार भांडागार में या किसी दूसरे भांडागार में, जिसमें इनको भेजा जा सकता है, जमा माल की भांडागारण अवधि निम्नानुसार है:

i किसी ईओयू में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत माल को पांच वर्षों के लिए रखा जा सकता है।

ii किसी ईओयू में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत माल के अलावा माल को तीन वर्ष के लिए रखा जा सकता है।

iii किसी दूसरे माल को एक वर्ष के लिए रखा जा सकता है।

उक्त भांडागारण अवधि को छः माह की अनधिक अवधि के लिए आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर विस्तारित किया जा सकता है, जैसा वह उचित समझें। इसके अलावा, भांडागारण अवधि के विस्तारण के लिए अनुरोध पर विचार करने से पहले परिपत्र सं.47/2002 – सीमाशुल्क दिनांक 29 जुलाई 2002 के पैराग्राफ 4 के अनुसार कस्टम हाउस को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्ववर्ती अवधि में माल पर प्रोदभूत ब्याज का भुगतान आवेदक द्वारा अतिरिक्त विस्तारण की अनुमति से पहले किया जाता है।

मै. मैथन इस्पात लि., जयपुर (ओडिशा) को मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता के अंतर्गत भंडारित उनके माल की भांडागारण अवधि पर विस्तारण अनुमति तीन बार दी गई लेकिन उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ₹ 0.40 करोड़ के प्रोदभूत ब्याज को विभाग द्वारा कथित तीन विस्तारणों के प्रदान करने से पहले संग्रहीत नहीं किया गया था। इसको जून 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

7.25.16 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत निकासी के लिए लम्बित माल

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 में प्रावधान किया जाता है कि घरेलू खपत के लिए दर्ज किसी आयातित माल के मामलों में, या तो शुल्क योग्य हो या नही, सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क आयातक के इस आवेदन पर संतुष्ट है कि माल की उचित समय में निकासी नहीं की जा सकती लम्बित निकासी पर माल को सार्वजनिक भांडागार या यदि सार्वजनिक भांडागार में भंडार के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो निजी

भंडारागार में भंडारित करने की अनुमति दी जा सकती है; लेकिन ऐसे माल को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भांडागारित माल नहीं माना जाएगा, और तदनुसार अध्याय IX के प्रावधान ऐसे माल पर लागू नहीं होंगे।

(i) जेएनसीएच कमिश्नरी के निजी भांडागारों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 के तहत 2010 से 2013 के दौरान भांडागारित ₹ 185.94 करोड़ के निधार्रणीय मूल्य और ₹ 3.40 करोड़ के शुल्क वाले तैंतालीस परेषण निकासी की प्रतीक्षा में थे। समय के साथ-साथ इनके वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हो रहा था और ₹ 3.40 करोड़ का सरकारी राजस्व भी अवरूद्ध हो रहा था। यद्यपि, इस माल का सीमाशुल्क विभाग के अभिरक्षक द्वारा प्रस्तुत कालबाधित माल के मासिक विवरणों में उल्लेख किया गया था, फिर भी सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 48 के अनुसार विभाग द्वारा कोई निपटान कार्रवाई नहीं की गई थी **(परिशिष्ट 65)**।

(ii) सीडब्ल्यूसी वेयरहाऊस आयात एवं निर्यात, कोलकाता द्वारा मार्च 2013 माह के लिए प्रस्तुत किए गए मासिक बॉण्ड विवरण की संवीक्षा से पता चला कि कम से कम ₹ 0.20 करोड के शुल्क सहित ₹ 11.17 करोड़ मूल्य के आयातित माल के 46 परेषणों की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49 के अंतर्गत 1980 से 2002 के दौरान भांडागार में रखा गया था किंतु ये 11 से 32 वर्षों की समाप्ति के बाद भी बिना निपटान के पड़ी थी **(परिशिष्ट 66)**।

7.26 भांडागारों की लेखापरीक्षा

परिपत्र सं. 52/98-सीमाशुल्क, दिनांक 27 जुलाई 1998 के अनुसार अनुबंध भांडागारों की छः माह में एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षा के दौरान, सभी ऐसे परेषणों को, जो भंडारण अवधि की समाप्ति के बाद भांडागारण में पड़ी रही, ह्रास, स्थानापन्न या दूसरे गैर कानूनी रूप से हटाने के प्रति सुरक्षा देने के लिए संवीक्षा की जानी चाहिए।

(i) कोनकोर, हैदराबाद के मामले में लेखापरीक्षा के ब्यौरे मांगे जाने के बाद यह उत्तर दिया गया कि सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी। मै. राघव वेयरहाऊसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स सर्विसेज प्रा. लि. के मामलें में यह उत्तर दिया गया कि विभागीय लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(ii) दिल्ली कमिश्नरी में यह देखा गया कि तीन वर्षों में केवल पांच यूनिटों का एक बार दौरा किया गया था, शेष 55 यूनिटों का इस तथ्य के बावजूद कभी भी दौरा नहीं किया गया था कि दौरा की गई सभी यूनिटों ने कमियों के मामलों को उजागर कर दिया था। इसलिए विशेष अन्वेषण और आसूचना शाखा (एसआईआईबी) निरीक्षणों के दौरों की बारम्बारता सरकारी राजस्व के संरक्षण के लिए बढ़ाई जाए।

(iii) यह पाया गया कि इन्दोर कमिश्नरी में ₹33.43 करोड़ का सीमाशुल्क राजस्व 2010-11 से 2012-2013 की अवधि के दौरान तीन अनुबंध भांडागारों (सार्वजनिक अनुबंध भांडागार, पीतमपुर, ₹ 1.39 करोड, निजी अनुबंध भांडागार, पीतमपुर; ₹ 1.21 करोड़ और निजी अनुबंध भांडागार, घटाबिल्लोड; ₹ 30.83 करोड़) से विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था, किंतु किसी भी भांडागार की कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

7.27 भांडागारित माल पर अपर्याप्त नियंत्रण

सीमाशुल्क नियम पुस्तक के प्रावधानों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 62 के प्रावधानों में अनुबन्ध किया जाता है कि भांडागारित माल को उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के बिना भांडागार से नहीं हटाया जाना चाहिए। सीमाशुल्क के निवारक अधिकारी कस्टम्स लॉक की चाबी सहित आयातक/एजेंट के साथ जाएगा और भांडागार में अनुरक्षित बॉण्ड स्टॉक रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेगा। निजी भांडागार रखपाल को भांडागारों में पड़े हुए समय समाप्त हो चुके माल का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भांडागार अभिलेख की तुलना में कस्टम हाऊस अभिलेख के स्टॉक में कोई विसंगति नहीं है, के लिए सीमाशुल्क बॉण्ड विभाग को बॉण्ड में प्राप्ति, निर्गम, शेष की विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(i) जयपुर कमिश्नरी के अंतर्गत मै. जैक्वार एण्ड कम्पनी प्रा.लि. यूनिट-II भिवाड़ी, और मै. लॉयड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लि.- 146 (बीएण्डसी) भिवाड़ी के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (जून 2013) कि निवारक अधिकारी भांडागारित माल की प्रविष्टि/हटाने की तारीख पर

आयातक/सरंक्षक के साथ नहीं गया था जो इस तथ्य से प्रमाणित था कि बॉण्ड स्टॉक रजिस्टर पर निवारक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। इस प्रकार, भांडागारित माल के स्थानापन्न को रोकने के जोखिम एवं गैर कानूनी तरीके से हटाने में चूक है।

(ii) मुम्बई कमिश्नरी में 1 सार्वजनिक एवं 5 निजी भांडागारों के संबंध में में यह पाया गया कि बांड में प्राप्ति, निर्गम और शेष की विवरण रिपोर्ट को सीमाशुल्क बॉण्ड विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण भांडागार माल पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हुआ था। इसे बताया गया और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

(iii) एक्स-बांड निकासियों को भांडागार बिल रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, और प्रविष्टियों पर भांडागारित माल को हटाने के पर्यवेक्षण को दर्शाते हुए बांड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, आईसीडी, सनतनगर, हैदराबाद -।। कमिश्नरी के अंतर्गत मै. कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कोनकोर)और मै. सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रस्तुत किए गए भांडागार रजिस्टर में यह देखा गया कि इस पैरा के अंतर्गत सूचीबद्ध कुछ मामलों में रजिस्टर में वर्ष के अंत में स्टॉक की निकासी को 'शून्य'/'केवल भाग' के रूप में दर्शाया। तथापि, ईडीआई प्रणाली में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन करने पर यह पाया गया कि स्टॉक की भांडागार से पूर्णतः निकासी कर दी गई थी।

(iv) इसी प्रकार,निजी अनुबंध भांडागार मै. इन्डो निप्पो केमिकल्स क. प्रा. लि. (कांडला) के 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निवारक अधिकारी (पीओ) के हस्ताक्षर बांड रजिस्टर पर नहीं पाए गए थे जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि पीओ भांडागारित माल की प्रविष्टि /हटाने/निकासी की तारीख पर आयातक/संरक्षक के साथ नहीं लिया गया था।

7.28 इन्टू बॉड बिल्स ऑफ एन्ट्री/एक्स बांड बिल्स ऑफ एन्ट्री का प्रमाणीकरण न करना

अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद की कमिश्नरियों द्वारा अनुरक्षित भांडागार स्टॉक रजिस्टर की संवीक्षा से इन्टू बॉड बिल्स ऑफ एन्ट्री और एक्स बांड निकासियों से संबंधित प्रविष्टियों को प्रमाणित न करने के दृष्टांतों का पता चला।

निदर्शी मामलों पर व्याख्या नीचे दी गई है:

चेन्नई समुद्री कमिश्नरी के नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी अनुबंध भांडागारों में अनुरक्षित भांडागार स्टॉक रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि यहां इन्टू बांड और एक्स बांड बिल्स ऑफ एन्ट्री से संबंधित प्रविष्टियों के गैर-प्रमाणीकरण के पांच दृष्टांत थे। रजिस्टर में यह दर्शाने के लिए भी कोई संकेत नहीं था कि अधीक्षक ने माह में एक बार रजिस्टर की प्रविष्टियों की जांच की हैं।

7.29 अभिलेखों का अनुचित रखरखाव और प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव

नियमपुस्तक के प्रावधान परिकल्पित करते हैं कि एक वर्ष या उससे अधिक से लम्बित परेषणों के संबंध में प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कस्टम हाऊस जहाँ भांडागारण के प्रविष्टि बिल बनाए गए हैं, में प्रति जांच स्थिति भांडागारों के लिए अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क निवारक नियमपुस्तक में निर्धारित किया गया कि बांड अधीक्षक को माह में कम से कम एक बार बांड स्टॉक रजिस्टरों की जांच करनी चाहिए और निजी अनुबंध भांडागारों में तैनात अधिकारियों से बांड में प्राप्तियों, निर्गमों और शेषों के विवरण प्रत्येक माह भेजे जाने अपेक्षित है।

कार्यप्रणालियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि अधिकतर कमिश्नरियों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, निगरानी कमजोर थी और अभिलेखों का अनुरक्षण अनुचित था। मासिक प्राप्ति/निर्गम/शेष के विवरणों को भांडागार रखपाल द्वारा नही दिया गया था। बांड रजिस्टरों को अधीक्षक निवारक अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

(i) बांड अनुभाग, एनसीएच, नई दिल्ली में 2010-13 की अवधि के लिए बांड रजिस्टरों की संवीक्षा से पता चला कि दोहरे शुल्क बांड रजिस्टरों को उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था, नियमित रूप से अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था और बांड अधीक्षक द्वारा मासिक रूप से जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, निजी अनुबंध भांडागारों पर तैनात अधिकारी भी उनके पास प्राप्ति/निर्गम और शेषों को दर्शाते हुए प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर बांड विभाग को मासिक विवरण भी नहीं भेज रहे थे।

(ii) गोवा कमिश्नरी के अंतर्गत मै. ताज सैट्स एयर केटरिंग और नागपुर कमिश्नरी के मै. इंडो रामा सिन्थेटिक्स के संबंध में, प्राप्ति/निर्गम और शेषों के मासिक विवरणों को बांड विभाग का प्रतिमाह प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ऐसे आधारभूत नियंत्रण उपायों के अभाव में भांडागारित माल के स्थानापन्न के जोखिम और उनको गैर कानूनी रूप से हटाने के प्रतिसंरक्षण के लिए विभाग पर कम विश्वास था।

7.30 निष्कर्ष

कार्यप्रणालियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नमूना जांच की गई कमिश्नरियों के अंतर्गत अधिकतर सार्वजनिक भांडागारों में निगरानी कमजोर थी और अभिलेखों का अनुरक्षण अनुचित था। विभागीय अधिकारियों और सीमाशुल्क लेखापरीक्षा दलों द्वारा निरीक्षण/लेखापरीक्षा का कवरेज अपर्याप्त था। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ न करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की बड़ी राशि का अवरोधन हुआ, जो अनिवार्य रूप से माल के मूल्यह्रास, स्थानापन्न और वाणिज्यिक मूल्य की हानि के कारण समय के बीतने के साथ-साथ हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से भी भांडागारण और माल की निकासी के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों और कार्य प्रणालियों के उल्लंघन के कई दृष्टान्तों का भी पता चला। अन्यायसंगत विस्तारणों और सुविधाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए समय पर और प्रभावी कार्रवाई के अभाव के कारण पर्याप्त राजस्व का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा ने बताया कि विभाग को बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुधार और अपने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करना चाहिए।

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनांक: **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुबन्ध - I

अनुबंध - I
(पैराग्राफ 1.29 देखें)

(लाख ₹)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	बी1	दिल्ली	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	12.40	12.40	12.20	आईसीडी, पटपड़गंज
2	बी2	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	60.28	60.28	68.58	आईसीडी, पटपड़गंज
3	बी3	चेन्नई	रक्षा शुल्क का न लगाया जाना	24.12	24.12	28.17	चेन्नई (समुद्र)
4	बी4	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	26.02	26.02	29.96	चेन्नई (हवा)
5	बी5	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.76	14.76	15.58	आईसीडी, पटपड़गंज
6	बी6	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.99	7.99	7.66	आईसीडी, पटपड़गंज
7	बी7	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	16.74	16.74	8.06	आईसीडी, तुगलकाबाद
8	बी8	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	42.30	42.30	22.73	चेन्नई (समुद्र)
9	बी9	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	15.25	15.25	16.97	चेन्नई (समुद्र)
10	बी10	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	9.18	9.18	11.42	चेन्नई (हवा)
11	बी11	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुदग्रहण	31.68	31.68	38.16	चेन्नई (समुद्र)
12	बी12	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	80.37	80.37	57.13	चेन्नई (समुद्र)
13	बी13	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	13.30	13.30	15.47	चेन्नई (समुद्र)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
14	बी14	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.56	11.56	11.32	आईसीडी, तुगलकाबाद
15	बी15	बैंगलोर	एसएफआईएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट	34.04	34.04	34.04	जेडीजीएफटी, बैंगलुरू
16	बी16	बैंगलोर	घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री पर एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	17.47	17.47	22.93	केन्द्रीय उत्पादशुल्क, बैंगलोर -1
17	बी17	अहमदाबाद	गलत वर्गीकरण के कारण ईपीसीजी लाइसेंस में सीमाशुल्क की डेबिट	14.39	14.39	16.04	कस्टम हाउस, जामनगर
18	बी18	अहमदाबाद	मूल सीमाशुल्क दर के गलत उपयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	52.44	52.44	63.15	कस्टम हाउस, दहेज
19	बी19	अहमदाबाद	कर छूट के गलत वर्गीकरण और अनियमित अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.93	13.93	15.23	कस्टम हाउस, कांडला
20	ए4	हैदराबाद	वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान	14.65	14.65		जेडीजीएफटी, हैदराबाद
21	ए6	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	17.55	17.55		चेन्नई (समुद्र)
22	ए7	बैंगलोर	ईपीसीजी लाइसेंस के संदर्भ में निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	18.36	18.36		आईसीडी, बैंगलूरू

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
23	ए9	अहमदाबाद	डीटीए में मंजूर प्रयुक्त ड्रम/आईबीसी टैंक पर शुल्क का अनुद्ग्रहण	29.52	29.52	32.78	वापी
24	ए10	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.94	11.94		जेएनसीएच, मुम्बई
25	ए13	कोलकाता	डीटीए बिक्री के अनियमित निर्धारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.62	17.62	3.86	सीमाशुल्क डिप्टी आयुक्त, फाल्टा एसईजेड
26	ए14	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.62	7.62	2.88	नया कस्टम हाउस और आईसीडी पटपड़गंज
27	ए15	कोची	निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	26.49	26.49	44.34	जेडीजीएफटी, कोच्ची
28	ए18	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.69	19.69	1.36	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
29	ए20	चेन्नई	शुल्क की रियायती दरों के गलत अनुदान के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	14.52	14.52	8.67	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
30	ए21	चेन्नई	गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	89.57	89.57	8.03	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
31	ए22	चेन्नई	गैर वर्गीकरण के कारण मूल सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.67	19.67		चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
32	ए23	चेन्नई	छूट अधिसूचना के गलत उपयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	16.31	16.31	17.00	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
33	ए24	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण	28.77	28.77	15.37	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
34	ए26	चंडीगढ़	भारतीय योजना से सेवा के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट का अनियमित अनुदान	12.43	12.43	12.43	जेडीजीएफटी, लुधियाना
35	ए27	दिल्ली	मात्रा की गलत घोषणा के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.80	13.80	14.82	दिल्ली आयुक्तालय आईसीडी/टीकेडी
36	ए28	चेन्नई	गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	8.06	8.06	9.01	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
37	ए29	दिल्ली	निर्धारणीय मूल्य की गलत गणना के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.10	8.10	8.25	आईसीडी तुगलकाबाद आईसीडी पटपड़गंज एवं नया कस्टम हाउस
38	ए30	बैंगलोर	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	11.75	11.75		सीमाशुल्क अपर आयुक्त अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, बैंगलोर
39	ए34	कोलकाता	निर्यात प्रक्रिया को पूर्ण करने में विफलता के लिए वसूली न होने की कमी	37.87	37.87		कस्टम (हवाई अड्डा) कोलकाता
40	ए37	मुम्बई	सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण	15.61	15.61		जेएनसीएच, मुम्बई
41	ए40	लखनऊ	शुल्क कमी की वसूली न करना	29.93	29.93		आईसीडी चकेरी, कानपुर
42	ए41	दिल्ली	निर्धारणीय मूल्य की गलत गणना के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.10	8.10	2.45	आईसीडी तुगलकाबाद और न्यू कस्टम हाऊस
43	ए42	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता की पूर्ण न करना	37.77	37.77	37.77	एसीसी, बैंगलोर
44	ए43	कोची	अनुदान की अयोग्य छूट और	8.11	8.11		केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क,

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
			गलत विनिमय दर का उपयोग				त्रिवेंद्रम
45	ए44	कोची	निर्यात बाध्यता प्राप्त करने हेतु विफलता के लिए शुल्क का अनुद्ग्रहण	131.00	131.00		कस्टम हाऊस, कोच्ची
46	ए45	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण हेतु गलत छूट	36.26	36.26		चेन्नई (समुद्र) कस्टम
47	ए47	चेन्नई	एसएफआई के तहत शुल्क का अधिक अनुदान	251.48	251.48		आरएलए कोयम्बटूर, आरएलए, चेन्नई
48	ए50	अहमदाबाद	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	169.00	169.00		कांदला (सीमाशुल्क) एवं एमपी एवं एसईजेड (मुंद्रा)
49	ए51	दिल्ली	आरएसपी/एमआरपी आधार पर सीवीडी का अनुद्ग्रहण	7.82	7.82	8.58	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
50	ए52	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.06	9.06	3.03	न्यू कस्टम हाऊस, दिल्ली
51	ए53	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.31	8.31	7.35	न्यू कस्टम हाऊस एवं आईसीडी पटपड़गज, दिल्ली
52	ए54	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.80	7.80	2.55	आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली
53	ए56	दिल्ली	अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.63	7.63	8.09	आईसीडी, तुगलकाबाद एवं आईसीडी पटपड़गज, दिल्ली
54	ए57	बैंगलोर	एसएफआईएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट	16.73	16.73	16.73	जेडीजीएफटी, बैंगलोर
55	ए58	बैंगलोर	एसएफआईएस के तहत अधिक क्रेडिट	64.63	64.63	64.63	जेडीजीएफटी, बैंगलोर

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
56	ए61	अहमदाबाद	स्थापना व्यय की कम वसूली	78.47	78.47	70.18	आईसीडी, वालवाड़ा, सीएच, सूरत, सीएच जपीपीएल, पीपावव
57	ए63	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	13.61	13.61	13.61	एसीसी, बैंगलोर
58	ए64	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	14.79	14.79	26.07	आईसीडी, बैंगलोर एवं एसीसी, बैंगलोर
59	ए65	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	101.00	101.00		जेएनसीएच, मुम्बई
60	ए66	हैदराबाद	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्कों का कम उद्ग्रहण	53.11	53.11		हैदराबाद-।।
61	ए67	हैदराबाद	निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	159.98	159.98		जेडीजीएफटी, विशाखापट्नम
62	ए68	अहमदाबाद	ईओयू के अंतिम निगम को गलत अनुदान	78.26	78.26	19.07	केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सूरत ।।
63	ए69	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	100.00	100.00		जेएनसीएच, मुम्बई
64	ए70	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	13.35	13.35	12.24	जेएनसीएच, मुम्बई
65	ए71	मुम्बई	शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.01	10.01		जेएनसीएच, मुम्बई
66	ए73	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.15	10.15		जेएनसीएच, मुम्बई
67	ए77	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	9.30	9.30		जेएनसीएच, मुम्बई
68	ए78	चेन्नई	गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	39.27	39.27	10.09	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
69	ए82	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	15.15	15.15	17.23	चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क
70	ए83	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का	7.62	7.62	4.13	चेन्नई (समुद्र)

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
			कम उद्ग्रहण				
71	ए85	कोलकाता	जूट मदों के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण	127.64	127.64		सीमाशुल्क (निरोधक) पश्चिम बंगाल
72	ए92	कोलकाता	निर्धारणीय मूल्य के गलत मूल्यांकन के कारण कम उद्ग्रहण	126.00	126.00		सीमाशुल्क (हवाई अड्डा)
73	ए93	कोलकाता	अयोग्य उत्पादों की डीटीए बिक्री पर शुल्क छूट के अनुदान के कारण कम उद्ग्रहण	67.54	67.54		केन्द्रीय उत्पाद-IV, आयुक्त, कोलकाता
74	ए94	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	21.19	21.19	21.19	जेएनसीएच, मुम्बई
75	ए98	मुम्बई	डीटीए में तैयार माल की मंजूरी पर एसएडी का अनुद्ग्रहण	7.00	7.00	9.41	एसईईपीजेड, मुम्बई एवं ठाणे-I
76	ए99	कोलकाता	ईपीसीजी लाइसेंस के विरूद्ध निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	22.49	22.49		जेडजेडीजीएफटी, कोलकाता
77	ए103	अहमदाबाद	विभिन्न निर्यातकों को शुल्क वापसी की गैर-वसूली	340.00	340.00		एसीसी, सांगानेर, जयपुर
78	ए104	अहमदाबाद	लागत वसूली प्रभार की गैर प्राप्ति	696.00	696.00		आयुक्त (सीमा) जोधपुर मुख्यालय, जयपुर, अपर आयुक्त (सीमा) जोधपुर, एसी-आयुक्त, बासनी, जोधपुर
79	ए106	कोलकाता	निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	20.21	20.21		सीमाशुल्क (बंदरगाह) कोलकाता
80	ए108	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.75	20.75		जेएनसीएच, मुम्बई

क्र. सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम
81	ए110	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.26	11.26		आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
82	ए112	हैदराबाद	निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	7.52	7.52		जेडीजीएफटी, हैदराबाद
83	ए113	मुम्बई	डीटीए में तैयार माल की मंजूरी पर एसएडी का अनुद्ग्रहण	47.86	47.86	53.00	ठाणे-1
84	ए121	दिल्ली	अग्रिम प्राधिकरण योजना	14.37	14.37	6.30	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
			कुल	**3967.46**	**3967.46**	**1087.95**	

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.3)

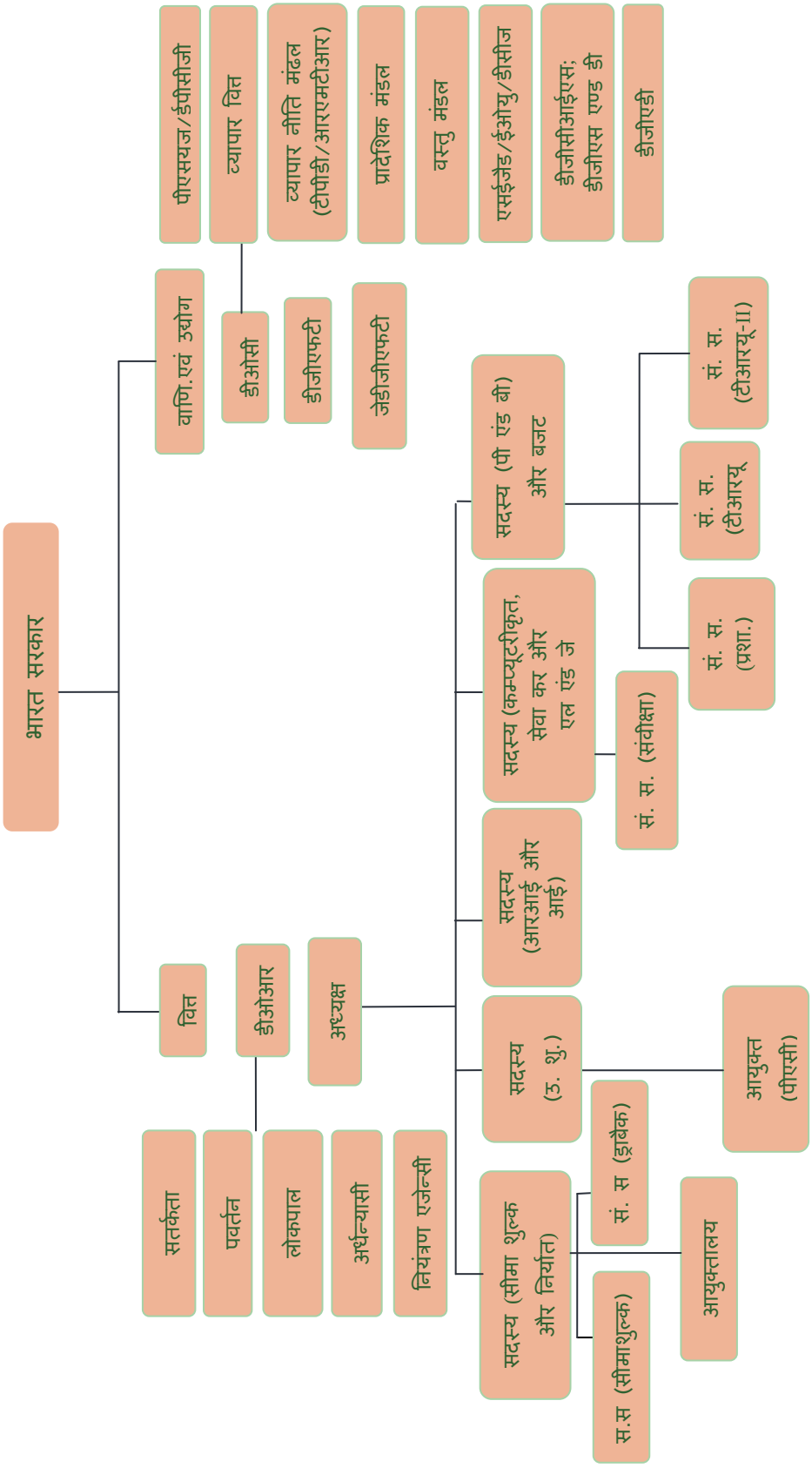

परिशिष्ट 2: वाणिज्यिक विभाग द्वारा निष्कर्षित व्यापार करार/समझौता (संदर्भ पैराग्राफ 1.7)

i. गैर-प्राधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ सहयोग करार।

ii. भारत और फिनलैंड में आर्थिक सहयोग पर करार

iii. दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र एसएएफटीए पर करार

iv. प्रशांत एशिया व्यापार करार एपीटीए

v. भारत और मलेशिया में विस्तृत/व्यापक आर्थिक सहयोग करार

vi. भारत गणतंत्र और सिगांपुर गणतंत्र के बीच सीईसीए

vii. व्यापक प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली जीएसटीपी

viii. भारत अफ्रीका व्यापार करार/समझौता

ix. भारत चिले पीटीए

x. भारत अफगानिस्तान पीटीए

xi. भारत एएसईएएन समझाते

xii. भारत भूटान व्यापार समझौता

xiii. भारत जापान सीईपीए

xiv. भारत कोरिया सीईपीए

xv. भारत मरकोसर[31] पीटीए

xvi. भारत नेपाल व्यापार संधि

xvii. भारत श्री लंका एफटीए

xviii. सेवाओं में व्यापार पर एसएटीआईएस एसएएआरसी समझौता

xix. भारत और नेपाल के बीच पारगमन पर संधि

स्रोत: http://commerce.nic.in/trade/international

[31] एमईआरसीओएसयूआर लातिन अमरीका जिसमें ब्राज़िल, अर्जेंटिना, युरूगवे और परागवे शामिल है में एक ट्रेडिंग ब्लाक है।

परिशिष्ट 3: डीआरआई (योजनावार) द्वारा पाए गए शुल्क अपवंचन के मामले

(पैराग्राफ 1.23 देखे) **₹ करोड़**

क्रम सं.	योजना	वि.व.09		वि.व. 10		वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व. 13	
		मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क
1	कम मूल्यांकन	144	509.33	105	166.18	197	132.12	184	466.17	210	282.43
2	गलत घोषणा	66	100.76	100	215.24	91	110.19	111	844.44	298	2392.26
3	डीईपीबी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	5	22.71	10	5.66	18	264.62	1	0.10	6	139.73
4	डीईपीबी का दुरूपयोग	12	7.60	21	7.40	34	3.80	26	23.93	16	22.77
5	ईपीईजी का दुरूपयोग	23	67.20	3	0.90	10	3.33	6	25.72	13	179.55
6	ईओयू/ईपीजी/सेज का दुरूपयोग	7	34.75	9	3.28	4	0.04	6	9.66	7	39.07
7	समाप्त प्रयोग एवं अन्य अधिसूचनाओं का दुरूपयोग	17	145.16	15	24.60	26	100.55	54	304.84	39	67.79
8	ड्राबैंक	7	21.80	38	91.76	102	81.42	13	25.93	71	1590.14
9	अन्य	59	619.28	90	100.21	99	130.4	97	27.43	49	28.92
	कुल	**340**	**1528.59**	**391**	**615.23**	**581**	**826.47**	**498**	**1728.22**	**709**	**4742.66**

स्रोत: सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

परिशिष्ट 4: विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की जब्ती (पैराग्राफ 1.24 देखे)

₹ करोड़

क्रम सं.	प्रतिभूति	वि.व.09		वि.व. 10		वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व.13	
		अखिल भारतीय	डीआरई	अखिल भारतीय	डीआरई	अखिल भारतीय	डीआरई	अखिल भारतीय	डीआरई	अखिल भारतीय	डीआरई
I	सोना	5.39	2.50	27.46	13.95	9.34	0.25	46.43	8.25	99.35	44.80
II	विदेशी मुद्रा	8.32	1.09	3.79	0.39	3.83	1.36	35.55	0.27	9.96	0.06
III	नार्कोटिक ड्रग्स	64.69	14.11	116.23	37.52	58.33	16.72	1711.93	1653.81	969.16	194.84
IV	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	31.69	14.12	120.03	13.94	167.04	21.49	189.98	4.06	71.66	13.14
V	कम्प्यूटर्स /पार्ट्स	127.40	117.60	15.95	7.28	5.29	2.26	4.99	1.19	18.60	0.36
VI	फैब्रिक /रेशमी धागे आदि	435.14	19.20	71.95	30.74	187.70	36.45	158.79	52.38	49.89	5.45
VII	बियरिंग्स	0.64	0	0.66	0	0.14	0	6.10	1.98	0.32	0.00
VIII	हीरे	9.09	3.85	13.83	7.77	11.52	1.00	24.66	15.50	9.46	5.00
IX	भारतीय मुद्रा	4.30	1.67	3.95	2.06	2.11	1.16	18.20	0.31	4.87	2.44
X	घडियाँ /पार्ट्स	2.07	0.35	0.82	0	4.31	3.06	7.30	2.78	8.88	1.41
XI	मशीनरी/पार्टस	86.51	78.51	480.20	9.58	249.76	106.61	133.71	113.34	69.50	38.78
XII	वा./वेस/हवाई जहाज	72.04	10.63	69.98	39.78	24.89	1.13	415.40	274.61	306.08	191.15
XIII	भारतीय नकली मुद्रा	2.00	1.87	0.65	0.55	1.81	1.50	2.64	2.19	2.24	2.02
XIV	विविध/अन्य	707.52	480.89	1231.00	516.61	1749.63	620.27				
	कुल	**1556.80**	**746.39**	**2156.50**	**680.17**	**2475.70**	**813.26**	**2755.68**	**2130.67**	**1619.97**	**499.45**

परिशिष्ट 5 (पैरा संख्या 2.4.2)

विलम्बित आवेदनों पर विलम्बित कटौती न लगाने के परिणामस्वरूप शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी

क्रम सं.	फाईल सं./प्राधिकार संख्या	प्राधिकार धारक	क्रेडिट का अन्तर (₹)
आरए-अहमदाबाद			
1	08/91/87/467/ एएम 12	एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड	9916
2	08/91/87/920 एएम 12	एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड	32747
3	08/91/87/127/ एएम 12	क्रिस्टल क्विनोन प्राइवेट लिमिटेड	9530
4	08/93/87/416/एएम12	सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड	4142
		उप जोड़	**56335**
आरए-हैदराबाद			
1	910053026		1997
2	910054469		25818
3	910053187		2034
4	910054042		325
5	910053751		25884
6	910053753		56192
		उप जोड़	**112250**
आरए-जयपुर			
1	13/21/087/1804/एएम13	मै.क्यूरियो क्राफ्टस, जोधपुर	280
2	13/22/87/705/एएम13	मै. नवकार वूलेन्स प्रा. लिमिटेड, बिकानेर	5973
3	13/21/87/1664/एएम13	मै. एबीसी इंडस्ट्रीज, जयपुर	4769
4	13/22/87/551/एएम13	मै. सावी एक्पोर्ट्स, जयपुर	3092
5	13/22/087/730/एएम13	मै. सर्राफ सिजनिंग उद्योग सरदारशहर	15042
6	13/21/087/0222/एएम13	मै. सनसिटी आर्ट निर्यात, जोधपुर	3781
7	1310042527/20.3.13	मै. क्यूरियो क्राफ्ट्स, जोधपुर	536
8	1310037989/13.12.11	मै. सोप्रा ओवरसीज, जयपुर	292
9	1310033801/18.11.10	मै. श्री ऋषभ मार्मो	3484

क्रम सं.	फाईल सं./प्राधिकार संख्या	प्राधिकार धारक	क्रेडिट का अन्तर (₹)
		प्रा. लिमिटेड, उदयपुर	
10	13/21/087/01166/एएम12	मै. माल्गो एक्सपोर्ट्स, जयपुर	1099
11	13/21/078/00133/एएम11	मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	3097
12	13/21/087/00106/एएम12	मै. निहाल एक्जिम, जयपुर	1163
13	1310042072	मै. सीट कमल इंटरनेशनल, जयपुर	1322
14	13/21/87/249/एएम13	मै. दुर्गा इंपेक्स, जयपुर	829
15	13/21/87/1474/एएम13	मै. इंप्रेसन्स जोधपुर	108273
		उप जोड़	**153032**
आरए-मुंबई			
1	310707366 डीटीडी 3/9/2012	मै. राम फैशन निर्यात लिमिटेड	20711
		उप जोड़	**20711**
आरए-सूरत			
1	461/एएम11	भारती क्रियेसन	20856.36
2	401/एएम11	पायनियर इंटरनेशनल	6756.26
3	454/एएम11	धनक्रुप इंटरप्राइजेज	8851.54
4	274/एएम11	मिस्टिक एक्सपोर्ट्स	18578.16
5	309/एएम11	सालासर पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड	23680.36
6	342/एएम11	चेवली टेक्सटाइल्स	18270.12
7	592/एएम11	रवि एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	16920.48
8	2/एएम12	मीनाक्षी एक्सपोर्ट्स	6097.90
9	1/एएम09	नेमलक्ष्मी बुक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	162113.00
10	52/एएम11	पॉची क्रिएशन	10484.28
11	24/एएम11	विभा इंटर.	13687.80
12	36/एएम13	सुशीला इंडस्ट्रीज	41519.65
13	182/एएम13	कृष्णा टेरीन प्रा. लिमिटेड	144906.50
14	527/एएम13	खजाना ओवरसीज़	552150.00

क्रम सं.	फाईल सं./प्राधिकार संख्या	प्राधिकार धारक	क्रेडिट का अन्तर (₹)
15	170/एएम13	मीनाक्षी एक्सपोर्ट्स	117169.80
16	582/एएम12		19243.84
		उप जोड़	**11,81,286.05**
		सकल जोड़	**15,23,614.05**

परिशिष्ट 6 (पैरासंख्या 2.4.3)

अध्याय 3 का लाभ लेने की घोषण ने करने वाले अवैध शिपिंग बिल्स का गलत मान्यीकरण

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
आरए अहमदाबाद		
1.अदानी विल्मर लिमिटेड	3505810/5/3/2011	2000878
	3505850/5/3/2011	1976596
2.अदानी विल्मर लिमिटेड	2498361/2/12/2011	1662345
3.अदानी विल्मर लिमिटेड	3053508/3/31/2011	357253
	3053432/3/31/2011	178626
	3053187/3/31/2011	178626
	3053238/3/31/2011	178626
	3052872/3/31/2011	107176
	3052721/3/31/2011	357253
	3051497/3/31/2011	250077
	3051617/3/31/2011	250077
	3052146/3/31/2011	1071759
	3052280/3/31/2011	107176
	3052528/3/31/2011	107176
	3052433/3/31/2011	357253
	3053060/3/31/2011	71451
4. अदानी विल्मर लिमिटेड	2938056/3/24/2011	1854239
	2540813/2/17/2011	1238632
	2939651/3/24/2011	1512998
5. अदानी विल्मर लिमिटेड	3616829/5/11/2011	1013119
	3616926/5/11/2011	641761
	3553734/5/6/2011	936686
	3553802/5/6/2011	2649000
	3345153/4/22/2011	1494695
	3345067/4/22/2011	744240
	3345324/4/22/2011	1714663
	2969015/3/26/2011	2616579
6. अदानी विल्मर लिमिटेड	2664844/3/7/2011	2914299
		124329
		60421
		946731
7. अदानी विल्मर लिमिटेड	2159341/1/5/2011	95658
	2233758/1/13/2011	2749318
	2208602/1/11/2011	2789280
8. अदानी विल्मर लिमिटेड	2273001/1/19/2011	2775620
9. अदानी विल्मर लिमिटेड	2409140/2/3/2011	1148775

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	2453771/2.8.2011	867122
	2432976/2/5/2011	1419976
`	2335259/1/27/2011	2907824
	2432889/2/5/2011	1405776
	24539542/18/2011	1280451
	24534812/8/2011	1631125
10. अदानी विल्मर लिमिटेड	2746803/3/9/2011	2917253
	2735372/3/8/2011	1187441
	2688805/3/3/2011	1701216
	2688608/3/3/2011	1695578
	2688462/3/3/2011	429600
	2370972/1/31/2011	2500680
	2432827/2/5/2011	1132557
	2393342/2/12011	873474
11. अदानी विल्मर लिमिटेड	2408996/2/3/2011	1765960
	2187589/1/7/2011	1168521
	1287637/1/7/2011	774919
12. अदानी विल्मर लिमिटेड	2759938/3/10/2011	982452
	2760051/3/10/2011	3081318
	2734467/3/8/2011	3118896
13. गोकुल रीफ्वॉल्स और सॉल्वैंट्स लिमिटेड	2406927/2/2/2011	1802000
14. महालक्ष्मी एक्सपोर्ट्स	2408997/2/3/2011	33282
	2423634/2/4/2011	63265
	2479861/2/10/2011	62289
	2491919/2/11/2011	57505
	2556271/2/18/2011	62957
	2606805/2/23/2011	24470
15. अरविंद लिमिटेड	3662744/5/13/2011	140215
	3776402/5/23/2001	144393
	3739834/5/19/2011	175840
	3776807/5/23/2011	82207
	3846173/5/27/2011	179504
	3863364/5/28/2011	137703
	3795371/5/24/2011	99080
	3801759/5/24/2011	116819
	3777627/5/23/2011	189871
	3865026/5/28/2011	55415
	3795160/5/24/2011	63539
	3876634/5/30/2011	152223
16. अरविंद लिमिटेड	3491750/5/2/2011	110835
	3556638/5/6/2011	100669
	3560826/5/6/2011	23057
	3603636/5/10/2011	172005
	3573928/5/7/2011	88642
	3668281/5/14/2011	170387
	3676697/5/16/2011	93797
	3635439/5/12/2011	50954
	3708945/5/18/2011	186184
	3504619/5/3/2011	160203

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
17. रघुवीर एक्जिम	2.4.2011 और 17.5.2011 के बीच सभी 19 एसबीज़	2078505
18. एशियन स्पाइसेज़	2332657/1/25/2011	134911
	2360072/1/29/2011	43077
	2417953/2/3/2011	49673
	2454734/2/8/2011	52781
	2476757/2/10/2011	49803
	2558717/2/18/2011	162315
	2283816/1/20/2011	73027
19. गोकुल रीफ्वॉल्स और सॉल्वेंट	2406923/2/2/2011	360400
	2406944/2/2/2011	180200
	2406948/2/2/2011	180200
	2406947/2/2/2011	180200
	2288784/1/20/2011	1430400
	2406943/2/2/2011	180200
	2288781/1/20/2011	107280
	2406965/2/2/2011	122536
	2406922/2/2/2011	180200
	2406928/2/2/2011	360400
	2288780/1/20/2011	71520
	2326346/1/25/2011	17880
	2289460/1/20/2011	1788000
	2406924/2/2/2011	360400
	2406962/2/2/2011	122536
	2288778/1/20/2011	178800
	2499083/2/12/2011	1883090
	2517057/2/14/2011	112985
	2499088/2/12/2011	376618
	2499086/2/12/2011	188309
	2499087/2/12/2011	188309
	2500152/2/12/2011	188309
	2517042/2/14/2011	376618
	2517043/2/14/2011	372369
	उप जोड़	**89026691**
आरए-गांधीधाम		
1.हिन्द स्टील्स	2290453/2/1/2011	246202.80
	2290448/1/20/2011	246202.80
2. हिन्द स्टील्स	2204049/1/10/2011	243194.80
	2204045/1/10/2011	243194.80
3. हिन्द स्टील्स	2279088/1/19/2011	277636.20
	2278011/1/19/2011	209871.80
4. हिन्द स्टील्स	2766133/3/10/2011	249235.10
	2766138/3/17/2011	243641.40
	214387/1/10/2011	242870.80
	2143589/1/3/2011	243328.90
	2742076/3/8/2011	244804.90
	2742077/3/8/2011	244804.90
5. हिन्द स्टील्स	2221646/1/12/2011	247262.50
	2221652/1/12/2011	234825.00

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
6. हिन्द स्टील्स	2529765/2/15/2011	246203.00
	2529766//2/15/2011	246203.00
7. फ्रेंडस मर्केंटाइल लिमिटेड	दिनांक 23/5/2011से 24/5/2011 तक 12 एसबीज़	486735.90
8. थेन ट्रेडिंग कम्पनी	91/1/10/2011	72346.96
	90/1/10/2011	44521.20
	102/1/21/2011	176229.80
	उप जोड़	**4689316**
आरए-हैदराबाद		
1. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	4386682/2/7/2011	1022
2. ग्लोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	431294/28.6.2011	269
	7715202/24/2/2011	296
3. न्यूलैंड लेबोरेटरीज	2246871/25/5/2011	7225
	2248110/31/5/2011	7814
4. हरतिक एक्जिम	2917483/23/3/2011	342939
5. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 के लिए 15 एसबीएस	3015421
6. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	अप्रैल 2010 से अगस्त 2010 के लिए 43 एसबीएस	3110800
7. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	अक्तूबर 2009 से दिसम्बर 2009 तक 3एसबीएस	264067
8. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	दिसम्बर 2010 से जनवरी 2011 तक 24 एसबीएस	5598745
9. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड	अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 के लिए 50 एसबीएस	2712545
	उप जोड़	**15061143**
आरए-जयपुर		
1. मै. मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, जयपुर	000004/1.1.11	89840
	000021/4.1.11	19998
	000023/4.1.11	79837
	00054/7.1.11	92820
	000059/10.1.11	73510
	000058/10.1.11	18398
	000102/13.1.11	18707
	000103/13.1.11	84011
	000141/18.1.11	7928
	000140/18.1.11	75688
	000163/21.1.11	27935
	000162/21.1.11	59307
	000177/24.1.11	76099
	000176/24.1.11	43480
	000178/24.1.11	28887
	000196/25.1.11	52998
	000197/25.1.11	22423

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	000203/27.1.11	17931
	000222/29.1.11	88747
	000221/29.1.11	5429
	000252/1.2.11	28250
	000250/1.2.11	38283
	000251/1.2.11	92063
	000268/3.2.11	11126
	000304/7.2.11	646
	000305/7.2.11	6244
	000306/7.2.11	98239
	000303/7.2.11	18988
	000321/9.2.11	27147
	000322/9.2.11	76824
	000267/3.2.11	75444
2. मै. जे.सी. फैशन टोंक रोड़, जयपुर	2153974/04.01.11	2604
	2142704/03.01.11	8279
	2142676/03.01.11	16536
	2143042/03.01.11	7318
	2154110/04.01.11	13157
	2185583/07.01.11	9537
	2217808/12.01.11	8055
	2218435/12.01.11	9250
	2254236/17.01.11	7104
3. मै. श्री महादेव कॉटन मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	9315364/01.02.11	63141
	9387741/21.02.11	60756
	9369130/15.2.11	60756
	9514970/28.3.11	50348
4. मै. आर्यावर्त सीतापुरा, जयपुर	3512718/03.05.11	21057
	3228578/14.4.11	90206
		6430
5. मै.हैंडमेड रग्स जयपुर	868/21/3/2011	9190
6. मै. अंबिका एक्सपोर्ट्स नेलाहाउस, जयपुर	2175717/06.01.11	4240
	2471397/09.02.11	18772
7. मोना हैंडिक्राफ्ट्स , जयपुर	9332905/ 04.02.11	30533
8. मै. एस.पी. इंटरप्राइजेज, बाड़मेर	3309863/20.4.11	8973
	3904436/31.5.11	15799
	3741232/19.5.11	10560
	3741233/19.5.11	11539
	3741230/19.5.11	15748
	3055218/30.3.11	15769
	3035243/30.3.11	15968
	2803686/14.3.11	30533
	3062994/01.04.11	13715
9. एस.पी. इंटरप्राइजेज, बाडमेर	2568782/19.2.11	9632
	2668734/01.03.11	12435
10. मै. जे.सी. इंटरप्राइजेज, जयपुर	3040057/31.3.11	3823
	3047881/31.3.11	7056
	3047710/31.03.11	24735

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
11. मै. मोना हैंडिक्राफ्ट्स, जयपुर	2184315/07.01.11	282561
12. मै. गरिमा कास्टींग्स, जयपुर	(15.02.11 से 28.03.11) 9 एसबरएस	734
13. मै. कारपेट और टेक्सटाइल्स हाउस, जयपुर	3226508/13.4.11	25665
14. मै. के जी पेट्रोकेम लिमिटेड, जयपुर	000472/5.2.11	40516
	000399/1.2.11	46916
	000400/1.2.11	68373
	000373/31.1.11	
15. मै. सर्राफ एक्सपोट्र्स, सरदारशहर	2146512/3.1.11	40610
	2343106/27.1.11	19655
	2445010/7.2.11	54045
	2572928/19.2.11	39393
	2688974/3.3.11	40230
	2645425/26.2.11	31904
	2938164/24.3.11	52303
16. मै. सर्राफ सिजनिंग उद्योग, सरदारशहर	2251505/15.1.11	58930
	2320463/24.1.11	41749
17. मै. के.के केसेप्ट्स, जयपुर	3308990/20.4.11	429751
18. मै. रातुमल्स जयपुर	3497561/2.5.11	12880
19. मै. सन मून एक्सपोट्र्स, जोधपुर	3709143/18.5.11	78243
20. मै. सोमानी टेक्सट्राइल्स फैब्रिक्स , जयपुर	3065612/1.4.11	20775
	3347411/22.4.11	10099
	3346254/22.4.11	19353
	3380957/25.4.11	27264
	3461960/29.4.11	24899
	3501286/2.5.11	7988
	3602488/10.5.11	12376
	3638661/12.5.11	942
	3738649/19.5.11	26829
21. मै. चीर सागर, जयपुर	3463343/29.4.11	8576
	3320867/20.4.11	9983
22. मै. वीएनएल एक्सपोट्र्स ,जयपुर	9322205/2.2.11	10214
	9357134/11.2.11	12470
	9360868/14.2.11	6247
	9366476/17.2.11	6146
	9366624/15.2.11	3006
	9396097/23.2.11	20753
	9423978/2.3.11	5505
	9463545/12.3.11	2386
	9492041/19.3.11	3504
23. मै. सिजन्स इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, भीलवाड़ा	2230262/13.1.11	8716
	2311223/23.1.11	17019

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	2292348/20.1.11	81176
	2392957/1.2.11	15545
	2564770/18.2.11	11839
24. मै. आंचल क्रिएशन्स जयपुर	3579374/7.5.11	1806
	3352078/23.4.11	6687
	3326210/21.4.11	13605
	3278694/18.4.11	34549
	3228498/14.4.11	17564
	3207052/12.4.11	3571
	3176214/11.4.11	781
	3134378/7.4.11	11421
	3100990/5.4.11	13234
25. मै. इंडियन क्राफ्ट्स, जयपुर	3403859/26.4.11	8271
26. मै. एमए आर्ट्स, जयपुर	3476319/30.4.11	8466
	3475622/30.4.11	13373
	3345084/22.4.11	4658
	3337806/21.4.11	6849
27. मै. रैनबो टेक्सफैब प्रा.लिमिटेड	000140/18.4.11	13303
	000588/24.5.11	4056
	000591/24.5.11	9662
	000608/25.5.11	8855
28. मै. सोप्रा आवरसीज, जयपुर	2749557/9.3.11	12912
	2631888/25.2.11	15371
	2444936/7.2.11	3490
	2247973/15.1.11	1216
	2275380/19.1.11	5085
	2247972/15.1.11	37653
	2240873/14.1.11	5750
	2231851/13.1.11	16309
	2141260/3.1.11	28177
	2141220/3.1.11	5171
	2998429/28.3.11	16253
29. मै. आर्यावर्त, जयपुर	2388593/1.2.11	1281
	2724648/7.3.11	51848
	2614357/24.2.11	33066
	2553014/18.2.11	3469
30. मै. सोप्रा ओवरसीज, जयपुर	2617066/24.2.11	23186
31. मै. एमएएएम आर्ट्स, जयपुर	2826423/16.3.11	2497
	2826236/16.3.11	15815
	2737118/8.3.11	43973
	2931677/24.3.11	27121
32. मै. आर्यावर्त, जयपुर	9215453/4.1.11	72358
	9280014/21.1.11	95756
33. मै. इंडियन क्राफ्ट्स, जयपुर	2633573/25.2.11	14183
	2777005/11.3.11	6700
	2780963/11.3.11	21309
	2887345/22.3.11	5250
34. मै. अलटीमेट एक्सप्रेशन्स, जयपुर	2591553/22.2.11	5549
	2642193/26.2.11	2787
	2724593/7.3.11	6947

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
35. मै. जे.सी. फैशन, जयपुर	दिनांक 16/3/2011 से 29/3/2011 तक 17 एसबीएस	128352
36. मै. जे.सी.फैशन, जयपुर	All 50 SBs relating to the period 17.1.11 to 1.3.11	463807
37. मै. जयपुरिया वस्त्र उद्योग , जयपुर	9265199/17.1.11	5983
38. मै. सोमानी टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर	9240359/10.1.11	26347
	9291076/25.1.11	52484
39. मै. सोमानी टेक्सटाइल्स, जयपुर	2479792/10.2.11	3185
	2213979/11.1.11	26573
40. मै. रेनबो टैक्सफैब प्रा. लिमिटेड , जयपुर	000904/29.3.11	37590
41. मै. रेनबो टैक्सफैब प्रा. लिमिटेड , जयपुर	3003864/28.3.11	15541
	3003910/28.3.11	6229
42. मै. सार्क ओरिजनल, जयपुर	9346484/9.2.11	25584
43. मै. मै. रेनबो टैक्सफैब प्रा. लिमिटेड , जयपुर	23 SBs out of 29 SBs pertaining to period 17.1.11 to 16.3.11	304791
44. मै. त्रिवेणी एक्सपोर्ट्स , जयपुर	9214516/4.1.11	42853
45. मै. वीएनएल एक्सपोर्ट्स, जयपुर	30 SBs out of total 44 pertaining to period	313524
46. मै. नामदेव एक्सपोर्ट्स ,जयपुर	9211730/1.1.11	13160
	9211721/1.1.11	15867
	9211722/1.1.11	10518
	9211731/1.1.11	13817
	9226105/6.1.11	12976
	9227205/6.1.11	8931
	9226071/6.1.11	11345
	9226097/6.1.11	7338
	9226073/6.1.11	13672
	9229548/7.1.11	57455
	9263135/17.1.11	20769
	9266854/18.1.11	12912
	9273521/19.1.11	35155
	9309941/29.1.11	8471
	9340566/8.2.11	53503
47. मै. विलेज क्राफ्ट्स इंडिया, जयपुर	000772/5.2.11	10279
48. मै. चीर सागर एक्सपोर्ट्स, जयपुर	3241601/15.4.11	15463
49. मै. ह्यूज इंडिया प्रा0 लिमिटेड, जयपुर	2867839/18.3.11	110357
	2867836/18.3.11	2252
50. मै. ह्यूज इंडिया प्रा0 लिमिटेड, जयपु	2606531/23.02.11	31582
	2608520/23.2.11	61807
	2354185/28.01.11	1264
51. मै. चीर सागर एक्सपोर्ट्स, जयपुर	000068/08.04.11	14909

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	000067/08.04.11	15854
52. मै. एबीसी इंडस्ट्रीज, जयपुर	9246488/11.1.11	119221
53. मै. कावेरी फैशन्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर	888/26.3.11	23524
	823/4.3.11	17740
54. मै. कावेरी फैशन्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर	9415408/28.2.11	16422
	9370284/15.2.11	36640
	9317253/1.2.11	17159
	9289767/24.1.11	23512
55. मै. गोवर्धन क्रिएशंस, जयपुर	9394301/22.2.12	203266
56. मै. एमएए आर्ट्स, जयपुर	9233066/8.1.11	29502
	9409596/26.2.11	32861
	9409600/26.2.11	5328
	9263235/17.1.11	14886
	9266827/18.1.11	8188
	96266260/18.1.11	9102
	9266216/18.1.11	8818
	9285029/22.1.11	22681
57. मै. आंचल क्रिएशन, जयपुर	2202767/10.1.11	29645
	2421755/4.2.11	18375
	2438256/11.2.11	20272
	2625031/24.2.11	10209
	2654204/28.2.11	9053
	2703468/4.3.11	3815
	2731956/7.3.11	4285
	2254533/17.1.11	10678
	2505394/14.2.11	11814
	2554177/18.2.11	21818
	2861420/18.3.11	13529
	2966321/23.3.11	11727
58. मै. कैजेन ऑर्गेनिक्स प्रा.लिमिटेड	3670487/14.5.11	259470
59. मै. गुडविल इंपेक्स लिमिटेड, जयपुर	3098020/5.4.11	3353
(कुल एस 39 .बी.एफओबी 25,476, 604 (509531 क्रेडिट	3276836/18.4.11	35716
	3259301/16.4.11	15093
	3242397/15.4.11	23350
	3279997/18.4.11	52087
	3315149/20.4.11	42617
	3360893/23.4.11	13847
60. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स , जयपुर	2212758/11.1.11	63735
(कुल एस 11 .बी.एफओबी 22,342, 806 1563997 क्रेडिट)	2157609/4.1.11	90599
61. मै. कपूर कार्पेट, जयपुर	2408888/3.2.11	2912
12 .बी.कुल एस)एफओबी 2921683 क्रेडिट (195497	2492040/11.2.11	16935

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	2650985/28.2.11	6093
	2571003/19.2.11	12566
	2684634/3.3.11	22629
	2997665/28.3.11	9153
62. मै. कटारिया एक्सपोर्ट्स , जयपुर	6287486/6.4.09	8975
	6296627/11.5.09	8452
	6313901/2.7.09	14460
	6317138/13.7.09	20687
	6318872/17.7.09	13131
63. मै. एएल पेपरहाउस , जयपुर	8808963/1.9.10	87483
	8774415/20.8.10	10569
64. मै. एसएल पेपरहाउस, जयपुर	8894199/28.9.10	125471
65. मै. नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, भिलवाड़ा	3136631/7.4.11	82638
	3411693/27.4.11	96397
	3439520/28.4.11	108645
66. मै. अभिषेक इंटरप्राइजेज ,जयपुर	00106/12.1.11	42262
67. मै. आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सक्लुसिव, जयपुर	2143675/3.1.11	14172
	2454891/8.2.11	121326
68. मै. यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ,जयपुर	9391167/22.2.11	60543
	9391174/22.2.11	112397
	9386385/21.2.11	188098
	9385789/21.2.11	197323
	9386394/21.2.11	30540
	9390983/22.2.11	67810
	9385974/21.2.11	61360
69. मै. गोयल इंटरनेशनल, जयपुर	2625206/24.2.11	10425
	2625197/24.2.11	4138
	2723195/7.3.11	8585
	2804349/14.3.11	13719
	2901038/23.3.11	9117
	2932689/24.3.11	6758
	2985549/28.3.11	9282
70. मै. निहाल एक्जिम, जयपुर	9234393/8.1.11	24631
71. मै. आर्ट्स इंडिया, जयपुर	7292744/28.4.2009	4925
	7584330/10.8.2009	2025
	7411713/10.6.2009	4190
72. मै. सरस्वती ग्लोबल लिमिटेड, जयपुर	9461045/11.3.11	97791
73. सर्राफ एक्सपोर्ट प्लेस, सरदारशहर 13/21/087/01200/एएम 12	2152972/4.1.11	
(44 के बाहर 39 एसबी)	2179566/7.1.11	50737
	2212831/11.1.11	67296
	2225155/12.1.11	52855
	2180518/7.1.11	66724

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	2225330/17.1.11	75006
	2291850/20.1.11	63151
	2301711/21.1.11	53469
	2308960/22.1.11	61905
	2341143/27.1.11	56509
	2352826/28.1.11	62672
	2352683/28.1.11	56520
	2381028/31.1.11	59438
	2381073/31.1.11	58342
	2400/217/2.2.11	70559
	2450798/7.2.11	72747
	2514369/14.2.11	51412
	2571537/19.2.11	62270
	2569696/19.2.11	65288
	2569813/19.2.11	66641
	2582906/21.2.11	63874
	2669858/1.3.11	60606
	2698165/4.3.11	58829
	2689274/30.3.11	53992
	2706902/4.3.11	64554
	2704216/4.3.11	54381
	2757399/9.3.11	59831
	2787793/12.3.11	71048
	2963046/25.3.11	54269
	2787932/12.3.11	63024
	2793523/14.3.11	64940
	2954655/25.3.11	80394
	2856862/17.3.11	67815
	2856852/17.3.11	67325
	2867110/18.3.11	63768
	2910769/23.3.11	88354
	2931759/24.3.11	60106
	2966035/25.3.11	87427
	3009191/29.3.11	50737
74. मै. मोना हैंडिक्राफ्ट्स, जयपुर	3008603/29.1.11	51571
	2549952/17.2.11	157991
	2329092/24.1.11	72977
		158293
	उप जोड़	**12604738**
आरए-कोलकाता		
1. श्रीप्रिया एक्सपोर्ट्स	956212/4/4/2009	2522
	9564179/17/4/2009	5050
	9566844/2/5/2009	811
	9568623/14/5/2009	663
	9571569/30/5/2009	10763
	9570151/22/5/2009	374
	9570728/26/5/2009	1454
	9574390/16/6/2009	812
	9573957/12/6/2009	664
	9573962/12/6/2009	409
	9574707/17/6/2009	13990
	9576391/26/6/2009	3112

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	9578837/10/7/2009	1196
	9579503/14/7/2009	4810
	9579160/11/7/2009	992
	9580813/20/7/2009	7536
	9582933/30/7/2009	927
	9587901/24/8/2009	1208
	9562216/6/4/2009	1574
	9561951/3/4/2009	1441
	उप जोड़	**60763**
आरए-राजकोट		
1. 24/21/087/01253/एएम 12	3000644/3/28/2011	17811
	2338638/1/27/2011	9954
	2317827/1/24/2011	9853
	2313970/1/24/2011	6762
	2278124/1/24/2011	10211
	2208038/1/11/2011	15280
	2162019/1/5/2011	125789
2. 24/21/087/00778/एएम12	3058289/4/1/2011	57725
	3058316/4/1/2011	49228
	3058289/4/1/2011	54369
	3060753/4/1/2011	51799
	3060745/4/1/2011	50061
	3060724/4/1/2011	58221
	3060746/4/1/2011	57487
	3060751/4/1/2011	47520
	3082769/4/4/2011	53387
	3061472/4/1/2011	47422
	3067160/4/1/2011	40371
	3083725/4/4/2011	57051
	3071039/4/2/2011	46513
	3077419/4/2/2011	47318
3. 24/21/087/00773/एएम12	सभी शिपिंग बिल	1174276
4. 24/21/087/00803/एएम12	सभी शिपिंग बिल 3447242,को छोडकर 3447321, 3447288, 3446777, 3499041, 3499358, 3099526	689779
5. 24/21/087/01079/एएम12	2410672/1/3/2011	44096
	2169685/1/6/2011	17702
	2427107/2/4/2011	24062
	2567921/2/19/2011	37477
	2684356/3/3/2011	3870
6. 24/21/087/01184/एएम12	सभी शिपिंग बिल	541591
7. 24/21/087/01271/एएम12	उक्त अवधि के तहत आने वाले सभी शिपिंग बिल	822160
8. 24/21/087/01213/एएम12	3102620/4/5/2011	19312
	3586728/5/9/2011	21786
9. 24/21/087/01189/एएम12	उक्त अवधि के तहत आने वाले सभी शिपिंग बिल	262320

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
10. 24/21/087/01114/एएम12	2133840/1/1/2011	43657
	2197426/1/10/2011	43441
	2332941/1/25/2011	41492
	2375650/1/31/2011	890
11. 24/21/087/01216/एएम12	सभी शिपिंग बिल	955477
12. 24/21/087/01149/एएम12	9211118/1/1/2011	13355
	9211127/1/1/2011	7690
	9522561/3/29/2011	2914
	9521671/3/29/2011	36386
	9522553/3/29/2011	79812
	9490486/3/19/2011	74229
	9360942/2/14/2011	7110
	9358268/2/12/2011	7726
	9495298/3/21/2011	3257
	9313863/	3025
	9315282/2/1/2011	21498
	9277164/1/20/2011	8306
	9467324/3/14/2011	5720
	9277159/1/20/2011	8036
	9467310/3/14/2011	14505
	9418184/3/1/2011	9879
	9413976/2/28/2011	5937
	9474470/3/15/2011	30042
	9473908/3/15/2011	4263
	9403778/2/24/2011	1882
	9403736/2/24/2011	1669
	9497593/3/22/2011	7955
	9497612/3/22/2011	3974
	9411579/2/26/2011	51195
	9410628/2/26/2011	2019
	9418041/2/28/2011	16414
	9417742/2/28/2011	20695
	9414339/2/28/2011	56998
	9414467/2/28/2011	17411
	9377176/2/17/2011	22099
	9377215/2/17/2011	4992
13. 24/21/087/01435/एएम12	2672042/3/1/2011	79869
	उप जोड़	**6288382**
आरए-सूरत		
1. केजरीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3508463/3.5.2011	42008
	389672/31.5.2011	46875
2. क्रिस इंटरनेशनल	9428670/3.3.100	59148
	9275584/20.1.2011	89660
	9268906/18.1.2011	34366
	9248875/12.1.2011	46676
	9214642/4.1.2011	61961
3. जी.एन. टेक्सटाइल्स	9238038/10.1.2011	100106
	9243656/11.1.2011	83867
	9291599/25.1.2011	79097
	9312375/31.1.2011	20291

प्राधिकार धारक का नाम	एस.बी. संख्या और तिथि जिसकी घोषण अपेक्षित है	शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	9367215/15.2.2011	15916
	9412323/26.2.2011	94480
	9477652/16.3.2011	96620
	9515596/28.3.2011	101473
	9525598/29.3.2011	96547
	9441834/7.3.2011	97828
	9445325/8.3.2011	51746
	9386169/21.2.2011	102973
	9391504/22.2.2011	98745
4. ट्रूज बिज इंक	9299573/27.21.2011	63056
	9506074/24.3.2011	73509
5. मीनाक्षी एक्सपोर्ट्स	9217464/4.1.2011	51157
	9226303/6.1.2011	53589
	9243971/10.1.2011	42938
	9266443/18.1.2011	53768
	9270089/18.1.2011	54610
	9276550/20.1.2011	32280
	9326314/3.2.2011	46698
	9334274/5.2.2011	42893
	9345396/8.2.2011	39824
	9440457/7.3.2011	43846
	9463129/12.3.2011	58913
	9475559/16.3.2011	54115
6. रैनबो ओवरसीज़	जनवरी, 2011 के सभी 11 एसबीएस / 10/1/11 to 31/1/2011	541241
7. ओसवाल प्रिंटस प्रा. लिमिटेड	सभी 24 एसबी 1 एसबी संख्या 8983167 दिनांक 26/10/10/21/1/11 से 10/2/2011 को छोड़कर	1508813
8. देविका फाइबर्स प्रा. लिमिटेड	3523856/4.5.2011	53580
	3706292/18.5.2011	51698
	3706306/18.5.2011/18.5.2011	45527
	3706344	20116
9. ओसवाल प्रिंटस प्रा. लिमिटेड	सभी 16 एसबी दिनांक 16/2/11 और 24/2/2011/24/2/11 से 4/3/11 के बीच	843999
	उप जोड़	**51,96,553**
	कुल	**13,29,27,586**

परिशिष्ट 7 (पैरा संख्या 2.4.4)

प्रत्यक्ष कर लाभ न उठाने का सबूत प्राप्त किए बिना ईओयू को शुल्क क्रेडिट की मंजूरी

प्राधिकार के विवरण	एसबी सं.	तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
आरए- अहमदाबाद			
1. एस्ट्रा लाइफकेयर	1133533	3/30/2010	132515

प्राधिकार के विवरण	एसबी सं.	तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
(इंडिया) प्रा. लिमिटेड 08/91/87/622/एएम 11 एलआईसी सं.0810097707 डीटीडी 30/3/11			
	1341719	7/22/2010	151703
	1358334	7/30/2010	109349
	1392108	8/10/2010	136865
	1449112	8/26/2010	155254
	1502595	9/7/2010	184719
	1502556	9/7/2010	23292
	1589913	9/27/2010	301795
	1651461	10/11/2010	157292
	1672301	10/15/2010	22487
	1683298	10/19/2010	153330
2 एस्ट्रा लाइफकेयर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड 08/91/87/701/**एएम** 11 **एलआईसी सं.** 0810097790 **डीटीडी** 30/3/11	1149158	4/9/2010	83867
	1181197	4/29/2010	138886
	1197043	5/10/2010	148515
	1210431	5/17/2010	71724
	1236693	6/1/2010	59393
	1248404	6/7/2010	112928
	1260262	6/14/2010	157296
	1712272	10/25/2010	115677
	1817202	11/16/2010	173066
3. एस्ट्रा लाइफकेयर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड 08/91/87/713/**एएम**11 Lic. No.0810097726 dtd 29/3/11	1325794	7/15/2010	45246
	1285952	6/26/2010	216278
	2385010	2/1/2011	257809
	2050318	12/22/2010	388882
		उप जोड़	**3498168**
आरए-हैदराबाद			
1. ऋतिक एक्जिम 092108700254एएम13 14.05.2012			1849891
		उप जोड़	**1849891**
आरए-जयपुर			
1. मै. अटलांटिक मार्बल्स प्रा. लिमिटेड, झालरापलन, 1310037436/9.11.11 में	1182478	29.4.10	11812

प्राधिकार के विवरण	एसबी सं.	तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
	1182479	29.4.10	7598
	1214492	19.5.10	26592
	1500546	6.9.10	12846
	1660734	13.10.10	12516
	1742036	30.10.10	5576
	1742893	30.10.10	6421
		उप जोड़	**83,361**
		कुल जोड़	**54,31,420**

परिशिष्ट 8 (पैरा सं. 2.4.5)

स्व घोषणा प्राप्त किए बिना जारी किया गया प्राधिकार

प्राधिकार का विवरण	**शिपिंक बिल सं. तथा तिथि**	**अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)**
1. मै. अन्नपूर्णा ओवरसीज प्रा. लिमिटेड, जयपुर 1310039411/13.4.2012 13/21/087/0072/एएम13	4039/15.10.2011	1.06
	4129/21.10.2011	1.39
2. मै. एबीसी इंडस्ट्रीज, जयपुर 1310039495/19.4.2012 13/21/087/00118/एएम13	6717568/17.12.2011	1.18
	6733688/19.12.2011	1.45
	6732982/19.12.2011	1.69
	7044272/9.1.2012	1.20
3. मै. अभिषेक इंटरप्राइजेज, जयपुर 1310039809/23.05.12 13/21/087/00211/ एएम 13	8864376/18.09.10	0.13
	9030693/10.11.10	0.19
	9285499/22.01.11	0.37
4. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर 1310039379/11.4.12 31/21/87/0014/ एएम 13	5731333/5.10.11	2.58
	5723613/5.10.11	6.64
	5397106/13.9.11	1.25
5. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर 1310039361/4.4.12 31/21/87/0007/ एएम 13	6934284/2.1.12	0.86
	6653008/13.12.11	0.94
	5906490/19.10.11	0.07
	7340651/30.1.12	0.12
	6084768/2.11.11	0.12
	6084808/2.11.11	0.04
	3494786/2.5.11	0.12
	3494491/2.5.11	0.05
	3494555/2.5.11	0.08
	3494783/2.5.11	0.10
	6331999/21.11.11	0.62

प्राधिकार का विवरण	शिपिंक बिल सं. तथा तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	5460431/17.9.11	0.17
	4409563/4.7.11	0.94
	6409564/4.7.11	1.47
	5752164/7.10.11	0.31
	5211253/12.11.11	0.38
	6211372/12.11.11	0.38
	6084982/2.11.11	0.14
	4560330/15.7.11	0.30
6. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	7537934/13.2.12	7.91
1310039368/9.4.12 31/21/87/0009/ एएम 13		
	5864521/17.10.11	1.25
	7150875/17.1.12	0.84
	6990607/5.1.12	0.97
	6928368/31.12.11	1.78
	6954604/3.1.12	1.38
7. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	5395963/13.9.11	2.14
1310039378/11.4.12 31/21/87/0015/ एएम 13		
	5100423/23.8.11	1.04
	6350178/22.11.11	4.41
	5098980/23.8.11	1.11
	6052310/31.10.11	0.28
	5297830/6.9.11	0.56
	5255079/2.9.11	0.99
	6052385/31.10.11	3.12
8. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	7263067/24.1.12	4.17
1310039380/11.4.12 31/21/87/0012/एएम13		
	7150289/17.1.12	4.55
	6928366/31.12.11	1.25
	7150912/17.1.12	0.27
	6928329/31.12.11	0.31
	6692856/15.12.11	0.06
	5777384/10.10.11	0.14
	6412412/26.11.11	0.18
	6350169/22.11.11	0.05
	6350209/22.11.11	0.39
	6569074/7.12.11	0.85
	6656350/13.12.11	0.42
	6504655/2.12.11	0.67
9. मै. देवगिरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	4409803/4.7.11	1.44
1310039381/11.4.12 31/21/87/0008/ एएम 13		
	4409961/4.7.11	0.98
	4171146/18.6.11	0.27
	4228192/23.6.11	0.04
	4107169/14.6.11	0.36
	3842474/26.5.11	0.46
	3842446/26.5.11	0.05
	5925556/20.10.11	0.32
	5925506/20.10.11	0.27

प्राधिकार का विवरण	शिपिंक बिल सं. तथा तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	6778505/21.12.11	0.43
	6778797/21.12.11	0.44
10. मै देवगिरि एक्सपोर्ट, जयपुर	4624/25.11.11	1.21
1310039371/9.4.12 31/21/87/0003/एएम13		
	4037/15.10.11	0.65
	4336/5.11.11	1.46
	4337/5.11.11	0.57
	4808/7.10.11	1.43
	4807/7.12.11	0.95
	4806/7.12.11	1.60
	4546/19.11.11	0.30
	117/11.1.12	1.57
	4543/19.11.11	0.34
	4713/1.12.11	4.16
11. मै देवगिरि एक्सपोर्ट, जयपुर	7183368/19.1.12	20.08
1310039401/13.4.12 31/21/87/0010/एएम13		
12. मै. अभिषेक इन्टरप्राईजेस, जयपुर	5878045/18.10.11	0.29
1310040180/22.6.12 r 13/21/87/588/एएम13		
	4709256/26.7.11	0.43
	3774375/22.5.11	0.33
	3425289/27.4.11	0.28
13. मै देवगिरि एक्सपोर्ट, जयपुर	3479058/30.4.11	0.38
1310036941/27.9.11 13/21/087/1003/एएम12		
	3985861/6.6.11	1.55
	4162088/18.6.11	0.44
	4162122/18.6.11	1.27
	4434453/6.7.11	0.12
	4677420/22.7.11	0.01
	4672409/22.7.11	0.12
	4661596/22.7.11	1.48
	4672435/22.7.11	0.11
	4677200/23.7.11	0.97
	4738431/27.7.11	1.93
14. मै. अन्नपूर्णा ओवरसीज प्रा.लि. जयपुर	1146847/8.4.10	0.61
13/21/087/1087/एएम11 10034583/9.2.11		
	1239437/2.6.10	0.50
	1240797/3.6.10	0.53
	12246522/5.6.10	0.58
	1256180/11.6.10	0.69
	1267804/17.6.10	0.60
	1771620/4.11.10	2.29
	1653637/12.10.10	0.61
	1566791/22.9.10	0.60
	1453624/26.8.10	0.62
15. मै. देवगिरी ओवरसीज प्राइवेट लि. जयपुर	2024491/14.12.09	0.39
1310034593/10.2.11 13/21/087/1060/एएम11		
	2011470/30.10.09	0.71

प्राधिकार का विवरण	शिपिंक बिल सं. तथा तिथि	अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
	2006637/14.10.09	0.81
	2004381/7.10.09	3.88
	2015286/13.10.09	1.14
	2032717/7.1.10	1.07
	2041958/4.2.10	1.20
16. मै. के.के. कान्सेप्टस , जयपुर	4551277/14.7.11	3.12
1310037141/14.10.11 087/1133/एएम12		
17. मै. आर्ट एज प्रा.लि., जयपुर	7286910/25.4.09	0.72
1310034780/4.3.11 13/21/078/00331/एएम11		
	7342852/18.5.09	0.07
18. मै. रामचन्द्र मोतीलाल एक्सपोर्टस, जयपुर	5412979/14.9.11	0.10
1310041167/27.9.12 13/22/087/00192/एएम13		
	6214624/14.11.11	0.05
	5990102/25.10.11	0.19
	4864878/4.8.11	0.32
19. मै. अभिषेक एन्टरप्राइजेज, जयपुर	7439747/20.6.09	0.26
1310033868/23.11.10		
(13/21/078/00272/एएम11)		
	7508303/15.7.2009	0.43
	4306474/28.6.11	15.28
20. मै देवगिरि एक्सपोर्टस, जयपुर	4089622/13.6.11	1.56
1310036521/6.9.1113/21/087/00797/एएम12		
21.मै. रामचन्द्र मोतीलाल एक्सपोर्टस, जयपुर	13/22/087/00156/एएम13/	0.12
1310041352	6837119/26.12.11	
	6750085/20.12.11	0.10
	7874052/5.3.12	1.09
	6035301/29.10.11	2.37
	5173390/27.8.11	0.49
	5375067/12.9.11	0.25
	7853922/3.3.12	0.40
	6283970/17.11.11	0.22
	6807830/23.12.11	0.15
	5697037/3.10.11	1.69
	6826733/24.12.11	0.20
	8185446/26.3.12	0.91
	8206263/27.3.12	0.07
	जोड़	**163.51**

परिशिष्ट -9(पैरा सं. 2.4.7)

₹ 5 लाख से कम के लिए प्राधिकार का गलत स्पिलिटिंग

फाईल सं. तथा तिथि	निर्यातक का नाम	प्राधिकार सं. तथा तिथि	प्राधिकार की सं.	शुल्क क्रेडिट रूपयों में
आरए- हैदराबाद				
092108700072एएम11/15.	हारटैक्स रबर	910043162/	1	

फाईल सं. तथा तिथि	निर्यातक का नाम	प्राधिकार सं. तथा तिथि	प्राधिकार की सं.	शुल्क क्रेडिट रूपयों में
06.2010	प्राइवेट लिमिटे	20.08.2010		
		910043163/ 20.08.2010	1	
		910043164/ 20.08.2010	1	
		910043165/2 0.08.2010	1	
		910043166/2 0.08.2010	1	451107
092108700529एएम12/21. 10.2011	मैटरिक्स लैवोरेट्रीज लिमिटेड	910054658/0 2.01.2013	1	
		910054659/0 2.01.2013	1	
		910054660/0 2.01.2013	1	
		910054661/0 2.01.2013	1	
		910054662/0 2.01.2013	1	
		910054663/0 2.01.2013	1	
		910054664/0 2.01.2013	1	426980
092108700527एएम12/21. 10.2011	मैटरिक्स लैवोरेट्रीज लिमिटेड	910054745/0 9.01.2013	1	
		910054746/0 9.01.2013	1	118856
			जोड़	**9,96,943**

परिशिष्ट 10 (पैरा सं. 2.4.8)

वर्षवार निर्यात/बन्दरगाहवार निर्यात के लिए अलग आवेदन

फाईल सं. तथा तिथि	निर्यातक का नाम	प्राधिकार सं. तथा तिथि	एसबी सं./विभिन्न वर्षों से संबंधित दिनांक	शुल्क क्रेडिट (₹)
1.आरए – जयपुर				
13/21/87/266/एएम11	मै. मनोज कुमार एण्ड कं.	1310033812/ 18.11.2010	3637876/ 6.3.2009	7393
			3669610/ 24.3.2009	922
2आरए-अहमदाबाद				
08/9187/395/एएम11	मै. बजाज हर्बल	810094246/	1136788/	84276.88

फाईल सं. तथा तिथि	निर्यातक का नाम	प्राधिकार सं. तथा तिथि	एसबी सं./विभिन्न वर्षों से संबंधित दिनांक	शुल्क क्रेडिट (₹)
	प्रा.लि.	30.11.2010	3.31.2010	
			1144638/ 4/6/2010	53110.62
			1150952/ 4/10/2010	29682.98
			1202367/ 5/12/2010	29050.28
			1197075/ 5/10/2010	29583.82
			1209535/ 5/17/2010	63012.1
			1223216/ 5/25/2010	38755.36
3.आरए-सूरत				
58/एएम11	मै. बिधान ओवरसीज	5210033225/ 1/3/2011	8368762/ 4/19/2010	80862
			8368756/ 4/19/2010	80885
			8368754/ 4/19/2010	80885
			8368759/ 4/19/2010	80885
57/एएम11	मै. ब्राईट इण्डिया एक्सपोर्ट	5210033354/ 1/10/2011	8346788/ 4/12/2010	84931
			8346779/ 4/12/2010	84903
			8346783/ 4/12/2010	86910
			8346785/ 4/12/2010	86910
41/एएम11	मै. श्रीदेव टैक्सटाईल	5210033457/ 1/12/2011	8337773/ 4/8/2010	77813
			8337775/ 4/8/2010	79306
			8337788/ 4/8/2010	78936
			8336030/ 4/8/2010	84684
			8358867/ 4/15/2010	79578
			8358865/ 4/15/2010	80239
			8358861/ 4/15/2010	75888
			8358870/ 4/15/2010	75559
297/एएम11	मै.मॉ अम्बे	5210033204/ 12/31/2010	8344391/ 4/10/2010	87266

फाईल सं. तथा तिथि	निर्यातक का नाम	प्राधिकार सं. तथा तिथि	एसबी सं./विभिन्न वर्षों से संबंधित दिनांक	शुल्क क्रेडिट (₹)
	टैक्सटाईल्स			
			8344384/ 4/10/2010	84816
			8344370/ 4/10/2010	88143
			8219373/ 3/6/2010	60399
114/एएम1	मै. जिनल इम्पैक्स	5210035258/ 5/18/2011	8306055/ 3/30/2010	103186
			8306059/ 3/30/2010	98018
			8306062/ 3/30/2010	87968
4.आरए- हैदराबाद				
092108700759एएम13	मै. टेकुम्सेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा.लि.	910053572/ 27.08.2012	7929947/ 9.03.2012	66590
092108701328एएम13	मै. उषा इंटरनेशनल	910055141/ 21.02.2013	1189473/ 4/5/2010	62120
			1505329/ 7/9/2010	66506
			1673308/ 15/10/2010	22556
			1829870/ 19/11/2010	23969
			2366814/ 29/1/2011	51413
			2366863/ 29/1/2011	51413
			2680583/ 2/3/2011	54371
			2705018/ 4/3/2011	21672
			2763849/ 10/3/2011	26286
			2990485/ 28/3/2011	25442
			2990485/ 28/3/2011	26443
			जोड़	**27,42,538**

परिशिष्ट **11** {पैरा सं.**2.4. 9** (क)}

'तकनीकी टैक्सटाईल'को परिभाषित करने के लिए विलम्बित कार्रवाई के कारण प्राधिकार का गलत निर्गम

क्र.सं.	**फाईल सं.**	**प्राधिकार धारक का नाम**	**प्राधिकार संख्या**	**प्राधिकार जारी करने की तारीख**	**एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण**	**अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)**
आरए –सूरत						
1	352/एएम11	भाविन टैक्सटाईल्स	5210033346	1/10/2011	कढ़ाई सहित या बिना धात्विक सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टैक्सटाईल्स धागा से बनाए गए रंगा हुआ और प्रिंटेड कपड़ा	761565
2	466/एएम11	धनकृपा इंटरप्राइजेस	5210033568	1/19/2011	- वही -	1246363
3	452/एएम11	लक्ष्मी एक्सपोर्टस	5210033551	1/19/2011	- वही -	1703433
4	710/एएम11	मधुसूदन इंटरनेशनल	5210034012	2/8/2011		1916966
5	763/एएम11	जी एल टैक्सटाईल्स	5210034373	3/1/2011	कढाई सहित या बिना और धात्विक धागे सहित या बिना 100 प्रतिशत पीएफवाई से बनाया गया रंगा हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा (साटिन पट्ट, खादी)	1019277
6	716/एएम11	डिजायर इंटरप्राइजेस	5210034016	2/8/2011	कढाई सहित या बिना और धात्विक धागे सहित या बिना 100 प्रतिशत पीएफवाई से बनाया गया रंगा	1176305

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकार संख्या	प्राधिकार जारी करने की तारीख	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
					हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा	
7	826/एएम11	गोकुल टैक्स	5210034651	3/15/2011	- वही -	757429
8	818/एएम11	महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स	5210034509	3/15/2011	कढाई सहित या बिना और धात्विक धागे सहित या बिना 100 प्रतिशत पीएफवाई से बनाया गया रंगा हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा जिंग जेग शिफोन लिकर	972617
9	271/एएम11	पूजा इंटरप्राइजेस	5210033081	12/23/2010	कढाई सहित या बिना और धात्विक धागे सहित या बिना 100 प्रतिशत पीएफवाई से बनाया गया रंगा हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा	552584
10	260/एएम11	ब्ल्यूस्टार एक्सपोर्टस	5210033039	12/21/2010	वही --	508593
11	387/एएम11	कुणाल एक्सपोर्टस	5210033297	1/15/2011	वही --	834942
12	12/एएम11	डिजायर इंटरप्राईजेस	5210030536	5/3/2010	वही --	687782
13	276/एएम11	मिस्टिक एक्सपोर्टस	5210033082	12/23/2010	वही --	693739
14	310/एएम11	सालासर पोलीफैव प्रा.लि.	5210033205	12/31/2010	वही -	1107484
15	293/एएम11	दीप ज्योति फैबरिक्स	5210033133	12/27/2010	वही --	741688
16	28/एएम11	वृशांक इम्पेक्स	5210033220	1/3/2011	वही --	794629
17	683/एएम11	रेहान इंटरनेशनल	5210034009	2/8/2011	वही -	985547
18	543/एएम11	सूर्यनारायण सिन्थेटिक्स	5210034293	2/25/2011	वही -	1498996

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकार संख्या	प्राधिकार जारी करने की तारीख	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
19	573/एएम11	प्रा.लि. महालक्ष्मी इंटरनेशनल	5210033735	1/27/2011	वही -	753259
20	587/एएम11	कृश इंटरनेशनल	5210033773	1/31/2011	वही -	959481
21	642/एएम11	आर डी एक्सपोर्टस	5210034061	2/10/2011	100 प्रतिशत पोलिएक्टर फिलामेंट धागा टैक्सचराइज्ड धागा से बना हुआ रंगा हुआ प्रिंटिड कपड़ा (बिना किनारी का) बिना सिला)	1460274
22	399/एएम11	जीतू टैक्सटाईल्स	5210033490	1/17/2011	कढ़ाई सहित या बिना धात्विक सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टैक्सटाईल्स धागा से बनाए गए रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा	967344
23	427/एएम11	ईश्वर इम्पॅक्स	5210033461	1/12/2011	वही --	922373
24	391/एएम11	ए.के.यू इंटरनेशनल	5210033371	1/10/2011	वही --	1258423
25	398/एएम11	सेठ टैक्सटाईल्स	5210033402	1/11/2011	वही	1007345
26	490/एएम11	आर.एम कार्पोरेशन	5210033583	1/20/2011	वही	903242
27	459/एएम11	रॉयल एक्सपोर्टस	5210033517	1/18/2011	वही	1528985
28	451/एएम11	धरम फेबरिक्स	5210033565	1/19/2011	वही	321743
29	445/एएम11	महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स	5210033564	1/19/2011	वही	2027549
30	443/एएम11	लक्ष्मी एक्सपोर्टस	5210033521	1/19/2011	वही	1767594
31	446/एएम11	जी.टी. सिन्थेटिक्स	5210033550	1/19/2011	वही	1107732

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकार संख्या	प्राधिकार जारी करने की तारीख	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
32	436/एएम11	एन.एच सिन्थेटिक्स	5210033450	1/12/2011	वही	1020473
33	390/एएम11	कृष्णा फाईवबर्स	5210033409	1/11/2011	वही	842230
34	848/एएम11	राधे गोविन्द सिन्थेक्टिस	5210034611	3/23/2011	वही	1011980
35	539/एएम11	चिराग फैब्रिक्स	5210033895	2/4/2011	वही	772090
36	896/एएम11	आंगन इम्पेक्स प्रा.लि.	5210034739	3/31/2011	वही	1089137
37	318/एएम11	श्री हरि फेशन इन्र्डस्ट्रीजप्रा.लि.	5210033229	1/3/2011	वही	1003870
38	340/एएम11	सोनू टैक्सटाईल्स	5210033287	1/5/2011	वही	765268
39	303/एएम11	सोनू टैक्सटाईल्स	5210033198	12/31/2010	वही	1934447
40	21/एएम11	विविध इंटरनेशनल	5210033456	1/12/2011	वही	908299
41	98/एएम11	अक्षरा पोलिफेब प्रा.लि.	5210033766	1/31/2011	वही	794044
42	254/एएम11	जिनल इम्पेक्स	5210033116	12/24/2010	वही	966338
43	34/एएम11	विनायक इम्पेक्स	5210033223	1/3/2011	वही	989432
44	50/एएम11	विधिशा ओवरसीज	5210033249	1/4/2011	वही	651545
45	337/एएम11	रोहिणी इंटरप्राइजेसप्रा.लि.	5210033352	1/10/2011	वही	593413
46	899/एएम11	बत्रा इंटरनेशनल	5210034780	4/6/2011	वही	510451
47	504/एएम11	एच.आई. ट्रेडिंग	5210033558	1/19/2011	वही	924539
48	531/एएम11	केल्विंग सिविंग मशीन	5210033733	1/27/2011	वही	1192000
49	553/एएम11	संगम ओवरसीज	5210033739	1/27/2011	वही	927779
50	840/एएम11	लक्ष्मी एक्सपोर्टस	5210034551	3/16/2011	वही	2031557
51	829/एएम11	भारती क्रिएशन्स	5210034546	3/16/2011	वही	1680611
52	727/एएम11	नगालिया फेबिरिक्स प्रा. लि.	5210034265	2/24/2011	वही	807345
53	281/एएम11	मेरिडियन ईन्क	5210033131	12/27/2010	वही	1097769
54	94/एएम12	जी एन टैक्सटाईल्स प्रा.लि.	5210035252	5/18/2011	वही	1544264
55	151/एएम11	साहिबा फेब्रिक्स	5210035549	6/15/2011	वही	1658193
56	280/एएम12	श्री विनायक	5210035805	7/7/2011	वही	1564494

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकार संख्या	प्राधिकार जारी करने की तारीख	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
		फेब्रिक्स				
57	18/एएम12	आंगन इम्पेक्स प्रा.लि.	5210035244	5/18/2011	वही	913175
58	661/एएम11	बेस्टो क्रिएशन्स	5210034005	2/8/2011	वही	973634
59	66/एएम12	दिवान ब्रदर टेक्सिम प्रा.लि.	5210035050	5/3/2011	वही	615338
60	92/एएम12	जी एन टैक्सटाईल्स प्रा. लि.	5210035250	5/18/2011	वही	1506656
61	349/एएम11	फैशन्स फेब्रिक्स	5210033334	1/7/2011	वही	949879
62	18/एएम11	जी एन टैक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड	5210033640	1/24/2011	वही	1594504
63	24/एएम11	सूर्यनारायण सिन्थेटिक्स प्रा.लि.	5210034992	4/29/2011	वही	2833686
64	558/एएम11	डोलफिन ओवरसीज	5210033998	2/8/2011	वही	949674
65	235/एएम12	जी एल टैक्सटाईल्स	5210035688	6/27/2011	वही	793762
66	81/एएम12	इंटरनेशनल क्रिएशन्स प्रा.लि.	5210035155	5/12/2011	वही	1211343
67	163/एएम12	दीप ज्योति फेब्रिक्स	5210035497	6/13/2011	वही	915578
68	902/एएम11	भाविन टैक्सर्टाल्स	5210034814	4/8/2011	वही	1190496
69	222/एएम12	क्रीपा एक्सपोर्ट	5210035743	6/12/2011	वही	649976
70	219/एएम12	अक्षत ओवरसीज	5210035603	6/17/2011	वही	697026
					जोड़	**7,60,21,578**

परिशिष्ट 12 {**पॅरा सं.** .2.4. 9 (**क**}

'तकनीकी टैक्सटाईल'को परिभाषित करने के लिए विलम्बित कार्रवाई के कारण प्राधिकार का गलत निर्गम

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकरा संख्या एवं दिनांक	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
आरए – सूरत					
1	747/एएम11	साहिबा फैब्रिक्स लिमिटेड	5210034741 3/31/2011	कढ़ाई सहित या बिना धात्विक सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टैक्सटाईल्स धागा से बनाए गए रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा (साडी, दुपटटा,)	963426
2	290/एएम11	अक्षत ओवरसीज	5210033157 12/28/2010	कढ़ाई सहित या बिना धात्विक सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टैक्सटाईल्स धागा से बनाए गए रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा (साडी, दुपट्टा)	837711
3	439/एएम11	जिनल इम्पेक्स	5210033498 1/17/2011	कढ़ाई सहित या बिना धात्विक सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टैक्सटाईल्स धागा से बनाए गए रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा	295690
4	498/एएम11	जागृति इम्पेक्स	5210033556 1/19/2011	कढाई वाले कपड़े सहित या बिना रगे हुए/प्रिन्टिड/रंगे हुए दुपट्टे के कपडे सहित 100 प्रतिशत पोलिस्टर प्रिन्टिड टैक्सटाईल्स (प्रत्येक लेड़ीज सूट)	1253780

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकरा संख्या एवं दिनांक	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
5	711/एएम11	बिन्दल एक्सपोर्टस प्रा.लि.	5210034066 2/10/2011	100 प्रतिशत फिलामेंट थागा/टैक्सटाईज्ड धागा, ड्रैसमैटिरियल/बिना किनारी की साडियों आदि के रंगे हुए/प्रिंटिड कपड़े	824574
6	708/एएम11	आस्था क्रिएशन्स	5210034258 2/24/2011	कढाई सहित या बिना अथवा 100 प्रतिशतपोलिस्टर सूट, बिजकोज सूट, 100 प्रतिशतपोलिस्टर धागे, टैक्सचराइज्ड धागे से बनाया गया रंगा हुआ और प्रिंटिड कपड़ा	149379
7	333/एएम11	रोहिणी इंटरप्राइजेस प्रा.लि.	5210033233 1/3/2011	कढाई सहित या बिना 100 प्रतिशतपोलिस्टर धागा प्रिंटिड टैक्सचाराईज्ड, 100 प्रतिशतपोलिस्टर धागे, रंगा/प्रिटिंड रंगा दुपट्टा वस्त्र प्रत्येक सूट 6.86 मीटर)	1072562
8	246/एएम12	यश फेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	5210035803 7/6/2011	प्रिन्टिड एवं कढाई वालेस्वी सहित या बिना 100 प्रतिशत फिलामेंट धागे से बनाए गए रंगे हुए और प्रिन्टिड कपड़े (कमीज और दुपट्टा वस्त्र)	3146940
9	58/एएम12	कालिसन फाईबर्स प्रा.लि.	5210035062 5/4/2011	मेटलाइइज्ड धागे सहित या बिना एक अथवा अधिक एमएमएफ धागे से बनाया गया कपड़ा/रंगा हुआ और पालिस्टर (बोटम), मेड (टॉप), फेन्सी वर्क दुपट्टा आदि	52592

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकरा संख्या एवं दिनांक	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
10	573/एएम11	मॉर्निंग इम्पेक्स	5210033999 2/8/2011	एक या अधिक एमएमएफ धागे 100 प्रतिशत ग्रेफेब्रिक्स, शिफोन ग्रेफेब्रिक्स में से बनाया गया कपड़ा	781692
11	514/एएम11	सत्यम क्रिएशन	5210033653 1/24/2011	एक या अधिक एमएमएफ धागे से निर्मित और मैट यानि पोलिस्टर फ्रेन्च सहित या बिना और माइक्रो दुपट्टा	993316
12	687/एएम11	जयप्रभा इम्पेक्ट प्रा.लि.	5210034368 3/1/2011	एक या अधिक एमएमएफ धागे से निर्मित कढाई सहित या बिना/मेट याने सहित फेन्सी साडिया व फेन्सी सूट	1015134
13	834/एएम1	जे. टैक्सटाईल्स (इंडिया)	5210034559 3/17/2011	100 प्रतिश तफिलामेंट यार्न से बना रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपडा, बिना किनारी का अनामिका, मैजिक शिफोन आदि	2181358
14	845/एएम11	अक्षतओवरसीज	5210034721 3/30/2011	100 प्रतिशत फिलामेंट धागे/टैक्सचाईज्ड धागे और मैटलाईज्ड धागे के बिना या सहित बनाया गया रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा	312293
15	684/एएम12	दीपरेखा इम्पेक्स प्रा.लि.	5210034114 2/11/2011	100 प्रतिशत फिलामेंट धागे/टैक्सचाईज्ड धागे और मैटलाईज्ड धागे के बिना या सहित बनाया गया रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा, फेन्सी मशीन एम्ब्रोयड्री साडिया	332138

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकरा संख्या एवं दिनांक	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
16	885/एएम11	जीआरएस क्रिएशन्स	5210034756 3/31/2011	कढाई सहित या बिना 100 प्रतिशत एफवाई/ टैक्सचराईज्ड धागे से बनाया गया रंगा हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा हैवी साड़ियां,हैवी सूट, ड्रैस	104508
17	174/एएम12	जय प्रभाइम्पेक्स प्रा.लि.	5210035571 6/16/2011	कढाई सहित या बिना मेटलाइज्ड धागे 100 प्रतिशत एफवाई/ टैक्सचराईज्ड धागे से बनाया गया रंगा हुआ या प्रिन्टिड कपड़ा	757262
18	3/एएम12	वैल्यू ऐडिड फेशन फैब्रिक्स प्रा.लि.	5210034800 4/7/2011	रंगा हुआ, पोली कपड़ा (सलवार, कमीज, बुट्ट, दुपट्टा)	462756
19	614/एएम11	कला टैक्सलाईज्ड	5210033787 2/1/2011	एक या अधिक एमएमएफ धागे से निर्मित कढाई सहित या बिना/मेटलाइज्ड यार्न सहित रंगी हुई साड़िया और सूट	359531
20	835/एएम11	जे. टैक्सटाईल्स (इंडिया)	5210034560 3/17/2011	100 प्रतिशत फिलामेंट धागे से बना रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा बिना किनारी का अनामिका	1462159
21	637/एएम11	किग वर्ल्ड ओवरसीज	5210033905 2/4/2011	कढ़ाई सहित या बिना अथवा धात्विक धागे सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत फिलामेंट धागे से बना हुआ रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा	854786
22	145/एएम11	लकी कारपोरेशन	5210032141 10/6/2010	कढ़ाई सहित या बिना अथवा धात्विक धागे सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत फिलामेट धागे से बना हुआ रंगा	119116

क्र.सं.	फाईल सं.	प्राधिकार धारक का नाम	प्राधिकरा संख्या एवं दिनांक	एसबी/बीजकों के अनुसार माल का विवरण	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
				हुआ और पोली प्रिन्टिड कपड़ा	
23	20/एएम13	जी-टैक्स प्रिन्टस	5210038370 5/7/2012	कढाई सहित या बिना और धात्विक धागे सहित या उसके बिना 100 प्रतिशत पोलिस्टर फिलामेंट धागा, टेक्सटराइज्ड धागे से बिना हुआ रंगा हुआ और प्रिन्टिड कपड़ा (साड़ी, दुपट्टा)	59876
				जोड़	**1,83,92,579**
आरए-कोलकाता					
1	116/एएम11	ईस्टर्न ट्रेडर	210141257 26.4.2010	मानव निर्मित फिलामेंट धागा सिंथेटिक वस्त्र साथ/बिना कढ़ाई और या साथ/बिना मेप्लाइज्ड धागा	3284035
2	3516/एएम11	एपेक्स इंटरनेशनल	210153868 20.1.2011	बुना हुआ मानव निर्मित फिलामेंट धागा वस्त्र साथ/बिना कढ़ाई और साथ/बिना मेटलाइज्ड धागा	1383623
3	4467/एएम11	राजकुमार शॉ, संडरी फैशन	210157045 31.3.2011	मानव-निर्मित वस्त्र साथ-बिना मेटलाइज्ड धागा सिंथेटिक वस्त्र	1194310
				कुल	**58,61,968**

परिशिष्ट 13 {पैरा सं.2.4. 9 (ग)}

अनुचित माल को शुल्क क्रेडिट का अनुदान

क्र. स.	प्रधिकरण का विवरण	शिपिंग बिल सं. एवं दिनांक	एसबी के अनुसार आईटीसी एचएस कोड के तहत वर्गीकृत माल	अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
आरए-जयपुर				
1	मै. बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड झोटावाड़ा, जयपुर (एलआईसी, सं.1310041205 दिनांक 29.9.12)	5868011/ 17.10.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	0.65
2	वही	5868022/ 17.10.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	1.30
3	वही	5979733/ 24.10.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	0.10
4	वही	6261736/ 16.11.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग मीडिया बाल्स 60 मि.मी.	1.31
5	वही	6261756/ 16.11.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग मीडिया बाल्स 60 मि.मी.	0.66
6	मै. बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जोटावाड़ा, जयपुर (एलआईसी, सं. 1310041206 दिनांक 28.9.12)	6582323/ 08.12.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	1.21
7	वही	6582315/ 8.12.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	1.21
8	वही	6281831/ 17.11.11	73259920 धातु इस्पात कच्ची ढली हुई	0.49

क्र. स.	प्रधिकरण का विवरण	शिपिंग बिल सं. एवं दिनांक	एसबी के अनुसार आईटीसी एचएस कोड के तहत वर्गीकृत माल	अनुमत शुल्क क्रेडिट (लाख ₹)
9	मै. के. जी. पेट्रोकम लिमिटेड, वीकेआई जयपुर	अवधि का 25 एसबी 06/12 to 8/12	63026000 कपास से बने कपास के टैरी टोलवेलिंग टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन	9.78
10	वही	अवधि का 25 एसबी 05/12 to 10/12	63026000 कपास से बने कपास के टैरीटोलवेलिंग टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन	10.33
11	मै. नितिन स्पीनर लिमिटेड, हमीरगढ़ भीलवाड़ा	3210433/12.04.2011	60069000 कपास का कंघीदार एकल जर्सी ग्रे बुना हुआ वस्त्र	1.11
12	मै. बोथरा इंटरनेशनल, जोधपुर	4563945/15.7.11 (मद सं.2 एसबी)	94017100 कलात्मक लोहा फर्नीचर मदे आईआर कुर्सी	0.13
13	मै. बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जोटावाड़ा, जयपुर	6344465/ 12.11.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	1.31
14	वही	6344457/ 22.11.11	73261100 उच्च क्रोमियम ग्रीन्डींग बॉल 60 मि.मी.	0.66
15	वही	9069/ 26.4.10	85749000 सीमेंट ग्रीन्डींग मिल्स के लिए (कच्चा) ढला हुआ धातु इस्पात	0.31
16	मै. के. जी. पेट्रोकम लिमिटेड, वीकेआई जयपुर	अवधि का 25 एसबी 08/12 to 11/12	63026000 कपास से बने कपास के टैरीटोलवेलिंग टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन	10.55
			कुल	**41.09**

परिशिष्ट 14 {पैरा सं.2.4. 9 (ड)}

अनुचित माल की शुल्क क्रेडिट के अनुदान के अन्य मामले

क्र. सं.	प्राधिकार सं., दिनांक और प्राधिकार नाम	निर्यातित मद	अनुमत शुल्क क्रेडिट **(₹)**
आरए-अहमदाबाद			
1	810119753/3/25/2013 मै. बंसल इम्पैक्स	रेड चिली	4277
		-वही-	8417
2	810119160/3/8/2013 मै. जिओ फ्रैश ऑरगेनिक्स	-वही-	54238
3	810112333/6/6/2012 मै. श्रीराज इंडस्ट्रीज		150681
आरए-हैदराबाद			
1	910051834/21.3.2012		71837
आरए-मुम्बई			
1	310649324/8/8/11 मै. जिअस इंटरनेशनल	हैंगर	46459
2	0310699326/20.6.12 मै. इस्सर स्टील	कुडंल	407300
आरए-सूरत			
1	.5210038779 मै. काव्यलोन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड		68136
		कुल	**8,11,345**

परिशिष्ट **15** (पैरा सं.**2.4.12)**

प्राधिकार को जारी करने हेतु एसबी में अवैध संशोधन की स्वीकृति

क्र. सं.	बंदरगाह की फाइल सं. एवं नाम	अनुमत शुल्क क्रेडिट **(₹)**
आरए-गांधीधाम		
1	37/21/87/6/एएम13 - एमपी एवं एसईजेड, मुंद्र	1176460
2	37/21/87/32/एएम13 - एमपी एवं एसईजेड, मुंद्र	1021349
3	37/21/87/49/एएम13 - एमपी एवं एसईजेड, मुंद्र	1176376
4	37/21/87/49/एएम13 – कांडला	1646009
5	37/21/87/114/एएम12 – एमपी एवं एसईजेड, मुंद्र	1145526
	कुल	**61,65,720**

परिशिष्ट **16** (पैरा सं.**2.4.15)**

बोनस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान

क्र. सं.	प्राधिकार सं. एवं निर्यातक का नाम	अनुमत शुल्क क्रेडिट **(₹)**
आरए-जयपुर		
1	1310039638/4.5.2012 मै. संक्टिटी आर्ट एक्सपोर्ट, जोधपुर	289601

क्र. सं.	प्राधिकार सं. एवं निर्यातक का नाम	अनुमत शुल्क क्रेडिट (₹)
2	1310035172/19.4.11 मै. एबीसी इडस्ट्रीज, जयपुर	142867
	उप जोड़	**4,32,468**
आरए-अहमदाबाद		
1	810119147 – मै. गुजरात हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइज़	43,573

परिशिष्ट **17 {(पैरा सं.2.4.16 (iv)})**

पूर्व-प्राप्ति मामलों की जांच हेतु अनुपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
आरए-कोलकाता				
1	शिवम आयरन एवंड स्टील को. लिमिटेड	210159661 5/27/2011	5/24/2011	5/26/2012
2	वन-उद्योग प्रोप्राइटर-पंकज कुमार अग्रवाल	210157445 4/7/2011	3/21/2013	4/6/2012
3	लक्ष्मी नारायण उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	210158299 4/28/2011	4/1/2013	4/27/2012
4	लक्ष्मी नारायण उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	210158301 4/28/2011	4/1/2013	4/27/2012
5	वन-उद्योग प्रोप्राइटर-पंकज कुमार अग्रवाल	210157444 4/7/2011	3/9/2013	4/6/2012
6	मैथना एलॉएज़ लिमिटेड	210155165 22.02.2011	2/8/2013	21.02.2012
7	मैथना एलॉएज़ लिमिटेड	210155168 22.02.2011	2/8/2012	21.02.2012
8	मैथना एलॉएज़ लिमिटेड	210158916 16/05/11	08/02/13	15.05.2012
9	मैथना एलॉएज़ लिमिटेड	210158812 12/05/11	08/02/13	11.05.2012
10	मैथना एलॉएज़ लिमिटेड	210158818 13/05/11	08/02/13	12.05.2012

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
आरए-जयपुर				
1	मै. के.के. कन्सेप्टस, जयपुर	1310038458 13.01.12	12.12.13	
2	मै. जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर	1310038107 21.12.11	9.10.13	
3	मै. जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर	1310036631 09.09.11	29.3.13	
4	मै. जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर	1310038678 03.02.12	26.12.13	
5	मै. जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर	1310038111 21.12.11	29.11.13	
6	मै. नाश फैशन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर	1310035543 2.6.11	18.2.13	
7	मै. के.के. कन्सेप्ट्स, जयपुर	1310037880 5.12.11	17.2.13	
8	मै. के.के. कन्सेप्ट्स, जयपुर	1310037141 14.10.11	21.7.13	
9	मै. जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर	1310039000 2.3.12	16.1.14	
10	-वही-	1310038999 2.3.12	17.1.14	
11	-वही-	1310038998 2.3.12	30.1.14	
12	मै. के.के. कन्सेप्ट्स, जयपुर	1310039073 7.3.12	-	
13	मै. दिलीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट	1310038022 14.12.11	7.10.13	

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	लिमिटेड, जयपुर			
आरए-हैदराबाद				
1	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910050071 07.12.2011	15.11.2011	30-मार्च-2013
2	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910047040 08.06.2011	23.05.2011	30-मार्च-2013
3	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910046689 10.05.2011	30.04.2011	27-मार्च-2013
4	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051954 29.03.2012	26.03.2012	25-मार्च-2013
5	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051941 28.03.2012	26.03.2012	25-मार्च-2013
6	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051940 28.03.2012	26.03.2012	25-मार्च-2013
7	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051939 28.03.2012	26.03.2012	25-मार्च-2013
8	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910047063 09.06.2011	31.05.2011	24-मार्च-2013
9	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051960 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013
10	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051959 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013
11	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051958 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013
12	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051957 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013
13	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	910051956 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013
14	टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया	910051955 29.03.2012	22.03.2012	21-मार्च-2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
15	प्राइवेट लिमिटेड, ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910046579 29.04.2011	20.04.2011	21-मार्च-2013
16	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910046329 12.04.2011	28.03.2011	10-मार्च-2013
17	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910046949 30.05.2011	21.05.2011	6-मार्च-2013
18	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051707 12.3.2012	05.03.2012	4-मार्च-2013
19	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051706 12.3.2012	05.03.2012	4-मार्च-2013
20	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051704 12.3.2012	05.03.2012	4-मार्च-2013
21	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051698 12.3.2012	05.03.2012	4-मार्च-2013
22	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051649 08.03.2012	05.03.2012	4-मार्च-2013
23	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051700 12.03.2012	03.03.2012	2-मार्च-2013
24	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051705 12.03.2012	02.03.2012	1-मार्च-2013
25	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051703 12.03.2012	02.03.2012	1-मार्च-2013
26	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051701 12.03.2012	02.03.2012	1-मार्च-2013
27	नौस्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	910051699 12.03.2012	02.03.2012	1-मार्च-2013
28	ऑरबिदों फार्मा लिमिटेड	910046688 10.05.2011	26.04.2011	28-फरवरी-2013
29	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046331 12.04.201	28.03.2011	28-फरवरी -2013
30	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046330 12.04.201	28.03.2011	27- फरवरी -2013
31	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046706 11.5.2011	20.04.2011	25- फरवरी -2013
32	टेकमेह प्रोडक्ट्स	910051518 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड			
33	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड	910051517 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
34	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051516 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
35	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051515 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
36	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051513 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
37	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051512 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
38	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051511 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
39	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051508 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
40	ओसी सिस्टम प्रा .लि .	910051502 28.02.2012	22.02.2012	21- फरवरी -2013
41	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051514 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
42	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051510 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
43	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051507 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
44	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट	910051506 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	लिमिटेड			
45	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051505 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
46	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051504 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
47	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051503 28.02.2012	21.02.2012	20- फरवरी -2013
48	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051519 28.02.2012	18.02.2012	17- फरवरी -2013
49	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051509 28.02.2012	18.02.2012	17- फरवरी -2013
50	ओसी सिस्टम प्रा.लि .	910051421 24.02.2012	16.02.2012	15- फरवरी -2013
51	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051435 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
52	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051434 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
53	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051433 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
54	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051432 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
55	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051431 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
56	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051430 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
57	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051420 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
58	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051415 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
59	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051414 24.02.2012	13.02.2012	12- फरवरी -2013
60	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051418 24.02.2012	09.02.2012	8- फरवरी -2013
61	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051417 24.02.2012	09.02.2012	8- फरवरी -2013
62	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051416 24.02.2012	09.02.2012	8- फरवरी -2013
63	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051283 14.2.2012	09.02.2012	8- फरवरी -2013
64	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051282 14.2.2012	09.02.2012	8- फरवरी -2013
65	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046687 10.5.2011	25.04.2011	8- फरवरी -2013
66	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051285 14.02.2012	06.02.2012	5- फरवरी -2013
67	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051287 14.02.2012	30.01.2012	29-जनवरी -2013
68	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051238 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
69	टेकमेह प्रोडक्ट्स	910051237 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड			
70	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051236 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
71	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051220 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
72	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051219 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
73	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051217 13.02.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
74	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051106 3.2.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
75	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051105 3.2.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
76	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051104 3.2.2012	30.01.2012	29- जनवरी -2013
77	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051281 14.02.2012	27.01.2012	27- जनवरी -2013
78	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051099 03.02.2012	27.01.2012	27- जनवरी -2013
79	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051286 14.02.2012	27.01.2012	26- जनवरी -2013
80	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051280 14.02.2012	27.01.2012	26- जनवरी -2013
81	टेकमेह प्रोडक्ट्स	910051218 13.02.2012	27.01.2012	26- जनवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड			
82	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051098 3.2.2012	27.01.2012	26- जनवरी -2013
83	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051097 3.2.2012	27.01.2012	26- जनवरी -2013
84	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051074 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
85	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051072 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
86	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051070 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
87	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051069 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
88	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051068 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
89	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051067 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
90	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051066 02.02.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
91	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051043 31.01.2012	23.01.2012	22- जनवरी -2013
92	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051071 02.02.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
93	टेकमेह प्रोडक्ट्स	910051065 02.02.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड			
94	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051045 31.01.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
95	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051040 31.01.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
96	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051039 31.01.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
97	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910050971 25.01.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
98	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910050967 25.01.2012	19.01.2012	18- जनवरी -2013
99	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910051073 02.02.2012	13.01.2012	12- जनवरी -2013
100	टेकमेह प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	910050836 18.01.2012	12.01.2012	11- जनवरी -2013
101	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045838 08.03.2011	02.02.2011	9- जनवरी -2013
102	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045894 11.03.2011	23.02.2011	3- जनवरी -2013
103	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046580 29.04.2011	20.04.2011	17- दिसम्बर -2012
104	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045634 21.02.2011	29.01.2011	17- दिसम्बर -2012
105	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045397 03.02.2011	27.01.2011	14- दिसम्बर -2012
106	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045348 01.02.2011	11.01.2011	12- दिसम्बर -2012
107	ओरबिन्दो फार्मा	910045349 01.02.2011	19.01.2011	29- नवम्बर -2012

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	लिमिटेड			
108	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045072 06.01.2011	21.12.2010	1- नवम्बर -2012
109	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045071 06.01.2011	21.12.2010	1- नवम्बर -2012
110	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044926 29.12.2010	22.11.2010	15- अक्तूबर -2012
111	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910049953 29.11.2011	17.11.2011	24- सितमबर -2012
112	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044925 29.12.2010	10.12.2010	24- सितमबर -2012
113	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044477 26.11.2010	18.11.2010	9- सितमबर -2012
114	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043745 29.09.2010	10.09.2010	7- जुलाई -2012
115	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044509 30.11.2010	17.09.2010	1- जुलाई -2012
116	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045351 01.02.2011	30.10.2010	30- जून -2012
117	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044156 03.11.2010	15.10.2010	29- जून -2012
118	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910045127 13.01.2011	03.01.2011	25- जून -2012
119	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043954 19.10.2010	06.10.2010	22- जून -2012
120	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044478 26.11.2010	17.11.2010	13- जून -2012
121	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043744 29.09.2010	09.09.2010	18- मई -2012
122	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044508 30.11.2010	10.11.2010	2- मई -2012
123	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046327 12.04.2011	11.02.2011	30- मई -2012
124	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910044511 30.11.2010	21.09.2010	25- मई -2012
125	ओरबिन्दो फार्मा	910044510 30.11.2010	24.09.2010	18- मार्च -2012

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
	लिमिटेड			
126	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910046328 12.04.2011	17.02.2011	4-जनवरी -2012
127	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910041797 26.04.2010	02.03.2010	3-दिसम्बर -2011
128	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043905 14.10.2010	02.09.2010	1-सितम्बर -2011
129	Aurobindo Pharma Limited	910043915 14.10.2010	01.09.2010	31- अगस्त -2011
130	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043911 14.10.2010	27.08.2010	26- अगस्त -2011
131	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043588 22.09.2010	27.08.2010	26- अगस्त -2011
132	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043587 22.09.2010	27.08.2010	26- अगस्त -2011
133	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043530 16.09.2010	24.08.2010	23- अगस्त -2011
134	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043576 22.09.2010	17.08.2010	16- अगस्त -2011
135	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043532 16.09.2010	17.08.2010	16- अगस्त -2011
136	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043949 19.10.2010	13.08.2010	12- अगस्त -2011
137	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043573 22.09.2010	05.08.2010	4-अगस्त -2011
138	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043906 14.10.2010	04.08.2010	3-अगस्त -2011
139	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043746 29.09.2010	26.07.2010	25-जुलाई 2011
140	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043907 14.10.2010	16.09.2010	13-जुलाई -2011
141	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910043909 14.10.2010	16.09.2010	24-जून -2011
142	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042827 22.07.2010	22.06.2010	21-जून -2011
143	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042831 22.07.2010	02.06.2010	1-जून -2011

क्र. सं.	निर्यातक	प्राधिकार संख्या एवं दिनांक	एलयूटी के समाप्ति की अवधि	बीआरसी के प्रस्तुतीकरण हेतु 12 महीनों के समाप्ति की अवधि
144	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042832 22.07.2010	01.06.2010	31- मई -2011
145	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042300 22.07.2010	10.05.2010	9- मई -2011
146	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042379 11.06.2010	05.05.2010	4-मई -2011
147	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910041995 17.06.2010	15.04.2010	14-अप्रैल -2011
148	ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड	910042299 11.06.2010	13.04.2010	12- अप्रैल -2011

परिशिष्ट **18** (पैरा संख्या **2.4. 17)**

स्वच्छ ऊर्जा उपकर को एफपीएस प्राधिकार से डेबिट करने के लिए मंजूर किया गया

क्रम संख्या	आयातक का नाम	एफपीएस स्क्रिप्स से डेबिट कुल राशि **(₹)**
आरए कांडला-		
1	बीजीएच एक्जिम लि .	1192
2	वेल्सपन इंडिया लि .	425000
3	वेल्सपन इंडिया लि.	100000
4	वेल्सपन इंडिया लि.	195100
5	बीजीएच एक्जिम लि .	9200
6	बीजीएच एक्जिम लि.	27229
7	वेल्सपन इंडिया लि.	150000
	वेल्सपन इंडिया लि.	125079
8	वेल्सपन इंडिया लि.	250000
9	वेल्सपन इंडिया लि.	98822
	वेल्सपन इंडिया लि.	166033
10	वेल्सपन इंडिया लि.	259550
	वेल्सपन इंडिया लि.	140450
11	वेल्सपन इंडिया लि.	186803
		213197
12	वेल्सपन इंडिया लि.	450000
13	वेल्सपन इंडिया लि.	165000
	जोड़	**29,62,655**

परिशिष्ट **19** (पैरा संख्या **4.10.2** (क)

माल की बिक्री पर प्रतिदाय की मंजूरी

क्रम संख्या	एफ संख्या.	ओओ-आई-संख्या तथा तिथि	आवेदक का नाम	बिक्री बीजक संख्या तथा तिथि	बीई संख्या तथा तिथि	शुल्कप्रभार/ रहित का भुगतान करने की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹)
1 डीजीए– चेन्नई							
i. सीमाशुल्क आयुक्त ईचेन्न (समुद्र)							
1	एस24/एसएडी /1231/12	19218/12 .31-7-12	मै. एवरशाइन टिम्बर इंटरनेशनल प्रा .लि .	के-120 30.8.11	4434219/ 23-8-11	ओओसी 30.8.11	10970
2	एस 24/एसएडी /2025/2012	19775/12 .16-11-12	मै. ऑफिस इक्यूपमेंट प्रा. .लि	269/2011-12 16.07.11	3782887/ 14-6-11	ओओसी : 18..-11	27076
3	S24/ एसएडी /2541/2012	20360/13	मै. जैन एंजेसिंज	221/19-12-11	5463002/ 14-12-11	ओओसी 20.12.11	55355
4	एस 24/ एसएडी /350/13	20663/13	मैएम 3 . .इंडिया लि	दिनांक 30.3.11 के सुधार पत्र में तथा 16698 बिक्री 17 अन्य बीजक	3086077/ 30-3-11	6.4.11	1856
5	एस 24/ एसएडी /350/13	20663/13	मैएम 3 . .इंडिया लि	1015 17.5.11	3514136/ 16-5-11	18.5.11	3480
6				197,619,771,978 17.5.11	3514136/ 16-05-11	18.5.11	1192
7	एस 24/ एसएडी /350/13	20663/13	मैएम 3 . .इंडिया लि	15636,6544/ 17.3.11	797963	ओओसी 8.3.11	2806
8				15607 6.3.11	797874/ 04.3.11	ओओसी 8.3.11	2380
9				15626 7.3.11	797874/ 04.03.11	ओओसी 8.3.11	1073
10	एस 25/ एसएडी /394/12 प्रतिदाय	19152/12 17.07.12	मै. ओरिएंटल ट्रेड लिंकर्स दिल्ली	सुधार पत्र में वर्णित 2893 तथा 10.10.10 बीजकअन्य	696927 23.11.10	25.11. 10	93872
11	एस 24/4%एसएडी /196/13 प्रतिदाय	20357/13 27.02.13	मै. यूनिवर्सल मेटल	128 31.12.11	5598245 2.1.10	2.1.12	96101

क्रम संख्या	एफ संख्या.	ओओ-आई-संख्या तथा तिथि	आवेदक का नाम	बिक्री बीजक संख्या तथा तिथि	बीई संख्या तथा तिथि	शुल्कप्रभार/ रहित का भुगतान करने की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹)
12	दि . एस 24/एडी 256/13 प्रतिदाय दि.	20665/13 10.04.13	इमपेक्स मै. पोली पाइपिज प्रा . ईचेन्न	208 डी .24.11.11 (बिक्री बीजक उपलब्ध नहीं (तथा अन्य बीजक सुधार पत्र में	5263131 24.11.11	1.12.12	239597
13	एस 24/ एसएडी /219/12 प्रतिदाय	दिनांक 12/5 उपलब्ध नहीं	मै. कृषि टेक पावर इक्यूपपेंट प्रा . .लि	केए 04 से 01) 28.8.11बीजक उपलब्ध नहीं(	4290386 6.9.11	29.7.11	51076
						उप जोड़	**586834**
ii. सीमाशुल्क ई चेन्नआयुक्त (एयर)							
1	एस 25A/ एसएडी /17/12 आरईएफ	327/12 27.6.12	मै. सरटेक इंटरनेशनल	575 24.2.11	2921653	16.3.13	62236
						उपजोड़-	**62236**
iii. (i) सीमाशुल्क आयुक्त, तूतिकोरिन							
1	VIII/20/3324/2012 आरएफ	3307/12 30.7.12	मै .आशापुर टिम्बर एवं सॉ मिल	12040 21.7.11	4126265	22.7.12	11624
						उप जोड़	**11624**
iii. (ii) उप आयुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी, सेंट जॉन, तूतिकोरिन							
1	VIII/20/345/2012 आरएफ	शून्य / 02.04.12	मै. एलिगेंट एसोसिएशन	3.4.11	2996902	30.3.11	7785
2	VIII/20/1261/2012 आरएफ	981/12 16.11.12	मै. श्री लकोशा पोलीमर प्रा . .लि	4205 16.12.11	5343078	17.12.11	54029
3	VIII/20/325/2012 आरएफ	274/2012 02.04.12	मै. महलक्स हमी टिम्बर	688,689 302.11	W83669	15.3.11	22448

क्रम संख्या	एफ संख्या.	ओओ-आई-संख्या तथा तिथि	आवेदक का नाम	बिक्री बीजक संख्या तथा तिथि	बीई संख्या तथा तिथि	शुल्कप्रभार/ रहित का भुगतान करने की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹)
4	VIII/20/873/2012 आरएफ	680/2012 11.0712	मै. महलक्स हमी टिम्बर	713 12.4.11	W83920	18.5.11	12581
						उप जोड़	**96843**
2 डीजीए– कोलकाता							
1	एस 107-3532/12 एआरएस दिनांक 18/10/12	केओएल /सीयूएस /एसी /2835 एआरएस 12-13 15.11.2012	रोहन एन्टरप्राइजिज कोलकाता	आई/टी/016/12-13 17.4.12	6488901 9.4.12	13.4.12 19.4.12	237683
				आरई/टी/017/12-13 1704.12 आरई/टी /018/12-13 17. 4.12 आरई/टी /019/12-13. 1704.12 RE/T/020/12-13 17.4.12 आरई/टी /021/12-13 17.4.12 आरई/टी /022/12-13 17. 4.12 आरई/टी /023/12-13 17.4.12 आरई/टी /024/12-13 17. 4.12 आरई/टी /025/12-13 17. 4.12 आरई/टी /026/12-13 17. 4.12 आरई/टी /026/12-13 17. 4.12			

क्रम संख्या	एफ संख्या.	ओओ-आई-संख्या तथा तिथि	आवेदक का नाम	बिक्री बीजक संख्या तथा तिथि	बीई संख्या तथा तिथि	शुल्कप्रभार/ रहित का भुगतान करने की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹)
						उप जोड़	**237683**
3 पीडीए -मुम्बई							
1(i)	एस/12/एसएडी - 826/12-13 एसीसी)आर)	3422/ 22.11.2012	मै. एटरनीटी लाइफ स्टाइल प्रा .लि.	डीएमएन /00339/1112/ 3.5.11	3489153 13.5.11	16.5.11	656
(ii)				डीएमएन /00368/1112 3.5.11			656
(iii)				एमयूएम /00195/1112 6.5.11			656
(iv)				एमयूएम /00165/1112/ 04.511			656
(v)				एमयूएम /00201/1112/ 7.5.11			637
(vi)				डीएमएन /00338/1112/ 3.5.11			678
(vii)				डीएमएन /00434/1112			394
2(i)				डीयूएम /00173/1112	3420920 6.5.11	7.5.11	353
(ii)				डीयूएन /00382/1112			2471
(iii)				डीयूएम /00173/1112			353
(iv)				डीयूएम /00158/1112			353
(v)				एमयूएम /00173/1112			353
(vi)				डीएमएन /00382/1112			353
						उप जोड़	**8569**
4 पीडीए– हैदराबाद							

क्रम संख्या	एफ संख्या.	ओओ-आई-संख्या तथा तिथि	आवेदक का नाम	बिक्री बीजक संख्या तथा तिथि	बीई संख्या तथा तिथि	शुल्कप्रभार/ रहित का भुगतान करने की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाय राशि (₹)
1	सी संख्या एस/47/आरई एफ/148/2012-एसीसी	235/2012-एसीसी (आर) 25.082012	मै. एलिको मार्केटिंग प्रा . हैदराबाद .लि	55/11-12/ 26.08.11	4461792/ 28.08.2011	30.8.11	13999
2	सी संख्या एस /47/आरईएफ /153/2012-एसीसी	231/2012-ACC(R) 25.08.2012	मै. स्वन एन्वायरमेंल प्रा .लि . हैदराबाद	291/11-12 20.08.11	4405649/ 19.08.2011	22.8.11	5693
						उप जोड़	**19692**
						कुल जोड़	**10,23,481**

परिशिष्ट **20** {पैरा संख्या **4.10.2** (ख)}

कालातित दावे

क्रम संख्या	फाइल संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	बीई. संख्या एवं तिथि	शुल्क भुगतान की तिथिप्रभार / रहित की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाया राशि (₹)
1. डीजीए– चेन्नई						
i. सीमा शुल्क आयुक्त चेन्नई (एयर)						
1	एस 25ए/एसएडी/476,477	मै. डेक्स नेट वर्कस लि .	31.03.2011	140951/ 04.03.10	05.03.10	39233
				142700/ 06.03.10	09.03.10	14978
				143802/ 08.03.10	09.03.10	2643
				149942/ 16.03.10	17.03.10	16340
				149945/ 16.03.10	17.03.10	20862
				151958/ 18.03.10	19.03.10	10182
				152003/ 18.03.10	19.03.10	49474
				152342/ 18.03.10	19.03.10	20822
				152571/ 18.03.10	19.03.10	13793
				152668/	19.03.10	16652

क्रम संख्या	फाइल संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	बीई. संख्या एवं तिथि	शुल्क भुगतान की तिथिप्रभार / रहित की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाया राशि (₹)
				18.03.10 152669/ 18.03.10 155101/ 20.03.10	20.03.10 22.03.10	33243 24094
2	एस 25/ए/एसएडी/102/11	मद्रास मालावार कॉरपोरेशन	11.11.11	957034/ 05.11.11	06.11.09	3283
					उप जोड़	**265599**
पीडीए (शाखा कार्यालय कोचीन) ईचेन्न-						
1	एस18/483/2012	फॉल्कन ग्लास पैलेस	03.08.12	14/2013/ 02.01.2013	01.08.11	180473
					उप जोड़	**180473**
2. पीडीए- मुम्बई						
1.	फाएस.सं./12-वि.-5718/12-13/सीआरए॥ A ए (एसएडी) जेएनसीएच21.12.12	मै. प्रकाश केमिकल्स	21.12.2012	4624046/ 13.09.2011	21.09.12	135792
2	फाएस .सं. /एस/12-वि.-5718/12-13/सीआरए॥ ए (एसडीए (जेएनसीएच 21.12.12	मै. प्रकाश केमिकल्स		4948046/ 18.10.2011	20.10.11	76389
3	फाएस .सं. /12-वी.-5718/12-13/ सीआरए॥ ए (एसएडी) जेएनसीएच 21.12.12	मै. प्रकाश केमिकल्स		5018706/ 25.10.2011	01.11.11	37648
4	फाएस .सं./12-वि.-5718/12-13/सीआए ॥ ए (एसएडी) जेएनसीएच 21.12.12	मै. प्रकाश केमिकल्स		5109463/ 04.11.2011	11.11.11	38702
5	फाएस.सं./12-वी.-867/12-13/सीआरए॥ A (एसएडी) जेएनसीएच 10.05.12	मै. एक्जिमिन कॉरपोरेशन	10.05.2012	5926247/ 06.02.2011	21.02.11	164774
6	फाएस.सं./12-वी.-7792/11-12/सीआरए॥ ए (एसएडी) जेएनसीएच 30.03.12	मै. बेम्बू राम हरिचंद	30.03.2012	6015812/ 15.02.2012	20.02.11	62813
					उप जोड़	**516118**
3. पीडीए हैदराबाद						
1	सी.सं.एस/47/आरईएफ/302/2012-एसीसी	मै. रेनडोक्स लेबोरेटीज	29.11.2012	5317477/ 28.11.2011	29-11-2011	44263

क्रम संख्या	फाइल संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	बीई. संख्या एवं तिथि	शुल्क भुगतान की तिथिप्रभार / रहित की तिथि	स्वीकृत प्रतिदाया राशि (₹)
		(इंडिया) .लि .प्रा, मुम्बई				
					उप जोड़	**44263**
4. पीडीए–	बैंगलोर					
1	546/डी-421/ 2012 प्रतिदाय बीएसीसी	मै. एन्टरप्राइज सॉफ्टवेयर साल्यूशन, लैब, लि .	05.12.2012	5368589/ 12.03.2011	5.12.2011	198874
					उप जोड़	**198874**
					उप जोड़	**12,05,327**

परिशिष्ट **21 {**पैरा **No.4.10.2 (**ग**)}**

आयातित माल के साथ बेमेल माल की बिक्री पर प्रतिदाय दावे की स्वीकृति

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
I. सीमाशुल्क आयुक्त		ईचेन्न (एयर)				
1	357433/ 29-11-10	430/ 3-8-12	डी 40 स के एस्से साथ 20 एमटीएल डीएस इकॉम वेकयूम। कीट इंडस्ट्री निंग क्ली मशीन	स्टैंडर्ड सहायक सामग्री सहित मैन्युअल फिटर क्लिनिंग सिस्टम के साथ रूट्स डेल्फिन मिस्ट्रल डीएस 202 इको सिंगल फेस	सीआई-204/ 10-12-10	2336

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
				(नकान्टी) हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री म वेक्यू नरक्ली		
					सीआई-205/ 10-12-10	2336
					सीआई -206/ 11-12-10	2336
					सीआई -221/ 29-12-10	4672
2	364783/ 8-12-10	430/ 3-8-12	इंडस्ट्री क्लीनिंग मशीन हेतु ट्राफ बैटरी 240/वी24 स्पेयर पार्टस	एक्यूमेटिक के साथ ट्राफ बैटरी 240/वी 12 एएच, पार्टस	सीआई -212/ 20-12-10	6472
3	364783/ 8-12-10	430/ 3-8-12	इंडस्ट्री क्लीनिंग मशीन हेतु ब्रश हैड प्लेट ब्रश यर स्पे 8 पार्ट	प्लेट ब्रश हैड 85 सेमी	सीआई -212/ 20-12-10	10290
4	364783/ 08-12-10	430/ 03-8-12	ब्रश एसआईसी पीए बी 180 यर स्पे 900 पार्टस इंडस्ट्री निंग क्लि मशीन	बहुत अधिक धूल तथा मूल क्लिनिंगए/ सआईसी पीए ग्रेन 6	सीआई-212/ 20-12-10	986
5	386413/ 3-1-11	430/ 03-8-12	डी 40 स सहित एस्से 20 एमटीएल डीएसईकाम	मानक सहायक सामग्री सहित	सीआई -249/ 22-1-11	2276

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
			म । एम वेक्यू कीट मॉडल संख्या एएसएमटीए 202 लिए डीएसईकॉम इंडस्ट्री ई 40 निंग क्लि मशीन	मैन्युअल फील्टर क्लिनिंग सिस्टम के साथ रूट डेल्फन मिस्ट्रल 202 डीएसईको सिंगल		
					सीआई 267/ 22-2-11	2276
					सीआई 270/ 25-2-11	2276
					सीआई 271/ 25-2-11	2276
					सीआई 276/ 28-2-11	2276
6	3549601/ 19.05.11	192/12/ 24.04.12	मै. मल्टीपल एक्सर्स पेनल कीट सर्वर	ईआईएल एसडीपीटी 5220आईए नएसटीपीटी	डीईएल -12-100033/ 27.06.11	16743
					उप जोड़	**57551**
II. सीमाशुल्क आयुक्त ईचेन्न (समुद्र)						
1	4040446/ 11.07.11	शून्य/6/12	सी25 आर्ट बोर्ड 210जीएसएम 585 X 914	C25 आर्ट बोर्ड 635 X 914	183/ 21.07.11	11093
2	4113895/ 19.07.11	20624/13 04.04.13	बुडन डावेल 8X 35 एमएम	बुडन डावेल 8X 35 एमएम	9741000007/ 28.07.11	3208
3	4237398/ 01.08.11	20455/ 12.03.13	ऐलीफेंट ब्रांड जीएस स्प्रे ड्राइड पाउडर	आयातित वेटटल एक्सट्रेक्ट ऐलीफेंट	ईजीएस 25/ 23.09.11	62855

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
4	4493333/ 29.08.11	20455/12.03.13	वही	जीएस बोर्ड वही	ईजीएस /119/ 14.09.11	62855
					उप जोड़	**140011**
III.सीमाशुल्क आयुक्त, तूतीकोरन						
1	4101136 18.07.11	883/2012	रेडिएट पाइन लॉगस टी 70/1	रेडिएट पाइन राउंड लॉगस	T1/70 / 30.07.11 T1/76/ 01.08.11	16717
2	577184 19.01.12	4190/2012 26.11.12	घाना जमेलाइना राउंड लॉग्स	जमेलाइना लॉग्स	1. 354 04.02.12 2. 355 04.02.12 3. 357 10.02.12 4. 358 10.02.12 5. 359 10.02.12 6. 372 12.03.12 7. 1015 19.04.12 8. 1018 27.04.12 9. 1019 27.04.12 10. 1020 02.05.12	133393
3	5048676 29.10.11	4332/2012 12.12	राउंड लॉगस	आयातित टीक लॉग्स	971,976,977,265,266,273,और 274	86889
4	5373157 03.12.11	4327/2012 14.12.12	टीक राउंड लॉगस	आयातित टीक लॉग्स	991,992,995,998,999,1002,1004aऔर 1006	153291
5	5389607 06.12.11	26/2012 12.12	टील राउंड लॉग एवं टीक ऑफ) (कट	आयातित टीक लॉग्स	996,1007,1009 और 1010	63343
6	5866295 31.01.12	3857/2012 31.10.12	विभिन्न प्रकार मे टीक क्लीन स्केयर	आयातित टीक वुड स्वन	12246,12247,12255,12256,12257,12273,12277,12286,12294,12300,12302,12303,12304,12306,12309,12313,12314,12315,	61573

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
					12316,12317,12323,12324,12326 और 12327	
					उप जोड़	**515206**
डीजीए-	कोलकाता					
1	8025130/ 24.09.2012	**आर/ओ**- 4071/12-13 04.01.13	खराबगौण/ टीनप्लेट कॉयल	खराबगौण/ पीसो में कटा टीनप्लेट कॉयल	टीएस 99/228/12-13	160625
	8352521/ 30-10-12				टीएस 99/229/12-13 टीएस 99/230/12-13 टीएस 99/267/12-13 टीएस 99/268/12-13 टीएस 99/269/12-13 टीएस 99/270/12-13 टीएस 99/271/12-13	168893
2	7188820/ 22-06-12	**एस** 107-4358/12**ए आरएस**	खराब तथा गौण कोल्ड रोल्ड स्टील शीट कटिंग कॉयल/	डी सेक . सीआर कॉयल कट टू शीट	125/ 04-11-12 126/ 04-11-12 127/ 05-11-12 128/ 05-11-12 129/ 05-11-12 130/ 05-11-12	271095

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
					131/ 06-11-12 132/ 06-11-12 133/ 06-11-12	
	8053504/ 26-09-12	**एस** 107-4358/12**ए आरएस**	गौणखराब/ गलवेनिशड कॉयल	खराब गौण पीसों में कटा गलवेनिशड कॉयल	347/ 15-11-12	193109
					348/ 15-11-12 349/ 16-11-12 350/ 16-11-12 351/ 16-11-12 352/ 16-11-12	
3	7875007/ 06-09-12	**एस** 107-4358/12ARS	खराबगौण/ टीनप्लेट कॉयल	कॉयल से कटी खराबगौण / टीपी शीट	362/ 20-11-12	175695
					363/ 20-11-12 364/ 20-11-12 365/ 21-11-12 366/ 21-11-12	
	8362003/ 31.10.2012 8362003/ 31.10.2012	**एस** 107-4358/12**ए आरएस**	पीवीसी ब्रैकिंग सहित पोलीएस्टर फैब्रिक्स	पोलीएस्टर कोटिड फैब्रिक्स	5409/ 6.11.2012	
					5970/ 27.11.2012	518.40
					5968/ 27.11.2012	424.15
					5967/ 27.11.2012	471.28

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान (₹)
					5476/ 9.11.2012	659.79
					5475/ 9.11.2012	471.28
4	8362003/ 31.10.2012	**एस** 107-4358/12**ए आरएस**	पीवीसी ब्रैकिंगसहित पोलीएस्टर फैब्रिक्स	पोलीएस्टर कोटिड फैब्रिक्स	3210/ 8.11.2012	29612.10
					5922/ 26.11.2012	777.72
					5916/ 26.11.2012	807.51
					5913/ 26.11.2012	699.95
					5912/ .26.11.2012	388.86
					5813/ 22.11.2012	839.94
					5923/ 26.11.2012	1290.08
					5964/ 27.11.2012	1166.58
					5975/ 27.11.2012	839.94
					5974/ 27.11.2012	544.41
					5973/ 27.11.2012	824.38
					5972/ 27.11.2012	964.37
					5971/ 27.11.2012	808.83
					5969/ 27.11.2012	466.63
		एस 107-4358/12**ए आरएस**			कोई बिक्री बीज़क संलग्न नहीं	52038.90
5	8375886/ 01.11.2012					
	8362014/ 31.10.2012		पोलिएस्टर कोटिड फैब्रिक्स हेतु स्पेयर पार्टस	पोलीएस्टर कोटिड फैब्रिक्स	5593/ 15.11.2012	1006.57
					5390/ 5.11.2012	745.60

क्रम संख्या	बीई संख्या तथा तिथि	ओ ओ-आई-	बीई तथा विक्रेता बीजक के अनुसार आयातित माल	बिक्री बीजक के अनुसार माल विवरण	बिक्री बीजक	एसएडी भुगतान **(₹)**
					उप जोड़	**10,66,550**
					कुल जोड़	**17,79,318**

परिशिष्ट **22 {**पैरा सं.**4.10.2 (**घ**)}**

विनिर्माता को प्रतिदाय की गलत स्वीकृति

क्रम संख्या	फाईल संख्या	आवेदक का नाम	बीई संख्या	तिथि	संस्वीकृत प्रतिदाय राशि)₹ (
डीजीए– 1	कोलकाता				
	एस 107-3842/12/एआरएस 20/11/2012	प्रतीक पटोदिया	5255839	22-11-11	669158
			5549213	23-12-11	
			5609625	30-12-11	
			5820504	24-01-12	
			5820500	24-01-12	
				उप जोड़	**669158**
पीडीए–	हैदराबाद				
	सीसंख्या. एस /47/आर/109/2012-आईसीडी	मै. चौधरी एन्टरप्राइजिज	4154439	7-2011	37247
	सीसंख्या. एस /47/ आर /89/2012-आईसीडी	मै. चौधरी एन्टरप्राइजिज हैदराबाद	3441982	9/5/2011	96240
				उप जोड	**133487**
				कुल जोड़	**8,02,645**
	सी.संएस./47/आर/89/2012-आईसीडी	मै. चौधरी एटंरप्राइसस हैदराबाद	3441982	9/5/2011	96240
				उप जोड़	**133487**
				कुल योग	**8,02,645**

परिशिष्ट 23 {पैरा सं.4.10.2 (ई)}

सहसंबंध- शीट जिसका कार्गो से उचित तरीके से मिलान नही किया गया

क्रम सं.	फाइल सं.	कम्पनी का नाम	आयातित माल का नाम	वास्तविक संख्या में आदेश
डीजीए-चैन्नई				
1	VIII/20/1228/12/आरएफ	मै. अंडमान टिम्बर कम्पनी, चैन्नई	क्वीला लोगस (3 प्रकार)	960/12 दि.31.10.12
2	VIII/20/3681/12/आरएफ	मै .ईस्ट्रन बल्क ट्रेडिंग एवं शिपिग प्रा.लि .	थोक में लाइमस्टोन	शून्य दि.24.09.2012

परिशिष्ट 24 {पैरा सं.4.10.2 (ई) (v)}

बिक्री बीजकों की अनुपलब्धता के बावजूद किए गए अनियमित प्रतिदाय

क्रम सं.	प्रतिदाय फाइल सं.	आयातक का नाम	प्रतिदाय आदेश संएवं तिथि .	प्रतिदाय राशि (₹)
डीजीए – कोलकाता				
1	एफ.संएस.107-2001/12 एआरएस dt.8.06.12	जेएमडी ट्रेडिंग जहानाबाद	1496/2012-13 13.08.2012	716614
2	एफ.संएस.107-2511/12एआरएस दि.27.07.12	हुबेर एडं सुह्नेर इलेक्ट्रानिक प्रा . .लि, कोलकाता	1970/2012-13 24.09.2012	4030304
3	एफ.संएस.107-2596/12एआरएस दि.02.08.12	मै. आर के इम्पैक्स क . (इंडिया)	1987/2012-13 25.09.2012	2946222
			कुल	**76,93,140**

परिशिष्ट 25 {पैरा सं.4.10.2 (ई) (ix)}

उचित सीएसटी के भुगतान के बिना एसएडी प्रतिदाय की संस्वीकृति

क्रम सं.	फाइल सं.	आवेदक का नाम	बीई सं /. .एसबी सं	दिनांक	संस्वीकृत प्रतिदाय की राशि (₹)
पीडीए – कोचीन					
1	एस18/159/2012	वल्लभदास एवं कंएर्नाकुलम .	5565065	26.12.11	33712
2	एस18/569/2012		7496370	26.07.12	126006
			7531105	30.07.12	62854
3	एस18/688/2012		7650904	13.08.12	72088
			7821104	31.08.12	5936
			8037333	25.09.12	62597
			8061150	27.09.12	62372
			8154915	08.10.12	60178
				कुल	**4,85,743**

परिशिष्ट 26 (पैरा सं.6.2)

संगठनात्मक ढांचा

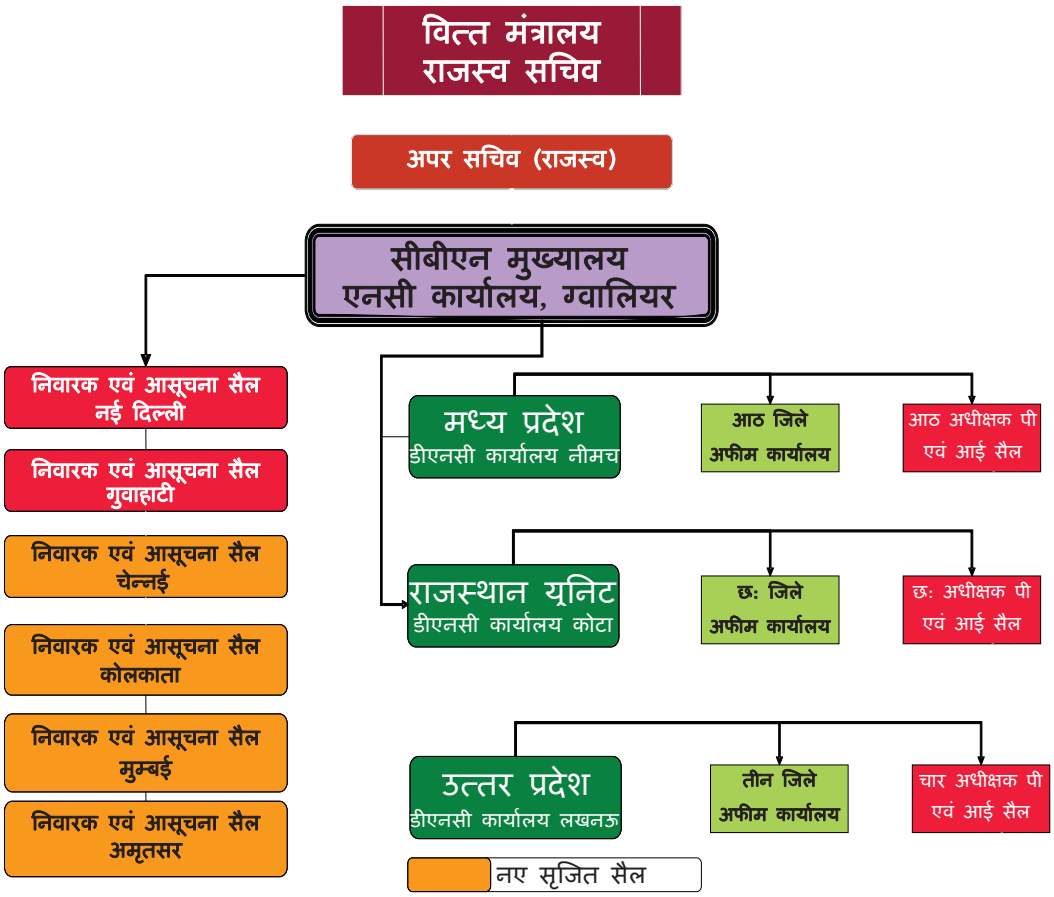

पीएंडआई सैल (एमपी)		पीएंडआई सैल (नराजस्था)		पीएंडआई सैल (यूपी)	
1	गरोथ	1	कोटा	1	लखनऊ
2	मंदसौर	2	चेत्तौडगढ़	2	बरेली
3	रतलाम	3	भिवानी मंडी	3	गाज़ीपुर
4	इंदौर	4	जयपुर	4	बाराबंकी
5	सिंगोली	5	उदयपुर		
6	उज्जैन	6	प्रतापगढ़		
7	जओरा				
8	अधीक्षक (निवारक) नीमच				

परिशिष्ट 27 (पैरा सं.6.13.9)

अफीम की गुणवत्ता और तुलाई का प्रांरभिक जांच तंत्र

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल योग
अफीम जमा करने वाले खेतिहरों की कुल सं.	9380	7443	8387	25210
I. विभाग द्वारा अच्छे के रूप में फैक्ट्री को भेजे गए नमूने	9372	7440	8373	25185
फैक्ट्री द्वारा घोषित पारित अच्छा/ माल	9119	7309	8313	24741
फैक्ट्री द्वारा घोषित घटियामिलावटी/	253	131	60	444
अनुरूपतार से श्रेणी में दो स्त/ रअधिक का अन्त	4	20	9	33
अनुरूपतार का श्रेणी में दो स्त/ रअन्त	52	115	18	185
II. विभाग द्वारा संदिग्ध के रूप में फैक्ट्री को भेजे गए नमूने	8	3	14	25
जीएओडब्ल्यू द्वारा अच्छे के रूप में पारित	6	2	11	19
फैक्ट्री द्वारा मिलावटी घोषित	2	1	3	6

परिशिष्ट 28 (पैरा सं.6.13.9)

अफीम की गुणवत्ता और तुलाई का प्रारंभिक जांच तंत्र

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल योग
खेतिहरों की कुल संख्या	13576	10904	11298	35778
विभाग द्वारा अच्छे के रूप में फैक्ट्री को भेजे गए नमूने	13352	10813	11273	35438
फैक्ट्री द्वारा घोषित पारित मालअच्छा/	12101	10471	10893	33465
फैक्ट्री द्वारा घोषित घटियामिलावटी/	919	172	90	1181
दो स्तर से अधिक अनुरूपता	77	36	124	237
अनुरूपता में दो स्तर का अन्तर	255	134	166	555
विभाग द्वारा फैक्ट्री को संदिग्ध के रूप में भेजे गए नमूने	224	91	25	340
फैक्ट्री द्वारा घोषित पारितअच्छा/	58	19	16	93
फैक्ट्री द्वारा घोषित घटियामिलावटी/	166	72	8+1 (रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई)	247 (246+1)

परिशिष्ट 29 (पैरा सं.6.13.11)

खेतिहरों के अलावा अन्यों को किया गया भुगतान

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
			नीमच-I		
वर्ष 2010-11					
1	ओंमकारलालभेरा/	कुडंला		रामविलास, पुत्र	27900
2	सीतारामगमेटा/	----वही---	----वही---	भवानीराम, पुत्र	12900
3	नंदुबाईमंगीराम/	---वही---	---वही---	दुर्गा	28000
4	कस्तूरीबाईरूपनाथ/	---वही---	---वही---	प्रकाश, पुत्र	35100
5	छगनलालकेशुराम/	---वही---	---वही---	भेरूलाल, पुत्र	27610
6	धनश्यामशिवलाल/	----वही---	----वही---	शिवलाल, पिता	20600
7	मान सिंहवर सिंहबख्ता/	---वही---	---वही---	हेमन्त सिंह	45100
8	बर्दीचन्द्रभेरा/	---वही---	---वही---	देवीलाल	19400
9	रामकुंवरबाईनारायणसत्य/	---वही--	---वही--	बिनोद	25200
10	दखीबाईरामचन्द्र/	बबलजूनी	---वही---	फतेहलाल, पोता	27700
11	रामचन्द्रश्रीलाल/	---वही---	---वही---	ताराचंद, पुत्र	39200
12	इन्द्राबाईभवानीबाई/	----वही---	----वही---	रमेशचन्द्र, पति	23200
13	प्रभुलालनानालाल/	---वही---	---वही---	देवीलाल, पुत्र	36857
14	रामकुंवरबाईबद्रीलाल/	----वही---	----वही---	मोतीलाल, पुत्र	44900
15	मधुलालकालुजी/	---वही---	---वही---	रमेशचन्द्र, पुत्र	31600
16	नाथुलालसुखदेव/	---वही---	---वही---	बगदीराम, पुत्र	33200
17	माधोलालचन्द्रलक्ष्मी/	---वही---	---वही---	बालकिशन, पुत्र	27100
18	भगवतीबाई/रतनलाल	----वही---	----वही---	शंकरलाल, पुत्र	52369
19	शंकर/पृथ्वीलाल	---वही---	---वही---	मोतीलाल/पुत्र	21600
20	मोतियाबाई/भवरलाल	---वही---	---वही---	मंगीलाल, पुत्र	40258
21	बलीबाई/पन्नालाल	---वही--	---वही--	अनील, पुत्र	32333
22	सोहनलाल/केशुराम	रूपपुरा	---वही---	अशोक कुमार, पुत्र	28400
23	रामीबाई/रामेश्वर	---वही---	---वही---	मोहनलाल, पुत्र	21149
24	लालीबाई/मगनीराम	----वही---	----वही---	रामचन्द्र, पुत्र	19100
25	प्रेमा/पार्था	---वही---	---वही---	राधेश्याम	31600
26	नानीबाई/नानूराम	----वही---	----वही---	श्यामलाल, पुत्र	39400
27	बंसीलाल/प्यारा	---वही---	---वही---	चतुर्भुज	41200
28	प्रभुबाई/शंकरलाल	---वही---	---वही---	भेरूलाल, पुत्र	25373
29	नवलराम/उड्डा	---वही---	---वही---	किशनलाल, पुत्र	46412
30	तखत सिंह/वेदराज	----वही---	----वही---	बलवंत, पुत्र	37800
31	हरि सिंह, चैन सिंह	---वही---	---वही---	बलवंत, पुत्र	44100
32	रतनलाल/नारायण	तुम्बा	---वही---	सुरेशचन्द्र, पुत्र	14400
33	नाथीराम/कृष्णलाल	---वही--	---वही--	राधेश्याम, पुत्र	35200
34	नथ्थीबाई/प्रेमचन्द	---वही---	---वही---	कमलेश, पुत्र	39225
35	गंगाबाई/हीरालाल	केलुखेड़ा	---वही---	बंशीलाल, पुत्र	26900

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
36	कमलाबाई/शान्तिलाल	----वही---	----वही---	शान्तिलाल, पति	19300
37	छगनलाल/भवरलाल	---वही---	---वही---	अमृतलाल	25300
38	नारायणीबाई/कनीरम	----वही---	----वही---	भंवरलाल	20800
39	सीताबाई/नथुराम	---वही---	---वही---	मुकेश	17900
40	सुखीबाई/मोतीलाल	---वही---	---वही---	भगवानलाल, पुत्र	34326
41	बद्रीलाल/मथुरालाल	---वही---	---वही---	नन्दलाल	24300
42	मोहनलाल/प्रभुलाल	----वही---	----वही---	ओमप्रकाश	24800
43	गोपीलाल/मोती	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	35100
44	कान्हेलाल/नानूराम	सुबाखेड़ा	---वही---	सुभाष, पुत्र	41172
45	गब्बूबाई/नाथूजी		---वही--	प्रभुलाल, पुत्र	25553
46	रामचन्द्र/रामनारायण	---वही---	---वही---	केशुराम, पुत्र	39600
47	रामचन्द्र/बापूलाल	----वही---	---वही---	बिनोद, पुत्र	36100
48	रतनलाल/नानालाल	---वही---	----वही---	सत्यनारायण	39800
49	बल्लभराम/रामनारायण	---वही---	---वही---	तुलसीराम, भतीजा	32900
50	श्रृंगारबाई/राधाकृष्ण	---वही---	---वही---	शोभाराम	26600
51	देवाली/सूरजमल	----वही---	----वही---	कन्हैयालाल, पुत्र	34450
52	भंवरलाल/चुन्नीलाल	---वही---	---वही---	भेरूलाल	16700
53	लाल सिंह/भुवानी सिंह	---वही---	---वही---	मंगु सिंह	20200
54	प्रभुलाल/मोदा	---वही--	---वही--	सुखलाल	31700
55	बंशीलाल/रामनारायण	---वही---	---वही---	विजय, पुत्र	38800
56	रामगोपाल/मंगीलाल	---वही---	---वही---	राजेश, पुत्र	43700
57	अम्नीबाई/छगनलाल	----वही---	----वही---	सुन्दरलाल, पोता	28200
58	जगदीश/रतनलाल	---वही---	---वही---	राधेश्याम	27800
59	शम्भुलाल/भुवानीराम	----वही---	----वही---	कन्हैयालाल, पुत्र	29700
60	रूकमनीबाई/बलवंत सिंह	---वही---	---वही---	तुलसीराम, पुत्र	24887
61	विक्रम सिंह/बदन सिंह	---वही---	---वही---	राजेन्द्र सिंह, पुत्र	37000
62	मंगीलाल/नानूराम	---वही---	---वही---	विजय	44100
63	मंगीबाई/भेरूलाल	----वही---	----वही---	दिनेश, पुत्र	47900
64	सत्यनारायण/हीरालाल	---वही---	---वही---	भारतलाल, पुत्र	45600
65	सुशीलाबाई/सीताराम	मांदा	---वही---	विजय कुमार, पुत्र	41582
66	लक्ष्मी नारायण/भवरलाल	---वही--	---वही--	गोपाल, पुत्र	14200
67	उदयराम/भवरलाल	---वही---	---वही---	रामविलास, पुत्र	29700
68	गोपाल/भवरलाल	---वही---	---वही---	लालाराम. भाई	41700
69	देवाजी/रामफूल	----वही---	----वही---	लक्ष्मन, पुत्र	42100
70	भगवंतीबाई/शंकरलाल	---वही---	---वही---	अशोक कुमार, पुत्र	25200
71	हीराबाई/प्रभुलाल	----वही---	----वही---	प्रहालाद, पुत्र	42700
72	शम्भुलाल/रामरतन	---वही---	---वही---	घिसालाल	29300
73	प्रभुलाल/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	नरेन्द्र, पुत्र	46900
74	बालु सिंह, बादू सिंह	रूप पुरा चदौल	---वही---	रूप सिंह, पुत्र	31400

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
75	गुलाब कुंवर/राय सिंह	---वही---	----वही---	चन्द्र सिंह, पुत्र	3700
76	उमराव सिंह/खुमान सिंह	---वही---	---वही---	केशर सिंह	3600
77	धापुबाई/लक्ष्मीचन्द	केशर पुरा	---वही---	किशोर, पोता	40095
78	धापुबाई/परशुराम	---वही--	---वही--	रोडीलाल, पुत्र	30744
79	प्रभुबाई/सुखलाल	---वही---	---वही---	मनोहर	20568
80	मगनीबाई/भगवानलाल	---वही---	---वही---	नन्दलाल	32828
81	छतभुज/हीरालाल	----वही---	----वही---	तुलसीराम, भाई	24900
82	मोदीराम/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	श्यामलाल,पुत्र	30347
83	रामचन्द्र/लाला	----वही---	----वही---	रमेशचन्द्र, पुत्र	24700
84	चन्द्रकांत/नानूराम	जनकपुर	---वही---	कैलाश, पुत्र	11700
85	रमेशचन्द्र/रधुलाल	---वही---	---वही---	कुश, पुत्र	17700
86	प्रहलाद/सोभराम	---वही---	---वही---	प्रेमसुख, पुत्र	18500
87	नेहरूलाल/भुवानीराम	----वही---	----वही---	दिनेश, पुत्र	31100
88	गंगाबाई/छगनलाल	---वही---	---वही---	राकेश, पोता	31200
89	संतोषबाई/मोहनलाल	---वही---	---वही---	राजेन्द्र, पोता	19200
90	लक्ष्मी नारायण/रूपाजी	---वही--	---वही--	मोहनलाल	32100
91	कालूराम/नानूराम	---वही---	---वही---	कैलाशचन्द्र, पुत्र	60132
92	भंवरीबाई/नानूराम	---वही---	---वही---	रामनिवाश, पुत्र	47471
93	बर्जीबाई/नथुलाल	चदौल	----वही---	रतनलाल	30600
94	रूकमनीबाई/रामलाल	---वही---	---वही---	अम्बालाल, पुत्र	41900
95	धापूबाई/नारायण	----वही---	----वही---	ब्रदीलाल, पुत्र	32000
96	ओमकारलाल/उदयराम	---वही---	---वही---	जगदीश, पुत्र	43100
97	उड्डा/नवाला	---वही---	---वही---	लक्ष्मीनारायण, पुत्र	40100
98	धौला/कालू	---वही---	---वही---	भारत, पुत्र	27800
99	घीसालाल/ओमकारलाल	----वही---	----वही---	अम्बालाल, पुत्र	35100
100	छतरीबाई/भेरूलाल	---वही---	---वही---	गोपाल, पुत्र	45000
101	गिरधारीलाल/रामनारायण	---वही---	---वही---	दिनेश, पुत्र	38900
102	बगदीराम/रामनारायण	---वही--	---वही--	प्रकाशचन्द्र, पुत्र	47200
103	गीताबाई/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	रमेशचन्द्र, पुत्र	26500
104	नगजीराम/प्यारजी	---वही---	---वही---	भेरूलाल	53800
				उप जोड़	**3304041**
वर्ष 2011-12					
105	बसंतीबाई/ज्ञान सिंह	चौथखेड़ा	---वही---	महेन्द्र सिंह, पुत्र	27000
106	राधकिशन/गिरधारी	---वही----	---वही---	दिनेश, पुत्र	23300
107	मंगीलाल/केशुराम	भदधदीया	----वही---	ओमप्रकाश, पुत्र	16700
108	रामप्यारीबाई/मंगीलाल	---वही---	---वही---	रमेशचन्द्र, पुत्र	29400
109	सुन्दरबाई/भवरलाल	---वही---	---वही---	ओमप्रकाश, पुत्र	16900
110	जयकुवार/छतरभुज	----वही---	----वही---	यशवंत, पोता	54071
111	मोतीलाल/कचरू	---वही---	---वही---	कैलाश, पुत्र	19557

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
112	जनकुवार/रामगोपाल	---वही---	---वही---	मुकेश, पुत्र	35600
113	रामप्रसाद/मंगीलाल	---वही---	---वही---	बाल गोपाल, पुत्र	35987
114	राधेश्याम/भीमा	---वही---	---वही---	गोपाल, पुत्र	25600
115	राधेश्याम/ख्याली	---वही---	---वही---	देवीलाल, पुत्र	14300
116	बसंतीबाई/बद्रीचन्द	---वही---	---वही---	शंकरलाल, पुत्र	18900
117	भवरलाल/प्रभुलाल	---वही---	---वही---	गोरधनलाल, पुत्र	26000
118	चौखीलाल/लक्ष्मन	---वही---	---वही---	एम पी पटीदार, पुत्र	16054
119	मंगीलाल/पन्नालाल	----वही---	----वही---	प्रेमसुख, पुत्र	47500
120	मेघराज/पन्नालाल	---वही---	---वही---	बग्दीराम	30300
121	धीसू/राथू	---वही---	---वही---	भेरूलाल, पुत्र	20600
122	छगनलाल/धनराज	---वही---	---वही---	नन्दकिशोर, पोता	9000
123	भवरलाल/भवानीलाल	----वही---	----वही---	गोपाल, पुत्र	31800
124	कवरलाल/मंगीलाल	---वही---	---वही---	ओमप्रकाश, पुत्र	23100
125	मंगीलाल/कचरू	----वही---	---वही---	दशरथ, पुत्र	46119
126	बापूलाल/कवरलाल	---वही---	----वही---	गोरधनलाल, पुत्र	46500
127	बंशीलाल/घन्सी	---वही---	---वही---	रामनारायण, पुत्र	28100
128	हजारीलाल/मोहनलाल	---वही---	---वही---	राकेश, पोता	38400
129	सुनील/जगदीश	----वही---	---वही---	प्रकाश	25800
130	बाबूलाल/रामनयन	कानखेड़ा-।	---वही---	अशोक, भाई	29500
131	प्रभुलाल/भवानीराम	---वही---	---वही---	मोहनलाल, पुत्र	39800
132	बसंतीलाल/गौरीलाल	---वही--	----वही---	मुकेश, पुत्र	49100
133	मोहनलाल/रतनलाल	---वही---	---वही---	मनोहरलाल	39300
134	मुकेश कुमार/कारूलाल	---वही---	---वही---	रमेश, भाई	31900
135	भगवंतीबाई/सालगराम	----वही---	---वही---	प्रहलाद, पुत्र	38200
136	कारूलाल/बौथलाल	---वही---	----वही---	रमेश, पुत्र	11300
137	चुन्नीलाल/रतनलाल	---वही---	---वही---	जगदीश, पुत्र	36000
138	ननीबाई/मथुरालाल	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	29700
139	राधेश्याम/भवानीराम	----वही---	---वही--	मोहन, पुत्र	12200
140	शान्तिलाल/रामनारायण	---वही---	---वही---	अशोक, भाई	34200
141	किशनलाल/रामचन्द्र	गिरधौरा	---वही---	गौतमलाल, पुत्र	26375
142	कन्हैयालाल/शंकर	----वही---	----वही---	महेश कुमार	34200
143	शान्तिबाई/जयनारायण	---वही---	---वही---	राजेन्द्र, पुत्र	15400
144	दुलीचन्द/कालूराम	---वही---	---वही---	रोहित, पुत्र	16900
145	भवरलाल/धन्नाजी	धानेरियाकला	---वही---	देवीलाल, पुत्र	20200
146	राधेश्याम/गनेश	---वही---	---वही---	कमलेश, पुत्र	20900
147	चन्दीबाई/मंगीलाल	---वही---	---वही---	मुकेश, पुत्र	9400
148	मूलचन्द/बबरू	---वही---	---वही---	गनपतलाल, पुत्र	13800
149	पानीबाई/छगनलाल	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	18700
150	मोहनलाल/मथुरालाल	भोलियाबाश	---वही---	मुकेश, पुत्र	22300

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
151	धापूबाई/हीरालाल	---वही---	----वही---	भगवानलाल, पुत्र	18000
152	बबरीबाई/प्रभुलाल	----वही---	---वही---	सुरेशचन्द्र	28200
153	रामा/धासी	दुलाखेड़ा	---वही---	विराम, पुत्र	22100
154	कालाबाई/उड्डाराम	---वही---	---वही---	कमल, पुत्र	12600
155	देवुबाई/गिरधारी	----वही---	----वही---	श्यामलाल, पुत्र	22600
156	बालमुकुन्द/ख्यालीराम	कानावती	---वही---	मुकेश, पुत्र	26300
157	रामप्रताप/जयचन्द	---वही---	---वही---	हरिओम	35900
158	प्रकाशचन्द्र/कालूराम	----वही---	----वही---	दिनेश कुमार, पुत्र	34770
159	मथारीबाई/नानूराम	---वही---	---वही---	जगदीशचन्द्र, पुत्र	9200
160	खेमराज/प्रभुलाल	---वही---	---वही---	श्यामलाल, पुत्र	23400
161	जयचन्द/दालूराम	---वही---	---वही---	मुकेश, पोता	10500
162	सीताबाई/बापूलाल	---वही---	---वही---	मुकेश, पुत्र	21500
163	देवीलाल/राधाकिशन	---वही---	---वही---	मुकेश, पोता	46200
164	धीसालाल/धुरीलाल	----वही---	----वही---	बद्रीलाल, पुत्र	19100
165	जमनालाल/झमकूबाई	---वही---	---वही---	श्यामसुन्दर, पुत्र	22300
166	कनीराम/ख्यालीराम	---वही---	---वही---	रामनारायण, पुत्र	34000
167	मोहनलाल/मोतीलाल	नेवाद	---वही---	भारत पवार,	31900
168	नान्दूबाई/गोरधनलाल	----वही---	----वही---	जगदीश	29700
169	रतनलाल/बाजेराम	---वही---	---वही---	दशरथ	20700
170	भवरलाल/शिवलाल	बोरखेडीकला	---वही---	भेरूलाल, पुत्र	23400
171	कंचनबाई/रामेश्वर	---वही--	---वही--	कमलेश, पुत्र	26400
172	नन्दूराम/ओमकार	---वही---	---वही---	शम्भुलाल, पुत्र	27700
173	भवरलाल/मूलचन्द	---वही---	---वही---	दशरथ, पुत्र	39900
174	मगनीबाई/कन्हैयालाल	---वही---	----वही---	तुलसीराम,पुत्र	18000
175	कन्कूबाई/छगनलाल	---वही---	---वही---	देवीलाल, पुत्र	27700
176	प्रभुलाल/रामा	---वही---	---वही---	भारतलाल, पुत्र	27100
178	तुलसीराम/ओमकार	---वही---	---वही---	कन्हैयालाल, पुत्र	48200
179	कमलीबाई/भगवान	---वही---	----वही---	नन्दलाल, भतीजा	9400
180	रामनारायण/गब्बूलाल	---वही---	---वही---	राम प्रसाद, पुत्र	16400
181	धापूबाई/नानूराम	दूरदर्शी	---वही---	शम्भुलाल, पुत्र	51317
182	कवरलाल/भागीरथ	---वही---	----वही---	राम प्रसाद, पुत्र	39600
183	हुडीबाई/श्रीलाल	---वही---	---वही---	धनश्याम, पुत्र	31400
184	हजारीलाल/लक्ष्मीचन्द	---वही---	---वही---	सत्यनारायण, पुत्र	19700
185	रतनलाल/भीमा	भददाडिया	---वही---	सुरेशचन्द्र, पुत्र	8200
186	धीसीबाई/बद्रीलाल	---वही---	---वही---	प्रेमसुख	5600
187	बाबूलाल/रतनलाल	----वही---	---वही---	श्यामलाल, पुत्र	23300
188	मथुरालाल/मोदा	---वही---	---वही---	मोहनलाल, पुत्र	27800
189	नारायण/नाथू	---वही---	---वही---	सुरेश, पुत्र	22000
190	लीलाधर/बालूराम	---वही---	---वही---	दशरथ, भाई	27000

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
191	इब्राहिम/फकीरा	----वही---	----वही---	सैद मौहम्म्द, पुत्र	26300
192	जगदीश/भवरलाल	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	20200
193	समंदबाई/रतनलाल	---वही---	---वही---	दशरथ, पुत्र	27910
194	कमलाबाई/रतनलाल	----वही---	---वही---	विष्णुलाल, पुत्र	25247
195	इन्द्राबाई/रामनारायण	---वही---	----वही---	अमृतराम,पुत्र	36000
196	नारायण/ओमकार	पीपलोन	---वही---	धनलाल, पुत्र	39000
197	नथुलाल/रामलाल	----वही---	---वही---	सत्यनारायण, पुत्र	25034
198	धनराज/शोभराम	---वही---	----वही---	शान्तिलाल, पुत्र	18000
199	अम्बालाल/मोहनलाल	---वही---	---वही---	जशवंत, भाई	21800
200	गोविन्दराम/मातीलाल	---वही---	---वही---	राजाराम, पुत्र	24900
201	मथुरालाल/रामलाल	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	37800
202	भगवान/छातामल	दायू	---वही---	रमेश, पुत्र	31100
203	कालू सिंह/गोविंद सिंह	---वही---	---वही---	प्रताप सिंह, पुत्र	39000
204	धीसाजी/धन्नाजी	----वही---	---वही---	सुरेशचन्द्र, पुत्र	31900
205	दौलतराम/छोटेलाल	---वही---	---वही---	सत्यनारायण, पुत्र	41300
206	मोदीराम/भेरूलाल	---वही---	----वही---	भागचन्द, पोता	22700
207	मोहनलाल/लाडूराम	---वही---	---वही---	लक्ष्मीनारायण, पुत्र	25500
208	कमलाबाई/तुलसीराम	----वही---	---वही---	विष्णुराम, पुत्र	41587
209	रामगीर/चेतनगीर	---वही---	----वही---	रधुनाथगीर, भाई	32400
210	कवरलाल/धूरा	---वही---	---वही---	शिवनारायण, पुत्र	42400
211	घासी/शंकर	----वही---	---वही---	दालूराम, पुत्र	47964
212	मंगीबाई/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	मदनलाल, पुत्र	46377
213	पुष्पाबाई/छगनलाल	---वही---	---वही---	सत्यनारायण, पुत्र	68645
				कुल योग	**3018114**
		मंदसौर-III			
2010-11					
1	भेरूलाल/ब्रदा	अकियाबिका भाग-II	मंदसौर-III	बंशीलाल, पुत्र	15200
2	इन्दरबाई/बरदा	---वही---	---वही---	क्रालाल, पुत्र	16600
3	ननीबाई/देवाजी	---वही---	---वही---	करूलाल	34100
4	धीसीबाई/भवरलाल	----वही---	----वही---	सीताराम, पुत्र	16237
5	लक्ष्मीनारायण/रामचन्द्र	----वही---	----वही---	कमलेश, भाई	21352
6	पन्नालाल/मोतीलाल	---वही---	---वही---	शान्तिलाल, पुत्र	20100
7	मंगीलाल/दौलतराम	---वही---	---वही---	नन्दलाल	22800
8	काशीबाई/दौलतराम	----वही---	----वही---	देवीलाल, पुत्र	18400
9	भवरलाल/देवीलाल	----वही---	----वही---	भगवान, पुत्र	33400
10	राम गोपाल/हीरालाल	---वही---	---वही---	चन्द्रशेखर, पुत्र	13900
11	मथुराबाई/मंगीलाल	---वही---	---वही---	दिनेशचन्द्र, पुत्र	28451
12	देबूबाई/बद्रीलाल	----वही---	----वही---	सुरेश, पुत्र	21700

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
13	कालूराम/देवीलाल	----वही---	----वही---	बालमुकुन्द, पुत्र	19500
14	चन्दीबाई/दयाराम	---वही---	---वही---	श्यामलाल	17400
15	पारसराम/तुलसीराम	---वही---	---वही---	मनोहरलाल, पुत्र	46400
16	विष्णुदास/श्रीदास	----वही---	----वही---	रामेश्वारदास, पुत्र	38900
17	कैलाशबाई/बगदीराम	----वही---	----वही---	श्यामलाल, पुत्र	15500
18	बालूसिंह/चैन सिंह	---वही---	---वही---	भारत सिंह	30697
19	दामोरदास/श्रीदास	---वही--	---वही---	दशरथ, पुत्र	21200
20	छतर कुवर/शभू सिंह	सेसड़ी	----वही---	बाने सिंह, पुत्र	20700
21	रामलाल/धूरा	---वही---	----वही---	सत्यनारायण, पुत्र	40786
22	जूझार/उड्डा	---वही---	---वही---	मंगीलाल, पुत्र	15800
23	भेरू सिंह/ गोपाल सिंह	----वही---	---वही---	विक्रम सिंह, पुत्र	34100
24	सुखीबाई/रामलाल	----वही---	----वही---	मंगीलाल	26100
25	ओमकारलाल/उड्डा डान्गी	बंसखेड़ी	----वही---	रामचन्द्र, पुत्र	44200
26	सीताराम/कचरू	---वही---	----वही---	जगदीश	29700
27	काशीबाई/शंकर	---वही---	---वही---	जगदीश, पुत्र	19000
28	बासूदेव/मोहनलाल	----वही---	---वही---	गोविन्दराम, भाई	36100
29	हुकुमलाल/मंगीलाल	----वही---	----वही---	गोविन्दराम, भाई	27500
30	कन्हैयालाल/मोहनलाल	---वही---	----वही---	दिनेश, पुत्र	39300
31	सीताबाई/रूपा	---वही---	---वही---	करन सिंह, पुत्र	27600
32	कवरलाल/हीरा	----वही---	---वही---	अमर सिंह, पुत्र	26300
33	कंचनबाई/मोहनदास	----वही---	---वही---	रामचन्द्र, पुत्र	18000
34	मोहनलाल/उड्डा	---वही---	----वही---	रामचन्द्र, पुत्र	9600
35	बालूदास/पूरनदास	---वही---	----वही---	कारूदास, पुत्र	29300
36	भुवानीराम/काना	----वही---	---वही---	राहुल, पुत्र	35100
37	किशनदास/रूपदास	----वही---	---वही---	अमर दास, पुत्र	18100
38	नाहरजी/कचरू	---वही---	----वही---	सत्यनारायण, पुत्र	15200
39	परमेश्वर/ भेरूलाल	---वही---	----वही---	जगदीश, भाई	20600
40	मोहनलाल/लक्ष्मन	----वही---	---वही---	मुकेश, पुत्र	22700
41	काशीबाई/मोन्डा	----वही---	---वही---	बद्रीचन्द्र, पुत्र	10800
42	बद्रीचन्द्र/भवरलाल	रतन पीपलिया	----वही---	जगदीश	32400
43	नन्दराम/राजाराम	---वही---	----वही---	आशाराम, पुत्र	42699
44	पूरा/नारायण	---वही---	---वही---	बिनोद, पुत्र	22022
45	कारूलाल/नन्दराम	----वही---	---वही---	कैलाशचन्द्र, पुत्र	33100
46	फकीरचन्द्र/प्रभुलाल	----वही---	----वही---	देवीलाल, भाई	34796
47	धीसाबाई/गंगाराम	---वही---	----वही---	कन्हैयालाल, पुत्र	34648
48	कमलाबाई/मंगीलाल	---वही---	---वही---	शिवनारायण, पुत्र	38375
49	देवीलाल/नारायण	----वही---	---वही---	अम्बलाल, पुत्र	44100
50	भवरीबाई/ओमकार	----वही---	----वही---	बिक्रम	22000
51	करबाई/मोरीराम	---वही---	----वही---	रमेश, पुत्र	18600

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
52	श्रीराम/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	नन्दकिशोर	20845
53	रामेश्वर/बालू	----वही---	---वही---	दीलिप, पुत्र	33242
54	लीलाबाई/तुलसीराम	----वही---	----वही---	श्यामलाल	46400
55	शान्तिबाई/मंगीलाल	---वही---	----वही---	फकीरचन्द	44900
56	भुवानीसिंह/अमरसिंह	---वही---	----वही---	उदयराम, भाई	35400
57	शंकरलाल/भवरलाल	----वही---	---वही---	बाबूलाल, पुत्र	41900
58	गोपाल/प्रभुलाल	----वही---	---वही---	मुकेश,पुत्र	15700
59	प्रभुलाल/नथु	हिन्गोरिया बादा	----वही---	सत्यनारायण, पुत्र	30900
60	उडेलाल/श्रीलाल	---वही---	----वही---	गोपाल, पुत्र	13000
61	रोरा/शंकर	---वही---	---वही---	शम्भुलाल, पुत्र	19965
62	भवरलाल/नन्दा	----वही---	----वही---	अमरलाल, पुत्र	25700
63	शंकरलाल, नन्दराम	----वही---	---वही---	राम प्रसाद, पुत्र	24482
64	सुखलाल/कुंवरलाल	---वही---	---वही---	रमेशचन्द्र	40600
65	बद्रीलाल/रामलाल	---वही---	----वही---	बद्रीलाल, पुत्र	32580
66	गीताबाई/कचरूलाल	----वही---	----वही---	कारूलाल	30600
67	समरथ/उदयराम	----वही---	---वही---	राधेश्याम	17100
68	अमरीबाई/कारूलाल	---वही---	---वही---	दीपक, पुत्र	11587
69	देवा/हीरा	---वही---	----वही---	दीपक	26900
70	बगदीराम/गोकुल	----वही---	----वही---	ओमप्रकाश, पुत्र	46800
71	रामरतन/नथु	----वही---	---वही---	मदनलाल	28000
72	बाला शंकर/बद्रीराम	---वही---	---वही---	दिनेश, पुत्र	27900
73	रामचन्द्र/ननूराम	---वही---	----वही---	रामनिवाश	27900
74	गंगाबाई/शंकरलाल	----वही---	----वही---	दुर्गालाल, पुत्र	17516
75	निर्भयराम/नन्दा	----वही---	---वही---	रमेश चन्द्र	24100
76	उदय सिंह/भुवानी सिंह	सुदवास	---वही---	श्याम सिंह	22809
77	नन्दकुंवर/शम्भु सिंह	---वही---	----वही---	दलपत सिंह	38900
78	बग्गीबाई/पन्ना	---वही---	----वही---	राजाराम, पुत्र	10400
79	उड्डा/गुलाब	----वही---	----वही---	जय सिंह, भाई	41400
80	लक्ष्मन/किशन	----वही---	---वही---	नागूलाल, पुत्र	42800
81	रतनीबाई/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	मंगीलाल, पुत्र	40000
82	रूकमनीबाई/नन्दा	---वही---	----वही---	राय सिंह, पुत्र	14700
83	भवरीबाई/ननूराम	----वही---	----वही---	प्रभुलाल, पुत्र	16909
84	बापूलाल/भगवान	----वही---	---वही---	श्रवण, पुत्र	23300
85	उदयराम/कचरू	---वही---	---वही---	कृष्णपाल, पुत्र	18100
86	करन सिंह/भगवान	---वही---	---वही---	श्रवण, भतीजा	24100
87	रमेशचन्द्र/अमरा	----वही---	----वही---	नगुलाल, पुत्र	8100
88	रमेशचन्द/भेरूलाल	----वही---	----वही---	लोकेश, पुत्र	14900
89	रेश्माबाई/कवरलाल	---वही---	---वही---	नागुलाल, पुत्र	43800
90	मोहन/किशन डंगी	---वही---	---वही---	बगदीराम, पुत्र	23276

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
91	रामलाल/जेतराम	----वही---	----वही---	मंगीलाल, भाई	9000
92	भवर सिंह/चौहान सिंह	----वही---	----वही---	शिव सिंह, पुत्र	11872
93	राधाबाई/नरसिंह	----वही---	---वही---	लोकेश, पुत्र	13600
94	हीरा/भेरू	---वही---	---वही---	रतनलाल, भाई	10600
95	हन्गामीबाई/कचरू	---वही---	----वही---	नानूराम, पुत्र	19800
96	नन्दूबाई/हेमराज	बरखेड़ा डांगी-I	----वही---	नर्भे सिंह, पुत्र	10500
97	भेरा/गुलाब	---वही---	---वही---	जुझारलाल, पुत्र	22053
98	मोतीलाल/डुंगा	----वही---	----वही---	नर्भे सिंह, पुत्र	25200
99	ओमकार/ नाथू	----वही---	----वही---	गोपाल, पुत्र	12500
100	कश्तुरीबाई/खेमराज	---वही---	---वही---	हरि सिंह, पुत्र	41000
101	रमेश/बगदीराम	---वही---	---वही---	समरथ, पुत्र	29700
102	काशीबाई/पूरा	----वही---	----वही---	राधेश्याम, पुत्र	23400
103	भेरूलाल/किशन	----वही---	----वही---	भगवान, भाई	27800
104	हरलाल/भवर	---वही--	---वही---	राधेश्याम	10800
105	धापूबाई/देवीलाल	---वही----	---वही---	अरूण शर्मा, पुत्र	13600
				कुल जोड़	**2707799**
वर्ष 2011-12					
106	चुन्नीलाल/बगदीराम	हन्थी बोलिया	----वही---	महेश	30900
107	कारूलाल/मंगीलाल	---वही---	---वही---	राधेश्याम	21300
108	श्रीलाल/देवा	---वही---	---वही---	कमल	26700
109	जुझारलाल/मंगीलाल	----वही---	----वही---	राधेश्याम	10500
110	भारत सिंह/मोहनलाल	----वही---	----वही---	देवीलाल	23200
111	उड्डा/अमरा	---वही---	---वही---	नरसिंह	40200
112	नारायणीबाई/बालू	---वही---	---वही---	हीरालाल, पुत्र	11724
113	जुझार/मोतीलाल	----वही---	----वही---	नरसिंह	44200
114	कौश्ल्याबाई/नागेन्द्र प्रसाद	----वही---	----वही---	अनील शर्मा	16100
115	नरसिंह/मंगीलाल	---वही---	---वही---	रामेश्वर	32700
116	बद्रीचन्द/प्यारा	---वही---	---वही---	मुकेश	11400
117	हुदीबाई/अमरा	----वही---	----वही---	भगतराम	34600
118	तुलसीराम/भेरूलाल	----वही---	----वही---	कमल सिंह	44900
119	लाल सिंह/लक्ष्मन	---वही---	---वही---	मदनलाल	27900
120	इन्दर सिंह/भेरू डंगी	---वही---	---वही---	रतनलाल	26800
121	चेना/किशन	----वही---	----वही---	पप्पू डांगी	26500
122	कस्तूरीबाई/प्यारा	----वही---	----वही---	मुकेश	21700
123	मोतीलाल/खेमा	---वही---	---वही---	नरसिंह	17300
124	धन्ना/नाथू	---वही---	---वही---	भारतलाल	33100
125	रामश्वर/बालूराम	----वही---	----वही---	जुझारलाल	27700
126	मगानीबाई/भवरलाल	----वही--	---वही---	जुझारलाल	51700
127	रतनलाल/भेरू	---वही---	---वही---	राम सिंह	28800

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
128	जगदीशचन्द/बद्रीलाल	संजीत	----वही---	लक्ष्मी नारायण	13400
129	सोहनबाई/मंगीलाल	---वही---	----वही---	रमेश	35100
130	धापूबाई/बद्रीलाल	---वही---	---वही---	जगदीश, पुत्र	36428
131	श्यामाबाई/भेरूलाल	----वही---	---वही---	नन्दलाल	20653
132	गफूर बी/फारीद खान	----वही---	----वही---	राशिद खा	17100
133	भारतलाल/देवीलाल	अरानिया जातिया	----वही---	नन्द किशोर	40100
134	शंकरलाल/ननूलाल	---वही--	----वही---	भारत	23100
135	बन्शीलाल/मंगीलाल	---वही--	---वही---	पप्पू	41300
136	रासलकुवर/चेनससिंह	सुधार बोलिया	---वही---	कमल सिंह	19100
137	ननूराम/नन्दा	---वही---	----वही---	अमृत राम, पुत्र	17600
138	रधुराथ/उड्डा	---वही---	----वही---	अमारा	18700
139	कन्कुबाई/कारूलाल	----वही---	---वही---	शंकरलाल, पुत्र	20277
140	ललीताबाई/भूलीबाई	----वही---	---वही---	आन्नद कुमार	15900
141	देबूबाई/भेरूलाल	----वही---	---वही---	लवकुश	29600
142	सूरजबाई/सीताराम	पीपलखेडी	----वही---	चम्पालाल	14700
143	नाथू/भुवन	---वही---	----वही---	पारस राम	31500
144	अमर सिंह/विक्रम	---वही---	---वही---	रमेश चन्द्र	31400
145	किशनलाल/प्यारा	----वही---	---वही---	बालू	33000
146	कवरलाल/डोला	----वही---	----वही---	राय सिंह	20500
147	रंगलाल/डोला	---वही---	----वही---	कुशकुमार	23800
148	नरसिंह/चम्पा	---वही---	---वही---	अर्जुन	19800
149	बगदीराम/जदब बाई	----वही---	---वही---	भेरूलाल	39000
150	रमेश/किशनलाल	----वही---	----वही---	बालू	36900
151	मंगीलाल/दौलत राम	अकिया ढीका भाग-।	----वही---	मनोहरलाल, भाई	12317
152	रूगनाथ/ओमकार सिंह	---वही---	---वही---	पर्वत सिंह	18000
153	भवरबाई/कालूदास	---वही---	---वही---	हरिदास बैरागी	19400
154	खेमराज/मंगीलाल	----वही---	----वही---	गोविन्द	22400
155	भगतराम/चुन्नीलाल	----वही---	----वही---	राम प्रहलाद, पुत्र	18600
156	भेरू/मेधा	---वही---	---वही---	कैलाश	7400
157	लीलाबाई/रामचन्द्र	---वही---	---वही---	कारूलाल, पुत्र	12700
158	धापूबाई/सुखलाल	----वही---	----वही---	दिनेश	26500
159	रूकमनबाई/अम्बालाल	----वही---	----वही---	सीताराम	22300
160	भेरूलाल/चुन्नीलाल	---वही---	---वही---	नन्द किशोर	25100
161	भागीरथ/चुन्नीलाल	---वही---	---वही---	प्रकाश	18400
162	रमेश/भगतराम	----वही---	----वही---	श्रीराम	17400
163	पन्नालाल/मोतीलाल	----वही---	----वही---	शान्तिलाल, पुत्र	25600
164	कवरलाल/भगतराम	---वही--	----वही---	धनश्याम, भाई	15500

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
165	कवरलाल/केशुराम	---वही---	---वही---	भवरलाल, पुत्र	15000
166	राधाकिशन/नारायण	छायन	---वही---	मोहन	19200
167	राधाबाई/गंगाराम	---वही--	----वही---	बापूलाल	43100
168	सीताबा/किशनलाल	---वही---	----वही---	बाबूलाल	53000
169	रामदयाल/लालूराम	मगराना	---वही---	मुकेश, भाई	32800
170	राधाकिशन/दौलतराम	---वही---	----वही---	घनश्याम	13300
171	अनोखीलाल/हजारीलाल	---वही---	----वही---	पप्पू	21100
172	रामकुवर/मंगीलाल	----वही---	---वही---	प्रकाश	12600
173	राधेश्याम/कन्हैयालाल	----वही---	---वही---	ईश्वरलाल	17800
174	रामलाल/अमरा	---वही---	----वही---	कैलाश	19100
175	मंगीलाल/हीरा	---वही---	----वही---	राधेश्याम	29200
176	कालूदास/नारायणदास	----वही---	---वही---	सुरेशदास	19200
177	नथुलाल/दौलतराम	----वही---	---वही---	घनश्याम	22200
178	नागा/चुन्या चामर	---वही---	----वही---	जमनालाल	13000
179	गीताबाई/राधाकिशन	---वही---	----वही---	भुवानीराम, पुत्र	35563
180	सोहनलाल/गनपत	----वही---	---वही---	कारूलाल	17100
181	प्रभुलाल/गेन्दीबाई	----वही---	---वही---	हरिशचन्द्र	13000
182	रतन /बगदू	---वही---	----वही---	गोविन्द	21600
183	मंगीलाल/रामकिशन	---वही---	----वही---	विनोद कुमार, पुत्र	30099
184	कैलाशचन्द्र/रामरतन	----वही---	---वही---	दौलतराम, भाई	40700
185	रेवा शंकर/भगवान	----वही---	---वही---	बंशीलाल	29200
186	कन्हैयालाल/भवरलाल	---वही---	----वही---	बिनोद, पुत्र	17400
187	बालमुकुन्द/रामरतन	---वही---	----वही---	नन्दकिशोर	27100
188	मंगीलाल/पारसराम	----वही---	---वही---	अम्बालाल	27300
189	भगतराम/मूलचन्द	----वही---	---वही---	गोपाल	36900
190	रंचीबाई/ओमकारलाल	---वही---	----वही---	नन्दराम	18300
191	कन्हैयालाल/हरलाल	---वही---	----वही---	दिनेश	13400
192	प्रतापबाई/मंगीलाल	----वही---	----वही---	कारूलाल	18700
193	गणेशराम/कन्हैयालाल	----वही---	---वही---	ईश्वरलाल	23300
194	जमनालाल/देवराम	----वही---	---वही---	प्रेम प्रकाश	13900
195	शिवनारायण/रामप्रताप	---वही---	----वही---	सुन्दर लाल	14400
196	कोश्ल्याबाई/रामदयाल	---वही---	----वही---	गोविन्दराम	17395
197	धापूबाई/भंवरलाल	----वही---	---वही---	मूलचन्द	25323
198	बेर्दीचन्द/रतनलाल	----वही---	---वही---	ईश्वरलाल	10300
199	मंगीबाई/मगनीराम	---वही---	---वही---	भागीरथ	28876
200	रायसिंह/लालू	रूपारेल	----वही---	दीलिप	30200
201	मोहनकुवर/मदन सिंह	----वही---	----वही---	श्रवण सिंह	32700
202	रामा/कचरू	---वही---	---वही---	बिनोद	17100
203	कवरलाल/भवरलाल	---वही---	---वही---	नरसिंह, पुत्र	27200

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
204	बधु/भुवन	----वही---	----वही---	रामलाल, पुत्र	28900
205	सामदबाई/भवरलाल	----वही---	----वही---	रमेशचन्द्र, पुत्र	18900
206	नन्दलाल/रतनलाल	----वही---	---वही---	बद्रीलाल, भाई	25100
207	रतन/अमरा	-----वही---	---वही---	बद्रीलाल, पुत्र	30600
208	कालाबाई/भागीरथ	---वही---	----वही---	मुकेश, पुत्र	29000
209	मोत्याबाई/जय सिंह	आरदी	----वही---	बलवंत सिंह	24300
210	प्रेम सिंह/गिरवर सिंह	----वही---	---वही---	सीतल सिंह	31400
211	प्यारीबाई/गोबर सिंह	---वही---	---वही---	भोपाल सिंह	32200
212	भवरबाई/मंगु सिंह	---वही---	----वही---	अर्जून सिंह	24900
213	बापू सिंह/देवी सिंह	----वही---	----वही---	राजेन्द्र सिंह	24800
214	प्रेम सिंह/कालू सिंह	----वही---	---वही---	भगत सिंह	13800
215	भारत सिंह/राम सिंह	----वही---	---वही---	गोविंद सिंह, पुत्र	23508
216	सम्पत बाई/भागू सिंह	---वही---	----वही---	भारत सिंह	30300
217	कचरीबाई/भूना	गरनाई	----वही---	बिनोद	19900
218	किशनलाल/रामलाल	---वही--	---वही---	बीराम	17100
219	शान्तिबाई/प्यारा	---वही---	---वही---	भगवानलाल	22400
				उप जोड़	**2818108**
			जौरा-II		
वर्ष 2010-11					
1	हीरा लाल/शोभा राम	रोजाना-II	जौरा-II	लक्ष्मी नारायण पुत्र	34900
2	बालाराम/भेरूलाल	--वही--	वही	भारत लाल पुत्र	40200
3	किशनलाल/दुलचंदजी	वही	वही	लक्ष्मीचन्द भाई	18700
4	पीलूबाई/रामलाल	वही	वही	नन्दराम	30800
6	मोहनलाल/कालूराम	वही	वही	फूलचन्द पुत्र	18900
7	पन्नालाल/बगदीराम	वही	वही	कंचन लाल पुत्र	18100
9	नन्दलाल/भेरूलाल	वही	वही	गौरीशंकर पुत्र	12600
10	सुन्दरबाई/हेमराज	वही	वही	घनश्याम पुत्र	42500
11	पन्नालाल/केशुराम	वही	वही	राधेश्याम पुत्र	45200
12	दरियाबाई/मेवालाल	वही	वही	भेरूलाल पुत्र	28300
13	अर्जुन/भवरलाल	वही	वही	रिशवा, भतीजा	25400
14	भेरू/गंगाराम	दबदिया		कन्हैयालाल पुत्र	30200
15	बाबूलाल/लक्ष्मीनारायण	--वही--	--वही--	ओमकार पुत्र	31300
16	नन्दराम/कानीराम	वही	वही	समरथ पुत्र	45200
17	अम्बाराम/जूझार	वही	वही	समरथ पुत्र	42400
18	रंगलाल/हीरालाल	वही	वही	देवीलाल पुत्र	30500
19	गोकुल/गोविन्द	वही	वही	रामेश्वर पुत्र	46000
20	हरीराम/अमरचन्द	वही	वही	राधेश्याम	31900
21	कचरू/बालाराम	--वही--	--वही--	दिनेशचन्द्र पुत्र	42100
22	भवरलाल/हीरालाल	वही	वही	मूलचन्द पुत्र	46100

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
23	भुलीबाई/सुखलाल	वही	वही	रधूनाथ पुत्र	42700
24	दौलतराम/भेरा	वही	वही	मोहनलाल अंकल	33000
25	गंगाराम/जुझार	वही	वही	बिनोद पुत्र	46600
26	मोहनलाल/जुझार	वही	वही	प्रकाश पुत्र	44900
27	कालूलाल/हीरा	वही	वही	संजय पुत्र	49500
28	दुर्गालाल/गंगाराम	वही	वही	रीना पुत्री	44800
29	कमलाबाई/रतनलाल	वही	वही	गोपाल पुत्र	31900
30	भुलीबाई/भगवान	बिलन्दपुर	वही	वीर सिंह	18568
31	बालमुकुन्द/कालू	बामनखेड़ी	वही	कचरूलाल पुत्र	35375
32	रामकान्याबाई/जगनाथ	वही	वही	शंकरलाल पुत्र	34852
33	केसीबाई/रामा	वही	वही	राधेश्याम पुत्र	27700
34	शंकरलाल/हेमराज	वही	वही	बालाराम पुत्र	28152
35	रामचन्द्र/चैनराम	गोन्डी धारमसी	वही	ओमप्रकाश पुत्र	33006
36	चिमनलाल/पारसराम	वही	वही	नागेश्वर पुत्र	30327
37	नपीबाई/नन्दलाल	वही	वही	बापूलाल पुत्र	50424
38	ओमकारलाल/पारसराम	वही	वही	भगवतीलाल पुत्र	34217
39	मूलचन्द/राधाकिशन	वही	वही	दिनेश पुत्र	36170
40	बद्रीलाल/पन्नालाल	वही	वही	जगदीश पुत्र	25106
41	गीताबाई/कन्हैयालाल	वही	वही	राधेश्याम पुत्र	31500
41	बालूराम/नाथूराम	वही	वही	नागेश्वर पुत्र	24620
42	गेन्दालाल/ननूराम	वही	वही	बालाराम पुत्र	47965
43	कन्हैयालाल/राधाकिशन	वही	वही	नानालाल पुत्र	34384
44	सोहनबाई/हजारीलाल	वही	वही	शान्तिलाल पुत्र	30026
45	गंगाबाई/नथुलाल	वही	वही	रामकिशन पुत्र	19665
46	यमुनाबाई/शंकरलाल	वही	वही	ऊमेदराम पुत्र	19147
47	रामीबाई/रामेश्वर	वही	वही	मोहनलाल पुत्र	51830
48	बसंतीलाल/चम्पालाल	वही	वही	कमलेश पुत्र	11600
49	भवर सिंह/केशर सिंह	दौलतगंज	वही	बालू सिंह पुत्र	33800
50	जवान सिंह/शिव सिंह	वही	वही	नेपाल सिंह पुत्र	41500
51	सरदार सिंह/मोती सिंह	वही	वही	बद्री सिंह पुत्र	36300
52	नोजान बाई/पर्वत सिंह	वही	वही	कालू सिंह पुत्र	47100
53	गंगा सिंह/भुवानी सिंह	वही	वही	दीलीप पुत्र	46400
54	राजाबाई/मान सिंह	वही	वही	शंकर सिंह	46800
55	धापूभाई/देवीलाल	वही	वही	राजेश पुत्र	37500
56	रामा/देवा	मनुनिया	वही	सुन्दरलाल मुखिया	2180
57	सुन्दर बाई/लालू	वही	वही	शंकरलाल	19900
58	लक्ष्मन/कालू	वही	वही	दशरथ पुत्र	24200
59	अर्जुन सिंह/भवर सिंह	वही	वही	जितेन्द्र सिंह	19100
60	गट्टूबाई/नन्दा	नवेली	वही	जुझार पुत्र	19219

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
61	गुलाब/कमल सिंह	वही	वही	अनर सिंह पुत्र	24500
62	भागीरथ/रामा	वही	वही	गणेशलाल मुखिया	11900
63	भूलीबाई/जुझार	वही	वही	गणेशलाल मुखिया	11100
64	रामनयन/कचरू	वही	वही	राम प्रसाद पुत्र	19900
65	गोरधन सिंह/फते सिंह	वही	वही	बलवंत सिंह पुत्र	21300
66	प्रेम सिंह/मेहताब सिंह	वही	वही	दायू सिंह पुत्र	34500
67	शम्भू सिंह/हरी सिंह	वही	वही	कमल सिंह	13500
68	रामकन्या/नन्दराम	वही	वही	कारू सिंह पुत्र	26065
69	रामा/रूगनाथ	वही	वही	मुकेश पुत्र	13900
70	लीलाबाई/राजाराम	वही	वही	कचरूलाल पुत्र	39201
71	भेरूलाल/केशोराम	वही	वही	बद्रीलाल	33700
72	प्रभुलाल/मगनबाई	वही	वही	सुरेश पुत्र	28300
73	राधेश्याम/नथुलाल	वही	वही	ईश्वरलाल पुत्र	24400
74	भीम सिंह/लाल सिंह	वही	वही	पुत्र	22900
75	मंगीलाल/रंछौड़	वही	वही	दिनेश पुत्र	42600
76	पन्नालाल/कवरलाल	वही	वही	प्रकाश पुत्र	31300
77	हम्मूबाई/भवरलाल	जेथना	वही	पर्वत सिंह	11800
78	श्यानीबाई/मन्नालाल	वही	वही	अमृतलाल पुत्र	9300
79	समीता/चम्पालाल	वही	वही	रामनाथ पुत्र	9000
80	नारायण/मन्नालाल	वही	वही	शंकरलाल भाई	11100
81	शंकर/भेरू	वही	वही	देवी सिंह पुत्र	9900
82	ओमकारलाल/प्राथा	वही	वही	कारूलाल पुत्र	9800
83	कानीराम/नन्दा	वही	वही	रमेशचन्द्र	9500
84	भवरकुवर/नगु सिंह	वही	वही	पुत्र	8700
				कुल योग	**2495999**
वर्ष 2011-12					
85	जूवन सिंह/शिव सिंह	दौलतगंज	वही	नेपाल सिंह पुत्र	26600
86	राजाबाई/मानसिंह	वही	वही	शंकर सिंह	30700
87	धापूबाई/देवीलाल	वही	वही	राजेश पुत्र	43600
88	साधु सिंह/गिरवर सिंह	बिनोली	वही	मगू सिंह मुखिया	18219
89	इन्दु सिंह/हिन्दु सिंह	वही	वही	मगू सिंह मुखिया	22500
90	किशोर सिंह/चतर सिंह	वही	वही	विक्रमसिंह पुत्र	27100
91	कमल कुवर/चतर सिंह	वही	वही	पुत्र	43100
92	जुझार/रूपा	वही	वही	सुरेश पुत्र	15200
93	बिसराम/नन्दा	बेलारा	वही	हरीराम पुत्र	32300
94	गीताबाई/दुर्गा शंकर	पतन	वही	धन्नालाल पुत्र	21688
95	जगनाथ/भेरा	वही	वही	प्रबुलाल पुत्र	42300
96	रामीबाई/मंगी	वही	वही	पुत्र	29600
97	देवीलाल/बालमुकुन्द	वही	वही	तेज सिंह मुखिया	41900

क्रम सं.	खेतिहरों का नाम	गांव	डीओओ	प्राप्तकर्त्ता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
98	भूलीबाई/कचरू	वही	वही	गोपाल पुत्र	52368
99	कान्तीलाल/नन्दकिशोर	चीपिया	वही	बालाराम मुखिया	25987
100	प्रसादीबाई/उदयराम	वही	वही	किशनदास पुत्र	28100
101	लीलाबाई/किशन	वही	वही	नन्दलाल पुत्र	16242
102	गीताबाई/कवरलाल	वही	वही	शिवनारायण पुत्र	17275
103	रामचन्द्र/प्यारचन्द	वही	वही	लोकेश पुत्र	22900
104	बसंतीबाई/नन्दा	वही	वही	भगवतीलाल पुत्र	27582
105	बवरलाल/बगदीराम	झलवा	वही	गोरधन पुत्र	14300
106	नागु/डोला	वही	वही	चीमनलाल पुत्र	12900
107	मोहन/नथु	वही	वही	प्रहलाद पुत्र	21300
108	मोहन/केशुराम	वही	वही	गनपती	22500
109	रामनारायण/रतनलाल	वही	वही	कन्हैया लाल पुत्र	19710
110	अनोखीलाल/गंगाराम	सेमालिया	वही	राधेश्याम	31900
111	लाल सिंह/करन सिंह	वही	वही	गोरधन सिंह पुत्र	32600
112	राम्भाबाई/भवरलाल	वही	वही	सत्यनारायण	28100
113	लीलाबाई/नन्दकिशोर	वही	वही	भवरलाल	41300
114	हरी सिंह/करन सिंह	वही	वही	प्रेम सिंह	39500
				उप जोड़	**8,49,371**
				कुल योग	**1,51,94,432**

परिशिष्ट 30 (पैरा सं.6.13.11)

खेतीहरों के अलावा किया गया भुगतान

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
			वहीO, भिलवारा		
2010-11					
1	मंगी बाई/हरदेव	खाजीना	बीजोलिया/कोटरी	सवर	33600
2	श्यामलाल/श्रीराम	खाजीना	-वही-	चुन्नीलाल	34000
3	रामेश्वर/गोपी	खाजीना	-वही-	राम लाल	43900
4	सूरजमल/रामसुख	खाजीना	-वही-	शंकर लाल	45500
5	रामपाल/बालू	खाजीना	-वही-	प्रभू लाल	44700
6	जोधा/भूरा	नीम्बोध	-वही-	शिवनारायण	18400
7	भंवर/बूला	नीम्बोध	-वही-	नरेन्द्र	29700
8	प्रभुलाल/शिव लाल	नीम्बोध	-वही-	दिनेश	17500
9	अमकू बाई/मौजी	नीम्बोध	-वही-	रंगलाल	27400
10	भोला/छतरभुज	नीम्बोध	-वही-	किशन लाल	39300
11	देवी लाल/भेरू लाल	नीम्बोध	-वही-	मुरली	24300
12	दखी बाई/गोघा	भट्खेडी	-वही-	भगवानजी	23400
13	नारायण लाल/जय राम	भट्खेडी	-वही-	रतनलाल	45900

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
14	मंगी/बर्धा	भट्खेडी	-वही-	रत्तन	42800
15	लालू/लैला	भट्खेडी	-वही-	शंकर	24800
16	रत्ता/डोन्कल	दौलतपुरा	-वही-	पप्पूलाल	25400
17	सोहानी/धन्ना	दौलतपुरा	-वही-	तुलसी	24400
18	उदय लाल/हीरा	दौलतपुरा	-वही-	हजारी	44200
19	भंवर लाल/हेमराज	दौलतपुरा	-वही-	नन्दलाल	41400
20	गेंदीगोपी/	दौलतपुर	-वही-	बद्री	30400
21	बालीबाईनाना/	अनूपपुरा	-वही-	उमाशंकर	28400
22	मांगी बाईमंगू/	अनूपपुरा	-वही-	रामू	30600
23	मदनबालू/	अनूपपुरा	-वही-	शान्तिलाल	33400
24	प्यारी बाईचोगा/	अनूपपुरा	-वही-	कमलेश	36700
25	बरजीबाईजगनाथ/	अनूपपुरा	-वही-	अर्जुन	52800
2011-12					
1	प्यारीबाक्स/	सामरो का लेवा	बेगू	धान्ना	34700
2	दिनेशदेवीलाल/	सामरो का लेवा	बेगू	कैलाश	26400
3	नारायणउदा/	कंथारिया	बेगू	माधोलाल	37400
4	लक्ष्मा/ गोपी	कंथारिया	बेगू	भगवती	24800
5	भोलाराप्या/	कंथारिया	बेगू	नंदकिशोर	38700
6	नानीबाईरूपलाल/	कंथारिया	बेगू	शंकर	32300
7	झुमकारंगलाल/	निम्बोदा	रावतभाटा	रंगलाल	35200
8	गोरीलालअमर/ चंद	निम्बोदा	रावतभाटा	उदय	35600
9	भोला चतुर्भूज/	निम्बोदा	रावतभाटा	किशन	35600
10	चुन्नीलाल भूरा/	निम्बोदा	रावतभाटा	प्रकाश	47800
11	केरिंगअमरचंद/	तकरदा	रावतभाटा	देवीलाल	26900
12	दुंगाचूना/	तकरदा	रावतभाटा	विनोद	45100
13	कमलीनारायण/	तकरदा	रावतभाटा	शान्तिलाल	43700
14	प्रभुशाला/	तकरदा	रावतभाटा	भीमराज	35100
15	मनीरामप्रेमा/	तकरदा	रावतभाटा	बालूराम	40100
16	मगनउदा/	लोंडियाना	मंदलगढ़	नागना	40400
17	हरलालरूपा/	लोंडियाना	मंदलगढ़	रामेश्वर	41300
18	सुन्दीबाईरूपा/	लोंडियाना	मंदलगढ़	नन्दलाल	22600
19	रामचन्द्रउदा/	लोंडियाना	मंदलगढ़	भेरू	19000
20	कानामेघा/	लोंडियाना	मंदलगढ़	किरमल	42800
21	नन्दा मोहन/	स्वाईपुर	मंदलगढ़	श्याम	32400
22	नानीबाईसुन्दा/	स्वाईपुर	मंदलगढ़	बंशीलाल	44100
23	लाइसुन्दा/	स्वाईपुर	मंदलगढ़	चंदमल	46100
24	गट्टूबाईकालू/	कबरी	जहाजपुर	रावण	29600
25	देवीलालमंगी/	कबरी	जहाजपुर	सीमाराम	45200
26	कुमाबाईसंग्राम/	कबरी	जहाजपुर	गोपाल	30600

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
27	छोट्टीबालू/	कबरी	जहाजपुर	भूरा	39800
				उप जोड़	**1811200**
		डीओओ काटा			
2010-11					
1	मोतया	धमानिया	चीपबारोड	पुत्र	26900
2	कजोर	धमानिया	चीपबारोड	पुत्र	33800
3	नरोत्तम	धमानिया	चीपबारोड	संबंधी	21600
4	चम्पाबाई	धमानिया	चीपबारोड	पुत्र	34700
5	गिरराज	धमानिया	चीपबारोड	भाई	46100
6	नवलसिंह	धमानिया	चीपबारोड	संबंधी	40500
7	नरायणलाल	देलानपुर	चीपबारोड	पुत्र	30000
8	राधाकृष्ण	देलानपुर	चीपबारोड	पुत्र	15200
9	बक्शी	बालूखेड़ी	चीपबारोड	पुत्र	33200
10	गुलाब बाई	बालूखेड़ी	चीपबारोड	पुत्र	4200
11	किशोर	गंगती	चीपबारोड	पुत्र	14000
12	रातरत्तन	गंगती	चीपबारोड	पुत्र	14800
13	देवलाल	गंगती	चीपबारोड	पुत्र	3100
14	भूरालाल	गंगती	चीपबारोड	भाई	20200
15	केशरबाई	गंगती	चीपबारोड	पोता	5300
16	मोहन लाल	चछोड़ा	छब्रा	मुखिया	3600
17	नारायण	चछोड़ा	छब्रा	मुखिया	3500
18	धनालाल	चछोडा	छाबरा	पुत्र	4200
19	ईश्वरलाल	पीपलखेडी	छाबरा	भाई	3700
20	जगनाथ	केदियानोहार	छाबरा	पुत्र	6500
21	धन्नी बाई	भोलू	रामगंजमण्डी	मुखिया	9900
22	सुनिताबाई	भोलू	रामगंजमण्डी	मुखिया	11600
2011-12					
1	रामचरण	रसूलपुरा	झालाबार	पुत्र	27200
2	रानीप्रसाद	रसूलपुरा	झालाबार	पुत्र	31700
3	पौनीबाई	देहलांनपुर	चिपाबरोड	पुत्र	20700
4	मथुरालाल	देहलांनपुर	चिपाबरोड	पुत्र	42500
5	ओमकार	देहलांनपुर	चिपाबरोड	पुत्र	22600
6	रामप्रसाद	फलिया	छाबरा	पुत्र	32100
7	रामनाथ	भोलू	-	पुत्र	16300
8	रघुनाथीबाई	रूपरेल	छाबरा	पुत्र	31800
9	रंगलाल	उमेदगंज	झालावार	भाई	30900
10	रामदयाल	रूपारेल	छाबरा	धनराज	30300
11	अमरलाल	रूपारेल	छाबरा	बलराम	2800
12	बाबू लाल	रूपारेल	छाबरा	गिरराज	38900
13	कस्तूरी बाई	रूपारेल	छाबरा	हरीराम	27800

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
14	जलम सिंह	रूपारेल	छाबरा	हरीचरन	39300
15	गजराजसिंह	रूपारेल	छाबरा	लक्ष्मी चन्द	44600
16	प्रभु लाल	रूपारेल	छाबरा	नन्दकिशोर	32100
17	अशोक कुमार	उमेदगंज	झालावार	सोदान	21300
				उप जोड़	**879500**
		डीओओ प्रतापगढ़			
2010-11					
1	अम्बालालसूवालाल/	यशवंतपुरा	प्रतापगढ़	सूवालाल	26400
2	देवीलालरघुनाथ/	यशवंतपुरा	प्रतापगढ़	अशोक	40500
3	सीताबाईरामप्रताप/	यशवंतपुरा	प्रतापगढ़	कैलाशचन्द	28400
4	रमेशचन्दसावा/	यशवंतपुरा	प्रतापगढ़	मुकेश	43900
5	गुलीबाईश्रीलाल/	कमालिया	प्रतापगढ़	कमलसिंह	14300
6	ईश्वरसिंहझूझारसिंह/	कमालिया	प्रतापगढ़	नेपालसिंह	40500
7	हीरादासअम्बा/ दास	कमालिया	प्रतापगढ़	भगवानदास	21700
8	मोहन लाललालमन्ना/	कमालिया	प्रतापगढ़	पोकरमल	24200
9	चम्पालालराजपृथ्वी/	कमालिया	प्रतापगढ़	पोकरमल	55400
10	रामामोतीलाल/	रजोरा	प्रतापगढ़	दशरथ	32000
11	शंकरलालसुखलाल/	रजोरा	प्रतापगढ़	कमलेश	30000
12	ओकारबंदालाल/	नगदेरा	अरनोद	दशरथ	19000
13	पोकरमलजादूराम/	नगदेरा	अरनोद	दशरथ	24200
14	घनश्यामबालमुकंद/	नगदेरा	अरनोद	दशरथ	42400
15	धूमरीबाईहमीरभाई/	नगदेरा	अरनोद	हमीर	21600
16	मैक्सूराप्या/	नगदेरा	अरनोद	भेरूलाल	44300
17	धापियूबाईनागा/	नगदेरा	अरनोद	बद्री	17300
18	प्रभुलालआनंदी/	नगदेरा	अरनोद	पूनामूश्कर	34400
19	गंगारामकेशूराम/	मोहेदा	अरनोद	रतनलाल	15300
20	सीताबाईचम्पा/	मोहेदा	अरनोद	कचरूलाल	13600
21	कमलाबाई रतन/	मोहेदा	अरनोद	किशोर	45000
22	गोरधनरकस्तू/	पदूनी	अरनोद	मुन्नालाल	28800
23	विष्णूहीरा/	पदूनी	अरनोद	विक्रम	13100
24	निहालबाई	पदूनी	अरनोद	शंकरलाल	32200
25	हरीरामकक्का/	पदूनी	अरनोद	भगवान	29400
26	लीलाबाईशंकर/	पदूनी	अरनोद	श्यामलाल	18100
27	विक्रमरतन/	पदूनी	अरनोद	बलराम	35300
28	हीरालाला/	पदूनी	अरनोद	विक्रम	29800
29	रामेश्वरनाथू/	पदूनी	अरनोद	भंवरलाल	33300
30	ओमप्रकाशरतन/	पदूनी	अरनोद	बलराम	27500
31	गोबीलालरकस्तू/	पदूनी	अरनोद	भूवन	43300
32	चम्पालालपन्ना/	गोथरा	छोटी सदरी	पूनम	29100

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
33	बद्रीचन्दउदसी/	गोथरा	छोटी सदरी	पूनम	18500
34	भूराकालू/	गोथरा	छोटी सदरी	झमरूलाल	14200
35	सुन्दरबाईनारू/	गोथरा	छोटी सदरी	ओंकार	13900
36	लच्छीरामउदा/	गोथरा	छोटी सदरी	पृथ्वीराज	38900
37	सुहागीबाई	गोथरा	छोटी सदरी	मोतीलाल	37800
38	मूलचन्दबाबूलाल/	गोथरा	छोटीसदरी	तुलसीराम	13500
39	भगतरामभंवर/	गोथरा	छोटी सदरी	कमल	33200
40	मंगीलालघासी/	स्वरूपगंज	छोटी सदरी	लालचन्द	21500
41	भगवतीबाई भवंर/	स्वरूपगंज	छोटी सदरी	किशन	23700
42	छगनीबाई चर्तुभुज/	स्वरूपगंज	छोटी सदरी	श्याम लाल	30200
43	गंगाबाईलालचम्पा/	स्वरूपगंज	छोटी सदरी	गोपाल	42000
44	मंगूबाईलेखराज/	करूंदा	छोटी सदरी	झमकू लाल	20300
45	बगदीरामगणेश/	करूंदा	छोटी सदरी	धनराज	36200
46	नाथू चतुर्भुज/	करूंदा	छोटी सदरी	रामनारायण	34900
47	चम्पानानू/	करूंदा	छोटी सदरी	सूवा लाल	43800
48	शनिकंवरलाल/	करूंदा	छोटी सदरी	उदय	41300
2011-12					
1	मोतीलालमेघराज/	खेरमलिया	छोटी सदरी	सोकिन लाल	26400
2	चण्डीबाईमोहन/ लाल	खेरमलिया	छोटी सदरी	रामेशवरलाल	27100
3	गोपालप्रभुलाल/	खेरमलिया	छोटी सदरी	महेश कुमार	27200
4	बालमुकंदगोविन्द/राम	खेरमलिया	छोटीसदरी	भेरूलाल	25200
5	प्रभुलालगनेशराम/	बासेदी कुदल	छोटी सदरी	कमलकिशोर	32300
6	जगदीशहीरालाल/	बासेदी कुदल	छोटी सदरी	बसंतीलाल	11200
7	कालूरामकाशीराम/	बासेदी कुदल	छोटी सदरी	बसंतीलाल	23500
8	रामलालबापूलाल/	बासेदी कुदल	छोटी सदरी	बसंतीलाल	34300
9	बीरचंदडूंगा/	बासेदी कुदल	छोटी सदरी	दीनेश	18500
10	बगडूबाला/	गरीआवास	छोटी सदरी	मिश्रीलाल	23900
11	मोहनलालअमारा/	गरीआवास	छोटी सदरी	बंसीलाल	36800
12	मंगीलालपेवा/	करकरी	छोटी सदरी	मदनलाल	32700
13	लालीबाईशंकरलाल/	करकरी	छोटीसदरी	जुझार	32000
14	शंकर लालछगन/	सरूपगंज	छोटी सदरी	गरीलाल	41900
15	मैनाबाईजीवनदास/	सरूपगंज	छोटी सदरी	गणपतदास	16100
16	मंगीलालतोरीराम/	सरूपगंज	छोटी सदरी	ओमप्रकाश	42100
17	नन्दूबाईलालचुन्नी/	सरूपगंज	छोटी सदरी	दिनेश चन्द्र	30800
18	धापूबाईराधाकृष्ण/	सरूपगंज	छोटी सदरी	रामचन्द्रा	26900
19	फूलचंदनाथूलाल/	सरूपगंज	छोटी सदरी	राधेश्याम	30400
20	मंगीलालधासी/	सरूपगंज	छोटी सदरी	लालचन्द	34100
21	मंगीबाईलालचम्पा/	सरूपगंज	छोटी सदरी	पूनमचन्द	25100
22	पृथ्वीराजबिरथीचन्द/	गोमाना	छोटी सदरी	शंकरलाल	34500

क्रम सं.	लाइसेंस धारक खेतीहार का नाम	गांव	तहसील	अदाता का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
23	प्रेमबाईभगवानलाल/	गोमाना	छोटी सदरी	राजकुमार	31000
24	मोहनलालकिशन/ लाल	जलोदीया खुर्द	छोटीसदरी	ओमप्रकाश	38700
25	मोहनलाल थजगन्ना/	जलोदीआ खुर्द	छोटी सदरी	भंवरी	36900
26	सीतारामगोपाल/	जलोदीआ खुर्द	छोटी सदरी	किशोर लाल	33200
27	शिवनारायणशंकरलाल/	खेरमलिया	छोटी सदरी	रामप्रसाद	39700
28	नन्दलालमोती/ लाल	भतूखेरा	छोटी सदरी	लछीराम	34900
29	रूकमनीबाईखेमराज/	भतूखेरा	छोटीसदरी	मुकेश	21500
30	भवन धीसाला/	भतूखेरा	छोटीसदरी	जगदीश	36900
31	रामचन्दी बाई/गौतम	नारानी	-वही-	भगत राम	35400
32	बडी बाई/शंकर	नारानी	-वही-	रमेश चन्द	43600
33	कालू/शंकर	नारानी	-वही-	भगत राम	37200
34	चुन्नीलाल/कबरू	नारानी	-वही-	जगदीश	29600
35	रंगलाल/नानू राम	नारानी	-वही-	अमृत लाल	31800
36	साथीराम/ताराचन्द	नारानी	-वही-	सीता राम	35300
37	बिहारी लाल/चुन्नी लाल	नारानी	-वही-	राधेश्याम	32100
38	बगदीराम/बबरू	नारानी	-वही-	नोनराम	45900
39	मोतीलाल/राम लाल	नारानी	-वही-	भेरू लाल	44100
40	ओनकार लाल/मंगी लाल	बगदारी	-वही-	रामचन्द्र	42900
41	भंवर लाल/रतनलाल	बगदारी	-वही-	मनोहर	38000
42	बंशी लाल/किशन लाल	बगदारी	-वही-	ओमप्रकाश	40200
43	चतर सिंह/गोरधन	बगदारी	-वही-	राजेन्द्र सिंह	42200
44	प्रहलाद सिंह/मनोहर	बगदारी	-वही-	लक्ष्मन	44500
45	रधुवीर सिंह/बसंत	बगदारी	-वही-	पप्पू	43400
46	अमृतलाल/भेरा	जखानिया	-वही-	प्रेमचन्द	45000
				उप जोड़	**29,54,600**
				कुल योग	**56,45,300**

परिशिष्ट 31 (पैरा सं. 6.13.12)

जब्त किए गए माल अफीम एवं अन्य निपटान हेतु तैयार नशीली दवाओं का निपटान न करना

यूनिट का नाम	जब्त माल(में मात्रा .ग्रा.कि) सामग्री/								
	अफीम मामलों) की (संख्या	खखस छिलका मामलों) की (संख्या	गांजा मामलों) की (संख्या	भांग मामलों) की (संख्या	चरस मामलों) की (संख्या	ब्राउन शुगर मामलों) की (संख्या	खसखस स्ट्रा मामलों) की (संख्या	हेरोइन मामलों) की (संख्या	एलप्रोज़ोलम मामलों की) (संख्या
डीओओ भीलवाड़ा	18.665 (9)	-	-	-	-	0.700 (2)	19.500 (2)	-	-

यूनिट का नाम	जब्त माल(में मात्रा .ग्रा.कि) सामग्री/								
	अफीम मामलों) की (संख्या	खखस छिलका मामलों) की (संख्या	गांजा मामलों) की (संख्या	भांग मामलों) की (संख्या	चरस मामलों) की (संख्या	ब्राउन शुगर मामलों) की (संख्या	खसखस स्ट्रा मामलों) की (संख्या	हेरोइन मामलों) की (संख्या	एलप्रोज़ोलम मामलों की) (संख्या
डीओओ कोटा	62.270 (18)	148.500 (2)	-	5.350 (3)	-	-	-	1.420 (1)	-
डीओओ प्रतापगढ़	1.800 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
डीएनसी कोटा	1.000 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
पी एवं आई सैल जयपुर	4.650 (1)	24941 (5)	23.950 (3)	27.000 (1)	2.250 (2)	-	-	-	0.220 (1)
कुल-	**88.385 (30)**	**25089.50 (7)**	**23.9500 (3)**	**32.350 (4)**	**2.250 (2)**	**0.700 (2)**	**19.500 (2)**	**1.420 (1)**	**0.220 (1)**

परिशिष्ट 32 (पैरा सं. 6.13.13)
प्राथमिक रजिस्टर में अनियमितताएं - मध्य प्रदेश

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
नीमुच-I						
1	वाशराज	जीरन	हारवर	नीमुच-I	2012-13	(+)210 ग्रा.
2	श्यामलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)190 ग्रा.
3	नेतराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)430 ग्रा.
4	चेनराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)370 ग्रा.
5	दाखीबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)390 ग्रा.
6	हुलासीबाई	-वही-	लखामी	-वही-	-वही-	(+)200 ग्रा.
7	मोहनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)150 ग्रा.
8	सत्यनारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)230 ग्रा.
9	फुलीबाई	-वही-	भीमपुरा	-वही-	-वही-	(+)250 ग्रा.
10	केशरीमल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)240 ग्रा.
11	बुलकबाई	-वही-	सकरनी जागीर	-वही-	-वही-	(+)200 ग्रा.
12	बहादुर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)210 ग्रा.
13	अम्बालाल	-वही-	कचोली	-वही-	-वही-	(+)310 ग्रा.
14	श्यामलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)210 ग्रा.
15	भगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)210 ग्रा.
16	राम सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)530 ग्रा.
17	अर्जुनलाल	-वही-	बसखेडा	-वही-	-वही-	(-)330 ग्रा.
18	बर्दीलाथ	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)530 ग्रा.

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
19	मदनलाल	-वही-	रबदिया	-वही-	-वही-	(-)820 ग्रा.
20	सुन्दरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)190 ग्रा.
21	गंगाराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)110 ग्रा.
22	मांगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)170 ग्रा.
23	चम्पालाल	-वही-	अम्बा	-वही-	-वही-	(+)250 ग्रा.
24	दौलत राम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)300 ग्रा.
25	ढुलीचंद	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)560 ग्रा.
26	मंगीलाल	नीमुच	भदवाम्ता	-वही-	-वही-	(+)450 ग्रा.
27	मंगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)270 ग्रा.
28	बगदीबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)520 ग्रा.
29	ओम प्रकाश	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)210 ग्रा.
30	मोहनलाल	-वही-	-वही	-वही-	-वही-	(+)350 ग्रा.
31	विकास	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)170 ग्रा.
32	उदयलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)330 ग्रा.
33	प्रभुलाल	-वही-	हनुमांतिया टाका	-वही-	-वही-	(+)290 ग्रा.
34	हरि दास	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)210 ग्रा.
35	प्रेम दास	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)230 ग्रा.
36	नारायण	-वही-	रायसिंहपुरा	-वही-	-वही-	(+)410 ग्रा.
37	दीप सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)250 ग्रा.
38	दुर्गालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)300 ग्रा.
39	श्रवण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)330 ग्रा.
40	श्याम लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)280 ग्रा.
41	नथु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)240 ग्रा.
42	बहादुर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)330 ग्रा.
43	कृष्णा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)280 ग्रा.
44	कमली बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)290
45	अमर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)310 ग्रा.
46	बंशीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)290 ग्रा.
47	मनोहर लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)420 ग्रा.
48	देवीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)600 ग्रा.
49	दुर्गाशंकर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)540 ग्रा.
50	शांति लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)210 ग्रा.
मंदसौर-III						
1	बद्रीलाल	सुवासरा	खंड धमानिया	III मंदसौर	2010-11	(+)320 ग्रा.
2	शिव नारायण	-वही-	सुवासरा	-वही-	-वही-	(+)220 ग्रा.
3	नहर सिंह	-वही-	घसोई	-वही-	-वही-	(+)470 ग्रा.
4	भुवन	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.320किग्रा.
5	लक्ष्मी नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)360 ग्रा.

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
6	नगुसिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)300 ग्रा.
7	सावित्री	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)390 ग्रा.
8	हिम्मतबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)340 ग्रा.
9	कमला बाई	-वही-	गुराडिया प्रताप	-वही-	-वही-	(+)1.930किग्रा.
10	भगत राम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)430 ग्रा.
11	मुकुंदलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)230 ग्रा.
12	सज्जनबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)780 ग्रा.
13	पप्पूलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)390 ग्रा.
14	पन्नालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)540 ग्रा.
15	प्रहलाद	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)470 ग्रा.
16	तुलसीराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.230 ग्रा.
17	मंगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)510 ग्रा.
18	राम सुख	-वही-	प्रतापपुरा	-वही-	-वही-	(+)680 ग्रा.
19	भगत राम जी	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)260 ग्रा.
20	निहालबाई	-वही-	-वही-	-वही	-वही	(+)1.360 ग्रा.
21	नन्दराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)250 ग्रा.
22	भगवंतबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)370 ग्रा.
23	कालुराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)270 ग्रा.
24	रतनबाई	-वही-	तोकडा	-वही-	-वही-	(+)500 ग्रा.
25	मोत्याबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)500 ग्रा.
26	शंकर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)860 ग्रा.
27	सरजुबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.640किग्रा.
28	ढुले सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.460किग्रा.
29	राम लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)370 ग्रा.
30	केशरबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)210 ग्रा.
31	सहायताबाई	-वही-	धनवाडा	-वही-	-वही-	(+)820 ग्रा.
32	अर्जुन सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.440किग्रा.
33	मान सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)550 ग्रा.
34	राम गोपाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)290 ग्रा.
35	राधेश्याम	-वही-	किशोरपुरा	-वही-	-वही-	(+)440 ग्रा.
36	नन्दलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)300 ग्रा.
37	सीताबाई	-वही-	धमानिया	-वही-	-वही-	(+)450 ग्रा.
38	महनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)300 ग्रा.
39	किशनबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)450 ग्रा.
40	नथु सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)450 ग्रा.
41	काना	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)540 ग्रा.
42	छतरबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)410 ग्रा.
43	राम नारायण	सीतामौ	कचनारा	-वही-	2011-12	(+)510 ग्रा.
44	कमला बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)550 ग्रा.

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
45	भेरूनाथ	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)310 ग्रा.
46	भुलीबाई	-वही	-वही-	-वही-	-वही-	(+)420 ग्रा.
47	भवरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)660 ग्रा.
48	कमलकुंवर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)460 ग्रा.
49	बापुलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)310 ग्रा.
50	गजराज	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)360 ग्रा.
51	भवरसिंह	मल्हारगढ़	कोयला	-वही-	-वही-	(+)290 ग्रा.
52	कन्हैयालाल	सीतामौ	कचनारी	-वही-	-वही-	(+)390 ग्रा.
53	भवरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)420 ग्रा.
54	अमर लाल	मल्हारगढ़	कचरारी	-वही-	-वही-	(-)550 ग्रा.
55	राम रतन	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)260 ग्रा.
56	देवीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)940 ग्रा.
57	ईश्वरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)330 ग्रा.
58	रूकमनी	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)240 ग्रा.
जौरा-II						
1	बलवंतसिंह	जौरा	बनोली	जौरा-II	2010-11	(+)350 ग्रा.
2	रधुवीर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)710 ग्रा.
3	मंगु सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)250 ग्रा.
4	लक्क्षमन सिंह	-वही-	-वही	-वही-	-वही-	(+)230 ग्रा.
5	बलु सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)580 ग्रा.
6	जुझार	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)410 ग्रा.
7	साधु सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)260 ग्रा.
8	जगरनाथ	-वही-	पतन	-वही-	-वही-	(+)780 ग्रा.
9	रमीबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-)220ग्रा.
10	देवी सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)450ग्रा.
11	शांति लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)510ग्रा.
12	पर्वत सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)600ग्रा.
13	गीता बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)620ग्रा.
14	नगु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)230ग्रा.
15	मोद सिंह	-वही-	जमूनिया शंकर	-वही-	-वही-	(+)620ग्रा.
16	चन्पालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)520ग्रा.
17	केशर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.580किग्रा.
18	गजराज सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)640ग्रा.
19	राम लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)2.040kग्रा.
20	तेजा बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)900 ग्रा.
21	मंगुबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)760 ग्रा.
22	गुरालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)480 ग्रा.
23	पवन सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)890 ग्रा.
24	भवर लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)590 ग्रा.

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
25	रूधनाथ सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.290किग्रा.
26	मोहनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)580 ग्रा.
27	लीलाबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)530 ग्रा.
28	हिम्मत सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)680 ग्रा.
29	बाबु साह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)420
30	गुलाब सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)870 ग्रा.
31	शिव सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.020किग्रा.
32	कंचनबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)890 ग्रा.
33	सत्यनारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.530किग्रा.
34	कंचनबाई	-वही-	धुधाखेड़ी	-वही-	-वही-	(+)730 ग्रा.
35	राम लाल	-वही-	मान्याखेड़ी	-वही-	-वही-	(+)420 ग्रा.
36	देव राम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)510 ग्रा.
37	बद्री राम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)860 ग्रा.
38	बलराम	-वही-	चिपिया	-वही-	-वही-	(+)350 ग्रा.
39	राम नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)730 ग्रा.
40	अमृत राज	-वही-	मवाता	-वही-	-वही-	(+)340 ग्रा.
41	श्रीमती कमला बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)270 ग्रा.
42	भवरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)650 ग्रा.
43	रूकमनीबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)540 ग्रा.
44	जगदीश	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)360 ग्रा.
45	राम चन्द्र	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)920 ग्रा.
46	राम नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)840 ग्रा.
47	हरीसिंह	-वही-	सोमालिया	-वही-	-वही-	(+)1.060किग्रा.
48	लालसिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.540 किग्रा.
49	भोपाल सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.090 किग्रा
50	शंकर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.830किग्रा.
51	भवर लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.690किग्रा.
52	दशरथलाल सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)2.040किग्रा.
53	भवरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.460किग्रा.
54	बाबुलाल	-वही-	कालूखेड़ा	-वही-	-वही-	(+)230 ग्रा.
55	राम गोपाल	-वही-	पिपलियासिसोदिया	-वही-	-वही-	(+)690 ग्रा.
56	सत्य नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)350 ग्रा.
57	नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)460 ग्रा.
58	नगु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)260 ग्रा.
59	जगदीश	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)250 ग्रा.
60	गंगाराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)240 ग्रा.

क्र. सं.	खेतिहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
61	बद्रीराम	-वही-	नया नगर	-वही-	-वही-	(-)580 ग्रा.
62	लीलाबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)830 ग्रा.
63	बालमुकुंद	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)680 ग्रा.
64	दुधकुंवर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)1.750 ग्रा.
65	रूकमनीबाई	-वही-	रशूलपुर	-वही-	-वही-	(+)690 ग्रा.
66	बालमुकुंद	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)200 ग्रा.
67	मोहन बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)270 ग्रा.
68	मेवालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)640 ग्रा.
69	लक्ष्मीचन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)290 ग्रा.
70	प्रभुलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(+)340 ग्रा.

परिशिष्ट 33 (**पैरा सं.**6.13.13)

प्राथमिक तुलाई रजिस्टर-राजस्थान में अनियमितताएं

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
1	हीरालाल पुत्र पन्नालाल	छबादा	भुवाखेड़ी	कोटा	2010-11	0.570
2	मंगीलाल पुत्र राधाकृष्ण	-वही-	-वही-	-वही-	"	2.730
3	बनवारीबाई पत्नी अमरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.870
4	गजनान्द पुत्र देवलाल	छियाबडोड	गुराडी	-वही-	"	2.830
5	सुन्दरबाई पत्नी मथुरालाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	1.130
6	पुष्पाबाई पत्नी हीरा	-वही-	पटाडी	-वही-	"	2.740
7	नन्द किशोर पुत्र मंगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	3.860
8	अनील पुत्र कैलाश चन्द	-वही-	अजनाबर	-वही-	"	4.780
9	धन्नालाल पुत्र ग्यासीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	3.520
10	मंगीलाल पुत्र मन्नालाल	छबादा	देहारी	-वही-	"	-
11	अमृत लाल पुत्र किशन लाल	अतारू	मोतीपुरा	-वही-	"	(-) 0.400
12	द्रोपति बाई पत्नी मंगीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	2.210

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
13	रतनलाल पुत्र कनवर लाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.750
14	जगन्नाथ पुत्र हीरालाल	-वही-	मोटपुर	-वही-	"	2.380
15	कान्ती बाई पत्नी ओमप्रकाश	-वही-	उमेदगंज	-वही-	"	6.230
16	चन्द्र मोहन पुत्र हरपाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	8.410
17	राम भरोसे पुत्र हरलाल	छबाडा	फलिया	-वही-	2011-12	2.778
18	जय नारायण पुत्र जमुनाबाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-
19	प्रभुलाल पुत्र मोतीलाल	छिपांडाबोब	मोतीपुरा	-वही-	-वही-	2.230
20	गुलाब बाई पत्नी प्रभुलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.620
21	ग्यारसी बाई पत्नी हरक चन्द्रा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-
22	राम कल्याण पुत्र हजारीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.290
23	राम निवास पुत्र मोहनलाल	-वही-	सेतुकोल-II	-वही-	-वही-	1.364
24	कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.149
25	जानकी बाई पत्नी बाल चन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.161
26	मोहनलाल पुत्र पन्ना लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.563
27	गीताबाई पत्नी मथुरालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.759
28	छोटेलाल पुत्र सुखलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	3.894
29	धन्नालाल पुत्र हरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.867
30	जगन्नाथ पुत्र राम चन्द्रा	-वही-	सेतु कोल	-वही-	-वही-	1.595
31	राम कन्या बाई पत्नी मूल चन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.322
32	रामप्रसाद पुत्र कालू	-वही-	देवरीमुंद	-वही-	-वही-	3.692

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
33	धनश्याम पुत्र शंकरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	4.364
34	लक्ष्मी बाई पत्नी धन्नालाल	छबाड़ा	हनुमंत खेड़ा	-वही-	-वही-	1.255
35	गीरधारी पुत्र जानकी बाई	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.608
36	लाली बाई पत्नी छोटेलाल	रामगंज मंडी	गुडायाला	-वही-	-वही-	4.109
37	बनवारी बाई पुत्र रोडु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.631
38	राम दयाल पुत्र डुलीचंद	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.959
39	गोकुल बाई पत्नी भेरू	-वही-	हरिपुरा	-वही-	-वही-	0.904
40	अर्जुन सिंह पुत्र भेरू सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.292
41	मधोलाल पुत्र बिहारी	छबाड़ा	गफुरपुरा	-वही-	-वही-	1.597
42	कैलाश पुत्र बाबरू	रामगंज मंड़ी	किशोरेपुरा	-वही-	-वही-	2.499
43	पुरी लाल पुत्र बाबरू	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	3.402
44	राम नाथ पुत्र नन्दलाल	-वही-	भोलु	-वही-	-वही-	3.303
45	कल्याण पुत्र शोरम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.648
46	राम प्यारीबाई पत्नी मोदुराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.685
47	हरि शंकर पुत्र जयपाल	अटारू	उमेदगंज	-वही-	-वही-	5.548
48	अशोक कुमार पुत्र मदनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.281
49	भारत लाल पुत्र राजेन्द्र सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	6.504
50	मान सिंह मीना पुत्र गंगा राम मीना	छबाड़ा	गफुरपुर	-वही-	2012-13	-
51	मोहनलाल पुत्र बंशीलाल	छिपाड़ाबोब	बरसात	-वही-	-वही-	-
52	चम्पाल पुत्र बद्रीनाथ	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.970
53	लातुर पुत्र पंछीवा	-वही-	रशुलपुर	-वही-	-वही-	1.080
54	पुरीलाल पुत्र पन्नालाल	रामगंज मंडी	कनवारपुर	-वही-	-वही-	1.310
55	हरिचरण पुत्र देवलाल	छेबाड़ा	फरीदपुर	-वही-	-वही-	0.740

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
56	कल्याण पुत्र सोरन	रामगंज मंडी	भोलू	-वही-	"	0.900
57	बाबुलाल पुत्र धनजीराम	छबाड़ा	फलिया	-वही-	-वही-	0.570
58	करन सिंह पुत्र रामसिंह	छोटीसाबड़ी	बरवाड़ा देवल	प्रताप गढ़	2010-11	0.530
59	देवीलाल पुत्र मोदा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.440
60	भगवान पुत्र काशीराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.560
61	बद्रीनाथ पुत्र चुन्नीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.192
62	तुलसीबाई पत्नी अम्बालाल	-वही-	सुबी (बी)	-वही-	-वही-	2.380
63	शिव नारायण पुत्र गंगाराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.702
64	टेक चन्द्र पुत्र हीरालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.942
65	राम नारायण पुत्र छगनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.329
66	फताह लाल पुत्र हरीराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.041
67	ननलाल पुत्र भूलीराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.011
68	गोपाल पुत्र श्रीलाला	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.150
69	सोहन बाई पत्नी गंगाराम	प्रतापगढ़	झंसाडी	-वही-	-वही-	0.660
70	मांगीलाल पुत्र कपूर चन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.520
71	बगादी राम पुत्र प्यारा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.540
72	गोबीलाल पुत्र प्यारा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.570
73	राम नारायण पुत्र गोपाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.990
74	देव राम पुत्र भेरू	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.650
75	बाल मुकुन्द पुत्र राम नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.740
76	लक्ष्मन पुत्र लाला	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.760
77	भेरू लाल पुत्र नथ्थु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.830
78	गोरधन पुत्र ओमकार	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.490
79	अर्जुन सिंह पुत्र हरि सिंह	आरानोड	मंदावरा	-वही-	-वही-	0.590

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
80	मानक चन्द पुत्र ददम चन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.630
81	विष्णु लाल पुत्र भेनरू	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.660
82	मोहन पुत्र नन्दा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.510
83	लाल सिंह पुत्र जय सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.640
84	मारूति सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.350
85	ईश्वर सिंह पुत्र भेरू सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.750
86	बदरी दास पुत्र धन्नादास	छोटीसाबड़ी	अचलपुरा	-वही-	2011-12	2.050
87	गनपत लाल पुत्र चुन्नीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.780
88	जगदीश पुत्र कन्हैयालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.360
89	हरिराम पुत्र हीरालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.020
90	बलवान सिंह पुत्र पृथ्वीराज	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.320
91	कन्हैया पुत्र रतन लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.600
92	मदन लाल पुत्र रतन लाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.320
93	पृथ्वी राज पुत्र मातीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.500
94	जगराम पुत्र रतनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.690
95	राम चन्द्रा पुत्र भुवानी शंकर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.140
96	तारा चन्द्रा पुत्र भेनरू	प्रतापगढ़	धामलु	-वही-	-वही-	2.090
97	जवान सिंह पुत्र चम्पालाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.920
98	नथ्थु पुत्र वजिंगा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.990
99	राम मन पुत्र रूप चन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.080
100	कालू पुत्र हन्किया	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.910
101	बगदी राम पुत्र नन्दा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.110
102	अम्बा लाल पुत्र	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.050

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
	मन्ना					
103	सुखलाल पुत्र पृथ्वी राम	छोटीसाबड़ी	प्रतापपुरा	-वही-	-वही-	1.110
104	दिनेश कुमार पुत्र जुनीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.070
105	बाबु लाल पुत्र ओंकारमल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.070
106	सुखलाल पुत्र ओंकारमल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.140
107	छगनलाल पुत्र शम्भु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.860
108	जय नारायण पुत्र लालू	अरनोड	कानाड	-वही-	-वही-	1.210
109	लालू राम पुत्र केशुराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.900
110	केदर बाई पत्नी खोलिया	-वही-	कोटली	-वही-	-वही-	0.830
111	ननु लाल पुत्र दीपा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.490
112	रामप्रसाद पुत्र राम नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.620
113	लक्ष्मन सिंह पुत्र भागीरथ	-वही-	राम नरर	-वही-	-वही-	0.980
114	बाबूलाल पुत्र भागचन्द	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.850
115	रूकनी बाई पत्नी सावा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.020
116	भेरूलाल पुत्र नथ्थु	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	2.060
117	बदरी पुत्र भागीरथ	आरानोड	दलोत-बी	-वही-	2012-13	0.720
118	श्रीमती गीता बाई पत्नी विनोद कुमार	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	1.150
119	मंगीलाल पुत्र कालू	-वही-	लुपदी	-वही-	-वही-	0.440
120	श्रीमती धापू बाई पत्नी गोबीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.580
121	कचरू पुत्र बगदी राम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.530
122	मोहन सिंह पुत्र देवी सिंह	प्रतापगढ़	बीलेसारी	-वही-	-वही-	0.560
123	गनपत लाल पुत्र नन्द लालजी	-वही-	जहाजपुर	-वही-	-वही-	0.660
124	श्रीमती गोतमी बाई पत्नी डल्ला	-वही-	-वही-	- वही-	-वही-	0.570

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
125	कालू पुत्र कान्हा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.630
126	गोतम पुत्र देवा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.230
127	गोविंद राम पुत्र सावा	-वही-	कुलथाना	-वही-	-वही-	0.700
128	डल्ला पुत्र किशन	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.730
129	राम रतन पुत्र भगवान	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.570
130	हीरा लाल पुत्र केशुराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.680
131	जसवंत सिंह पुत्र रतन सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.400
132	ननू राम पुत्र हीरा	-वही-	बजरंग-गढ़	-वही-	-वही-	(-) 0.250
133	शंकर लाल पुत्र समक लाल	-वही-	खेरत	-वही-	-वही-	0.510
134	मंगीलाल पुत्र मगानी राम जी	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.640
135	भोग्गा पुत्र भवसिंह	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.240
136	हरलाल पुत्र मंगु	-वही-	बमात्तर (ए)	-वही-	-वही-	0.560
137	कुखला पुत्र भाजिया	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.490
138	मंगु पुत्र हेमा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	(-) 0.330
139	मंगीलाल पुत्र बच्चा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.590
140	अमृत राम पुत्र रतन लाल	छोटीसाबड़ी	बरवादा गुर्जर	-वही-	-वही-	0.650
141	हीरा लाल पुत्र केशुराम	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.710
142	बापुलाल पुत्र किशनलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.700
143	नन्दलाल पुत्र सुखलाल	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.610
144	प्रभुलाल पुत्र नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	0.670
145	चम्पालाल पुत्र देवीलाल	-वही-	सेमरदा	-वही-	"	0.670
146	बापूलाल पुत्र भोनीराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.470
147	बाबूलाल पुत्र हजारीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.630
148	धसीलाल पुत्र प्रभुलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.160
149	चतरभुज पुत्र रूपा	आरानोड	वीरावली	-वही-	"	0.720
150	देवीलाल/शोचन्द	बेन्जु	रायती	भिलवार	2010-11	0.478

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
151	भेरूलाल/डुन्गा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.666
152	भुरू/पेमु	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.551
153	कैलाश चन्द्रा/ तेजपाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.487
154	नन्दुबाई/खेमराज	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.526
155	भुरू/डोला	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.524
156	देवीलाल/मोती	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.557
157	धीसालाल/लक्ष्मन/ रामलाल	-वही-	रावाददा	-वही-	"	0.436
158	रतनलाल/काशीराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.757
159	मोहनलाल/बलु	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.485
160	सुभाष चन्द्रा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.631
161	जयशंकर/काजोल	-वही-	उढेकला	-वही-	"	0.454
162	सोहनलाल/डल्ला	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.487
163	मदनलाल/भेरूलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.506
164	नन्दलाल/बलु	-वही-	पलका	-वही-	"	0.810
165	देवीलाल/हजारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.502
166	जयराम/नन्दा	बेन्जू	दौलतपुरा	-वही-	"	0.487
167	मुकेश कुमार/गिरधारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.923
168	नथु/लक्ष्मन	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.787
169	चन्नीलाल/भेरू	-वही-	झंडोल टुम्बा	-वही-	2011-12	0.420
170	रामलाल/मोहल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.540
171	भंनवरलाल/भुवाना	-वही-	शोनगर	-वही-	"	0.690
172	कालू/नारायण	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.500
173	नन्दु बाई/काशीराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.500
174	गोकल/नन्दा	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.560
175	यूरीबाई/काशीराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.640
176	गंगाबाई/भोजा	-वही-	बंडोडा	-वही-	"	0.700
177	भोजा/भुवाना	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.430
178	जगदीश/भनवरलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.450
179	खाना/जयराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.790
180	धीसा/दुंगा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.550
181	जोधा/चुन्नीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.400
182	लक्ष्मन सिंह/सोभाग सिंह	-वही-	गोपालपुरा (राजगढ़)	-वही-	"	0.500
183	पृथ्वीराज/काना	-वही-	जयनरग	-वही-	"	0.550
184	प्यारीबाई/देवराम उर्फ देवीलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.430

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
185	प्यार चन्द्रा/जगन्नाथ	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.460
186	पीता/हजारी	गंगरार	कचनारिया	-वही-	2012-13	0.510
187	गीतादेवी/मिट्ठू	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.150
188	धोसीबाई/चम्पा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.690
189	चुन्नीबाई/हजारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.550
190	पोकर/धीसा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.420
191	हन्सु/ननाजत	-वही-	बोनला का संवाता	-वही-	"	0.570
192	मोहनी/नथु	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.750
193	गेमर/आशु रेबरी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.880
194	कालूराम/बालूराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.580
195	गुलाबी/दालचन्द	-वही-	-वही-	-वही-	"	1.260
196	भेरू/हजारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	1.000
197	उदय/हजारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.610
198	अमरचन्द्रा/गोपाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.720
199	नन्दलाल/कालू	-वही-	टुमाडिया	-वही-	"	0.410
200	किशनलाल/गोपी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.560
201	प्यारा/खेमाजी	रश्मी	छतवती	-वही-	"	0.460
202	उदयलाल/कालू लोहार	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.500
203	राजकंवर/बहादुर सिंह	-वही-	-वही-	-वही-	"	(-) 0.300
204	मिठ्ठू लाल/प्यारा	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.560
205	बाराजीबाई/उदयलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	1.110
206	चांदनीबाई/चूना	-वही-	नारायणपुरा	-वही-	"	0.660
207	मधु/हजारी	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.510
208	शंकरलाल/रूपलाल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.500
209	शम्भु/नाया	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.680
210	हीरालाल/जवाहरमल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.550
211	मधु/जवाहरमल	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.740
212	गोपीलाल/नागाजीराम	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.790
213	नारायण/नथु	-वही-	-वही-	-वही-	"	0.580
214	रामचन्द्र/भागीरथ	बेन्गु	अमालदा	-वही-	"	(-) 0.530
215	उगामा/नारायण	-वही-	-वही-	-वही-		(-) 0.670
216	सीताराम/नारायण	-वही-	-वही-	-वही-		(-) 0.420
217	कन्हैयालाल/कुका	-वही-	मुरोली	-वही-		0.490
218	मांगीलाल/नथुलाल	रावतभाटा	सुखपुरा	-वही-		0.180
219	जादवभाई/बादरीचन्द्र	-वही-	-वही-	-वही-		0.470
220	रामचन्द्र/उदा	मंगागढ़	लोडियाना	-वही-		0.500
221	कान्हा/मेडा	-वही-	-वही-	-वही-		0.420
222	मगनलाल/उदा	-वही-	-वही-	-वही-		0.510

क्र. सं.	खेतीहरों का नाम	तहसील	गाँव	डीओओ	वर्ष	अधिक (+) कमी (-)
223	हरलाल/रूपा	-वही-	-वही-	-वही-		0.590
224	उदा/अम्बालाल	-वही-	-वही-	-वही-		0.580
225	मोहन/धन्ना	जहाहपुर	हंसेदा	-वही-		0.890
226	कल्याण/धन्ना	-वही-	-वही-	-वही-		0.420
227	हजारी/देवा	-वही-	-वही-	-वही-		0.450
228	रामपाल/देवा	-वही-	-वही-	-वही-		0.450
229	गोपाल/मंगु	कोटली	बडाला-ए	-वही-		0.460
230	देवबक्स/रामजी	-वही-	-वही-	-वही-		0.600
231	उदय लाल/प्रताप	-वही-	-वही-	-वही-		0.570
232	लाडूदेवी/जवाना	-वही-	-वही-	-वही-		0.540
233	चन्दुबाई/बालू	-वही-	-वही-	-वही-		0.600
234	जमना/गोकल	-वही-	-वही-	-वही-		0.530
235	रामलाल/मंगु	-वही-	-वही-	-वही-		0.510
236	देवालाल/ओंकार धकड	बिजोलिया	चांदजी की खेडी	-वही-		0.500
237	जगन्नाथ/लालूजी	-वही-	-वही-	-वही-		0.430

परिशिष्ट **34** (पैरा सं.**7.1 (iv)**

(₹ लाख)

क्र. सं.	कमिश्नरी	वर्ष	ओ बी	प्राप्त किया	निपटान	सी बी	अंत शेष का ब्रेक-अप श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV
1.	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, कानपुर	2010-11	265.13	3069.84	22.69	3312.28	श्रेणी-II से संबंधित			
		2011-12	3312.28	65.31	1.41	3376.18				
		2012-13	3376.18	45.00	2412.00	1009.18				
2.	कमिश्नरी, सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	2010-11	1180.793	721.07	663.03	1238.833	0.17	58.11	60.27	1120.283
		2011-12	1238.833	1140.02	466.68	1912.173	0.27	150.06	47.96	1713.883
		2012-13	1912.173	1225.62	906.59	2231.203	0.51	445.02	94.31	1691.363
3.	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, नोयडा	2010-11	29.00	0.00	0.00	29.00	श्रेणी-IV से संबंधित			
		2011-12	29.00	0.00	0.00	29.00				
		2012-13	29.00	0.00	0.00	29.00				
4.	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, गाजियाबाद	2010-11	0.00	58.97	0.00	58.97	श्रेणी-IV से संबंधित			
		2011-12	58.97	102.90	0.00	161.87				
		2012-13	161.87	500.00	0.00	661.87				
5.	कमिश्नरी, सीमाशुल्क (पत्तन) कोलकाता	2010-11	242.00	14.00	217.00	39.00	श्रेणी-IV से संबंधित			
		2011-12	39.00	0.00	29.21	9.79				
		2012-13	9.79	328.54	23.14	315.19				
6.	कमिश्नरी,	2010-11	0.00	167.52	69.84	97.68	11.08	17.85	47.22	21.53

क्र. सं.	कमिश्नरी	वर्ष	ओ बी	प्राप्त किया	निपटान	सी बी	अंत शेष का ब्रेक-अप श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV
	सीमाशुल्क (निवारक) पश्चिम बंगाल	2011-12	97.68	192.21	4.95	284.94	23.25	84.71	155.45	21.53
		2012-13	284.94	212.99	19.77	478.16	28.05	86.38	342.20	21.53
7.	कमिश्नरी बैंगलोर	2010-11	119.35	4.76	1.95	122.15		1.62		120.53
		2011-12	122.15	4.14	3.37	122.92		1.72		121.20
		2012-13	122.92	9.15	0.78	131.30		8.70		122.60
8.	कमिश्नरी मंगलौर	2010-11	340.39	116.56	214.15	242.80	136.42	98.26	7.05	1.07
		2011-12	242.80	36.99	144.65	135.14	28.76	98.26	7.05	1.07
		2012-13	135.14	136.59	9.63	262.10	69.57	184.41	7.05	1.07
9.	कमिश्नरी सीमाशुल्क, जोधपुर	2010-11	1107.19	63.36	19.70	1150.85	0.17	374.88	81.80	694.00
		2011-12	1150.85	196.04	88.19	1258.70	0.09	346.14	105.17	807.30
		2012-13	1258.70	1641.99	316.82	2583.87	0.03	675.43	123.39	1785.02
10.	कमिश्नरी सीमाशुल्क, एयर कार्गो, दिल्ली	2010-11	736.00	0.00	0.00	736.00	0.00	41.00		695.00
		2011-12	736.00	199.00	0.00	935.00	199.00	41.00		695.00
		2012-13	935.00	63.00	0.00	998.00	262.00	41.00		695.00
11.	कमिश्नरी सीमाशुल्क, ओएण्डजी, दिल्ली	2010-11	115.27	0.00	73.50	41.77		18.87		22.90
		2011-12	41.77	60.50	0.78	101.49		18.87		82.62
		2012-13	101.49	109.78	116.67	94.60		17.91		76.69
12.	कमिश्नरी सीमाशुल्क, आईसीडी, टीकेडी, दिल्ली	2010-11	5.00	251.17	251.17	5.00				5.00
		2011-12	5.00	241.98	246.98	0.00				0.00
		2012-13	0.00	560.19	437.46	122.73				122.73
13.	अपर आयुक्त, आईजीआई, टर्मिनल-III, दिल्ली	2010-11	3718.35	125.67	241.82	3602.20	0.00	3225.73	6.67	369.80
		2011-12	3602.20	682.69	570.00	3714.89	0.24	3338.18	6.67	369.80
		2012-13	3714.89	2402.24	1406.00	4711.13	8.94	4325.72	6.67	369.80
14.	कमिश्नरी, इन्दोर[1]	2010-11	158.12	0.00	0.00	158.12		90.65		67.47
		2011-12	158.12			158.12		90.65		67.47
		2012-13	158.12	156.80	108.48	206.44		80.37		126.07
15.	कमिश्नरी, भोपाल[2]	2010-11	2584.20			2584.20		8.40	4.80	2571.00
		2011-12	2584.20			2584.20		8.40	4.80	2571.00
		2012-13	2584.20			2584.20		8.40	4.80	2571.00
16.	कमिश्नरी, जोन-I, मुम्बई	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	श्रेणी वार विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए			
		2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2012-13	0.00	0.00	0.00	8341.27				
17.	कमिश्नरी, जोन-II, मुम्बई[3]	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	श्रेणी वार विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए			
		2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2012-13	0.00	0.00	0.00	16602.00				
18.	कमिश्नरी, जोन-III, मुम्बई (एसीसी	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	श्रेणी वार विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए			
		2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2012-13	0.00	0.00	0.00	4939.07				

[1] आईसीडी सहित, रतलाम, उज्जैन, धनबाद, पितमपुर और खेड़ा, एयर कार्गो इन्दौर, डिवीजन-रतलाम, पितमपुर।

[2] आईसीडी सहित मंडीदीप, डिवीजन-I एवं II

[3] न्यू कस्टम हाऊस, आरएण्डआई निवारक।

क्र. सं.	कमिश्नरी	वर्ष	ओ बी	प्राप्त किया	निपटान	सी बी	अंत शेष का ब्रेक-अप श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV
	एंड एयरपोर्ट)									
19.	कमिश्नरी, सीमाशुल्क (निवारक), पटना	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	श्रेणी वार विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए			
		2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2012-13	0.00	0.00	0.00	322.32				

परिशिष्ट **35** (पैरा सं.**7.4**)

राजस्व उगाही के लक्ष्यों को प्रक्षेपित न करना

(₹ लाख)

क्रम. सं.	कमिश्नरी का नाम	राजस्व की लक्षित उगाही			वास्तविक उगाही		
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	कानपुर	ला.न	ला.न	ला.न	0.43	0.29	160
2	नोयडा	ला.न	ला.न	ला.न	0	0	0
3	गाजियाबाद	ला.न	ला.न	ला.न	0	0	0
4	सीमाशुलल्क (निवारक), लखनऊ	ला.न	ला.न	ला.न	269.15	124.62	187.78
5	बैंगलोर	ला.न	334.89	239	47.16	484.99	53.36
6	मैंगलोर	ला.न	ला.न	ला.न	68.68	22.42	0.02
7	सीमाशुल्क (पत्तन), कोलकाता	ला.न	ला.न	10	666.05	24.26	26.12
8	सीमाशुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल	ला.न	ला.न	ला.न	6.39	0	19.48
9	सीमाशुल्क (आईएण्डजी), दिल्ली	ला.न	ला.न	ला.न	21.38	0.16	39.24
10	सीमाशुल्क (एयर कार्गो), दिल्ली	ला.न	ला.न	ला.न	0	231.2	347.22
11	सीमाशुल्क (आईसीडी), टीकेडी दिल्ली	ला.न	ला.न	700	251.17	246.98	437.46
12	एसी सीमाशुल्क(आईजीआई), टर्मिनल-III दिल्ली	ला.न	ला.न	ला.न	39	556	1467
13	इंदोर	ला.न	ला.न	ला.न	0	0	128
14	आईसीडी, पितमपुर इंदोर	ला.न	ला.न	ला.न	0	0	31.3
15	सीमाशुल्क (निवारक) पटना	ला.न	472	413	199.01	246.63	730.66
	कुल				**1568.42**	**1937.55**	**3627.64**

परिशिष्ट **36** (पैरा सं.**7.5**)

(₹ लाख)

क्र.सं.	कमिश्नरी	विलम्ब (माह में)	मामलों की संख्या	जब्ती मूल्य
1.	सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	2 से 7	11	44.24
2.	सीमाशुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल	60 से 204	3	122.99
3.	बैंगलोर	1 से 25	6	ला.न
4.	मैंगलोर	4	1	ला.न
5.	सीमाशुल्क, जोधपुर	1 से 5	6	ला.न

क्र.सं.	कमिश्नरी	विलम्ब (माह में)	मामलों की संख्या	जब्ती मूल्य
6.	सीमाशुल्क, एयर कार्गो, दिल्ली	14 से 16	2	77.39
7.	सीमाशुल्क, आईएंडजी, दिल्ली	6 से 18	9	226.41
8.	सीमाशुल्क, भोपाल	2	1	2571.11
9.	सीमाशुल्क (निवारक), पटना	1 से 42	26	275.43
	कुल		**65**	**3317.57**

परिशिष्ट **37** (पैरा सं.**7.5**)

(₹ लाख)

क्र.सं.	कमिश्नरी	डिवीजन	विलम्ब (माह में)	मामलों की संख्या	जब्ती मूल्य
1.	सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	लखनऊ, गोरखपुर और बरेली	1 से 23	207	176.56
2.	सीमाशुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल		1 से 3	3	8.48
3.	सीमाशुल्क, जोधपुर	आईसीडी, जयपुर	3 से 7	3	ला.न
4.	आईसीडी, टीकेडी, दिल्ली		14	2	1.13
5.	सीमाशुल्क, आईएंडजी, दिल्ली		7 से 11	2	6.07
6.	सीमाशुल्क (निवारक), पटना	मुज़फ्फरपुर, फोरबेसगंज और मोतीहारी	1 से 23	126	79.16
	कुल			**343**	**271.40**

परिशिष्ट **38** (पैरा सं.**7.5**)

(₹ लाख)

क्र.सं.	कमिश्नरी	डिवीजन	विलम्ब (माह में)	मामलों की संख्या	जब्ती मूल्य
1.	सीमाशुल्क, जोधपुर	फपीओ, जयपुर	9 से 24	2	ला.न
2.	सीमाशुल्क (निवारक), पटना	मुज़फ्फरपुर, फोरबेसगंज और मोतीहारी	1 से 11	266	24.92
	कुल			**268**	**24.92**

परिशिष्ट **39** (पैरा सं.**7.6**)

(₹ लाख)

क्र. सं.	कमिश्नरी	निम्नलिखित में पड़ा	माल का मूल्य
1.	सीमाशुल्क, मुम्बई	नानावती वेयरहाऊस, मुम्बई	22.93
		टोडी (एलपी एण्ड सीडब्ल्यूसी) वेयरहाऊस, मुम्बई	205.68

क्र. सं.	कमिश्नरी	निम्नलिखित में पड़ा	माल का मूल्य
		एनसीएच बेसमेंट वेयरहाऊस, मुम्बई	286.03
2.	सीमाशुल्क (निवारक), पटना	पटना, मुज़फ्फरपुर, फोरबेसगंज और रक्सोल	322.32
		कुल	**836.96**

परिशिष्ट **40** (पैरा सं.**7.6**)

(₹ लाख)

प्रविष्टि सं. एवं वर्ष	माल विवरण	मात्रा	जब्ती की तारीक्ष	अंकित मूल्य	बिक्री प्राप्तियां	कम वसूली
54/2003	वुडन फलोर पैनल	501 वर्ग मी.	11.08.10	13.27	5.39	7.88
06/2006	केनम लेन्स ईपीआई 1.500 मि.मी.	सं. 1	10.09.08	3.00	1.10	1.90
16/2006	एयन गन 35 टी टी03	सं. 1	31.03.06	0.45	0.25	0.20
107/2010	एक मोबाइल एचटीसी टीवाईटीएच	सं. 1	26.05.06	0.43	0.27	0.16
	कुल			**17.15**	**7.01**	**10.14**

परिशिष्ट **41** {पैरा सं.**7.10 (i)**}

(₹ लाख)

क्र. सं.	कमिश्नरी	निम्न में पड़ी हैं	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
1.	सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, कानपुर	गोदाम	मोबाईल फोन और इलेक्ट्रोनिक सामान	9 पेकेट	38.72	नवम्बर 2011
				10 पेकेट	26.59	मार्च 2012
		डिवीजन, आगरा	इलेक्ट्रोनिक सामान	85 नग	3.36	
2.	सीमाशुल्क, मुम्बई		इलेक्ट्रोनिक सामान और मोबाईल फोन		634.23	2009 से 2011
3.	सीमाशुल्क (पत्तन), कोलकाता	विशेष निपटान सेल	मोबाईल की बैटरियां	451700 नग	143.59	जून 2010
		अप्रेजिंग निपटान यूनिट	इलेक्ट्रोनिक सामान	95255 नग	59.88	जून 2010
4.	सीमाशुल्क	जब्ती और	मोबाईल की	5 मामले	121.16	2009 से 2012

क्र. सं.	कमिश्नरी	निम्न में पड़ी हैं	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
	(निवारक), पश्चिम बंगाल	निपटान यूनिट	बैटरियां			
5.	सीमाशुल्क, जोधपुर	सामान्य मालखाना, जयपुर	कंट्रोल पैनल का इलेक्ट्रोनिक सामान		7.88	2006-07
6.	सीमाशुल्क, दिल्ली	आईडी, पीपीजी	इलेक्ट्रोनिक सामान	23 मामले	2658.30	1991 से 2007
			कॉम्पेक्ट डिस्क	8 मामले	1541.01	1998
7.	सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता	शेड-I एवं II	इलेक्ट्रोनिक माल	84 मामले	19.48	1974
		शेड-I एवं II	इलेक्ट्रोनिक माल	97 मामले	344.58	1972 से 2010
8.	सीमाशुल्क (निवारक), पटना	फोरबेसगंज, मोतीहारी, मुज़फ्फरपुर और पटना	इलेक्ट्रोनिक सामान	4 मामले	138.60	2001 से 2012
		मुज़फ्फरपुर	कॉम्पैक्ट डिस्क/डीवीडी	1 मामला	0.04	2011
9.	सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	गोरखपुर	वोडाफोन सिम	125 नग	0.03	2010
			इमरजेंसी लाइट	51 नग	0.15	2012
10.	उप .आयुक्त, एयर कार्गो, संगनेर	एफपीओ जयपुर	ऐसेसरीज सहित वायरलेस इंटरनेट फोन		0.11	2009
				कुल	**5737.71**	

परिशिष्ट **42** {पैरा सं. **7.10 (iii)**}

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
1.	सीमा शुल्क (निवारक) लखनऊ	डिविजन, लखनऊ	स्कोच जोनी वाकर डबल ब्लैक आइडोल्स	38 बोतल	1.98	नव. 2011
				5 नग	0.21	1976
			सेमि प्रेशियस स्टोन	50 किग्रा	0.55	2001 एवं 2005

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
			स्टोन	550 नग	0.12	2003
		डीविजन	भोला नाथ		0.003	मार्च 2012
		गोरखपुर	नेपाली शराब और गुटखा	12100 पाउच	0.11	अप्रैल 2011
			इंडियन गुटखा	20850 पाउच	0.21	मार्च 2011
			नेपाली गुटखा	3060 पाउच	0.018	सित.. 2011
			एफ/ओ वाइन	65 नग	0.012	मई 2012
			कच्ची शराब	12 बोतल	0.001	
			बुद्ध की मुर्तियां एवं दूसरी	4 नग	1.50	2008 एवं 2009
			बाल बियरिंग	684 नग	3.59	2010
			इंडिया मिक्स स्टोन	5667 ग्रा.	1.59	2010
2.	सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, कानपुर	डिविजन आगरा	शराब	26 बोतल	0.12	1985 से2001
3.	सीमा शुल्क (निवारक) कोलकाता	शेड I एवं II	व्हिस्की/शराब	25 मामले	3.32	
		शेड I एवं II	केमिकल्स	1 मामला	1.09	1994
4.	सीमा शुल्क (निवारक) पटना	फोरबेसगंज	व्हिस्की/शराब	6 मामले	0.03	2004 से 2006
		मुज्जफरपुर	केमिकल्स	1 मामला	0.30	2008
		मोतीहरी मुजफफरपुर	कलाई घड़ी	2 मामले	3.02	2012
		मोतीहरी मुजफफरपुर	पेट्रोलियम उत्पाद	2 मामले	0.14	2011-12
5.	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, नोएडा	आईसीडी दादरी	ओडब्ल्यूसी (ड्रिलिंग केमिकल एडिटिव)	1000 एमटी	207.02	जून 2011
6.	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर गाजियाबाद	आईसीडी लोनी	रबड़ प्रोसेस ऑयल	180.84 एमटी	34.48	दिस. 2011 एवं मई 2012
				कुल	**259.41**	

परिशिष्ट **43** {पैरा सं. **7.12 (i)**}

(लाख ₹)

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए हैं
1	सीमा शुल्क,	डिविजन	मेडिसिनल	100 किग्रा	0.60	अक्टू. 2004

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए हैं
	(निवारक), लखनऊ	लखनऊ	पाउडर मेडिसिन्स		0.80	
		डिविजन गोरखपुर	ओक्सिटोसिन इन्जेक्शन	15000 एम्पूल्स	1.50	2010
			एलूमिनियम	216 बॉक्स	0.54	2010
			फोस्फाइड दवाईयां	1 मामला	0.09	2010
2	सीमा शुल्क दिल्ली	आईसीडी, पीपीजी	दवाईयां	10 मामले	57.40	2004 से 2010
3	सीमा शुल्क (निवारक), कोलकाता	शेड 1 एवं II	दवाईयां	2 मामले	20.15	2008
		शेड I एवं II	दवाईयां	5 मामले	3.00	1988
		जब्ती एवं निपटान	दवाईयां	5 मामले	22.02	2008 से 2011
		यूनिट मालदा डिविजन	दवाईयां	143 मामले	26.69	2000 से 2009
4	सीमा शुल्क (निवारक), पटना	फोरबेसगंज	दवाईयां		8.07	2005 से 2012
		मोतीहरी	दवाईयां		18.27	2009 से 2012
		मुज्फफरपुर	दवाईयां		47.24	2012
				कुल	**206.37**	

परिशिष्ट **44** {पैरा सं. **7.12 (ii)**}

(लाख ₹)

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
1.	सीमा शुल्क, जोधपुर	आईसीडी, कनकपुर, जयपुर	रेडीमेड कपड़े	15435 नग	40.94	2003
			रेडीमेड कपड़े	37800 नग	9.45	नव.2010
2.	सीमा शुल्क (निवारक), पटना	मुजफफरपुर	कपड़ा	1 मामला	0.08	2010
		फोरबेसगंज, मोतीहरी मुफफरपुर और पटाना	रेडीमेड कपड़े	5 मामले	57.13	2006 से 2012
		मुजफफरपुर	छोटी इलाइची	2 मामले	0.33	2012
		मोतीहरी फोरबेसगंज		1 मामला	0.20	2012
		फोरबेसगंज	कोस्मेटिक्स	2	4.22	2010

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
		मुजफफरपुर		मामले		
		मुजफफरपुर	वनस्पति तेल	2 मामले	0.30	2010
3.	सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ	लखनऊ	मेटलाग्स पेपर	6226 नग	0.62	2001
		गोरखपुर	चाईनीज बैड शीट्स	28650 नग	41.32	2009
4.	सीमाशुल्क दिल्ली	आईसीडी पीपीजी	कोस्मेटिक्स	2 मामले	0.88	2008
			इमिटेशन ज्वेलरी	5 मामले	491.59	2012
				कुल	**647.06**	

परिशिष्ट **45** {पैरा सं. **7.14 (i)**}

(लाख ₹)

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
1.	सीमा शुल्क (निवारक) पश्चिम बंगाल	शेड ।एवं॥	मशीनरी	65 मामले	44.09	1987 से 2002
		शेड ।एवं ॥	दूसरे विविध माल	294 मामले	72.98	1971 से 2012
		जब्ती और निपटान यूनिट	दूसरे विविध माल		413.97	1997 से 2010
2.	सीमा शुल्क, मुम्बई		मशीनरी	1 मामला	5.08	2011
3.	सीमा शुल्क, (निवारक) पटना	मोतीहरि	मशीनरी	1 मामला	1.50	2005
		पटना	रेफ्रिजरेशन गैस	1 मामला	20.79	2006-07
		पटना फोरबेसगंज मोतीहरी एवं मुजफफरपुर	दूसरे माल	55 मामले	55.77	2004-05
4.	उपायुक्त एयर कार्गो, संगनेर और एफपीओ जयपुर		साइड बार्स	10000 नग	7.55	1996
			मेटल बेजल	596 नग		
		एफपीओ जयपुर	स्वोर्ड—3 वुडन सपोर्ट फॉर स्वोर्ड-1		0.09	2009
5.	सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ	लखनऊ	एसी, गैस सिलेंडर्स	3 भरे हुए 1खाली	0.11	2002
			गैस सिलेंडर्स	16 नग	1.28	2007
		गोरखपुर	ब्रास स्र्केप	292 किग्रा	0.73	2007
			बैटरी टरमाइन्ड	710 दर्जन	2.05	2007

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
			टीओसी. 32 बोर पिस्टल कारतूस	105 नग	0.14	2010
			टीसीओ. 380 बोर पिस्टल कारतूस	10 नग	0.007	2010
			चाइनीज विविध मदें		0.19	2012
			सीपीयू कूलिंग फैन, आयरन प्रैस और अन्य	303 नग	0.27	2011
			हेण्डिक्राफट्स	12 नग	0.05	2012
			छोटे गैस सिलेंडर्स	121 नग	0.33	2012
6.	सीमा शुल्क, दिलली	आईसीडी पीपीजी	जूते	5 मामले	42.64	2005-06
			औद्योगिक कच्चा माल	1 मामला	6.74	2009
			विविध मदें	9 मामले	36.93	2003 से 2009
			माऊंटिड पीसीबी	2 मामले	33.88	2005
			अन्य अर्थात हाऊस होल्ड, लैदर फॅन्सी, मार्बल आदि।	10 मामले	52.20	2002 से 2012
			पैकिंग सामग्री	3 मामले	10.89	2003 से 2006
			पार्टस	17 मामले	121.91	2001 से 2008
			स्पोर्टसमाल	5 मामले	45.77	2007 से 2010
			टूल्स	12 मामले	192.18	2002
			विनाईल फलोरिंग	3 मामले	125.77	2002 एवं 2012
			वूडन/एच/सी	1 मामला	0.14	1995
			बेबी केरेज पार्टस	26 मामले	328.87	2002 से 2006
			बैरल बोल्ट्स	1 मामला	0.17	1987
			कार्पेट, हेड नोटिड वूलन कार्पेट आदि	16 मामले	1673.93	2010
			फैबरिक्स	11 मामले	418.27	2011
			वस्त्र, पालिसटर सूट, हस्तनिर्मित ऊनी कालीन इत्यादि	153 मामले	1654.49	1998 to 2010
			सामान्य कार्गो	2 मामले	5.96	1996 से 1998
			हस्तशिल्प	2 मामले	28.80	1992 से 2004
7.	सीमाशुल्क (निवारक)		ट्राटरिक एसिड	67 बोरें	ला:न.	1993

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़ा है	मद	मात्रा	मूल्य	कब से पड़े हुए है
	मुम्बई					
8.	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, नोयडा	आईसीडी, दादरी	लौह सक्रैप	205.06 एमटी	56.63	2010
		आईसीडी, दादरी	हैवी मैल्टिंग स्क्रैप	204.03 एमटी	50.78	2012
				जोड़	**5513.93**	

परिशिष्ट 46 {**पैरा सं**. 7.16 (**ड़**)}

(लाख ₹)

क्रम सं.	कमिश्नरी	पड़े है	माल	मात्रा	अंकित मूल्य	कब से पड़े है	जहां बेचे गए	कम वसूली
1.	सीमाशुल्क (निवारक) पटना	पटना	सिगरेट	48000 पेक्टि	48.00	2011	4.95	43.05
		पटना	मोबाइल बैट्री	1 मामला	4.12	2010	0.15	3.97
		पटना	कार्ड रीडर	10000	5.00	2010	0.86	4.14
		मोतीहारी	मेमोरी कार्ड	2400	9.60	2011	0.11	9.49
2.	सीमाशुल्क (एनईआर) शिलॉग	गुवाहाटी डिविजन	सिगरेट	8.40 लाख नग	12.60	2011 - 2012	2.58	10.02
3.	सीमाशुल्क, बैंगलोर	बैंगलौर	एसएस वेल्डिड टयूब एवं केसर	3 मामले	66.93	2010	9.33	57.60
4.	सीमाशुल्क, मंगलौर	मंगलौर	केसर	14.29 किग्रा.	26.03	2011	2.79	23.24
					172.28		**20.77**	**151.51**

परिशिष्ट 47 (**पैरा सं.**7.19)

क्रम सं.	कमिश्नरी	कस्टम हाउस
1	कोलकाता (बन्दरगाह)	कस्टम हाउस, कोलकाता
2	कोलकाता (हवाई अड्डा)	एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, एनएससीबीआई, कोलकाता
3	विशाखापत्तनम (बनदरगाह)	कस्टम हाउस, विशाखापत्तनम
4	हैदराबाद -II(हवाई अड्डा)	कस्टम हाउस, हैदराबाद
5	अहमदाबाद(हवाई अड्डा)	कस्टम हाउस , अहमदाबाद
6	कच्छ (बन्दरगाह)	कस्टम हाउस, काण्डला
7	मंगलौर (बन्दरगाह)	i. कस्टम हाउस , मंगलौर

क्रम सं.	कमिश्नरी	कस्टम हाउस
		ii. कस्टम हाउस, कारबार
8	बैंगलौर (हवाई अड्डा)	i.एयर कार्गो काम्पलैक्स, बैंगलौर
		ii. आईसीडी
9	आईसीडी, तुगलकाबाद	i. आईसीडी,तुगलकाबाद
		ii. आईसीडी, पटपडगंज
10	नई दिल्ली (हवाई अड्डा)	कस्टम हाउस (आई एण्ड जी), नई दिल्ली
11	मुम्बई	जेएनसीएच, मुम्बई

परिशिष्ट **48 (**पैरा सं.**7.20.1)**

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	2010-11 से 2012-13 के दौरान फाईल किये गए आईजीएम की सं.	2010-11 से 2012-13 के दौरान एमसीडी में प्राप्त आईजीएम की सं.	एमसीडी में आईजीएम की लम्बित प्राप्ति	टिप्पणी
1	कस्टम हाउस, कोलकाता (बन्दरगाह)	7378	3920	3458	
2	कस्टम हाउस, मंगलौर	3436	उपलब्ध नहीं	870	
3	कस्टम हाउस, कारवार	252	उपलब्ध नहीं	359	एमसीडी का गैर अस्तिस्व
4	एयर कार्गो काम्पलैक्स, बैंगलौर	8300	उपलब्ध नहीं	10579	1.4.2010 से पहले बकाया आईजीएम के कारण ईडीआई प्रणाली में फाईल किये गए आईजीएम की सं. से एमसीडी में आईजीएम की लम्बित प्राप्ति की संख्या अधिक है।
	जोड़:	**19366**	**3920**	**15266**	
	$\frac{15266}{19366}$	**X100=78.82%**			

परिशिष्ट 49 (**पैरा सं.** 7.20.1)

काण्डला -कमिश्नरी

वर्ष	**एमसीडी के अनुसार सूचना**		**आयात नोटिंग विभाग द्वारा सूचना के अनुसार**	
	आईएनडी द्वारा एमसीडी को भेजे गए आईजीएम की सं.	एमसीडी के अनुसार प्राप्त आईजीएम की सं.	आईएनडी द्वारा एमसीडी को भेजे गए आईजीएम की सं.	एमसीडी के अनुसार प्राप्त आईजीएम की सं.
2010-11	2507	2507	2364	2364
2011-12	2548	2548	2384	2384
2012-13	2828	2828	2716	2716

परिशिष्ट 50 (**पैरा सं.** 7.20.2)

क्रम सं.	**कस्टम हाउस का नाम**	**2010-11 से 2012-13 के दौरान देर से भरे गए आईजीएम की सं.**	**₹50000/आईजीएम की दर से उद्ग्रहणीय सूचना शास्ति की सीमा (₹ लाख)**	**विस्तृत सूचना**	**टिप्पणी**
1	एयर कार्गो काम्पलैक्स कोलकाता	1145	572.50	अनुबंध-III ए	उत्तर में (जुलाई, 13) विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
2	एयर कार्गो काम्पलैक्स, आरजीआई हवाई अड्डा, हैदराबाद	210	105.00	अनुबंध -III बी	विभाग ने बताया (जुलाई, 2013) कि विलम्ब अगस्त से सितम्बर 2011 के दौरान ईडीआई के 1.0 वर्जन से 1.5 में अपग्रेडेशन के कारण हो सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सितम्बर, 2011 के बाद ईडीआई के अपग्रेडेशन के बाद भी विलम्ब था।
3	एयर कार्गो काम्पलैक्स, अहमदाबाद	178	89.00	अनुबंध -IIIसी	विभाग ने बताया (7.6.2013) कि विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	2010-11 से 2012-13 के दौरान देर से भरे गए आईजीएम की सं.	₹50000/आईजीएम की दर से उद्ग्रहणीय सूचना शास्ति की सीमा (₹ लाख)	विस्तृत सूचना	टिप्पणी
					जाएगा।
4	कस्टम हाउस, मंगलौर	23	11.50	अनुबंध -III डी	उत्तर प्रतीक्षित
5	एयर कार्गो काम्पलैक्स, बैंगलौर	436	218.00	अनुबंध -III ई	उत्तर प्रतीक्षित
जोड़:		**1992**	**996.00**		

परिशिष्ट 51 (**पैरा सं.** 7.20.3)

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	माल की कम उतराई के मामलों की सं.	कम उतराई हुए माल पर शामिल शुल्क (₹)	कम उतराई माल पर उद्ग्रहणीय शास्ति की सीमा (लाख ₹)	टिप्पणी
1	कस्टम हाउस, कोलकाता	74	447781	8.96	
2	आईसीडी, तुगलकाबाद दिल्ली	1	869688	17.39	
3	एयर कारगो काम्पलैक्स अहमदाबाद	6	518685	10.37	छ आईजीएम मामलों के संबंध में कम उतराई वाला माल बाद में बिना सूची के प्राप्त हुआ था तथा सीमा शुल्क द्वारा कम उतराई के लिए आईजीएम में संशोधन तथा दाण्डिक प्रक्रिया प्रारंभ किए बिना अलग-अलग बीई के तहत निकासी किया गया। केवल तीन मामलों के संबंध में ₹ 518685/- की शुल्क राशि अभिनिश्चित की

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	माल की कम उतराई के मामलों की सं.	कम उतराई हुए माल पर शामिल शुल्क (₹)	कम उतराई माल पर उद्ग्रहणीय शास्ति की सीमा (लाख ₹)	टिप्पणी
					गई थी।
4	कस्टम हाउस कारबार	1	57649	1.15	एक मामले में 57,649/- की शुल्क राशि वाला 33.813 एमटी आरबीडी पामोलीन की कम उतराई पाई गई थी जिसके लिए कोई दाण्डिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई।
	जोड़	**82**	**1893803**	**37.88**	

परिशिष्ट 52 (**पैरा सं.** 7.20.3)

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं.	तिथि	माल का विवरण	मात्रा आईजीएम (नग)	उतारी गई मात्रा	कम (नग)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	शुल्क राशि	उद्ग्राह्य शास्ति
1	कोलकाता	802/10	03/05/2010	लॉग्स	1339	1323	16	शास्ति लगाई गई	135000	270000
2	कोलकाता	2018049/11	11/08/2011	लॉग्स	1517	1516	1	केवल ओआरटी प्राप्त हुआ		
3	कोलकाता	2012651/11	20/05/2011	लॉग्स	2151	2149	2	एससीएन जारी किया गया	5940	11880
4	कोलकाता	2016646/11	21/07/2011	लॉग्स	2242	2239	3	एलसीआई सेक्शन द्वारा अभी ओटीआर प्राप्त हुआ है		
5	कोलकाता	2019008/12	26/08/2011	लॉग्स	2588	2582	6	एससीएन जारी किया गया	16332	32664
6	कोलकाता	2029282/12	1/27/2012	लॉग्स	1075	1072	3	एससीएन जारी किया गया	36787	73574

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं.	तिथि	माल का विवरण	मात्रा आईजीएम (नग)	उतारी गई मात्रा	कम (नग)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	शुल्क राशि	उद्ग्राहय शास्ति
7	कोलकाता	2041336/12	7/29/2012	लॉग्स	2227	2223	4	एससीएन जारी किया गया	10448	20896
8	कोलकाता	2044948/12	21/09/2012	लॉग्स	1259	1248	11	एससीएन जारी किया गया	30950	61900
9	कोलकाता	2044220/12	9/10/2012	लॉग्स	1591	1587	4	एससीएन जारी करने के लिए तैयार	13402	26804
10	कोलकाता	2049556/12	11/29/2012	लॉग्स	1509	1503	6	एससीएन जारी करने के लिए तैयार	35422	70844
11	कोलकाता	2004902/11		लॉग्स	273	270	3	एससीएन जारी किया गया	20420	40840
12	कोलकाता	2032856/12		लॉग्स	218	215	3	एससीएन जारी किया गया	119064	238128
13	कोलकाता	2010959/11		लॉग्स	493	492	1	7/13 को केएलसी/एससीएन जारी किया गया	8002	16004
14	कोलकाता	2015166/11		लॉग्स	134	133	1	7/13 को एससीएन जारी किया गया	14149	28298
15	कोलकाता	2031911/12		लॉग्स	392	391	1	₹ 2000 शास्ति वसूली गई	1865	3730
16	कोलकाता	2037584/12		लॉग्स	1266	1265	1	टैली शीट के लिए पत्र जारी किया गया		
17	कोलकाता	2041142/12		लॉग्स	396	381	15	टैली शीट के लिए पत्र जारी किया गया		
18	कोलकाता	2048184/12		लॉग्स	465	464	1	टैली शीट सहित ओटीआर प्राप्त हुआ		
19	कोलकाता	2050959/12		लॉग्स	737	736	1	एलसीआई सेक्शन द्वारा अभी ओटीआर प्राप्त किया गया		
20	कोलकाता	2056379/12		लॉग्स	134	132	2	टैली शीट सहित ओटीआर प्राप्त हुआ		
21	कोलकाता	856/10 10/05/2010		लॉग्स	2377	2374	3	विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि ओटीआर		
22	कोलकाता	1654/10 01/09/2010		लॉग्स	1570	1568	2			
23	कोलकाता	1026/10		लॉग्स	1323	1421	2			

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं.	तिथि	माल का विवरण	मात्रा आईजीएम (नग)	उतारी गई मात्रा	कम (नग)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	शुल्क राशि	उद्ग्राहय शास्ति
		03/06/2010						एमसीडी द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते।		
24	कोलकाता	1555/10 18/08/2010		लॉग्स	1015	1008	7			
25	कोलकाता	2094/10 03/11/2010		लॉग्स	979	973	6			
26	कोलकाता	20039832/10 14-12-10		लॉग्स	837	836	1			
27	कोलकाता	2004202/10 20/12/2010		लॉग्स	2646	2643	3			
28	कोलकाता	2163/10 08/11/2010		लॉग्स	1053	1049	4			
29	कोलकाता	2006189/11 27/01/2011		लॉग्स	2918	2914	4			
30	कोलकाता	2007602/11 11/02/2011		लॉग्स	1623	1618	5			
31	कोलकाता	2006321/11 27/01/2011		लॉग्स	592	590	2			
32	कोलकाता	2008933/11 22/03/2011		लॉग्स	1851	1848	3			
33	कोलकाता	2007184/11 15/02/2011		लॉग्स	2508	2507s	1			
34	कोलकाता	2012087/11 12/05/2011		लॉग्स	2260	2257	3			
35	कोलकाता	2015530/11 04/07/2011		लॉग्स	2064	2058	6			
36	कोलकाता	2012337/11 16/05/2011		लॉग्स	1686	1683	3			
37	कोलकाता	2030430/12 14/02/2012		लॉग्स	1716	1713	3			
38	कोलकाता	2013463/11 02/06/2011		लॉग्स	2241	2216				
39	कोलकाता	676/10		लॉग्स	400	395	5			
40	कोलकाता	676/10		लॉग्स	355	347	8			
41	कोलकाता	676/10		लॉग्स	379	375	4			
42	कोलकाता	1826/10		लॉग्स	340	337	3			
43	कोलकाता	1826/10		लॉग्स	231	230s	1			
44	कोलकाता	1826/10		लॉग्स	265	264	1			
45	कोलकाता	2004902/11		लॉग्स	206	204	2			
46	कोलकाता	707/10		लॉग्स	503	502	1			
47	कोलकाता	707/10		लॉग्स	485	484	1			
48	कोलकाता	1814/10		लॉग्स	168	167	1			
49	कोलकाता	1814/10		लॉग्स	171	170	1			
50	कोलकाता	1814/10		लॉग्स	164	163	1			
51	कोलकाता	2005870/11		लॉग्स	869	868	1			
52	कोलकाता	2007543/11		लॉग्स	96	94	2			
53	कोलकाता	2007543/11		लॉग्स	151	150	1			
54	कोलकाता	2032856/12		लॉग्स	336	333	0 3			
55	कोलकाता	2038055/12		लॉग्स	290	286	4			
56	कोलकाता	2038055/12		लॉग्स	482	478	4			
57	कोलकाता	2038055/12		लॉग्स	149	144	5			
58	कोलकाता	2042672/12		लॉग्स	220	219	1			

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं.	तिथि	माल का विवरण	मात्रा आईजीएम (नग)	उतारी गई मात्रा	कम (नग)	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	शुल्क राशि	उद्ग्राहय शास्ति
59	कोलकाता	2042672/12		लॉग्स	100	99	1			
60	कोलकाता	2042672/12		लॉग्स	75	74	1			
61	कोलकाता	2044517/12		लॉग्स	250	249	1			
62	कोलकाता	2055654/12		लॉग्स	579	574	5			
63	कोलकाता	2056379/12		लॉग्स	166	162	4			
64	कोलकाता	2018466/11		लॉग्स	1944	1942	2			
65	कोलकाता	2019369/11		लॉग्स	2105	2101	4			
66	कोलकाता	2022228/11		लॉग्स	2433	2431	2			
67	कोलकाता	2026968/11		लॉग्स	405	404	1			
68	कोलकाता	2036603/12		लॉग्स	1854	1847	7			
69	कोलकाता	2038317/12		लॉग्स	1699	1698	1			
70	कोलकाता	2040354/12		लॉग्स	3430	3429	1			
71	कोलकाता	2050588/12		लॉग्स	3160	3141	19			
72	कोलकाता	2027151/12		लॉग्स	1669	1668	1			
73	कोलकाता	2051943/13		लॉग्स	686	594	92			
74	कोलकाता	2051875/13		लॉग्स	1535	1519	16			

परिशिष्ट 53 (**पैरा सं.** 7.20.5)

क्रम सं.	सीमाशुल्क	आईजीएम संख्या तथा तिथि	पहुँचने की तिथि	एलओसी की तिथि	विलम्ब दिनों में (120 दिन से अधिक) शून्य	अधिर्निणय के पश्चात लगाई गई शास्ति ₹
1	विशाखापत्तनम	256/01-03-09	3/1/2009	12/18/2009	173	शून्य
2	विशाखापत्तनम	485/11-05-10	5/11/2010	12/27/2010	120	शून्य
3	विशाखापत्तनम	1044/09-08-10	7/17/2010	1/24/2011	41	7500
4	विशाखापत्तनम	1462/09-11-10	11/12/2011	4/6/2011	26	2000
5	विशाखापत्तनम	1497/18-11-10	12/17/2010	5/13/2011	27	450,000
6	विशाखापत्तनम	1185/10-09-10	9/21/2010	8/4/2011	197	1,00,000
7	विशाखापत्तनम	657/08-05-11	5/21/2011	2/17/2012	152	1,50,000
8	विशाखापत्तनम	977/25-07-11	7/29/2011	3/14/2012	98	22,000
9	विशाखापत्तनम	1073/11-08-11	8/24/2011	5/4/2012	123	शून्य
10	विशाखापत्तनम	1468/08-11-11	11/8/2011	5/8/2012	61	शून्य

क्रम सं.	सीमाशुल्क	आईजीएम संख्या तथा तिथि	पहुँचने की तिथि	एलओसी की तिथि	विलम्ब दिनों में (120 दिन से अधिक) शून्य	अधिर्निणय के पश्चात लगाई गई शास्ति ₹
11	विशाखापत्तनम	368/01-04-12	4/1/2012	8/23/2012	22	शून्य
12	विशाखापत्तनम	1242/24-09-11	9/24/2011	8/21/2012	235	शून्य
13	विशाखापत्तनम	1397/28-10-11	10/28/2011	8/17/2012	173	शून्य
14	विशाखापत्तनम	1323/04-10-11	10/17/2011	8/17/2012	184	शून्य
15	विशाखापत्तनम	1535/17-11-11	11/25/2011	9/4/2012	163	शून्य
16	विशाखापत्तनम	394/04-04-12	4/9/2012	10/4/2012	58	8000
17	मंगलौर	2043928/06.09.12	07.09.12	11.06.13	126	

परिशिष्ट 54 (**पैरा सं.** 7.20.6)

क्रम सं.	फाईल सं.	शिपिंग एजेन्ट का नाम	माँग पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	मूल आदेश जारी किया गया	शामिल शास्ति की राशि (₹)	की गई कार्यवाही
कस्टम हाउस, कोलकाता [कोलकाता बन्दरगाह कमिश्नरी]						
1	एस2-04/12 एमसीडी	मै. रिले शिंपिग एजेंसी	01.02.2012	जारी नहीं किया गया	2332474	लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद विभाग द्वारा मामले का अधिनिर्णय किया गया था एवं तत्पश्चात् एसी (एमसीडी) द्वारा 1.10.2013 को मूल आदेश जारी करके बन्द कर दिया गया।
2	एस2-09/12 एमसीडी	स्पान ओशिएंनिक सर्विसेज प्रा.लि.	05.11.2012	जारी नहीं किया गया	56526	लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद विभाग द्वारा मामले का

क्रम सं.	फाईल सं.	शिपिंग एजेन्ट का नाम	माँग पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	मूल आदेश जारी किया गया	शामिल शास्ति की राशि (₹)	की गई कार्यवाही
						अधिनिर्णय किया गया था
3	एस 2-10/12 एमसीडी	सोहम शिंपिग (पी) लि.	06.12.2012	जारी नहीं किया गया	26426	बताए जाने के बाद ₹ 20000 वसूल किये गए।
4		मरीन कंटेनर सर्विसेज		56/03 तिथि 26.6.2003	325666	
5		पी एण्ड ओ नेडलोयेड		63/03 तिथि 18.9.2009	160000	
6		शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया		78/09 तिथि 31.03.2009	40000	
7		सिंगापुर एयरलाइन्स		07/03 तिथि 21.02.2003	35382	
8		ली मूरीर हेड लि.		66/03 तिथि 29.8.2003	105,000	
				जोड़	**3,081,474**	

परिशिष्ट 55 (**पैरा सं.**7.20.6)

वर्ष	कस्टम हाउस का नाम	अधिनिर्णय सं. एवं तिथि	लगाई गई शास्ति की राशि	शास्ति की बकाया राशि (₹)	टिप्पणी/ की गई कार्यवाही
कस्टम हाउस, कोलकाता [कोलकाता बन्दरगाह कमिश्नरी]					
2012-13	विशाखापत्तनम	824/4-12-12	600000	600000	स्टीमर एजेन्ट ने अपील को वरीयता दी
		830/5-12-12	956000	956000	
		757/18-12-12	1260724	1260724	
		जोड़	**28,16,724**	**28,16,724**	

परिशिष्ट 56 (**पैरा सं.** 7.20.7)

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	शामिल आईजीएम की सं.	निकासी ना किए हुए परेषणो की सं.	शामिल शुल्क (लाख ₹)	टिप्पणी
1	कस्टम हाउस, कोलकाता	24	22	1033.74	कुल 22 परेषणों में से लेखापरीक्षा 1 परेषण में ₹ 1033.74 लाख की राशि के शुल्क का पता लगा सकने के लिए समर्थ थी।
2	एयर कार्गो काम्पलैक्स कोलकाता	527	569		लेखापरीक्षा निकासी ना किये गए माल पर शामिल शुल्क का पता लगाने में असमर्थ थी।
3	एयर कार्गो काम्पलैक्स, हैदराबाद	1797	2041	1126.54	कुल 2041 परेषणों में से, लेखापरीक्षा 204 परेषणों में ₹ 1126.54 लाख की राशि के शुल्क का पता लगाने में समर्थ थी
4	कस्टम हाउस, विशाखापत्तनम		136		लेखापरीक्षा निकासी ना किये गए माल पर शामिल शुल्क का पता लगाने में असमर्थ थी।
5	कस्टम हाउस, काण्डला		66	29.20	15 मामलों में, विभाग ने निपटान कार्यवाही प्रारंभ की। 10 मामलों में, लेखापरीक्षा शामिल शुल्क का पता लगाने में असमर्थ थी। शेष 41 मामलों में शामिल शुल्क ₹ 29.20 लाख था।
6	एयर कारगो काम्पलैक्स, बेंगलौर		5569		शामिल शुल्क तथा माल के निपटान हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।
7	आईसीडी, बेंगलौर		324		शामिल शुल्क तथा माल के निपटान हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।
	जोड़	**2348**	**8727**	**2189.48**	

परिशिष्ट 57 (**पैरा सं.** 7.20.8)

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं. तथा तिथि	पेकेज की संख्या	मद एवं विवरण	अधिक शुल्क	अधिक उतारे गए कार्गो पर उद्ग्रहणीय शास्ति की सीमा	टिप्पणी
1	**मंगलौर**	2056703/18/3/13		भारी कच्चा तेल	332.397 एमटी	लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया गया	अधिनिर्णय के बिना संशोधित
2	मंगलौर	2056257/11.3.13		मिश्रित कच्चा तेल	72.308 एमटी		
3	मंगलौर	2056229/11.3.13		मिश्रित कच्चा तेल	276.627 एमटी		
4	मंगलौर	2055835/4.3.13		कच्चा तेल	436.926 एमटी		
5	मंगलौर	2055634/26.2.13		ए-140 प्रोपेन लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस	11.355 एमटी		
6	मंगलौर	2056909/21.3.13		मर्बन कच्चा तेल	60.434 एमटी		
7	मंगलौर	2057253/26.3.13		अरब सुपर लाईट कच्चा तेल	48.158 एमटी		
8	मंगलौर	2055131/21.2.13		एम.एच. कच्चा तेल	62.309 एमटी		
9	मंगलौर	2008689/17.3.11		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	448.699 एमटी		
101	मंगलौर	2008163/7.3.11		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	16.85 एमटी		
11	मंगलौर	2009200/28.3.11		नाप्था	10.336 एमटी		
12	मंगलौर	2008980/23.3.11		इरेनियम लाईट कच्चा तेल	125.594 एमटी		
13	मंगलौर	2006454/1.2.11		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	130.197 एमटी		

क्रम सं.	कस्टम हाउस का नाम	आईजीएम सं. तथा तिथि	पेकेज की संख्या	मद एवं विवरण	अधिक शुल्क	अधिक उतारे गए कार्गो पर उद्ग्रहणीय शास्ति की सीमा	टिप्पणी
145	मंगलौर	2008687/17.3.11		ब्यूटेन	39.966 एमटी		
15	मंगलौर	2032116/12.3.12		फर्नेस तेल (ईंधन)	132.584 एमटी		
167	मंगलौर	2054933/18.2.13		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	34.59 एमटी		
17	मंगलौर	2053101/21.1.13		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	256.927 एमटी		
18	**मंगलौर**	2054179/6.2.13		इरेनियम भारी कच्चा तेल	88.615 एमटी		
19	मंगलौर	2055130 /21.2.13		कवैत एक्सपोर्ट कच्चा तेल	186.561 एमटी		
20	मंगलौर	2055343/25.2.13		इरेनियम भारी कच्चा तेल	56.666 एमटी		
212	मंगलौर	2054016/4.2.13		इरेनियन मिश्रित कच्चा तेल	94.650 एमटी		
22	मंगलौर	2055001/19.2.13		नाप्था	17.128 एमटी		

परिशिष्ट 58 (**पैरा सं**.7.20.9)

क्रम सं.	वर्ष	कस्टम हाउस का नाम	फाइल किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये जाने के लिए लम्बित आईजीएम की सं.	टिप्पणी
1	2010-11	कोलकाता	2559	0	2559	सीमाशुल्क विभाग से सूचना प्राप्त हुई
	2011-12		2412	0	2412	
	2012-13		2407	0	2407	
		कुल:	**7378**	0	**7378**	

क्रम सं.	वर्ष	कस्टम हाउस का नाम	फाइल किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये जाने के लिए लम्बित आईजीएम की सं.	टिप्पणी
2	2010-11	एयर कार्गो	8035	0	8035	विभाग द्वारा केवल साफ्ट कापी में सूचना पहुँचाई गई
	2011-12	काम्पलैक्स	7643	0	7643	
	2012-13	कोलकाता	7140	0	7140	
		कुल :	**22818**	0	**22818**	
3	2010-11	विशाखापत्तनम	1740	1740	0	
	2011-12		1692	1685	7	
	2012-13		1436	1401	35	
		कुल :	**4868**	**4826**	**42**	
4	2010-11	एयर कार्गो	8848	0	8848	
	2011-12	काम्पलैक्स,	8697	0	8697	
	2012-13	आरजीआई हवाई अड्डा हैदराबाद	8275	0	8275	
		कुल:	**25820**	0	**25820**	
5	2010-11	**काण्डला**	2142	2142	0	बन्द किये गए आईजीएम में अप्रैल, 2010 से पहले दर्ज किये गए आईजीएम शामिल है
	2011-12		2283	1710	573	
	2012-13		2461	1442	1019	
		कुल :	**6886**	**5294**	**1592**	
6	2010-11	मंगलौर	1438	1257	181	फाइल किये गए एवं बन्द किये गए आईजीएम में अप्रैल, 2010 से पहले फाइल किये गए आईजीएम शामिल है
	2011-12		702	689	13	
	2012-13		1635	1334	301	
		कुल :	**3775**	**3280**	**495**	
7	2010-11	कारवार	296	171	125	फाइल किये गए एवं बन्द किये गए आईजीएम में अप्रैल, 2010 से पहले फाइल किये गए आईजीएम शामिल है

क्रम सं.	वर्ष	कस्टम हाउस का नाम	फाइल किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये गए आईजीएम की सं.	बन्द किये जाने के लिए लम्बित आईजीएम की सं.	टिप्पणी
	2011-12		60	0	60	
	2012-13		50	186	-136	
		कुल :	**406**	**357**	**49**	
8	2010-11	एयर कारगो काम्पलैक्स बेंगलौर	10463	7779	2684	फाइल किये गए एवं बन्द किये गए आईजीएम में अप्रैल, 2010 से पहले फाइल किये गए आईजीएम शामिल है
	2011-12		10199	9264	935	
	2012-13		9049	8396	653	
		कुल :	**29711**	**25439**	**4272**	

परिशिष्ट 59 (**पैरा सं**.7.24)

क्रम सं.	कमिश्नरी	सार्वजनिक	नीजि	कुल
1.	चेन्नई	36	26	62
2	कोलकाता	2	7	9
3.	जयपुर	1	2	3
4.	हैदराबाद	2	3	5
5.	अहमदाबाद	2	6	8
6.	नई दिल्ली	0	15	15
7.	ग्वालियर	1	2	3
8.	मुम्बई	6	13	19
9.	बेंगलौर	0	2	2
	कुल	**50**	**76**	**126**

परिशिष्ट 60 (**पैरा सं.** 7.24)

क्रम सं.	**कार्यालय**	**कमिश्नरी**	
1.	चेन्नई	5	समुन्द्र, एयर, तिरूचिरापल्ली, कोयम्बेतूर, तूतीकोरिन
2	कोलकाता	1	कोलकाता
3.	जयपुर	2	जयपुर I, जयपुर II
4.	हैदराबाद	2	हैदराबाद I, हैदराबाद II
5.	अहमदाबाद	2	वाडोदरा, काण्डला
6.	नई दिल्ली	2	एनसीएच, हवाई अड्डा
7.	ग्वालियर	2	इन्दोर , भोपाल

क्रम सं.	कार्यालय	कमिश्नरी	
8.	मुम्बई	3	एनसीएच, जेएनसीएच एवं पुणे
9.	बेंगलौर	1	बेंगलोर, कारवार
	कुल	**20**	

परिशिष्ट 61 (**पैरा सं.** 7.25.6)

(लाख ₹)

आयतक का नाम	भाण्डागारण की तिथि	माल गोदाम में भण्डारित माल की अवधि समाप्त हुई	माल की निकासी/ हटाने की तिथि	माल का एवी	उदग्राहय शुल्क	भुगतान किया गया शुल्क	शुल्क का कम भुगतान	ब्याज	कुल
1.मै. विंड पावर एनर्जी प्रा.लि. चेन्नै 6	16.05.2011 बॉड सं. 841490	15.05.2012	6. 5.2013	134.18	32.06	12.55	19.51	5.04	24.55
2. मै. स्टाइलिश सीमेन्ट प्राडक्ट्स प्रा. लि. कोलकाता	3/7/2006	3/6/2007	28/6/2011	38.1	14.00	10.23	3.77	2.67	6.44
									30.99

परिशिष्ट 62 (**पैरा सं.**7.25.7)

(लाख ₹)

कमिश्नरी	आयातक का नाम	अवधि जिसके लिए माल का भण्डारण किया गया	उदग्राहय शुल्क	उदग्राहय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	ब्याज का कम उद्ग्रहण
मुम्बई	मै. अकरी आर्गेनिक्स एण्ड अदरस	2011-13	109.96	112.23	5.50	106.73
हैदराबाद	मै. सचदेव स्पोर्टस	2010-11	8.63	0.04	0	0.04
अहमदाबाद	मै. जीएसपी कारपो साईन्स एण्ड अदरस	2010-13	413.76	5.88	0	5.88
	कुल		**532.35**	**118.15**	**5.50**	**112.65**

परिशिष्ट 63 (**पैरा सं.**7.25.9)

(₹ लाख)

	माल गोदाम की सं.	**मामलों की सं.**	**माल का निर्धारण योग्य मूल्य**	**शुल्क एवं ब्याज**
1. 20 वर्षों से अधिक से निपटान कार्यवाही हेतु लम्बित माल	दिल्ली -1	4	3.47	13.48
	मुम्बई -2	626	1514.03	1868.99
	चेन्नई - 4	11	435.84	430.83
	हैदराबाद-1	12	10.92	90.91
	उप जोड़	**653**	**1964.26**	**2404.21**
2. 20 वर्षों से कम परन्तु 10 वर्ष से अधिक से निपटान कार्यवाही हेतु लम्बित माल	दिल्ली - 1	2	28.45	22.03
	मुम्बई -2	2191	27795.74	11571.21
	चेन्नई - 7	151	2557.08	1754.70
	ग्वालियर - 1	6	31.92	35.51
	हैदराबाद -1	32	364.19	591.73
	उप जोड़	**2382**	**30777.38**	**13975.18**
3. **10** वर्षों से कम परन्तु 5 वर्षों से निपटान कार्यवाही हेतु लम्बित माल	मुम्बई -5	867	2187.48	1284.67
	चेन्नई – 5	25	1323.42	609.12
	हैदराबाद -1	9	43.59	53.15
	उप जोड़	**901**	**3554.49**	**1946.94**
4. **5** वर्षों से कम परन्तु 1 वर्ष से अधिक के लिए निपटान कार्यवाही हेतु लम्बित माल	मुम्बई -10	3478	5217.21	1370.5
	चेन्नई – 14	76	5003.39	1958.61
	बेंगलौर-2	4	3.69	3.63
	हैदराबाद -1	23	319.24	167.42
	कोलकाता-8	74	58820.71	3066.31
	उप जोड़	**3655**	**69364.24**	**6566.47**
	कुल जोड़		**1,05,660.40**	**24,892.80**

परिशिष्ट 64 (**पैरा सं.**7.25.11)

(₹ लाख)

अनुबन्धित भण्डारागार का नाम	**मामलों की सं.**	**माल का कुल निर्धारणयोग्य मूल्य**	**भाण्डागारण के समय पर शामिल शुल्क**
चेन्नई	264	8330.73	3749.16
मुम्बई	122	5379.82	2201.11
कोलकाता	334	32992.81	8381.28
हैदराबाद	91	737.95	341.24
कुल जोड़	**811**	**47,441.31**	**14,672.79**

परिशिष्ट 65 {**पैरा सं.**7.25.16 (i)}

क्रम सं.	आयातक	इकाई	विवरण	एवी (₹)	शुल्क (₹)
1	कृष्णा एग्री फूड्स	20	साबुन	11953	3793
2	टाईम टेक्नोप्लास्ट लि.	2040	एचडीपीई एचडी रेजिन टीआर 144	3425963	782939
3	बास्कोन ट्रेडर्स	594	फेन्सी लेन्टर्न प्लास्टिक	636371	167461
4	धम्म स्टील सर्विसेज प्रा.लि.	67	नान एलॉय स्टील रॉड्स	3281971	687278
5	एलाईड प्रोपैक	75	रिजेक्टिड मिक्सड स्टॉक	661964	191964
6	सीए गालिया कोटवाल्स क.	300	सुडान जजीरा बरकट	10153703	0
7	धम्म स्टील सर्विसेज प्रा.लि.	67	नान एलॉय स्टील रॉड्स	3281971	687278
8	एवरग्रीन एक्सपोर्टस	2	रि-इम्पोर्ट आफ नूतमेग	553198	3791
9	इम्पैक्स स्टील एण्ड बियरिंग	26	बाल वियरिंग केबी गोल्ड	3240015	800325
10	यूनीकेयर इन्टप्राईजेस	132	ओल्ड एण्ड यूज्ड डिजिटल मल बॉडी स्प्रे	957615	141287
11	कामत ट्रेडिंग	1261	बॉडी स्प्रे	1225789	397875
12	स्टेनडर्ड कन्डयूट्स प्रा. लि.	218	कॉयल	75374342	11900009
13	स्टेनडर्ड कन्डयूट्स प्रा. लि.	47	कॉयल	17444771	2754159
14	स्टेनडर्ड कन्डयूट्स प्रा. लि.	4	कॉयल	381995	60309
15	धम्म स्टील सर्विसेज प्रा.लि.	66	नान एलॉय स्टील रॉड्स	3281971	687278
16	एवरग्रीन एक्सपोर्टस	2	रि-इम्पोर्ट आफ नूतमेग	553198	3791
17	वाधवाणी कोमोडिटिज	0	बेटेल नोट्स स्पलिट	10290828	0
18	माईलस्टोन एक्जिम प्रा.लि.	3553	पीवीसी केडेटिड फैब्रिक्स	4850160	1063575
19	ट्रेड फेयर	3	आटो पार्टस	10177	0
20	गूड समर्थन	34	यूज्ड मेटेरियल	103300	188217
21	केलाग्स इण्डिया	3	विटामिन स्प्रे	998955	266093

क्रम सं.	आयातक	इकाई	विवरण	एवी (₹)	शुल्क (₹)
	प्रा.लि.				
22	एस आर डेट एसोसियट इम्पेयर स्टील	16	स्टील मेलटिंग स्क्रैप	471535	70753
23	इम्पेयर स्टील	3431	इलेक्ट गुड्स लैम्पस	1159217	531751
24	टॉरस टेलैकम	6	कम्प्यूटर पार्टस	69129	11460
25	3एम इण्डिया लि.	1	टेक पैड	202289	35899
26	इवोलुक साल्यूशन	1	इलैक्ट पार्टस	58669	15841
27	हाईजीन टेक	5	टायलेट स्प्रे	336170	104163
28	हाईजीन टेक	4	डिस्पेन्सर	87399	21874
29	स्टील एण्ड स्क्रैप	140	स्क्रैप	2555494	362344
30	अबीनन्दन इम्पैक्स	285	रबड़	87272	34271
31	नियोटेरिक इन्फो	10	बैट्री	2311	849
32	आटोलेक इण्डस्ट्रीज	452	ग्लास पैनल	153923	78809
33	पार्श्वनाथ एक्सपोर्टस	23	स्क्रैप	203939	0
34	पैगासन इम्पोर्टस	662	वाशिंग लिक्विड	185356	68579
35	सिटी इन्टरप्राइजेस	100	फ्लैक्स	36410	39071
36	ट्यूलिप लैब प्रा.लि.	325	इन्जेक्टर	4908445	0
37	पुशम हैल्थ	6	ग्रीन टी	283684	98865
38	रवि फोर्डस	897	कोको पाउडर	4820168	0
39	केलटेक इंजि.	800	मॉस फीट	449769	100670
40	मार्डीग्रास रेस्टोरेन्टस	870	रायल स्कॉल	3441708	5506734
41	भूपिन्द्र सिंह इन्दरजीत सिंह	23	टेपर्ड रोलियर बियरिंग	12259954	2929499
42	भूपिन्द्र सिंह इन्दरजीत सिंह	16	बाल बियरिंग	11668566	2788188
43	लिंक हर्बल प्राडक्ट इण्डिया	750	सामाहार्म	1784549	386415
			कुल	**185,9,46,166**	**3,39,73,457**

परिशिष्ट 66 {पैरा सं. 7.25.16 (ii)}

क्रम सं.	वस्तु	ईकाई का नाम	सीमा शुल्क (₹)	मूल्य +शुल्क (₹)
1	मॉड. सप्लाई	1		505
2	इलैक्ट सप्लाई	1		76958
3	ओल्ड ईंजन	73		916791
4	ओल्ड ईंजन	109		742332
5	ओल्ड ईंजन	104		207490
6	बी. कॉमपार्ट	1804		413637
7	ड्रेसिंग मेट	25		26825
8	पी.एफ. याम	231		9440
9	फुटवेयर कोर	1		6735
10	ग्लीसरीन	216		1724760
11	एक्स-मस ट्री	339		468837
12	डामर बाटू	213		168057
13	ओल्ड सिन. रैन	81		1874414
14	डीजल ईंजन	221		336018
15	मशीनरी	5		63408966
16	कॉपर स्क्री	15		1037838
17	ए.टाक्साईड	20		1591212
18	स्लाइड गेट	20		1409532
19	स्लाइड गेट	20		1409532
20	एफ.डी. क्लोदिंग	44		89425
21	अम्ब्रेला	8	509272	1769846
22	एस.पी. एसिड	2		24000
23	पॉली. मोने	132	248851	803944
24	एम.एम. टेप्स	140		164700
25	एम. क्लाथ टी	625		25000000
26	पी. फ्रैब्रिक	256	408517	1496082
27	पी. फ्रैब्रिक	256	399740	1463940
28	पी. फ्रैब्रिक	256	400219	1465693
29	वैफर	10	588	8609
30	कास्मेटिक्स	816		397948
31	कास्मेटिक्स	1		498554
32	कास्मेटिक्स	763		126293
33	एमपी4 ईयर फोन	39	19063	74917
34	फोटोकापी	13		57487
35	कम्प्यूटर फोटोकापी	1	520	1465
36	ओलड एण्ड	1	667	2338

क्रम सं.	वस्तु	ईकाई का नाम	सीमा शुल्क (₹)	मूल्य + शुल्क (₹)
37	यूज्ड ओलड एण्ड	1	633	2267
38	यूज्ड ओलड एण्ड	1	686	2456
39	यूज्ड ओलड एण्ड	1	524	1876
40	यूज्ड ओलड एण्ड	1	660	2363
41	यूज्ड ओल्ड एण्ड सिन रैग	522		372343
42	ओल्ड एण्ड सिन रैग	468		394813
43	ओल्ड एण्ड सिन रैग	61		396785
44	ओल्ड एण्ड सिन रैग	59		389501
45	ओल्ड एण्ड सिन रैग	54		438498
46	ओल्ड एण्ड सिन रैग	76		427705
		जोड़	**19,89,940**	**11,17,03,777**